

प्रकाशक  
गोकुलदास धूत  
नवयुग साहित्य सदन, हन्दौर ।

दूसरी बार : १९४७  
मूल्य  
साडे तीन रुपए

मुद्रक  
अमरचंद्र  
राजहंस प्रेस,  
दिल्ली, ३६-४७ ।

पूजनीया स्वर्गीय  
जीजी को  
जिसकी गोद में मैंने  
अहिंसा का दूध  
पिया



## दूसरे संस्करण के लिए

एक बड़े साल में 'साधना के पथ पर' के दूसरे संस्करण की जड़रत पढ़ गई व कहूँ मित्रों तथा पत्रों ने इसे प्रसंद किया—यह देखकर मुझे खुशी होना स्वाभाविक है। तुलसीदासजी ने कहा है—'निज कवित्त केहि लाग न नीका।' परन्तु मेरी हालत उल्टी है। जब तक कोई दूसरा न सराहे, मुझे अपना लेख व काम 'फीका' ही लगता है। शायद यह अपनी ग्रुटियां अधिक देखने की चृति का परिणाम हो। अस्तु।

'साधना के पथ पर' को देखकर कुछ मित्रों ने सुझाया कि पुस्तक एकांगी हो गई है सिर्फ एक ही विषय के संस्करण इसमें आये हैं। मेरा जीवन विविध रहा है—अतः विविध चेत्रों के अनुभव भी आजायं तौ अच्छा। मुझे भी उन्हें लिखने का लोभ हो रहा है। मैं अपने जीवन को विविध चेत्रों से समेट रहा हूँ। फिर भी सुबह से रात तक दम मारने की फुरसत नहीं रहती। हमेशा मन मे यही रहता है कि जल्दी मे यह अच्छा नहीं हो सका; हृदयबो में इधर उग्रादा ध्यान न दिया जा सका। अतः कह नहीं सकता कि ये अनुभव कवतक लिखे जा सकेंगे। किन्तु हाथ में लिये एक दो कार्यों को पूरा करते ही उन्हें लिखने का विचार कर रहा हूँ। उन्हें इस पुस्तक का दूसरा भाग समझना चाहिए।

मैं अनुभव से इस नतीजे पर पहुँच रहा हूँ कि मनुष्य कितना ज्यादा व कितना बड़ा काम करता है, यह उतने महत्त्व की बात नहीं है जितनी यह कि वह किस नीयत से व किस विषय से करता है। फल की नाप कर्ता की भावना से होनी चाहिए, न कि कार्य के विस्तार से। मुझे अपने

मन्मरण इसी दृष्टि से पाठकों के सामने रखने योग्य मालूम होते हैं कि मैंने अपने जीवन में भावना-शुद्धि व साधना-शुद्धि का सबसे ज्यादा खलाल रखा है। हम किसी भा चेत्र में काम फरे—अपना जीवन हमें एक ‘साधना’ ही मानना चाहिए। क्योंकि जैसी हमारी साधना होगी वैसी ही सिद्धि की हम आशा रख सकते हैं। हम जीवन को गलत रास्ते पर ले जायं व अपने कार्यों में सही परिणाम की आशा रखें तो यह मूर्खता ही हो सकती है। इस ‘साधना के पथ पर’ चलते हुए मनुष्य को अनेक खट्टे-मीठे-झुड़वे अनुभव होते हैं। वे उसके तथा जगत् के लिए भी उपयोगी होते हैं, यदि वे साधक की नज़रता में देखे-परखे व पेश किये गए हों। इन अनुभवों को पाठक इसी दृष्टि से देखने व इनसे लाभ उठाने की कृपा करें। मैंने तो इन्हे भरसक तटस्थ भाव से ही लिखा है।

दूसरे संस्करण में यत्र-तत्र सशोधन किये हैं। जिन-जिन मित्रों ने इन्हे पसंद किया है, वे जिन्होंने सुकाव दिये हैं उन सबको हार्दिक धन्यवाद।

मांहसा-शिक्षा-सदन, गांधी आश्रम, हड्डी स्वतन्त्रता-दिवस (१५ अगस्त १९४७)	}
---	---

हरिभाऊ उपाध्याय

## पाठकों से

मैंने इन संस्मरणों का नाम रखा था—‘अहिंसा के अनुभव’। भाई वैज्ञानिकी महोदय<sup>1</sup> ने सुझाया—‘साधना के पथ पर’। यह नाम मुझे पहले बाले से अच्छा लगा। परन्तु भूल प्रकरण लिखे गये हैं अहिंसा के अनुभव-सम्बन्धी। अतः मैंने दोनों नाम मंजूर कर लिये। पहले नाम में मेरो निगाह पाठक पर, दुनिया पर थी; दूसरे में खुद अपने पर रहती है। ‘साधना के पथ पर’ नाम सुझाने में भाई वैज्ञानिकी का क्या आशय रहा होगा, यह तो मैं नहीं कह सकता, पर मुझे उससे यह बोध मिला—मनुष्य को दुनिया की बनिस्थित अपनी तरफ ज्यादा देखना चाहिए। जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ तो यह हाइ-मांस का पुतला तो बेकार-सा लगता है; शरीर में ऐसा रोग छुस गया है कि न जीने का रहा, न मरने का। कभी भी मौत आ जाय तो मरने की तैयारी तो है; पर जीने का लोभ अभी लगा ही हुआ है। इस जीर्ण-शीर्ण ढांचे का भी कुछ उपयोग भालूम होता रहता है। आखिर हम इस मरने-जीने के प्रश्न के फँस्ट में पड़े हो क्यों? जब तक इस ढांचे का दुरुपयोग नहीं होता है, इससे सहसा कोई बुरा काम नहीं होता है तब तक मौत की भी इच्छा क्यों की जाय? न मौत को चाहा जाय, न उससे ढरा जाय। इस विचार से अन्त को समाधान हो जाता है। ढांचा आखिर तो प्रसु का मन्दिर है। जीवात्मा इसी के द्वारा तो अपनी गति-मुक्ति साधता व साध सकता है, तो फिर हसे इतना तुच्छ भी क्यों समझा जाय? जहाँ तक बने, इसे साफ-सुधरा, काम के लक्ष्यक बनाये रखने का यत्न किया जाय। जिस दिन काल-परमात्मा इसे अनावश्यक समझे उस दिन इसे जहाँ-का-तहाँ रख दिया जाय। फिर संसार<sup>1</sup> को भलाई यदि आज तक कुछ हुई है, तो वह भी इन ढांचों के हो द्वारा। अतः व्यष्टि और समष्टि दोनों दृष्टियों से यह ढांचा नगर्य नहीं समझा जाना चाहिए। यह उस अवस्था में जरूर चिन्ता, वृणा व परिव्याप के योग्य बन जाता है जब

<sup>1</sup> इन्दौर राज्य के नेता, मेरे अभिज्ञ साथी।

इसके प्रश्न को भुलाकर, समष्टि के प्रति अपने सम्बन्ध व कर्तव्य को ताक पर रखकर, इसे स्वार्थ-सिद्धि, भोग-विलास, आमोद-प्रमोद, व दुराचार-अस्याचार का साधन बना लिया जाता है। मैं इस विषय में जागरूक व सावधान हूँ, फिर यह शरीर चाहे बहुत उपयोगी न हो, पर अभी विलक्षण बेकार होने की अवस्था में भी नहीं पहुँचा है, अतः इसे टिकाये रखना बुरा नहीं भालूम हो रहा है।

इस ढांचे का विचार क्लोड दें व इसके निवासी, इसके मालिक, का विचार करें तो फिर व्यष्टि व समष्टि ये दो अलग नहीं रह जाते। 'साधना के पथ पर' यह व्यष्टि-प्रधान, अपनी तरफ इशारा करने वाला, नाम रखा तो क्या, व 'अहिंसा के अनुभव' यह समष्टि-प्रधान, पाठकों को कुछ देने की इच्छा सूचित करने वाला नाम रखा तो क्या, एक ही बात है। जीव कुछ-न-कुछ करता हो रहता है वह अपने भूलरूप को न भूलकर जो कुछ भी करता है वह करेगा वह सब शुभ व जायज ही होगा। जीव जब यह भूल जाता है कि मैं विशुद्ध परमात्मा का एक अंश हूँ, व इस जड़ देह के ढांचे में अपनेपन को खत्म कर देता है; तभी वह अपने व समाज के लिए दूषित व भर्यकर हो जाता है, तभी उसकी चिंता किया सब शोचनीय हो जाती है। अतः यदि मनुष्य अपने ढांचे व उसके स्वामी-जीवात्मा-को इस पृथक्ता को समझकर शरीर की अपेक्षा सदैव आत्मा की आवश्यकता का ध्यान रखे, तो फिर उसको हृषि अपनी ओर रहे। क्या व जगत् को ओर रही क्या, दोनों एक ही बात है। लेकिन यह जागृति मनुष्य में प्रायः नहीं रहती, अतः मनुष्य को दूसरों को देने के चक्रकर मे पढ़ने की अपेक्षा यही ज्यादा उचित है कि खुद प्राप्त करता रहे, अपने-आपको साधता रहे। यदि जगत् को कुछ देने की इच्छा हो भी तो इसलिए कि जगत् से बहुत-कुछ लिया है, व लेते रहते हैं तो उसे देना अपना कर्तव्य है, कर्ज उतारना जरूरी है। इसलिए नहीं कि जगत् पर कोई अहसान करना है।

ये 'अहिंसा के अनुभव' इसी कर्तव्य-भावमा या ज्ञान लुकाने की

वृत्ति से मुख्यतः लिखे गये हैं। यहाँ 'साधना' कहिये या 'अनुभव' दोनों का सम्बन्ध 'अहिंसा' से है। 'अहिंसा' ही इस पुस्तक का विषय है। 'अहिंसा' का महत्त्व कोरी व्यक्तिगत साधना के रूप में ही नहीं, बल्कि सामाजिक प्रगति व विकास के साधन के रूप में भी है। अहिंसा की साधना से व्यक्ति समाज की सेवा के योग्य बनता है, और समाज अहिंसा को अपनाकर व्यक्तियों व व्यक्ति-समूहों को सुख-शान्ति, उज्ज्ञाति का आश्वासन देता है। अहिंसा की उत्पत्ति व्यक्ति के इस दर्शन में से हुई है कि व्यष्टि-समष्टि का एक अंश है और समष्टि-रूप हो जाना ही उसकी अवस्था या परिणामि है। अंग का अंगी के साथ सम्बन्ध अहिंसा का ही हो सकता है, हिंसा का नहीं। प्रकृति में हमें जो हिंसा दीखती है वह हमारा एकांगी, अधूरा, एक पहलू का, दर्शन है। जब हम प्रकृति के पारस्परिक विरोधी बलों पर निगाह रखते हैं तो 'हिंसा' प्रकृति का स्व-भाव मालूम होने लगता है, पर जब हम उनकी मूलसूत एकता—एक आत्म-तत्त्व—को देखते हैं तो उसमें 'अहिंसा' के दर्शन होते हैं। हिंसा उपरी व अहिंसा भीतरी वस्तु है। अहिंसा का मुख्य सम्बन्ध उद्देश्य, हेतु, भावना से है; दर्श, बाह्य स्वरूप; परिणाम, फल से अधिक नहीं, यथापि बाहरी आचार व परिणाम उपेक्षणीय नहीं है। कर्ता को दृष्टि से यथापि भावना ही प्रधान है, तथापि जगत् की दृष्टि से बाह्य परिणाम अपना महत्त्व रखता ही है। अतः अहिंसाधर्मीं को जहाँ अपना हेतु शुद्ध, पवित्र रखना है तबाँ आचार भी अहिंसामय रखना है। यदि इस तथ्य को समझने में, इसकी ओर सुखातिव करने में यह पुस्तक कुछ काम दे सके तो मुझे बाल्व में खुशी होगी। सिद्धान्त-चर्चा की अपेक्षा व्यक्तियों के अनुभव कई बार मनुष्य के लिए अधिक विश्वासदायी होते हैं, इस दृष्टि से भी, सम्भव है, ये अनुभव उपयोगी हो सके।

इस युग में महात्मा गांधी अहिंसा के सबसे बड़े प्रणेता है। राज-नैतिक जगत् में अहिंसा के प्रयोग व प्रवेश करने में उनका नंबर दुनिया में शायद सबसे पहला है। इस सूर्य से कुछ किरणें पाकर मुझे जो आनन्द

व सद्भाव्य प्राप्त हुआ है उसी में अपने पाठकों को भागी बनाने के विचार से ये कुछ प्रकरण लिखे गये हैं। सीधे-तादे सरल स्वाभाविक ढंग से ही मैंने इन्हें लिख दिया है। साहित्यिक छटा के खोजी पाठकों को इससे निराशा हो तो आश्चर्य नहीं। साहित्य में भी बनावटी शक्ति का युग अब जा रहा है। सहज स्वाभाविकता व सुन्दरता एक ही बस्तु के दो नाम हैं। सृष्टि में लो विचित्रता, विलक्षणता है वही तो सौन्दर्य है। वह हमें इसक्षिप्त रचिकर व मनमोहक लगता है कि वह सृष्टि का सहज स्वभाव है। कला व सौन्दर्य भी यों अहिंसा-भाता की गोदके बालक हैं। दोनों का जन्म सुकूमारता, मृदुलता से होता है, जो कि अहिंसा का मुख्य गुण है। जिसका हृदय अहिंसामत, प्रेरणा, रसमय, नहीं हो गया है वह कला व सौन्दर्य का प्रेरी, जानक कैसे हो सकता है? विश्व के प्रति सहानुभूति, ममता व अन्त में आत्मीयता ही तो अहिंसा का दूसरा नाम है। कला व सौन्दर्य हमें जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वह यही तो दिव्य स्थान या स्थिति है। जो इस भर्त को समझते हैं वे इसकी सादगी व सद्भजता से, निराश होने के बदले, सम्भव है कुछ प्रसन्न व सन्तुष्ट ही हों।

इन सीमित अनुभवों में मैंने पाठकों से अपना कोई परदा नहीं रखा है। मैं जीवन को खुली पुस्तक रखने के, जीवन की भग्नता के सिद्धांत का हिमायती हूँ। जिस जगत् की मैं देन हूँ उससे मेरा क्या परदा होना चाहिए? हाँ, शिष्टता व सुरुचि का ध्यान तो रखना ही है, जगत् को अपनी अश्वीकरता व वीभत्ता से तो बचाना ही है। अपनी नुटियो व दुराइयों से जगत् को बचाकर उनका फल खुद ही भुगतना, व अपनी अच्छाइयों को सर्वदा जगत् के अर्पण करना अहिंसा की वृत्ति है। इन अनुभवों को लिखने में इस वृत्ति का भी प्रभाव रहा है।

जो-कुछ हैं, जैसे भले-झुरे अनुभव हुए हैं, वे ज्यों-के-त्यों पाठकों के अपेण हैं। मेरी जिम्मेदारी हटी—पाठक अपनी जिम्मेदारी का हिसाब आप लगा लें।

## विषय-सूची

१. आगम	३
२. 'बंड' या 'शारीफ'?	५
३. परिवर्तन	११
४. दुःखद घटना	१६
५. योग का पाठ	२१
६. आत्म-शुद्धि	२८
७. डंकनेवाला नहीं	३३
८. सांप व भूत	३७
९. सात्त्विक भोजन	४०
१०. मातृ-हृदय	४४
११. हृदय-परिवर्तन	४८
१२. धर्म की शोथ	५२
१३. दौलतपुर में	५८
१४. तुचक-मिजाजी	६२
१५. हृष्टवर की कृपा	६८
१६. हृष्टवर-विश्वास	७०
१७. 'मात्रव-मयूर'—'नवजीवन'	७६
१८. परीक्षा	८८
१९. ज़ब्द के अवसर	९२
२०. सिपाही की स्थिट	९७
२१. राजस्थान में	१०३
२२. तत्काल फल	१०६
२३. अहिंसा का भर्म	१११
२४. मजदूरों में अहिंसा	११८

२५. मालिकों पर असर	१२६
२६. हृदय-मंथन	१३८
२७. एक नहीं कसौटी	१४०
२८. कार्य-विस्तार	१५०
२९. विजोलिया की समस्या	१५७
३०. विजोलिया-समझौता	१६६
३१. कांग्रेस में प्रवेश	१७३
३२. स्मरणीय घटना	१७६
३३. बहिष्कार	१८४
३४. एक दूसरा सत्याग्रह	१८६
३५. बुद्धाद्यों के बीच	१९३
३६. अहिंसा प्राणों का मोह नहीं	१९८
३७. विजोलिया-सत्याग्रह	२०२
३८. सत्याग्रह का अन्त	२०६
३९. संयम का नमूना	२१८
४०. ईश्वरीय प्रकाश	२२१
४१. जामा भंगवाना अहिंसा नहीं	२२४
४२. अहिंसा की सूधमता	२२७
४३. नकद धर्म	२३३
४४. दो अहिंसा-धर्मों	२४१
४५. गरीबों का सेवक	२४४
४६. अहिंसा की जीत	२४८
४७. दपया बड़ा ?	२५२
४८. कष्ट के समय में	२५६
४९. पूर्णाहुति	२६१
५०. स्वल्प-पाठ	२६६

# साधना के पथ पर



: ? :

## आरम्भ

कहूं बार कहूं जगह मित्रों ने कहा कि मैं आपने अनुभव लिखूं । तब मेरा मन कहता—‘क्या पिछी व क्या पिछीका शोरवा’ । पर एक बार कोटा-यात्रा में यिथ दूश्वरलाल ने सहज भाव से कहा—आप आपने जीवन-संस्मरण क्यों न लिखें ? मेरे मुँह से भी यों ही फट से लिकल गया—‘हाँ, लिख तो सकता हूं !’ दूसरे ही दिन वे सुबह स्टेशन पर आ पहुंचे और ट्रेन के चलते-चलते कहा—‘तो मुझे जो चादा किया था वह याद है न ! मैं आपसे मांगता हूं कि आप आपने जीवन-संस्मरण लिखें । मुझे निमित्त बनाकर ही लिखें !’

मैं तो उस पहली बातचीत को उसी समय भूल गया था । मैं कौन ऐसा बद्धा आदमी हूं, या कौन से ऐसे बडे काम किये हैं, जो आपने संस्मरण लिखूं । मेरे अनुभव भी क्या, व उनका मूल्य भी क्या ?

मैंने उनसे कहा—भाई मुझे बड़ी हिचक है । अब्बल तो मैं इस योग्य नहीं, दूसरे यह काम विकट है और संकट से खाली नहीं । इसमें ऐसी घटनाओं व व्यक्तिगत सम्बन्धों का जिक्र लाजिमी हीगा जिनमें खतरा है । उन्होंने कहा—तो सच बात क्यों न लिखती जाय ? मैंने जवाब दिया—सभी सच तो, खासकर दूसरों के बारे में, प्रकाशनीय नहीं होता है और समय-असमय भी तो देखना होता है ? निराशा व दुःख उनके चेहरे पर फतक रहा था । मुझे उनका भाव मालौ यह कहता हुआ दिखाई दिया—सच कहने में यह हिचक क्यों ? यह तो हिम्मत की कमी है ।

‘द्विस्मत की कमी है’ यह भाव मेरे मन में बड़ी देर तक घूमता रहा।

विदा होते-होते फिर उन्होंने कहा—‘तो लिखेंगे न?’ गाढ़ी चलने लगी थी। मैंने जवाब दिया—‘तुम मुझसे प्रश्न पूछो। मैं उत्तर लिखता रहूँगा। तुम्हें अच्छे लगें तो छपा देना।’

क्या सच्चसुच मुझमें कोई विशेषता है, जो जीवन-संस्मरण लिखूँ? आखिर संस्मरण कौन-से लिखूँ? मुझे अक्सर यह अनुभव होता है कि मैं विलकृत सौख्यका हूँ, विशेषता तो दर-किनार, मुझमें कोई योग्यता भी नहीं। हाँ, कहे बार यह भी अनुभव होता है कि कोई आकर्ष के चीज मुझमें है जरूर; जब मैं इस चीज को टटोलने लगता हूँ तो ‘स्नेह व सौजन्य’ के सिवा कोई बात हाथ नहीं लगती। जब अपनी कमियों व कमजोरियों का विचार मन में आता है तब भी ‘स्नेह व सौजन्य’ तो सामने से हटते ही नहीं। यह मुझे अहिंसा का ही प्रतिरूप मालूम होता है। अहिंसा की भावना मुझे अपने खून में सनी हुई मालूम होती है। उसमें मुझे जरा भी परायेपन का अनुभव नहीं होता। बाप में मेरो इतनी आसन्निक का यही सूल कारण लगता है। उनका सत्य मुझे अपने सामने सड़ा दिखाई देता है, पर अहिंसा मुझसे लिपटी-चिपटी मालूम देती है। अपने जीवन में मुझे अहिंसा के उत्तरोत्तर-कुछ जान में व कुछ अनजान में-विकास की एक रेखा दीखती है। जिन घटनाओं में वह देखा दीखती है, जो अनुभव उसके दायें-बायें होते गए हैं, जो आधात-प्रतिधात हुए हैं, उसके सिलसिले में जो निचोड़ व परिणाम निकले हैं, वे मुझे जरूर ऐसे मालूम देते हैं जिनसे मित्रों, साथियों व लोगों को लाभ व प्रेरणा मिल सकती है। तो उन्हें ही क्रम से क्यों न लिख दूँ? जो बात अचानक मुँह से निकल जाती है उसमें परमात्मा का कोई सकैर, हेतु होना चाहिए, नहीं तो क्यों मैंने एक ईश्वरलाल से ‘हाँ’ कह दिया? आखिर बहुत धन-मयन के बाद यही ठीक समझा कि अपने वे अनुभव, व संस्मरण पाठकों के सामने रख ही दूँ। इनकी माझा को

गूँथने में भेरे जीवन की कुछ घटनाओं ने धरो का काम किया है। इससे पाठकों का कुछ उपकार हुआ तो इतने आत्म-प्रदर्शन के लिए ईश्वर के दरबार में हमा मिलने की आशा रखता हूँ।<sup>१</sup>

१. इसके प्रथम १३ प्रकरण १६४१ में लिखे गए थे। शेष १६४५ में लिखे गए हैं।

१ २ :

## 'बंड' या 'शारीफ' ?

अपने 'गांधी' का स्थाल आता है तो सबसे पहले कवीट (कैथ) के 'जंचेन्ड' के साइ याद आते हैं। कवीट साजे, कवीट से कवीट गिराने में एक नम्बर था। हमारा भौंरासा कवीटों की इफरात से आसपास के गांवों में 'कवीटिया' कहलाता था। जब वचपन की तरफ निगाह ढौँडती है तो आश्चर्य होता है कि ४८ साल<sup>१</sup> निकल गए। जब इतनी उम्र का स्थाल आता है तो मन वचपन की तरफ से हटकर युद्धापे का चिन्ह देखने लगता है; चपलता उदासी की तरफ वह निकलती है। भौंत का स्थाल ढरावना तो नहीं लगता, कुछ-कुछ सुहावना ही लगता है, मगर कुछ छिपे-छिपे यह भान होने लगता है कि दिन थोड़े रह गए और कुछ कर नहीं सके। किन्तु भीतर से एक विश्वास की लहर उठती नजर आती है, कुछ करके ही मरना होगा। कुछ पूरा होकर ही रहेगा। वचपन से ही न जाने क्यों मेरे मन में रह-रह कर यह प्रेरणा उठती है कि सुमेरे कुछ करना है। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि कोई सुमेरे घसीटे, बहाए ले जारहा है। मुझे उसकी दिशा का भान भी होने लगता है। 'जीजी' कहा करती थीं कि तेरे पिताजी को एक साधु ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे अच्छा पुत्र होगा। पिताजी निश्च प्रातः-स्मरण व स्तोत्र-पाठ किया करते थे। सुनते-सुनते कई स्तोत्र मुझे याद ही गए थे।

---

१—भौंरासा—जिला उज्जैन, ग्वालियर-राज्य। २—जन्मतिथि—चैत्र बदी ७, संवत् १९४६, विक्रमी। ३—मेरी माता, जानकी देवी।

उनका बड़ा प्रभाव मन पर पड़ता था। जब कभी वे ‘शिव-कवच’ व ‘राम-रहा’ के श्लोक का पाठ करते थे तो मुझे सचमुच ऐसा जान पड़ता था कि मेरे शत्रुओं का नाश हो रहा है और शङ्कर या राम मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब भी इन स्तोत्रों का मेरे मन पर बड़ा असर होता है।

बचपन से ही न जाने क्यों मेरे मन में यह बात जमी बैठी है कि मेरे अंतिम दिन सिंगा या नर्मदा के, विशेष कर नर्मदा के, किनारे बीतेंगे। नर्मदा से मुझे इतना आकर्षण मालूम होता है कि एक बार नर्मदा-तट पर घूमते हुए मैंने बैजनाथजी से कहा था—जी चाहता है कि मैं मोटर से यहाँ उतर पड़ूँ और रहने लग जाऊँ।

३-४ साल पहले पूज्य किशोरलाल भाई मशुकाला से मैंने कहा था कि मुझे उपनिषद्-कालीन ऋषि-मुनियों का जीवन बहुत अच्छा लगता है। मेरे अंतिम दिन इसी तरह बीतते मालूम होते हैं। मेरी प्रवृत्ति डसी तरफ है।

इन विचारों व भावनाओं के साथ मेरा बाल्य-जीवन बड़ा बे-मेल मालूम होता है। गांव के लोगों ने मेरा नाम ‘बड़ी बण्ड’ रख दिया था। मेरी शरारतों व साहसिक बातों से माता-पिता बहुत परेशान रहते थे।

साहसी ऐसा कि (१०-११ साल की उम्र में) अंधेरी रात मेरी १२ बजे रात को अकेला घर आते नहीं ढरता था—(एक बार इसके लिए कुछ बुजुर्गों ने भूत-नुड़ैल की भयावनी बाते कहन-कहकर मुझे बहुत डराया तब यह साहस कम हुआ) हठों ऐसा कि बहुत पिटने पर भी कई बार माता-पिता व बड़े की बात नहीं मानता था। एक बार बहुत पानी बरसा नदी-नाले सब पूरे। घर से बाहर निकलने की उंगलायश नहीं। मैंने बस्ता लिया और मदरसे जाने लगा। मां ने कहा, इतना पानी बरसा है कि मदरसे जाने का रास्ता नहीं। रास्ते में बह जायगा।

१-मेरा असली नाम बद्रीनारायण या बद्रीनाथ था। ‘बण्ड’ कहते हैं मालवी बोली में शरारती को !

और मदरसा तो खुल भी नहीं सकता। मैंने हठ ठान ली कि नहीं, मैं तो जाऊँगा। माता-पिता दोनों हाथ पकड़ के खींचने लगे—मैं पछाड़ खाने लगा। मेरे पिताजी ने दरवाजे की सांकल लगा दी व ताला झट दिया। मैं एक यत्थर लेकर लपका व बड़े जोर से लाले पर मारने लगा। अबतो पिताजी से न रहा गया, और अपने राम की खूब पूजा-पत्री की। शरारती ऐसा कि एक बार किसी ने हशारा किया कि फलां स्त्री का कपड़ा खींच ले—मैंने न आव देखा न ताव, रास्ते में आकर कपड़ा खींच लिया। उसने पीछे मुड़कर जोर से चांदा रसीद किया—मैं लाल गाल ले इधर-उधर देखने लगा। लोग कहकहा लगाने लगे।

एक बार एक छुइसवार जारहा था। किसी ने छुघकारा—घोड़े की पूँछ पकड़ ले। मैंने चलते हुए घोड़े की पूँछ खींच ली। घोड़े ने जो कुछती लगाई कि मैं मुझे की तरह छुड़क गया। अब भी छाती में उस नगह दर्द रहता है।

एक बार भौंरसे के एक तहसीलदार ने मुझसे कान मे कहा—अपने पिताजी की पगड़ी उतारकर फेंक दो। मैं चुपके से उनके पास गया और बीसों आदमियों के सामने एकाएक उनकी पगड़ी उतारकर फेंक दी। खेल आदि में लड़ाई-मगाड़ा होने पर साथी जब नालियों से बात करते तो मैं उत्तरदे से पूजा किया करता था। एक बार एक लड़के की आंख में तककर पेसा कंकर मारा कि वह धड़ाम से गिर पड़ा व बेहोश होगया। जिन लड़कों को मैं पीटता था उनके मां-बाप की शिकायतों से मेरे मां-बाप हमेशा तंग रहते थे और समय-समय पर मेरी 'आरती' उतारा करते थे। मेरी कूद-फांद, शरारती और साहसिक ग्रहृत्तियों को देख-देख कर गांव के लोग यह भविष्य किया करते थे, यह कहीं जेल काट के मरेगा। जेल जाने की भविष्यवाणी तो उनकी, दूसरे अर्थ में, सच निकल गई। सूत्यु के बारे में मेरे मन में भी कहीं बार यह भावना उठती है कि वह भी संभव है घटनामय हो।

लेकिन इन हुएताओं के बावजूद गांव के लोग मुझे बहुत प्यार

करते थे। इसका कारण तो यह था कि मैं पढ़ने-लिखनेमें देज था। जहीन माना जाता था। कभी किसी विषय में फेल नहीं हुआ। दूसरा बड़ा कारण यह था कि मैं कभी किसी को ‘नाहीं’ नहीं कहता था। जिसने जो काम बढ़ा दिया वह कर दिया। मां ने एक काम से कहीं भेज दिया, रास्ते में दूसरे ने अपना बढ़ा दिया। पहले मैं उनका काम कर देता था, फिर घर का-मां का बढ़ाया हुआ। अब भी जब कोई अपनी गरज लेकर मेरे पास आता है तो मुझे ‘ना’ कहना बहुत भारी भालूम होता है व अपने कामों की परवा न करके भी उनका काम कर देने की प्रवृत्ति होती है। मेरे घर के व साथी सब इस प्रवृत्ति से एक अंश तक दुखी रहते हैं, मुझे वधीरे कामों को इससे छानि पहुंचती है, भगव भुजे कुछ ऐसा लगता है कि ऐसे समय ‘ना’ कहना मनुष्यता व सहदता के विपरीत है। इसमें मूल प्रेरणा तो अहिंसा या सेवा की है; परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि समाज में सवृगुण की भी सीमा होती है। जबतक अपेक्षा है तब तक सीमाएं हैं, और जबतक समाज है, हमारी सामाजिक दृष्टि है, तबतक सापेक्षता की उपेक्षा नहीं हो सकती। समाज की हावि व टीका या निन्दा की जोखिम लेकर ही मनुष्य निरपेक्ष रह सकता है और निरपेक्ष, दृष्टि को पूर्णतः निभा सकता है।

अपना नुकसान करके भी जो दूसरों के काम आता रहता है, वह ‘बैबकूफ़’ भले ही समझा जाय, मगर उसे प्यार सब करते हैं। उस बचपन के दिनों की एक ऐसी सनसनीदार घटना मुझे याद है जो इन उपद्रवों की पृष्ठभूमि में देने जैसी है। दर्जे में एक लड़के से मेरा फ़ग़हा हुआ। उसके पिता भद्रसे में आकर मुझे डॉटने-डपटने लागे। हेडमास्टर साहब ने उन्हे मना किया। वे उनसे भी उल्लङ्घन पढ़े। हेडमास्टर ने अदालत में मुकदमा चला दिया। मैं प्रधान गवाह बनाया गया। लड़के के बाप ने अदालत में अलग ले जाकर मेरे पांच पर पगड़ी रख दी। रोने लगे—तुम्हारी गवाही से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जायगी। वे बुझ रहे थे। मैं इस भार को, उनके इतने जलील होने के इस दृश्य को, न सह सका।

मेरी आंखों से भी आँखुओं की झल्ही लग गई। मैंने गदाई नहीं दी, वे बहुत बच गए। हेडमास्टर तो बहुत नाराज हुए, उनकी सारी हमारत ही वह गई—मगर सारे गांव में मेरी तारीफ होती रही—बड़ी बड़ा शरीफ है।

३ :

## परिवर्तन

मेरे चचा (स्व० श्री वैजयनाथ उपाध्याय) बचपन से ही मुझे बहुत चाहते थे। वे साहसी, बुद्धिमान, तेज-तरार, स्यागी, सेवाभावी थे। शासकों के व मुंशियों के गुण भी उनसे खूब थे। १३ साल की उम्र मे मुझे वे अपने पास<sup>१</sup> ले गये। यहां जाते ही मुझमे एकाएक बिना किसी के कहे-सुने एक अजीब परिवर्तन हुआ। यह भाव मन मे पैदा हुआ—अब माँ महीं; काकी के पास रहना है। यहा अपना बंडपन (शरारत) नहीं चलेगा। काका साहब बड़ी उमर्ग से मुझको यहां लाये हैं। मेरे उपद्रवो से उन्हें हुःख व कष्ट न हो। काकी को परेशान न होना पढ़े। काका साहब यहां बडे आदमी हैं। उनका भतीजा अगर उपद्रव करे तो यहां के सोग क्या कहेगे? मुझे उन्हें इसकी शिकायत का भौका न देना चाहिए। जब मैं सोचता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि यह समझदारी और जिम्मेदारी के भाव उस समय मेरे मन मे कहां से आ गये। इनके मूल की खोज करता हूँ तो ऐसा भालूम होता है कि काका व काकी को मेरे कारण कष्ट न पहुंचे, उनकी डुराई-बदनामी न हो, यह अहिंसा की भावना इसमे थी। इस गुप या सुस भावना ने मेरे अन्दर यह परिवर्तन या बुद्धिमानी पैदा की। बाद में तो मुझे यह स्पष्ट अनुभव हुआ कि आहिंसा या किसी भी सद्भाव की साधना से बुद्धि बढ़े बिना नहीं रह सकती। नहै-नहै व

१. उस समय वे बरमंडल (जागीर सरदार जटार साहब) (मालवा गवालियर-राज्य) में वहिवटदार (तहसीलदार) थे।

अद्भुत बातें सुने विना, पृकाएँक छोटे या बडे परिवर्तन हुए विना रह नहीं सकते ।

काकी मेरी बढ़ी स्नेहमयी थीं । लेकिन काका साहब सदैव यह ख्याल रखते थे कि काकी मेरे साथ कोई दुर्घटनाहार न करे । जरा खटका होते ही वे उनके साथ कड़ाई से पेश आते । यह मुझे अच्छा नहीं लगता । मैं बेचैन हो उठता कि मेरी बढ़ौलत काकी पर सख्ती हुई । यह डर होने लगता कि इससे कहाँ काकी के स्नेह में फर्क न आजाय । वह यह न समझने लगे कि यह कहाँ को आफत मेरे पीछे लग गई । काका साहब भी आगे जाकर यह न महसूस करने लगे कि हरि<sup>१</sup> को लाकर एक फंसट में पड़ गया । इस कठिनाई में से दृश्वर ने मुझे एक रास्ता सुझाया । काका साहब तो अपने हैं । उनका प्यार तो मेरे लिए सहज है । काकी पराई बेटी है । उनका प्यार मेरे पात्र बने रहने से ही मिल बिंदिक सकेगा । मैं उनके प्यार व वास्तव्य का अधिकारी कैसे बना रहूँ ? उनकी सेवा करके उनका होकर । काका साहब को भले ही एक बार नाराज होने का मौका मिले, पर काकी को नहीं । काका साहब जब काकी को मिलके, तो मुझे काकी की तरफदारी करनी चाहिए, उनका बचाव करना चाहिये ।

बस, मैं बीच-बीच में काका साहब से, ऐसे अवसरों पर कहने लगा—आप विला बजह काकी को क्यों ढांटते हैं ? इसमें तो मेरा ही कुसूर था, इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए । कहूँ बार मैं झूठ-झूठ भी बातें को अपने ऊपर ले लिया करता था । अब तो काकी का प्रेम व विश्वास दृतना बढ़ गया कि कोई काम उनके हाथ से बिगड़ जाता और काका साहब जबाब तलब करते हो वे मेरा नाम ले देती थीं । काका साहब मुझे कभी-कभी तेज स्वर में सवाल करने के अलावा कभी नहीं ढांटते थे । वैसे

१. मेरे मामा व काका मुझे ‘हरि’ कहा करते थे, आगे चलकर यही नाम—हरिभाल—प्रचलित हो गया ।

गुस्सा उनका देज था; लेकिन मेरे प्रति उनकी मधुरता के भूल में भी यह भाव हो तो आश्चर्य नहीं कि यह अपना लड़का नहीं, भतीजा है। यह दुजार व प्यार की चाह सखता है, सखियों की नहीं। लड़का सख्ती को समझ सकता है, भतीजा नहीं। लेकिन यहां बात उल्टी थी। मेरे खातिर काकी या मेरे भाई (काका के लड़के) पर सख्ती होती सो मुझे उरा लगता—हालांकि उनकी इस दूरदेशी से काका साहब के प्रति मेरा आदर व पूज्य भाव बढ़ता ही गया। मेरे भाई को अक्सर और कभी-कभी, मेरी काकी को भी, काका साहब का यह पच्चात अखरता था। मुझे कोई ऐसा ही लगता है कि काका साहब का व्यवहार शुद्ध अहिंसा-भाव से प्रेरित था। वे अहिंसा-सिद्धान्त के कायल हों, अहिंसा-नीति पर जान-दूम कर चलते हों, सो बात नहीं। लेकिन उनके अनजाने भी उनका यह रुख अहिंसा-प्रेरित ही दिखाई देता है।

अहिंसा के भूल में भिजता का, द्वैत का भाव है; सत्य में अनिष्टता का, अद्वैत का। दूसरे की अपेक्षा में व अपेक्षा से ही हमारा व्यवहार हिंसा या अहिंसा का समझा जा सकता है। जब कोई दूसरा नहीं है, हमी हम हैं, वो वहां सब शुद्ध नग्न सत्य, अमेद है। सत्य की नगनता आत-एव बीमत्सत्ता पर अहिंसा, सम्यता व सौजन्य का वस्त्रावरण है। सत्य की प्रखरता अतः असद्यता पर अहिंसा मधुरता व मूलता का सेप, अनुपान है। साधारणतः मनुष्य भतीजे से उतना अमेद अनुभव नहीं करता जितना सगे बेटे से, व जितना खुद अपने से अमेद-भाव समझता है, इतना सगे बेटे से भी नहीं। इसलिए वह खुद अपने वहैं जितनी नगनता, प्रखरता, कठोरता बरत सकता है, उतनी अपने खास बेटे के प्रति भी नहीं। सत्य का ज्ञान या अनुभव जैसा मुझे है या होता है ठीक वैसा ही, विद्युत नग्न, मुझे उसे दूसरे को कराने की हिम्मत नहीं होती—समाज की दृष्टि से यह सदा आवश्यक व हितकर भी नहीं है—क्योंकि संभव है दूसरा उसे उसी रूप में न देख सके या समझ सके। मेरे अपने संस्कार अलग हैं, उसके अलग। यह भेद मेरे व उसके सत्य व्यवहार में

एक भयांदा उत्पन्न कर देता है और वह अहिंसा है। मैं अपने सत्य को दूसरे तक अहिंसा द्वारा ही पहुँचाकर कृतकार्य हो सकता हूँ—यदि कृतकार्यता की कुछ आशा हो सकती है तो इसी तरीके से। सत्य का स्थान क्यों अच्छा है, अहिंसा का स्थान उसके मुकाबले में क्यों दूसरा है, यह इससे अच्छी तरह समझ में आजाता है। जबतक हमारे मन में भेद-भाव है तब तक अहिंसा व सत्य का हमारे लिए समान मूल्य है, जब भेद-भावों से हम परे हो जाते हैं, या होने लगते हैं, तब हम अपने लिए यह भाषा बोल सकते हैं—सत्य का नम्बर पहला, अहिंसा का दूसरा।

मैं वरमण्डल में तीन साल रहा। इसके बाद जब मैं भौतासा गया तो वहाँ चाले आश्रय करने लगे कि यह कितना शान्त, समझदार हो गया। कहने लगे—वैजनाथ ने इसका जीवन सुधार दिया। काकासाहब ने सच-मुच मेरा जीवन यहाँ बनाना आरम्भ किया था। राष्ट्रीयता, देश-भक्ति समाज-सेवा की भावना मेरे मन में यही अंकित हुई। मानवी सद्गुणों के बोज के रूप में जो भावनाएं भौतासा में छुट-फुट बिखरती दीखती थीं, उन्होंने उनकी देख-भाल व संगोपन में स्थिरता व वृद्धि पाई एवं उन्हें सुन्न-वस्थित रूप मिला। उनके पास उन दिनों मराठी के चार अखबार आते थे—‘किसरी’, ‘काल’, ‘भाला’, ‘हिन्दू-पंच’। चारों उस समय उग्र राष्ट्रीय विचारों के प्रतिनिधि व प्रतिपादक थे। मेरे जाने के बाद इनमें ‘हिंदीकेसरी’ व ‘भारतमित्र’ और जोड़े गए। पुस्तकों का सासा भण्डार उनके पास था। चाचाजी अच्छी पुस्तकें पढ़ाते, अखबारों का मजमून समझाते, ‘लाल-बाल-पाल’<sup>१</sup> त्रिमूर्ति नेताओं का गुण व प्रभाव बताते। रात में गश्त के लिए सिपाही की चर्दी में मुझे साथ ले जाते; डरावनी जगहों पर मुझे अकेले गश्त करने भेजते। कहते—खतरे व मृत्यु से क्या डरना? इन्हर को संकट में डालना या मौत के मुँह में ढकेलना भंजूर है तो वह होकर

१—बाल—बाला लाजपतराय, बाल—बाल गंगाधर तिळक, पाल—विपिनचन्द्र पाल।

रहेगा—बर बैठे भी संकट या भौत आ जायगी । लंगलों में, पहाड़ों पर, बारिश में साथ ले जाते । तीर व बन्दुक उत्ताना सिखताचाया । अपनी जाति (शौदुम्बर) की अवनत दशा का बड़ी करणा के साथ जिक्र करते । एक बार उन्होंने मुझे नीचे लिखी नसीहतों लिखकर दी—

भूलने योग्य बातें—

१—दूसरों द्वारा अपने साथ की गई भुराई ।

२—अपने द्वारा दूसरों के साथ की गई भलाई ।

याद रखने योग्य बातें—

१—अपने द्वारा दूसरे के साथ की गई भुराई ।

२—दूसरों द्वारा अपने साथ की गई भलाई ।

इस शिला ने मेरी मूल अहिंसा-वृत्ति को स्पष्ट आचार में जाने का मार्ग दिखाया । इस तीन साल के काल ने मेरे विमाण को अच्छा भोजन दिया, मेरी भावनाओं को राष्ट्रीय बनाया, और मेरी स्परिट को हुष्टा से हटाकर शिष्टा और समझदारी की ओर मोड़ा । मेरे भावी जीवन की असली नींव यहीं पढ़ी । इसका जितना श्रेय मेरे काका साहब को दिया जाय उतना सत्य व वाजिब है ।

: ४ :

## दुःखद घटना

मेरे चाचाजी का तबादला मेडीताल<sup>१</sup> ( बरहमगंज ) हो गया । वे बहुत चाहते थे कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाय । मैं अपने मां-बाप का उस समय इकलौता और जादला बेटा था । मार्टिन<sup>२</sup> का जन्म उम दिनों हुआ ही था । मुझे अपने से दूर भेजने की हिम्मत उन्हें नहीं होती थी । बरमणडल में रहते हुए काका साहब ने मुझे तभाम दफ्तरी कार्रवाई भे झतना परिचित कर दिया था कि उनके बहाँ से चले जाने के बाद कोई एक साल तक मैंने तहसील का सारा काम चलाया था । उन दिनों ग्वालियर राज्य के फैक्टरी हस्पेक्टर श्री चासुदेवराव शाहाणे बी० ए०, एक-एक० बी० दौरे पर बहाँ आये थे । वे मेरे काम-काज, रंग-ढंग से दृष्टने प्रभावित हुए कि उन्होंने मेरे पिताजी से यह बादा लिया कि मुझे अंग्रेजी पढ़ने के लिए उज्जैन जरूर भेजेंगे व अपने मित्र, कालेज के तत्कालीन प्रिसिपल, राजे साहब को एक पत्र लिखा कि हरिमाल को मेरा पुत्र समझकर हसकी शिरा-दीरा में दिलचस्पी लीजिए । मगर पिताजी ने स्नेह की दुर्बलता-वश मुझे नहीं भेजा । हससे मेरे चित्त को बड़ी ढेस लगी । संयोग से सुन्दर<sup>३</sup> की शादी (सन् १९१०) में चाचाजी आये और उन्होंने मुझे काशी से जाकर पढ़ाने का प्रस्ताव रखा । मगर कहा कि यदि वा साहब ( मेरे

१—मेडीताल, जिला गोरखपुर, (ग्वालियर के सरदार जटार साहब की जर्मीदारी) २—सरस्वा साहित्य मंडल का मन्त्री, ३—मेरी चचेरी बहन ।

पिताजी) मना कर देंगे तो मैं नहीं ले जाऊँगा। मैंने जीजी व दा साहब (माताजी व पिताजी) को अकेले में कहा—मेरी आगे पढ़ने की तीव्र अभिलाषा है। काका साहब मुझे काशी ले जाना चाहते हैं। आपसे पूछूँगे। आपने हनकार किया तो नहीं ले जावेंगे। लेकिन इसकी कीमत आपको बड़ी भारी चुकानी पड़ेगी। मैं कही ऐसा चला जाऊँगा कि फिर जिन्दगी-मर आप मेरा मुँह न देख पावेंगे। मेरे हठीले स्वभाव को दे खूब जानते थे। कुछ नहीं बोले। चाचाजी ने पूछा, तब भी चुप रहे। तब चाचाजी ने मुझे काशी ले जाने का निश्चय कर लिया।

बरमंडल में मैं लुक-छिपकर बीड़ी पीना सीख गया था। चाचाजी पीते थे, सो सोचा, देखे कैसा सवाद आता है। सवाद-बवाद सो साक आया, धूँआ पेट में उतर गया व दिमाग में चढ गया तो बड़ी देर तक परेशान रहा। लेकिन एक दोस्त ने उसमें पीछे की तरफ पीपरमेंट लगाकर पिलाया तो बड़ी ठण्डी-ठण्डी व अच्छी लगी। लेकिन जब काशी जाने के लिए गाढ़ी में बैठा तो भाव-विभोर ही गया। गंगा के किनारे, काशी विश्वनाथ की नगरी में विद्याध्ययन का अवसर-कितना पुण्य, कितना बड़ा भाग्य ! अद्विकालीन विद्यार्थियों व छात्रों की तरह एक आदर्श-विद्यार्थी का जीवन बिताऊँगा, न किसी तुराई में लिप्त होऊँगा, न किसी व्यसन में फंसूँगा। ‘रांड, सांड, सीढ़ी, संचासी, इनसे बचे सो सेवे कासी’<sup>१</sup> यह कहावत सुन लुका था। अपने जीवन को सब तरह पवित्र रखने का दृष्ट निश्चय किया।

१२११ से १५ तक, पांच साल, मैंने काशी व प्रयाग में रहकर मैट्रिक पास किया। यह काल विद्याध्ययन के साथ-साथ साहित्य-सेवा व समाज-सेवा के प्रकृत कार्यरंभ का और अपने सद्भावों की ध्यात्वहारिक परीक्षाओं के भी आरम्भ का काल था। बरमंडल से ही लोकमान्य तिलक मेरे आराध्य-देव बन लुके थे। काशी में सुझे एक ऐसे पथ-दर्शक<sup>२</sup> मिल

<sup>१</sup>—डॉक्टर हरि रामचन्द्र दिवेकर, साहित्याचार्य।

गए जिससे तिलक महाराज की तरह देश-सेवा में जीवन लगाने का संकल्प हड़ होने लगा । ऐरे काशी आ जाने के बाद काका साहब की भी जाति-सेवा व साहित्य-सेवा करने की भावना को मूर्तरूप मिलने लगा । उन्होंने एक मासिक पत्र काशी से निकालने का निश्चय किया व आर्थिक के अलावा सब जिम्मेदारी मुझ पर ढाल दी । प्रेरणा व देख-भाल उनकी, कार्य की जिम्मेदारी मेरी । उस समय मेरी अवस्था १६-१७ साल की थी व मैं सातवें दर्जे में पढ़ता था । मेरे साथ मेरे दो छोटे चचेरे<sup>१</sup> भाई व एक फुफेरा भाई हरिशंकर<sup>२</sup> भी पढ़ने के लिए रखे गये थे । चाचाजी का सर्वत हुक्म था कि विद्यार्थियों को हाथ से काम करना चाहिए, पानी लाना, कपड़े धोना, रसोई बनाना, चौका-बरतन, सौदा-सुलुफ सब काम हम लोग छुद ही करते थे । हरिशंकर व सुन्दरलाल दो तो बच्चे ही थे । दत्त मुझसे दो साल छोटा था । इसलिए सारी जिम्मेदारी हम दोनों पर और सबसे बड़ा होने के कारण मुख्यतः मुझ पर थी । दत्त शुरू से ही कुछ गैर-जिम्मेदार था व चाचाजी उससे नाराज व हुख्ती रहते थे । इससे मेरी नैतिक व व्यावहारिक जिम्मेदारियां कितनी भारी थीं—इसका अनुमान पाठक सहज ही लगा सकते हैं । हम रहते रामबाट, कालमैरव, दूधविनायक आदि की तरफ व पढ़ते थे ठेठ कमच्छाके हिन्दू कालेजियट हाईस्कूल में । हमेशा पैदल आते-जाते । खूब तेज चलने पर ३५-४० मिनट में घर से स्कूल पहुंच सकते थे । घर का, स्कूल का, व पत्र (ओडुम्बर) का इतना काम रहता था कि शाम को स्कूल से आते ही दूसरे दिन को किताबें बस्ते में छाटकर रख देता था । अक्सर दोनों बच्चे के भोजन व चौका-बरतन का बोझा मुझी पर रहता था । शतकों काम-काजमें ह बज जाते इतना थक जाता कि पढ़ते ही नींद आजाती । सुबह किर नौ-सवा नौ बजे तक बड़ी मुरिकल से रसोई-पानी से निवृत्त होकर किसी तरह बस्ता लेकर दौड़ते-भागते स्कूल पहुंचता । 'ओडुम्बर' का बहुत-कुछ काम स्कूल में व क्लास

१—ये दोनों अब संसार में नहीं हैं । २—बन्धू में टी०टी०३० हैं ।

में करता। शिवक भी मेरे परिश्रम व साहित्य-सेवा के काम से प्रसन्न रहते थे—इसलिए ‘होमटार्क’ के लिए कभी दोकते नहीं थे। हैडमास्टर गुहू<sup>१</sup> साहब ने मेरे लिए बनारस के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक प्रमाण-पत्र भी दिया था, जिसमें संजीदगी, समझदारी व सेवा-भाव का उल्लेख किया था जिससे ‘ओहुम्बर’ का डिक्लोरेशन बिना जमानत मिल गया।

इन जिम्मेदारियों की चिन्ताओं ने, खासकर दत्त को प्रसन्न व संतुष्ट रखने की चिन्ता ने मेरे दिमाग पर बहुत बोझा डाला। उस पर बड़ा तानाव व जोर पड़ने लगा। बरमणहल में जैसे काकी को संतुष्ट रखने की नीति मैंने रखी वैसे ही काशी में दत्त को। लेकिन इसमें पूरा काम-चाव न होसका। एक रोज दत्त सुझते नाराज होकर चला गया व दूसरी जगह रहने लगा। मैंने उसे हाथ-पांव जोड़कर बहुत समझाया, मिज्जत चिरौरी की, लेकिन वह न माना। आखिर काका साहब आये। मुझे अपनी इस अधोग्यता व असमर्थता पर इतनी आख-न्यानि हुई कि मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा—“दत्त सुझते रुठ गया है। उसको कष्ट पहुंचाकर मैं यहां रहना व पढ़ना नहीं चाहता। काकी को जितना रंज होता होगा। मुझे धर मेज दीजिए। आपके आशीर्वाद से जितना कुछ बनेगा मैं उधर ही पढ़ लूँगा।” उन्हें इस प्रस्ताव से बड़ी डेस लगी। मुझसे कहने लगे—“दत्त को मैं जानता हूँ। तुम्हारी काकी भी जानती है। धर मेजना होगा तो दत्त को भेजूँगा—तुम्हें नहीं। जितना बोझ तुम पर है उतना दूसरे किसी पर होता तो अब तक सुँह छिपाकर भाग जाता। मेरे पुत्र तो तुम हीने चाहिए थे।” उनकी इस बदाता और बल्लतासे मैं आधा जमीन में गड़ गया। लेकिन उन्होंने दत्त को जो बुरा-भला कहा, वह अब भी मुझे तीर की तरह तुम्हारा रहता है। मैंने यही माना कि मेरे बड़े-भाईयन में जहर कसर थी, जिससे मैं दत्त का दिल न जीत सका और मेरी ही कमियों के कारण उसे बुरा-भला सुनना पड़ा व पड़ता था।

१—सर इकबालनारायण गुहू<sup>१</sup>।

यदि मुझमें काफी अहिंसा-भाव होता, मेरा जीवन प्रेरणाय व रसायन ही होता तो उसकी मधुरता व स्निग्धता उसे अवश्य ही पिछला लेती। बाद में तो दचू मुझसे सुश रहने लगा था—लेकिन उस घटना की छाप मेरे दिल से अभी तक नहीं मिटती है। मेरे दिल व दिमाग को इतना धड़ा लगा था कि मुझे व चाचाजी को भी यह शक्त होने लगा था कि मेरा चित्त कहीं उच्छ न जाय।

## योग का पाठ

इसके पहले की एक घटना सुन्नें लिखनी है जिसने मुझे योग का अत्यन्त पाठ पढ़ाया। सुन्दरखाल को एक रोज रात को दक्ष लगे व उल्टी छुई। वह अक्सर अधिक खा लिया करता था। हम सभमें, बदहजमी होगई है। रात का वक्त—हमारी जान-पहचान अभी ज्यादा नहीं हो पाई थी, न दुनिया का ही कुछ तजरबा था। मकान-मालिक से कहा तो उसने कहा—सब ठीक हो जायगा, सुबह किसी बैद्य को दिखा देगे। उसे असल मे हैज़ा होगया था। पिछली रात को जब उसके चिह्न खराब दिखाई देने लगे तो हम बवराये व बैद्य को बुलाकर लाते हैं, तब तक वह चल बसा। सुक पर तो मनो पत्थर पड़ गये—अब काका साहब व काकी को क्या सुन्ह दिखायेंगे? सबसे बड़ी चोट तो यह लगी कि बिना दबादार के ही लड़का हाथ से चखा गया। इस मूडता व गफ्फलत के लिए मैंने आज तक अपने को माफ़ नहीं किया। जब-जब याद आती है, शूल की तरह चुम्हती है और यह भाव मिटाये नहीं मिटता कि मेरी गफ्फलत उसको मृत्यु की जिम्मेदार है।

उसका दाह-कर्म करके उसी दिन हम काशी से बरहलगांज पहुँचे। खाचाजी को देखते ही मैं धड़ाम से गिर पड़ा व बेहोश होगया। इधर सुन्दरखाल का वियोग, उधर काकी का करण-कन्दून, सामने मैं बेहोश। सनकी व्यथा की कथा कौन लिख सकेगा? मगर देखने वालों ने कहा—कि उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं पढ़ो। जोग मातम-पुरसी के लिए

आने लगे । उनसे वे उसी सहज प्रसङ्ग मुख-मुद्रा से बातचीत करते । उनके शोक व वियोग की बातचीत छेड़ने के पहले ही काम काज व अवधार की ऐसी-येसी बातें छेड़ देते कि लोगों को अवसर ही नहीं मिलता । वे आपस में कानाकूँसी करते कि अबीब संगदिल आदमी है । हमको तो सुनकर रंज होता है, लेकिन इसके जाने तो मानो कुछ हुआ ही नहीं । उनके एक नजदीकी मित्र ने लोगों की यह टीका उन्हें सुनाई और सुन भी ठपका दिया कि ऐसा निमोंहीपन किस काम का ? चाचाजी ने उन्हें वशिष्ठ की एक कथा सुनाई । मैं बैठा हुआ था । विश्वामित्र ने वशिष्ठ के एक-एक करके साठ पुत्र मारं डाले तो अरुणधरी ने कहा—वशिष्ठ, तुम्हारा हृदय नहीं, पत्थर है । इतने पुत्रों के मरने पर भी तुमने उफ़ नहीं किया । वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि नहीं, तुम गलती पर हो । मैं आखिर पिता हूँ । उन्होंने अपना हृदय चोरकर दिखाया—उसमें साठ गहरे बांब ये व उनमें से खून की धारा बह रही थी । मित्र से उन्होंने कहा—मास्टर साहब, मेरे हृदय में गहरा जख्म हुआ है, मेरी जिन्दगी में पहली बार ऐसी चोट सुने लगी है, लेकिन मेरा कर्तव्य यह नहीं है कि मैं उसे दूसरे को दिखाऊँ व सुनाऊँ । शांति से सुन उसे सहन करूँ, इसमें मेरी बहादुरी है । अपना दुःख दूसरों को सुनाना गोया दूसरों को दुखी बनाना है । जो कायर होते हैं वे दूसरों में अपना दुःख बांटकर जी हस्तका करते हैं । जो मर्द होते हैं वे अपना दुःख तो सुन चुपचाप सहते ही हैं, दूसरों के दुःखों व कष्टों को भी सेलते हैं । मेरा कर्तव्य है, दूसरों को सुखी बनाना । इस हरि को देखो, उस दिन कैसी हालत होगी । मैं इसे इतना कमज़ोर नहीं समझता था । इसकी कालो तो स्त्री है । माता है । यह सुनकर मित्र भी लज्जित हुए और मैं अपनी कमज़ोरी पर इस नई दृष्टि से विचार करने लगा । आज काका साहब को मैंने एक योगी के रूप में देखा । इतना भनःसंयम बहुत कम लोगों में पाया जाता है । मेरा दिल अब भी इतना कच्चा है कि किसी के शोक-

व रोदन से—नाटक व सिनेमा में भी किसी की विपत्ति को देखकर मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं।

इसके बाद से जब कभी ऐसे शोक व दुःख के प्रसंग आते हैं तो काका साहब की वह मूर्ति मेरी आँखों के सामने खड़ी हो जाती है व उनके ये शब्द कानों में गूँजने लगते हैं—

‘कायर अपने दुःख को दूसरों में बांटता है, मर्द दूसरों के दुःखों में हाथ बंटाता है।’

अब मैं अपनी इस कमज़ोरी का विश्लेषण करता हूँ तो इन नर्ताजे पर पहुँचता हूँ कि दूसरों के दुःखों व कष्टों के दरय या कल्पना या अनुभव से मैं अधीर व कातर हो जाता हूँ। खुद सुझपर कोई कष्ट, संकट या दुःख आ पढ़ा है तो उसमें मैं कभी विचलित नहीं हुआ। सुन्दरलाल की अचानक मृत्यु से जो मुझे बेहोशी आ गई उसका कारण एक तो अपनी मूढ़ता व गफ़लत के प्रति अज्ञाहद आलम-ग़जानि, व दूसरे काकों के शोक की कल्पना व उसके प्रति समवेदना। फिर भी चाहे शोक या दुःख अपना हो या पराया—चित्त की प्रसन्नता को जाने दो, समता का खो बैठना मनुष्य की कमी व कमज़ोरी ही समझी जानी चाहिए। काका साहब ऐसे अवसरों पर नारायणस्वामी का एक दोहा कहते थे—

नारायण दुख-सुख उभय, भ्रमत फिरत दिन रात।

बिन बुलाय न्यों आरहे, बिना कहे त्यों जात ॥

मैं अक्सर देखता था, जब बहुत-सो चिन्ताएँ व झंझटे उनके चित्त को व्याकुल करने लगती थीं तो सब काम छोड़कर सो जाते थे और आश्चर्य यह कि उन्हें गाढ़ी नींद आजाती थी। वे ऐसे अवसरों पर कहा करते थे कि अब सबसे जरूरी, सबसे पहला काम, सो जाना है।

बापूजी कहा करते हैं कि अहिंसा वीरो का, मर्दों का धर्म है, कायरों का नहीं, यह सोलहो आना सच है। अपने को खतरों में डालने का साहस, अपने कष्टों व मुसोबतों में अविचलता, दूसरों के दुःखों में सहानु-भूति व पतन की अवस्था में कहणा पैदा होना, अहिंसा के ही लक्षण हैं।

जो अपने कष्टों को सुशी-खुशी सह सकता है, भयों व चिन्ताओं के समने दौर की तरह जाता है, वह सच्चा अहिंसक है, वही दूसरों को बचाने में जान की बाली लगा सकता है। अपने को बचाने व दूसरों को फंसाने की कृति भवे ही दुनिया में ‘चतुरता’ समझी जाय, वह है कायरता की व हिंसा की निशानी ही।

## आत्म-शुद्धि

‘ओहुम्बर’<sup>१</sup> में जो बाटा रहता था, उसकी पूर्ति काका साहब करते थे। भेड़ीताल (गोरखपुर) रियासत के वे मैनेजर—सुखतार-आम थे। रानखाह के अलावा भी उन्हें ऐसी आमदनी होती रहती थी जिसे ‘रिश्वत’ या पाप की कौड़ी नहीं कह सकते। वह वे इस बाटे में लगाते रहते थे। बाद में उन्होंने किसी तरह अपने मन को उस आमदनी के लिए भी समझा लिया, जिसे ‘शुद्ध कौड़ी’ नहीं कह सकते। अशुद्ध कौड़ी भी शुद्ध काम में लगाती दी जाय तो दोष नहीं—यह दलील उनके मन ने गढ़ ली थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके दिल ने इस भार को भहसूस किया। उन्होंने अपने मालिक जटार साहब के सामने जाकर शुद्ध-अशुद्ध सारी चारों कह दी और इस्तोफा उनके हाथ में रख दिया। जोगो ने समझाया कि इस्तोफा मत दीजिए। रोली का कोई ज़रिया नहीं है। उन्होंने कहा—अब नौकरी करने का धर्म नहीं रहा। शुद्ध सेवा करते हुए जो मिलेगा उसी में सबका हित है।

कुछ समय के बाद, इसका अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि ‘ओहु-म्बर’ पश्च को बन्द करना पड़ा व ‘ओहुम्बर’ प्रेस को बेच देना पड़ा।

‘प्रेस’ के लिए शेयर्स एकत्र किये गए थे—जोकिन काका साहब ने काकी के लगभग दो हजार के जेवर बेचकर भी जब शेयर-होल्डरों का पाई-पाई रुपया चुका दिया, तो किसी ने समझाया—बाटा शेयर होल्डर्स

---

१—सासिकरन, जो १९११ में हसने काशी से प्रकाशित किया था।

में क्यों नहीं बाट देते ? उन्होंने इडता से उत्तर दिया—नहीं, मेरे भरोसे शेषर-होल्डरों ने रुपये दिये थे । उनको चुका ही देना चाहिए ।

प्रेस बन्द हो चुका था, लेकिन अभी विका नहीं था । इसी बीच प्रेस मे चोरी हो गई । प्रेस के कुछ सामान के साथ-साथ हमारा घर-सामान भी चोरी चला गया । हम सब तो अफसोस करने लगे, लेकिन जब उन्हे मालूम हुआ तो मुझसे कहने लगे—हरि, अच्छा हुआ, एक बोक कम होगया । यह पाप का पैसा जितना जल्दी चला जाय अच्छा है, नहीं तो यह दूसरे स्वच्छ पैसे को भी ले जूबेगा । उनके इन वचनों का मेरे चित्त पर गहरा असर हुआ । मुझे मानो एक नवीन प्रकाश मिला ।

ये दिन हमारी बड़ी आर्थिक कठिनाई के थे । वे हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए हमसे कहते रहते । एक रोज एक किस्सा सुनाया, जिसने मेरे हृदय मे अद्वितीय ईश्वर-श्रद्धा पैदा कर दी । ‘हरिजन-सेवक’ में भैनि उसे छपा दिया था—उसे ज्यो-कान्त्यो यहाँ दिये जिना नहीं रह सकता । किस्सा यो है—

एक राजा था । बूढ़ा होने पर उसके मन मे विचार आया कि राज-पाट बहुत कर चुका । वेटे भी राज-काज संभालने लायक होगए । सारी उन्न हुनियादारी में ही बिता दी—अब कुछ ईश्वर-भजन भी करना चाहिए । दीवान ने भी उसके इस प्रस्ताव का समर्थन किया । युवराज को तो यह रजवीज और भी पसन्द आई, किन्तु पिताजी का अपने से दूर रहना उसे अखर भी रहा था ।

युवराज को राजगढ़ी पर बिठा देने के बाद राजा बन-नामन की तैयारी करने लगा । साथ मे क्या-क्या चीज ले जाय इसका विचार शुरू हुआ । कम-से-कम एक विस्तर चाहिए ही । खाने-पीने का कुछ सामान और बरतन भी जरूरी मालूम हुए, और सामान तथा विछौना उठाने के लिए कम-से-कम एक नौकर । वेटे ने बहुत कुछ कहा कि सवारी के लिए घोड़ा लेते जाइए, सामान तथा नौकर-चाकर और ले लीजिए, लेकिन राजा

को तो विराग का रंग लग जुका था। नौकर को साथ ले पैदल महल से बाहर होगया। नगरवासी शहर की हद तक राजा को पहुँचाने के लिए आये। राजा न्यायी और प्रजा-प्रिय था। प्रजाजन के असुअओं ने उसे बिदाई दी। राजा यो तो अकेले गया; पर मानो सब प्रजाजन का मन अपने साथ लेता गया।

कुछ दूर जाकर राजा को बड़ी प्यास लगी। उसने नौकर से पानी लाने के लिए कहा। कुछ ही दूर एक झरना बहता था। नौकर लोटा-गिलास लेकर दौड़ा गया। राजा ने सोचा, चलो मैं भी झरना देख लूँ। नौकर छानकर लोटे में जल भर ही रहा था कि एक किसान आया। उसने फन्ने में हाथ धोये, दोनों हाथों से पंखे की तरह पानी इधर-उधर हटाया और चुल्लू से पानी पीने लग गया। राजा की नजर पड़ी। उसने आश्चर्य से नचिलकाकर नौकर से कहा, अरे देख, यह तो बिना गिलास के चुल्लू से ही पानी पी रहा है। नौकर ने कहा, हुजूर, गांव के लोग तो इसी तरह पानी पीते हैं। राजा ने कहा—तो पहले क्यों नहीं बताया, जब सामान लिया जारहा था? हम लोटा-गिलास फजूल ही लाये। राजा को यह बात जानकर बड़ा ही आनन्द हुआ। उसे मालूम हुआ, मानो ईश्वर की उस पर विशेष कृपा हुई जो इतनो जलदो ऐसा अनुभव हुआ। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और नौकर से कहा—यह लोटा-गिलास किसी गरीब को दे दे। ईश्वर ने जब पानी पीने के लिए हाथ बना दिये हैं तो फजूल इस बोक को क्यों लादे? ईश्वर की रचना का उपयोग क्यों न करें? नौकर ने राजा को बहुत समझाया, पर उसने एक न मानी। इसी दशे ने ईश्वर के रचना-नैपुण्य के प्रति उसका आदर और श्रद्धा बड़ा दी थी।

दोपहर का बक। एक खेत के किनारे पेड़ की छांह के नीचे राजा के लिए खाना पक रहा है। राजा मन से अपने पिछले जीवन का सिंहा-बंलोकन कर रहा है। आज कुछ घटाटों के जीवन में उसने जो आनन्द-खोभ किया वह पिछले ७० वर्ष में उसे नहीं मिला था—यह अनुभव-

कर रहा था । इतने में पृक किसान पास के खेत से आया । कपड़े में चंधी हुई भोटी रोटियां जिकालीं, पृक हथेली पर रोटी रख ली, उसी पर चटनी, और दूसरे हाथ से खाने लगा । राजा की निगाह पड़ी । उम्मेद की नीमा न रही । उच्छलकर नौकर से कहा—अरे देख तो, हम याली नाहक ले आये, रोटी तो इन्सान हाथ पर रखकर भी खा सकता है । नौकर ने जवाब दिया—महाराज, किसान तो इसी तरह खाया करते हैं । राजा ने जरा फल्लाकर कहा—तो भले आदमी घर पर ही यह क्यों नहो बता दिया ? नौकर ने कहा—सरकार आप तो राजा ठहरे, आपसे यह सब कैसे होता ? राजा ने कहा—पर मैं तो फकीर बनना चाहता हूँ । मनुष्य के राज्य से हटकर मैं ईश्वर के राज्य में पहुँचना चाहता हूँ । मैं देखता हूँ, मनुष्य का राज्य इन्सान को बनावटों का गुलाम बनाता है, और ईश्वर को रचना उसे स्वाधीन, स्वयंपूर्ण, स्वावलम्बी बनाना चाहती है । अब हृन बर्तनों की मुझे कोई जरूरत नहीं है ।

रोटी खाकर किसान अपने बायें हाथ का मिरहाना ढेकर उसी घास पर सो गया और ऐसी गाढ़ी नींद लेने लगा कि राजा को सारी उम्र वह नसीब न हुई थी । राजा मन में बड़ा प्रसन्न हुआ । भगवान् को बार-बार धन्यवाद देने लगा, उसकी कुदरत पर और हृन नये-नये अनुभवों पर चह धन्य-धन्य कहने लगा । नौकर से कहा—अरे देख, आज मुझे कुदरत का सच्चा सुख मिल रहा है । इस बिस्तर को फेंक, और तू भी घर लॉट जा; ईश्वर ने इन्सान को इतना पूरा और कुदरत को इतना भरा बनाया है कि मुझे तेरे और इस सामान के अवलम्बन की कठई जरूरत नहीं । मुझे अकेला अपने हाथ-पांव और ईश्वर के भरोसे छोड़कर तू चला जा । अब मैं सब तरह सुखी रहूँगा । अपने हाथ-पांव से काम लूँगा और प्रसुमय जीवन बिताऊँगा ।

: २ :

दोपहर राजा ने उसी किसान की तरह हरी घास पर सोकर काटी और चलते-चलते शाम को पृक बढ़े मे बढ़ के पेड़ के नीचे आकर

बैठा। ईश्वर-चिन्तन मे हूब्र गया। इतने ही मे एक आदमी फाड़ू हाथ मे लेकर आया, और हाथ जोड़कर खड़ा होगया। राजा की आंखें सुलीं-तो पूछा—“तू कौन है और हाथ बांधे क्यों खड़ा है ?”

“मैं देवदूत हूँ ।”

“तो तू यहाँ क्यों आया है ?”

“मुझे ईश्वर ने आपको सेवा के लिए भेजा है। आप जहाँ रहें वहाँ-फाड़ लगा देने और सफाई करने का मुझे हुक्म है ।”

“तो भाई, मुझे तो तेरी सहायता की जरूरत नहीं है। खुद मेरे ही नौकर-चाकर क्या कर सकते जो मैं ईश्वर को कष्ट में डालता। जा, तू ईश्वर से मेरा ग्रणाम कहकर कह देना कि, मुझे तुम्हारे सिवा किसी चीज़ की जरूरत नहीं है ।”

योड़े देर मे वह फाड़ू खाला अब की फर्श और फाड़ू लेकर आ-गया, और आते हो फाड़ू-तुहार करने लगा। राजा ने पूछा—“तू फिर-आ गया ?”

“जी हाँ, मुझे भगवान् का हुक्म है कि आपसे कुछ न पूछूँ और जो हुक्म है, उसको तामील करता रहूँ ।”

राजा तुप रहा। मन मे कहा—करने दो। अपने से क्या मतलब ।, उसके फर्श पर तो हमें बैठना है हो नहीं। अरे, यह सब सुख-विलास मेरे महल मे क्या कर सकता ?

भोजन के बक्त वही आदमी एक थाल ले आया, जिसमे तरह-तरह के राजसी पक्वान्न और मिष्टान्न थे ।

राजा ने देखकर कहा—“भई, तुम मुझे क्यों तंग करते हो ? मुझे तो इसमे से कुछ खाना नहीं है ?”

देवदूत—“मुझे जो हुक्म हुआ है उसकी तामील कर रहा हूँ ।”

राजा ने खाना गरीबों को सिखा दिया और खुद जो कन्दू-मूल-जंगल मे से बीज कर लाया था, उसको खाकर ऐद के नीचे हरी घास के गड़े पर सो रहा ।

रोज यहीं सिलसिला रहता ।

थोड़े ही असें में चारों ओर शोहरत फैलने लगी कि कोई बड़ा पहुंचा महाल्मा आया है । रोज न जाने कहाँ से नया-नया फर्श आकर चिक्कता है और बढ़िया भोजन का थाल आता है । बड़ा करामाती है ।

दर्शकों और भक्तों का ठड़ जमने लगा ।

एक किसान अपनी गरीबी से बड़ा बेजार था । उसने सोचा, इस महाल्मा से कुछ उपाय पूछें । यह नंगे हाथ आया था और रोज इतना ठाठ कैसे लगा लेता है ?

बड़े भक्ति-भाव से प्रणाम करके उसने एक रोज अपनी गरीबी का दुखदा रोकर सुनाया । बोला—“महाराज, मुझे भी तरकीब बता दो, जिससे इसी तरह मेरा भी ठाठ-बाट लग जाय । घर बैठे थाल आ जाया करे ।”

राजा ने कहा—“भई, मैं तो कुछ तरकीब-तरकीब जानता नहीं हूँ । ईश्वर का नाम लेता हूँ, वही भेज देता है ।”

“तो महाराज, मुझे क्यों नहीं भेज देता, आप तो कुछ नहीं लेते हैं फिर भी जबर्दस्ती भेजता है, और हम रोज पुकारते हैं फिर भी वह नहीं सुनता ।”

“भई मैं राजा था । मैंने उसके नाम पर राज-पाठ सब छोड़ दिया और जंगल में आकर रहने लगा । तो उसने वह ठाठ यहाँ भी लगा दिया, मगर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है । तू भी ईश्वर के नाम पर सब कुछ छोड़ दे । मैं इसके सिवा और तुझे क्या रास्ता बताऊँ ।”

किसान खुशी-खुशी घर दौड़ा गया । घर बाली को पुकारकर दरवाजे ही से कहा—“अरी सुन ! वह वाले महाल्मा ने एक तरकीब बताई है—अपना सब दखिल दूर हो जायगा । कल से मैं ईश्वर के नाम पर घर-बार खाना-पीना सब छोड़-छाड़ कर एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर चैठ जाऊँगा । आज घर में जो कुछ धी-गुड़ हो उसका हलवा-पूँड़ी बना के मुझे खिला दे—न जाने कितने दिन भूला रहना पड़े ।”

“तुम पागल तो नहीं हो गए हो, क्या बहकी-बहकी बातें कर रहे हो ?”

किसान ने हाथ उठाया और कहा—“अरी, तू देर मत कर, निहाल हो जाने को तरकीब छूँड़ लाया हूँ, तू जलदी कर !”

×            ×            ×

“भूखे-प्यासे बैठे दो दिन हो गये, देवदूत अभी तक क्यों नहीं आया ? इस महात्मा ने चकमा तो नहीं दिया ! दो दिन की कमाई से भी गया और भूखा मरा सो आजगा” किसान मन में पछताने लगा : कोई आदमी आता दिखाई पड़ता तो समझता, यह देवदूत ही आया होगा । भूख से ज्याकुल हो ईश्वर को झुरी तरह कोसने लगा—“उस साले राजा का तो एक ही मिनट में ठाट लगा दिया । मैं दो दिन से भूखों मर रहा हूँ, कोई सुनवाई ही नहीं । गरीब और हुसियों का कोई नहीं । ईश्वर भी बड़ों का पक्ष करता है !” इतने में थाल हाथ में लिये हुए एक आदमी आता दिखाई दिया ।

किसान ने आतुर होकर पुकारा—“तू देवदूत है ?”

“हाँ”

“तो अब तक कहाँ मर गया था ? ला, जलदी ला, क्या-क्या लाया है ? किसान आदमी, दो दिन से पेट में कुछ भी नहीं ढाला है !”

उसने थाल आगे बढ़ाया तो तीन-चार मोटी-मोटी रोटियाँ और दो प्याज । किसान जल-सुन कर खाक हो गया । थाली उठाकर देवदूत के सिर पर दे मारी । “शर्म नहीं आई रोटी और प्याज लाते हुए ? उस राजा को छूप्पन भोग, और मुझ गरीब को वही प्याज-नोटी । अरे, यह तो मैं रोज ही खाता था । इसी के लिए दो दिन भूखों मरने की क्या जरूरत थी ? लौटा ले, जा और भगवान् से कह कि उस महात्मा-जैसे ठाट लगा दें तो खाला खाऊंगा ।”

देवदूत ने भगवान् से आकर किस्सा सुनाया । उन्होंने कहा—“उसे समझा कि राजा ने जो मेरे नाम पर छोड़ा था, वह उसे दे दिया, जो तूने

छोड़ा सो तुम्हें भेज दिया । तू तो इसका भी अधिकारी नहीं था । राजा का स्वाग तो सच्चा और निष्काम था । अब भी तो वह उसका उपभोग नहीं कर रहा है ।”

X                    X                    X

इन्हीं दिनों स्वामी रामतीर्थ के ज्याल्यान मुझे पढ़ने को मिले । उन्हें पढ़कर मन में अजीव मर्स्ती पैदा होती थी । ऐसा लगने लगता कि मैं सचसुच हँथर-रूप, ब्रह्मरूप हूँ । सांप, विच्छू, शेर, डाकू, बाद, आग, मेरा कुछ नहीं बिगाढ़ सकती । यह सब मेरे ही तो रूप है । मैं हृनसे क्यों भय खाऊँ ?

जटार साहब-रचित ‘अव्यक्तबोध’ तो मैं बरमंडल में ही पह लुका था । ‘स्वानंदसाम्राज्य’ काशी में पढा । ये मराठी में वेदान्त के अच्छे ग्रंथ हैं । अद्वैत के प्रति मेरे विश्वास को यहां ढक्का मिली । बचपन में मुझे मां-बाप ने देवी-देवताओं से यह वर मांगना सिखाया था—‘विद्या दीजै, बुद्धि दीजै, आपका मैं बाल-बच्चा ।’ काशी आने पर एक और जहाँ वेदान्त की छाप जमी, तहां दूसरी और राष्ट्रीयता व देश-भक्ति ने जोर जमाया । अब से काशी विश्वनाथ, मैथा अश्वपूर्ण व कालमैत्रव से मैं वर मांगने लगा—‘भारतमाता को आजाद करो ।’

४७ :

## ढांकने वाला नहीं

निन्दा व खुगली मुझे बरदाशत नहीं होती । खुद भी इन बुराहर्यों से अपने को बरी रखने का यत्न करता हूँ । दूसरों के दोष, त्रुटि, कमज़ोरियों को देखकर भी उनकी इधर-उधर चर्चा करना मुझे अच्छा नहीं लगता । इनसे बेजा फायदा उठाने की तो कल्पना तक मैं नहीं करता । पाठक इसे अस्युक्ति न समझें । किर भी कभी-कभी किसी की कोई बात सहज-भाव से मुँह से निकल जाती थी । कृष्णन में मैंने एक शब्द को पराहं स्त्री से कुकर्म करते हुए अचानक देख लिया । दोनों बड़े लज्जित हुए और मेरे हाथ जोड़ने लगे । मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि किसी से नहीं कहूँगा—भगर आयंदा के लिए तुमको कसम खानी होगी । मैंने उसे अब तक निबाहा है । ऐसे ही एक अवसर पर काका साहब ने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने हमेशा के लिए मेरे हृदय में घर कर लिया ।

“एक आहारण की स्त्री का चाल-चलन अच्छा नहीं था, भगर अपने पति को वह भुखाने में ढाले हुए थी । वह उसके सतीत्व पर पक्का भरोसा रखता था । एक रोज विदेश जाने के लिए पत्नी से विदा लेकर वह रवाना हुआ । किसी कार्यवाह रास्ते से घर लौटा तो पत्नी के साथ दूसरे को सोता हुआ पाया । वह सज्ज रह गया । गर्दन काट दूँ ? नाक काट लूँ ? भगर इससे इनका सुधार कैसे होगा ?” यह सोच उसने अपनी चादर उन्हें ओढ़ा थी और बायस चल दिया ।

“इधर जब इनकी नींद खुली तो आहल्या को निगाह चादरपर पढ़ी ।

‘यह चादर तो बे के ले गये थे—यहाँ कैसे?’ वह भेद समझ गई—उन्होंने देख लिया। मन में बहुत ढरी। बड़ी बैचैन रहने लगी। सोचा चिठ्ठी में जरूर तुरा-भला लिखेंगे। चिठ्ठी आई—मगर कुशल-समाचार व प्रेम-चारा के सिवा कुछ नहीं! उसने मन को समझाया—जब घर आयेंगे तब जरूर कसर निकालेंगे।

“ब्राह्मण घर आया। बड़े प्रेम व अपनेपन से मिला। इस बीच चिन्ता व डर के मारे ब्राह्मणी सूखकर कांटा हो गई थी। जब रात को भी ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा—तब ब्राह्मणी बड़े विस्मय में पड़ी। यह मनुष्य हैं या देवता? देखा तो जरूर, मगर कहते कुछ नहीं। अपने आप ही कुकर्म का पछताचा उसे हुआ व उसका जीवन बदल गया। ब्राह्मण आरीकी से उसके इस परिवर्तन को देखकर मनहीं-मन सन्तुष्ट होता रहता था। मरते दम तक उसने ब्राह्मणी को इस बात का परिचय नहीं दिया कि उसने कुछ देखा था। ब्राह्मण की मुहल्ले पर ब्राह्मणी फूट-फूटकर रोती है। अडोस-पडोस की ओरतें ताना देती हैं—जैसी परिवर्ता है सो हम जानती हैं! क्यों मुहल्ले बालों की नींद हराम करती है? वह बड़े दुखी स्वर से जवाब देती है—तुम क्या जानो, वह कैसा देवता था? तुम ऐसे समय भी मुझे कोस रही हो—उसने देखकर भी मुझ पर परदा डाला। उसने मुझे उबार लिया। दुनिया में उबारने वाले सब हैं, ढांकने वाला नहीं। तुम उबारने वाली हो, वह ढांकने वाला था। हा! आज दुनिया में भेरा ढांकने वाला नहीं रहा।”

सुधार का कैसा अनुपम व चमत्कारिक उपाय है यह! हममें से कितने हैं जो दूसरों के दोषों की चर्चा करते समय, उसमें रख लेते समय इस बात को याद रखते हैं कि हम कैसे हैं? फिर दूसरों को ढांककर सुधारने की दिव्यता तो विरलों में ही पाई जाती है। खुद अपने दोष दुनिया के सामने रखना एक बात है। दूसरे के दोष दुनिया को सुनाना दूसरी बात है। अपने दोष सुनाने से अपनी शुद्धि होती है व दुनिया अपने से सावधान! दूसरों के दोष सुनाने से हम कीचड़ में पड़ते हैं,

प्रतिरिहिंसा के पात्र बनते हैं, व दुनिया में कीचड़ उछालने की जिम्मेदारी लेते हैं। ‘पिशुन पराये पाप कहि देहों’। जान-बूझ कर अकारण पराये पाप सुनना ‘अव्यापारेषु व्यापार’ है, संस्कारहीनता का सूचक है व उसमें रस लेना दुष्टता का परिचायक है।

इस कहानी का ऐसा असर सुझ पर हुआ कि अब ‘अधिक ढांकने’ की तरफ भले ही गलती सुझसे हो जाय, किसी का ‘पर्दाफाश’ करना भेरे लिए नागवार हो जाता है। कर्तव्यवश सुझे किसी की छुराई व छुरी बारें सुननी पड़ती हैं, लेकिन भीतर से यही आवाज उठती रहती है कि हँसवर सुझे हससे बचा। सुझे मन में कई बार आश्चर्य होता है कि मनुष्य कुकर्म में एक-दूसरे को कैसे लिप्त कर लेते हैं? उनका हौसला कैसे हो जाता है? एकाध मित्र से कभी पूछा तो उन्होंने कहा—‘दा साहब’ यह दुनिया ही अलग है। इसमें रहने वाले एक-दूसरे को पहचान लेते हैं। उनको आंखें ही एक-दूसरे को अपना परिचय दे देती हैं। और वे खिंच जाते हैं। ऐसे मामलों में अधिकांश लोगों का यह अनुभव है कि पुरुष स्त्री को बिगाड़ता है। सुझे भी यह सच भालूम होता है। लेकिन काशी का मेरा अनुभव इससे उल्टा है। दो घटनाएं खुद मेरे साथ ऐसी हुईं जिनमे स्त्रियों ने हरकत की। एक जवान विधवा थी। जिस घर में इम किनाये पर रहते थे उसी में वह भी अपनी बुद्धिया सास के साथ रहती थी। मैं रात में छुत पर सोया हुआ था। वह एकएक आ गई और सुझे जगाया। मैं एकदम जागा व चौककर पूछा—‘क्या बात है, क्या हुआ! वह चुप। मैंने कुंभलाकर कहा—आखिर बताओ, तुम क्यों आहे? उसने कहा—‘तुम कुछ समझते नहीं? अब तो मेरे पसीना-पसीना होगया; और मैंने आवाज दी—‘दत्तू! इतने में वह नीचे खिसक गई। सुझे बड़ी सुरिकत से नोंद आहे। सुबह मैंने सब हाल दत्तू से कहा और हमने मकान बदल दिया।

<sup>१</sup>—मेरे साथी सुझे इसी तरह सम्बोधन करते हैं। यह ‘दादा साहब’ का छोटा रूप है।

एक दूसरे मकान में एक ब्राह्मण-दम्पति रहते थे। एक रोज मैं जीना चाह रहा था—उधर से ब्राह्मणी उतरी। रास्ते में उसने सहसा मेरा हाथ पकड़ा और अपने वज्रस्थल पर लगा दिया। मेरे रोंगटे खड़े होगए। मैं हाथ छुड़ाकर ऊपर भागा। कई बार मन में आया कि उसके पति से कह दूँ। लेकिन एक तो यह कहानी बाद आ जाती थी, दूसरे मन में सोचता—हमें अपनी पढाई से मतलब। इन फालत् बातों में क्यों पढँ? हम अपनी संभाल रखें—बस खल्म !

एक स्त्री ने एक बार हमारी छल पर चिट्ठी डाली। उसमें मुझे मार्ह सम्बोधन किया था। अपना दुखदा रोया था—पति के ब्रात से बचाने की प्रार्थना की थी। पहले दो स्त्रियों से मैं ढर चुका था—और हम विद्यार्थी उसकी सहायता भी क्या कर सकते थे? हमने अपनी असर्थता प्रकट करके उससे माफी मांग ली।

मैं मन में विचार करता हूँ कि उन स्त्रियों ने मुझे ही क्यों अपना शिकार बनाना चाहा? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खूबसूरती हसका कारण होगी। बचपन में मैं बहुत सुन्दर दीखता था। मेरी माँ व मौसियाँ कहा करती थीं कि एक वेश्या मेरी सुन्दरता पर रीझ कर मुझे गोदी में उठाकर नाचा करती थी। अब उनके दिल की बात वही जारी।

मेरे मन में यह सवाल भी उठा कि मैं बच कैसे गया? हसके तीन कारण मुझे मालूम होते हैं—

१—पवित्र जीवन व्यतीत करने की मेरी प्रतिज्ञा।

२—मेरे परिवार का शुद्ध बातावरण।

३—स्त्रियों से सम्पर्क बदाने की ओर अखंचि और उनकी प्रवृत्तियों व गति-विधियों के प्रति उदासीनता।

काशी में, तथा बाद में कानपुर रहते हुए, मैंने नियम-पूर्वक हस बात का ध्यान रखा है कि गंगा जाते हुए देव-दर्शन करते हुए, स्त्रियों की तरफ कर्तव्य न देलूँ। दृष्टि-दोष से भी अपने को भरसक बचाऊ। इन्हीं संस्कारों ने और सबसे बढ़कर भगवस्कृषा ने मुझे बचाया है।

१ ८ :

## सांप व भूत

काका साहब हमें हमेशा साहस की, कठिनाइयों में हिम्मत न हारने की बल्कि अपनी नई-नई सूझ-बूझ से रास्ता निकालने की, व अपने पांवों पर खड़े रहने की शिक्षा दिया करते थे। जब उन्होंने हमें काशी छोड़ा तब हममें से कोई भी न रसोई बनाना जानता था, न सौदासुल्फ लाना। यं० नागेश्वरजी<sup>१</sup> को हमारा गार्डियन बना गये थे। हमें यह सूझ नहीं पढ़ता था कि कितना आटा, दाल, चावल पकाने के लिए निकालें व कैसे पकावें। बिना किसी से पूछे ही हमने अनुभव व अचल से सब काम सीखे। बहुत कमज़री से काम लेते थे। बीमार होने पर भी हृक्रा नहीं करते थे। रात में दिया नहीं जलाते थे। दियासलाई सिरहाने रखकर अंधेरे में सोते थे। एक रोज रात को मेरी ढंगली में किसी जानवर ने काट खाया। मैं हड्डबांध कर डाला और शक हुआ कि कहीं सांप न हो। दिया जलाकर देखा तो ढंगली पर जरा से खून का ढाग था। मेरे एक झुंडेरे भाई को सांप ने काट खाया था। सब लोग हसी भरोसे रह गए कि चूहे ने काटा होगा और वह मर गया। मुझे अन्देशा हुआ कि कहीं सांप न हो और मैं चूहे के भरोसे रह जाऊँ। कमरा देख डाला, मगर सांप मिला न चूहा। दत्त घबरायगा—इसलिए उसे जगाया नहीं। हिंदी की एक पाठ्य-पुस्तक से ‘सांप के काटे के हूलाज’ पढ़े थे। मैंने फौरन सुतली से ढंगली व कलाई पर बंद बांध दिये। चूल्हा जलाया व कलाई मे तेल

१—उस समय के हिन्दू कालेजिपट हाईस्कूल के एक हिंदी शिक्षक।

डालकर उसे चूलहे पर चढ़ा दिया। चाकू निकालकर पास रख लिया। मिश्री व नमक पारी-पारी से खाता। सोच लिया था कि जहाँ स्वाद में फर्क आया कि चाकू से उंगली उड़ाकर तेल में भूज दूँगा। घरटेंडेक तक मिश्री व नमक का प्रयोग करता रहा। इस परीक्षा से तो सांप के काढने के लक्षण नहीं जान पड़ते थे। मगर नींद बहुत आती थी। अब विपरीत चिह्न था। आखिर मैं थक गया और चूल्हा बुझाकर हृश्वर का नाम लेकर सो गया। काका साहब की सिखावन याद आगई—मौलिखिसी होगी तो ठज्जने वाली नहीं। दूसरे दिन मैंने दत्त को किस्सा सुनाया और बड़ी मुश्किल से हाथ के बंद काटे। वह बिगड़ा कि मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ होगया होता तो काका साहब क्या कहते?

एक बार एक भयंकर सपना आया, जिसमें मेरे साहस की परीक्षा हुई। मैं बरामदे में सो रहा था। सपने में मैंने करवट बदली तो अपनी कोठरी में कहूँ चिराग जलते हुए दिखाई दिये। मैं विचार करने लगा कि दिया तो बुझा दिया था फिर ये हतने किये कैसे? शक हुआ कि कोई भूत लीला है। मैं चित सो गया। देखता क्या हूँ कि सामने दूर एक भिखारी खड़ा है। शक्ति उसकी रविवर्मा के भील के वेश में शिवजी वाली तस्वीर की तरह। मैंने उसे धूरकर देखा तो उसकी एक टांग मेरी नाक तक आती हुई दिखाई दी। अब मुझे विश्वास होगया कि भूत से पाला यड़ गया। हतने में वह मेरी छाती पर दोनों ओर पैर पसारकर खड़ा होगया। मैंने सोचा कि डर जायंगे तो यह ले डालेगा। सुना था कि भूत-पलीत उसके सिर होते हैं जो उनसे डरते हैं। मैं उससे अंग्रेजी में बातें करने लगा—इस खयाल से कि यह समझ लेगा कि अंग्रेजी-दाँ हैं, इन पर हमारा जादू नहीं चलेगा। अब क्या देखता हूँ कि उसका सिर आसमान तक चला गया है। तो मैं हिम्मत हारने लगा। लेकिन याद आया कि महावीर व दत्तात्रेय का नाम लेने से भूत भाग जाते हैं। मैं जोर से बोलने लगा दत्तात्रेय—दत्तात्रेय। पास में भेरा भाई दत्तू—दत्तात्रेय—सो रहा था। वह उठा उसने आवाज दी—दा साहब, दा

साहब, क्या बात है ? बस भूत रफ़्-चनकर हुआ—मैं फटकेंसे उठ बैठा। मेरा शरीर पसीने से तर था ।

इस समय बरमंडल की एक साहस की घटना याद आ रही है । मेरी उम्र कोई १३-१४ साल की होगी । तहसील में खबर आई कि शेर ने एक गाय मार डाली । काका साहब नहीं थे । तहसील से सिपाही व तड़वी (भील चौकीदार) बन्दूकें व तीर-कमठे लेकर घटनास्थल पर पहुंचे । मैं भी साथ गया । आम के एक बाग में कुछ दूर से सिपाहियों ने पीछे की ओर आवाज़ दी—होशियार शेर आ रहा है । मैं पीछे अकेला पढ़ गया था । मेरे सामने से वह छलांग भारता हुआ निकला, मैं एक आम के पेढ़ में दुबक रहा । लेकिन डरा नहीं । शेर एक कर्दौदे की काढ़ी में क्षिप गया । सिपाही उसे तलाशते फिरते थे । साथ-साथ मैं भी । गांव के कुछ लोग भी दूर-दूर से तमाशा देखते थे । एक काढ़ी में सिपाहियों को शक हुआ । मुझे उन्होंने मना किया—हरि भैया, आप सामने बाले टीके पर चढ़ जाओ । मैंने कहा—नहीं, मैं तुम लोगों के साथ रहकर देखूंगा । उन्होंने कहा—राव साहब (काका साहब) यहाँ नहीं है । हम यह जिस्मेदारी नहीं लेंगे । आप दूर चले जाइए । मैं भजबूर हुआ । सिपाहियों ने काढ़ी में पथर कैंके । बिजली की तरह शेर झपटा और हीरा (एक सिपाही) के साथ गुल्म-गुल्मा होगया । शेर की गरज सुनते ही मैं टीके से काढ़ी को ओर लपका कि इतने में बन्दूकों के फैर की आवाज़ आई । मैं उस तक पहुंचता हूँ तब तक तो शेर ढेर हो चुका था और हीरा दुरी तरह घायल । उसने शेर के कान दोनों हाथों से पकड़ लिये थे, और छाती पर चढ़ बैठा था । भगव वह इस दुरी तरह घायल हुआ था कि राम-राम करके बचा । छः महीने में जाकर विस्तरे से उठा ।

हीरा को बहादुरी मेरे हृदय में अङ्कित होगई । यह जी मैं आया कि कहीं ऐसा अवसर आवे तो मैं ऐसी निढ़रता व दिलोरी का परिवर्य दूँ । जब कभी कोई भय की आशंका सामने आती है तो यह इस्य भेरी आंखों के सामने आ जाता है व मुझे साहस प्रदान करता है ।

: ६ :

## सात्विक भोजन

काशी के अपने 'जीवन' की कुछ घटनाओं व अनुभवों का उल्लेख करना जरूरी है, जिन्होंने मेरे जीवन को साहस व अहिंसा की ओर प्रेरित किया है। एक है आचार्य दिवेकरजी की दिनचर्या। वे ग्वालियर के चिकटोरिया कालेज में अध्यापक थे। राजनैतिक पद्धति में गिरफ्तार हुए और शायद १। साल की सजा पाई थी। छूटकर हिन्दू कालेज में एम.ए. में भर्ती हुए थे। जब वे बनारस आये ही थे कि मेरा परिचय होगया। एक तो दोनों ग्वालियर-राज्य के, फिर देश-भक्ती की परीक्षा में पास। बरमंडल से ही मेरे हृदय में बंगाल व महाराष्ट्र के बलिकीर्णों के प्रति आदर-भाव पैदा होगया था। सावरकर, कन्हाईङ्कर, खुदीराम, इत्यादि के नाम सुनने से एक आजीव भक्ति-भाव भन में लहराने लगता था। दिवेकरजी को देखकर स्वभावतः ही मेरे ढिल में एक आकर्षण हुआ। उन दिनों (उनके पास ४) मासिक की एक व्यूषन थी। दोनों बक्क लूखी बाटी, आम के पने के साथ खाते हुए मैंने उन्हें देखा। खुद हाथ से बनाते थे।

हर काम खुद हाथ से करते थे और वह भी इस स्पिरिट से कि दूसरे को सिखा सकें। उनकी हर बात नमूना होती थी। सुबह ३ बजे से उठकर पढ़ते—सूर्योदय से पहले गंगा-ज्ञान करते। मैं भी उनके साथ अक्सर सोया करता जिससे रात में उठकर उनके साथ कुछ पढ़ सकूँ। वे पर्दाई में भी व 'आँदुग्वर' के संपादन में भी मेरी हर तरह से सहायता करते। अपना

प्रिय शिष्य समझते थे। उनकी सादगी, अमशीखता, उच्च विचार, नियम-निष्ठा, पवित्रता एक-से-एक बढ़कर थे। इनके सहवास व बर-मथडल के संस्कारों से मेरे मन में यह भावना हुई हुई कि मैं लोकमान्य की तरह देश-सेवा करूँ। 'केसरी' की तरह हिन्दी में अखबार लिकालूँ। इसके लिए यह तय किया था कि बी० ए० करके लोकमान्य के पास ही कुछ समय रहकर अखबार-नवीनी व देश-सेवा की प्रत्यक्ष तालीम लूँ। आगे चलकर यह संकल्प दूसरी तरह से पूरा हुआ। दिवेकरजी के जीवन ने मेरे जीवन को अदर्श की तरफ खींचते रहने में बड़ा काम किया। मुझे विश्वास होता है, और दिवेकरजी भी इस बात को मानते हैं, कि यदि वे कर्वे साहब के पास' न चले गए होते तो आज वह बापू के निकटवर्तियों में होते।

हम लोग दूध विनायक पर किंवे के बाड़े में रहते थे। वहां मंदिर के पुजारी थे भड़कमकर। उन्हें हम सब मास्टर साहब कहते थे—मंदिर में ही एक छोटी-सी चटशाला उन्होंने खोल रखी थी। काशी के 'गुरुओं' की तरह वे भंग-बूटी, ज़र्दा-तम्बाकू, सिगरेट-बीड़ी सब गुण-निधान थे। जजमानों के लिए 'बूटी' छानते व खुद भी चढ़ाते। दिन में कई बार नम्बर आ जाता। उनका एक भतीजा था महादेव। वह बीड़ी पीने लगा। मास्टर साहब ने दिवेकरजी से शिकायत की। उन्होंने कहा—जिसके चक्का सब गुण-निधान हों, वह एक गुण से भी गया! मास्टर साहब के दिल को बड़ी चोट लागी। उन्होंने उसी लग्न संकल्प किया कि आज से सब छोड़ा। हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने कहा—मास्टर साहब, पान-तम्बाकू की छुट्टी रखिए। सब असन एक साथ नहीं छूट सकेंगे। लेकिन उस तेजस्वी बाह्यण ने सबका एकदम बहिष्कार कर दिया—यहां तक कि जज-मानों को भंग बोटकर पिलाते, भगव उनके बहुत दबाने पर भी खुद नहीं

१—दिवेकरजी एम० ए० करके म्योर सेन्ट्रल कालेज में प्रोफेसर हुए थे—बाद में वे अध्यापक कर्वे के साथ महिला विद्यालय में काम करते रहा चले गए और १४ साल तक वहां रहे।

पीते। बरसो तक उन्होंने इस व्रत को निवाहा। अपने जीवन में तो मैंने पहला ही उदाहरण यह देखा। तुल जाने पर मनुष्य क्या नहीं कर सकता?

हम लोगों की मरणली के साथ, व्यसनहीन, पठन-पाठनमय जीवन की छाप, जो हमारे सम्पर्क में आता उस पर पड़ती। मेरे रिश्ते के एक बड़े भाई 'ओहुम्बर' में काम करने के लिए आये थे। वे सिगरेट पिया करते थे। जब भड़कमकर ने प्रतिज्ञा की तो मैं उन्हें ताले-उलाहने से हशारा करने लगा। एक रोज उन्होंने भी सिगरेट न पीने का वादा किया, भगव निभा नहीं। इससे वे इतने शर्मिन्दा होते थे कि मेरे सामने कभी सिगरेट नहीं पी, जैसे किसी बड़े का अद्वक करते हों।

स्वर्णीय पं० बालकृष्ण भट्ट, पं० रामचन्द्र शुक्ल, श्री जयशङ्कर 'प्रसाद' डा० लक्ष्मीचन्द्र, बा० श्यामसुन्दरदास, तथा विद्यमान पं० रामनारायण मिश्र, रायकृष्णदास, डा० भगवान्दास के परिचय में आने का इन्हीं दिनों अवसर मिला। पं० बालकृष्णजी बड़े खरे आदमी थे। कहते, हिन्दुस्तान के मां-बाप गोली मार देने लायक हैं। वे बचपन में अपने लड़के-लड़कियों की शादी करके बड़ा अनर्थ करते हैं। डा० लक्ष्मीचन्द्र कहा करते थे कि मैंने विज्ञान में दुनिया की बड़ी-से-बड़ी हित्रियां प्राप्त की हैं लेकिन मैं अनुभव करता हूँ कि ये काले—विश्वविद्यालय बेवकूफ बनाने के कारखाने हैं।

'ओहुम्बर' के संचालन-काल के कुछ संस्मरण अब भी मेरे दिल को उभार दिया करते हैं। पं० देवीदत्त शुक्ल (सरस्वती-सम्पादक) उन दिनों काशी में संस्कृत पढ़ा करते थे। उनकी 'ब्राह्मण' नामक कविता शायद पहली बार 'ओहुम्बर' में छपी थी। बाबू श्रीप्रकाश के कुछ लेख पहली बार 'ओहुम्बर' के द्वारा हिन्दी-जगत् के सामने आये। 'ओहुम्बर' के लिए दिवेकरजी ने हिन्दी लिखना सीखा। 'ओहुम्बर' की सेवाओं में सुमें आचार्य द्विवेदीजी की सेवा में पहुँचाया।

इस काल ने मेरे भावी जीवन को गढ़ने में बड़ा काम किया है। उन दिनों काशी में आर्य-समाज व सनातन-धर्म के विद्वानों के खूब शास्त्रार्थ छुआ करते थे। एक बार आर्यसुनिजी व पं० रामावतार शर्मा का शास्त्रार्थ

हमने टाउन हाल में सुना था । पं० रामावतार शर्मा भारत में पहले—  
एम० ए० व साहित्याचार्य थे । दूसरे हुए थे दिवेकरजी । शर्माजी स्वतंत्र-  
व भौतिक विचारक थे । उन्होंने 'प्रत्यक्ष दर्शन' नामक एक नवीन दर्शन  
की रचना की थी । उसी के सम्बन्ध में यह शास्त्रार्थ हुआ था । आर्य-  
समाज में उन दिनों स्व० पं० केशवदेव शास्त्री बहुत चमक रहे थे ।  
वहे होनहार मालूम होते थे । उनकी प्रतिभा व तेज से मुझे ऐसा लगता:  
या कि ये दूसरे दयानन्द होंगे ।

यहाँ स्वामी सत्यदेवजी से परिचय हुआ । अमरीका से लौटने पर—  
उन्होंने काशी में एक आश्रम या सत्संग-जैसा शुरू किया था । भिज्ञ-भिज्ञ-  
विषयों पर व्याख्यान या उपदेश देते थे । उनके बहाँ के प्रथम भक्तों-  
में मैं भी था । मैंने शुरू से ही इस बात का ध्यान रखा था कि संगत-  
अपने से बड़े, अच्छे व जँचे लोगों की करनी चाहिए । भले ही उनके  
समाज में हम छोटे, चुदृ, या हेय भी समझे जावे । इससे ज्ञान, अनुभव,  
संस्कारिता की वृद्धि तो होती ही है, अभिमान नहीं बढ़ने पाता । यही  
कारण है जो इतनी छोटी उम्र में मैं हन बड़े लोगों के सम्पर्क में आ गया—  
और इनके जीवन, सत्संग व उपदेशों से ज्ञान उठाने का प्रयत्न किया ।  
किसी भूले-प्यासे की तरह मैंने काशी के बातावरण से जितना सात्त्विक व-  
पौष्टिक खाद्य-पौय । मिल सकता था, पाने में कसर नहीं रखती थी ।

बापू के दक्षिण-अफ्रीका के सत्याग्रह की भनक कालों में आती रहती-  
थी । कोई नई चीज बन रही है, ऐसी छाप हृदय पर पढ़ती थी । निजी-  
जीवन में तो दूसरों को कष्ट न पहुंचने देने की वृत्ति बड़ रही थी—मगर—  
सावंजनिक, खासकर राजनैतिक जीवन में 'हन्ते को हनिये, पाप दोष ना:  
गनिये' के सिद्धान्त का बोल-बाला था । जब लोकमान्य तिलक, प्रोफेसर-  
परांजपे की गिरफ्तारी की खबर मैंने बरमंडल में सुनी थी तब मुझे ऐसा-  
लगा था मानो कोई अनर्थ होगाया—अधित घटना होगई । खून ऐसा-  
उबलने लगा मानो उखार आगया हो । माँडले में बन्द लोकमान्य मेरे-  
हृदय-देव बने हुए थे ।

; १० :

## मातृ-हृदय

मैट्रिक कर चुकने के बाद मैंने पूजा जाकर बी०ए० करने की योजना नहीं। हम्हीं दिनों आचार्य महावीरग्रसाद् द्विवेदीजी ने दिवेकरजी से कहा कि मुझे एक अच्छे सहायक की जरूरत है। 'ओहुम्बर' की बदौलत दिवेकरजी 'सरस्वती' में लिखने और द्विवेदीजी के सम्पर्क में आने लगे थे। उन्होंने मुझसे कहा—'सरस्वती' में जाने हो ? तीन साल पूजा में बी० ए० पास करते तब तक तीन साल में द्विवेदीजी के पास पत्र-संपादन का अमली अनुभव हो जायगा। आसिर डिग्री लेना तो सुम्हारा उद्देश्य है नहीं। हिन्दी में पत्र निकालना है तो लोकसाम्न्य की अपेक्षा द्विवेदीजी से अधिक सीख सकते हैं।' 'ओहुम्बर' बन्द हो चुका था—मुझे यह सलाह जंच गई। द्विवेदीजी ने मुझसे पूछा—क्या लोगे ? मैंने लिखा—रोटी-कपड़ा। उनके पास जाते हुए लोगों ने ढराया—दुर्वासा हैं—तीन दिन में छोड़कर भाग गये। कोई उनके पास नहीं टिकता। इससे मेरा उत्साह दूना बढ़ गया। मेरी एक अजीब स्थानियत है। जब मेरे सामने कोई कष्ट, संकट या खतरे की दलील रखता है तो मुझे दूना उत्साह होता है। मन में आता है—करके देखें तो आखिर क्या ढर या स्थान है। काका साहब शिल्पा दिया करते थे कि खतरे के नाम से नहीं ढरना चाहिए। खतरा कल्पना में ही भयंकर होता है। एक बार बरमंडल में हम दोनों धूमने निकले। एक कुण्ड में नीचे मांप जैसा कुछ दिखाई देता था। लोग नीचे उतरने से ढर रहे थे। काका साहब ने मुझे भेजा

कि जाओ नीचे जाकर देखो, क्या है ? मैं साहस करके चला गया तो—  
एक कपड़े की चिन्दी पढ़ी हुई थी। यह घटना मुझे याद आगई। मैंने  
मित्रों से कहा, तो अब जरूर द्विवेदीजी के पास जाऊँगा। आखिर के  
शेर तो हैं ही नहीं, जो फाइ खायेंगे। काम ही तो कसकर लेंगे। कभी  
गुस्ते में सख्त-सुस्त कह लेंगे। मैं शिष्य-भाव से जारहा हूँ। उनके जूते  
उठाने व पौछने में भी मुझे शर्म नहीं आने की। तब मुझे उनका आशी-  
र्वाद क्यों न मिलेगा ?

उन्होंने सहायक संपादक की जगह मेरी नियुक्ति की। पहले एक मास-  
तक प्रयाग—इंडियन प्रेस में रखा। जुही से काम भेज दिया करते थे।  
डा० जगदीशचन्द्र वसु का एक विज्ञान-सम्बन्धी तथा महामहोपाध्याय  
हरप्रसाद शास्त्री का इतिहास-सम्बन्धी व्याख्यान अंग्रेजी में भेजा, कि  
इनका अनुवाद करके भेजो। भारत-सरकार की शिक्षा-विभाग व जेल-  
विभाग की रिपोर्टें भर्जी कि इन पर ‘सरस्वती’ के लिए टिप्पणी लिखो।  
विज्ञान-सम्बन्धी लेख व रिपोर्टें, मैंने समझा, मेरी परीक्षा के लिए भर्जी  
थीं। पहले तो मन में आया कि लिख दूँ, विज्ञान में मेरी गति नहीं है,  
और ऐसी टिप्पणियां आपके नजदीक रहने पर लिख सकूँगा। भगवर मैंने  
सोचा कि यह तो विसमिलता ही गलत हो जायगा। मैंने कोष के सहारे  
विज्ञान-संबन्धी भाषण को ४-५ बार पढ़कर समझने का यत्न किया। फिर  
एक साइंस मास्टर को सोज निकाला, जिन्होंने सारा लेख समझा दिया।  
मेरा अनुवाद पंडितजी को पसन्द आया। टिप्पणियों के लिए मैंने ‘सर-  
स्वती’ की रिप्पले वधों की काहँलें निकालकर पंडितजी की तत्सम्बन्धी  
टिप्पणियां देखीं। उनसे मुझे काफी सहारा व मसाला मिल गया।

थोड़े ही दिन मे पंडितजी खुद इलाहाबाद आये। कहा—हम तो  
जंगल में—जुही में—रहते हैं, चना-खबेना जो कुछ मिलता है, खा लेते  
हैं। तुम वहां रह सकोगे ? मैंने कहा, मैं तो वहां आपके पास ही रहने के  
लिए आया हूँ। मैं शहर की बस्ती से उत्त गया हूँ। पांच पसारने भर  
के लिए जगह मिल जाय तो बहुत। आप चले-चलेने से काम चला लेते

“हैं तो मेरे लिए धास-फूंस काफी होगा ।

“तो मुझे लिख देना तुम्हारे लिए क्या-क्या इन्तजाम चाहिए, मैं सब कर रखूँगा ।” उन्होंने आश्वासन-सा देते हुए कहा ।

जब मैं जुही पहुंचा तो मेरे लिए सब चीजें तैयार मिलीं । पंडितजी ने बड़े अपनेपन से कहा—जो जखरत हो मुझसे कह देना । संकोच मत करना । अपना घर समझना । बार-बार पूछने की मुझे आदत नहीं है ।

“आप ब्रेफिक रहें । मैं अपना सब काम खुद कर लूँगा । मुझे अपने लिए किसी को कष्ट देने की आदत नहीं है ।”

रहने का स्थान तो मुझे सचमुच ऐसा मिला कि दिन में पांच पसारने की भी जगह नहीं थी । कमशूल प्रेस के कंपोजिशन में कंपोजीटरों की तिपाई मेरी कुरसी बनी व एक डेस्क मिला, जिसके नीचे हँटे चुनकर मैंने ऊँचा बना लिया । दिन में यहाँ काम करता, रात को मैदान में सो-रहता । मैंने दो निश्चय कर लिये थे—पंडितजी कितना ही और कैसा ही काम लें, कभी नाक-भौंह नहीं सिकोड़ूँगा । कैसी ही असुविधाएँ हों, कभी पंडितजी से शिकायत या कोई फरमायश नहीं करूँगा । पंडितजी ने काम भेजा नहीं, मैंने चट से करके लौटाया नहीं । शाम को काम भेजते तो रात को ही करके लौटा देता । १०-१२ दिन के बाद ही पंडित-जी ने कहा—भई, इतनी भेजन त क्यों करते हो ? जिसपर मैं जरूरी लिखूँ उसे जल्दी कर दिया करो, वर्ना अपनी फुरसत से किया करो । ‘गणेशजी’ ने मुझसे कहा—मेरे बाद पंडितजी ने तुम्हीं से ऐसा कहा है । मैंने जबाब दिया—दूसरे लोग काम-चोर रहे होंगे । पंडितजी खुद ढट-कर काम करते हैं, तो दूसरे से भी ऐसा ही चाहेंगे । और मैं तो इसी-लिए आया हूँ कि खबर सोखूँ और अनुभव लूँ ।

मैंने अनुभव किया कि पंडितजी की उपरी सख्ती या उग्रता में बड़े

१—शहीद गणेशशंकरजी विद्यार्थी । मुझसे पहले वे पंडितजी के सहायक रह चुके थे ।

कोमल व बल्सल पिता का ही नहीं माता का हृदय लहराता था। पंडितजी के भानजे-भानजी की बीमारी के समय इसका पता अच्छी तरह लगता था। मार्त्यर्द को डबल निमोनिया हो गया। पंडितजी ने जिस चिन्ता, -सावधानी व जिम्मेदारी से उसकी चिकित्सा करवाई, वह सगे पिता से बढ़कर थी। एक रोज विटिया<sup>१</sup> ने कहा—उपाध्यायजी, आज मासा से घर पर दाल नहीं खाईं गईं। मैंने पूछा—क्यों? उसने कहा—कहते रहे, आज मार्त्यर्द दाल के लिए मच्छर रहा था—उसे दाल नहीं मिली, मुझसे खाईं नहीं जाती। यह माता का हृदय बोल रहा था। ऊपर से कठोर दीखने वाले कई लोगों में मैंने ऐसा मातृ-हृदय देखा है।

पंडितजी का सुरक्षा पर इतना विश्वास बढ़ा कि एक बार दौलतपुर जाते हुए अपनी खाइब्रेरी की चाबी सुके दे गये। कहा—जो किताब चाहो पढ़ना। किसी को देना चाहो दे देना। बाबू भगवानदास<sup>२</sup> ने यह सुना तो कहने लगे—पंडितजी ने यह आजादी पहली बार आप ही को दी है। पुस्तकें वे किसी को छूने तक नहीं देते थे।

उनकी इस कृपालुता व विश्वास ने एक अजीब परिस्थिति पैदा कर दी थी, जिसका बड़ा मधुर अन्त हुआ। उससे मुक्त पता लगा कि सरकारा च भलमनसाहत में कितना बड़ा और प्रभाव है। कई बार ऊपर से कठोर दिखाई देने वाले व्यक्तियों में कोमलता व करुणा के रूप में अहिंसा की धारा फल्गु नदी के सहश बहती रहती है। अहिंसा का संबंध ऊपरी आवरण, बाहरी आचार से उतना नहीं है, जितना भीतरी भावना—वृत्ति से है।

१—कमला—पंडितजी की बड़ी भानजी। २—कर्मशङ्क प्रेस के मैनेजर।

११ :

## हृदय-परिवर्तन

परिष्ठितजी को पूँजी से कमशंल प्रेस खुला था। बालू भगवानदास उसके मैनेजर थे। वे परिष्ठितजी के गृह-प्रबंधक भी थे। परिष्ठितजी को वे पिता की तरह मानते थे। परिष्ठितजी भी उनपर भरोसा रखते थे। जब मुझपर परिष्ठितजी का प्रेम व विश्वास बढ़ने लगा तो भगवानदासजी को कुछ खटका हुआ। कुछ ऐसे कारण पैदा हुए, जिनका मुझसे कुछ चास्ता नहीं था, जिससे परिष्ठितजी ने यह प्रस्ताव रखा कि 'भगवानदास, प्रेस के बारे में तुम्हारी हमारी लिखा-पढ़ी हो जाय।' परिष्ठितजी ने भगवान-दासजी से कुछ ऐसा व्यवहार भी शुरू किया जिससे उनका खटका और बढ़ गया। दस्तावेज़ का स्टाप्प लिखने के लिए परिष्ठितजी ने मुझे दिया। यह देखकर तो भगवानदासजी को पूरा शक होगया कि मैं भीतर ही भीतर कुछ कारस्तानी कर रहा हूँ और परिष्ठितजी का प्रेम भगवानदासजी से कम कराके अपनी तरफ खींच रहा हूँ। इधर दस्तावेज़ की एक शर्त मुझे कही मालूम हुई। परिष्ठितजी ने भगवानदासजी का बेतन उसमें बहुत कम रखा था। मैंने जाकर परिष्ठितजी से कहा कि भगवानदासजी आपको पिता की तरह मानते हैं। बालू-बच्चेदार हैं, इतने बेतन में कैसे निमेगी? परिष्ठितजी ने कहा—हमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने जवाब दिया—वे क्या कहते? यह तो आपके सोचने की बात है। पंडित-जी को मेरी दलील तो जंची नहीं मालूम हुई। लेकिन कहा—अभी तो

तुम कैसे ही नकल कर दो । इसके बाद भगवानदासजी दुखी रहने लगे । मुझे भी इससे दुःख रहा ।

इसके बाद पंडितजी दौलतपुर गये । कुछ दिनों बाद मुझे भी चर्चा बुलाया । बाठ भगवानदास दुःख व निराशा से पंडितजी के प्रति कुछ ऐसी बातें कह जाते जो मुझे अच्छी नहीं लगतीं । मैं उन्हें कहता— परिषद्वाली कैसे ही सख्त हों, और मैं भी मानता हूँ कि इस भास्मके में उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया है, फिर भी आपने उन्हें पिता की तरह माना है । उनके प्रति आपने भाव में आपको फक्के नहीं आने देना चाहिए ।

दौलतपुर में पंडितजी ने सुझासे पूछा—‘भगवानदास का क्या हाल है ? कुछ कहते थे ?’

‘कहते क्या है ? दुखी रहते हैं । इतनी तनाखाह में काम कैसे चले ?’

‘तो हमसे कहते क्यों नहीं ?’

‘कहें क्या—आप उनकी हालत क्या नहीं जानते ?’

‘तो तुम्हारी राय मेरे क्या होना चाहिए ?’

मैंने कहा, ‘कम से कम……इतने तो होने ही चाहिए ।’

‘अच्छा तो जब हम जुही आवें, वे हमसे कहें । इतना ही कर देंगे ।’

जब मैं जुही लौटा तो भगवानदासजी ने पूछा—पंडितजी मेरे बारे में कुछ कहते थे ? मैंने कहा—हाँ । ‘तो क्या कहते थे ?’ ‘तनाखाह के बारे में कहा कि भगवानदास हमसे कहते क्यों नहीं ?’ आब की पंडितजी आवें तो आप कुछ कहिए ।’

‘नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा । मैं उनके स्वभाव को जानता हूँ । वे एक पाई ज्यादा नहीं देंगे ।’

मैंने जोर देकर कहा—‘आपका विवरण क्या है ? इससे कम से कर नहीं लेंगे ?’ और मैं समझता हूँ आप भी पंडितजी के साथ न्याय नहीं करते । आप एक बार कह दो देखिए ।’

पंडितजी दौलतपुर से आये व भगवानदासजी प्रेस के कागजात-

खोकर उनके पास गये। जाते समय मैंने उन्हें याद दिला दिया कि परिषदतजी से तनख्वाह के बारे में जहर कहना।

भगवानदासजी परिषदतजी के कमरे से हँसते व पुल्कित होते हुए निकले। कहा—परिषदतजी ने “.....” कर दिये।

“मैं तो पहले से ही आपसे कह रहा था कि उनसे एकबार कहिए तो!”

कुछ दिन के बाद बाबू भगवानदासजी ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि प्रेस में परिषदतजी, मैं व आप तीनों सामी होजायें। मैंने कहा—मैं यहां जिन्दगी बसार करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो सीखने व अनुभव प्राप्त करने के लिए आया हूँ। मेरा कार्यक्रम तो दूसरा है। प्रेस या परिषदतजी का जो काम हो आप मुझसे लेते जाहए। मैं सुनाने के लगाएं मैं नहीं पढ़ता।

उस दिन या दूसरे दिन शाम को हम दोनों साथ पाखाना फिरने जंगल में गये। रास्ते में भगवानदासजी ने कहा—परिषदतजी, मैं आपका बड़ा अपराधी हूँ। मेरे दिल में बड़ा पाप भर गया था। मैं समझ गया कि आप मेरे लिलाक कोई घट्यन्त्र रख रहे हैं, अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा यह कितना अम था। आपकी सरलता व सचाई की मैं दाद देता हूँ। मैं आपके सामने शर्मिन्दा हूँ।

मेरे लिए यह बोझ असहनीय हो रहा था। मैंने उनसे कहा—बाबू साहब, यह सब मुझसे मत कहिए। मेरे जी मैं न जाने क्या-क्या होता है। आपके दिल में जो कुछ होरहा था उसे सुनने की मुझे इच्छा नहीं है। आपके दिल को संभालना आपका काम है, सो आप कीजिए। मुझे ऐसी बातें सुनना अटपटा लगता है।

बाबू भगवानदास के इस हृदय-परिवर्तन ने मेरे सामने एक प्रकाश-पथ खोल दिया। मुझे तो आखिरी दिन ही और सो भी उन्हींकि कहने से पता पड़ा कि उनके दिल में सांप-बिच्छू भर गए थे। अब मैंने समझा कि सामें का प्रस्ताव शायद मेरे दिल की परीक्षा के लिए रखा गया था। मैंने इस घटना से यह नरीजा निकाला कि मनुष्य को अपनी भक्ताई पर

झी कायम रहना चाहिए। कोई बुराई करता है या बुरा समझ लेता है तो वह बुराई ही उससे हिसाब चुकता कर लेती है।

‘अब मैं सोचता हूँ तो यह अवजान में अहिंसा-वृत्ति का ही एक मधुर फल मालूम होता है।

## : १२ : धर्म की शोध

धर्म की ओर बचपन से ही मेरी हचि है। विताजी सुबह उठते ही रोज स्तोत्र-पाठ किया करते थे। सुनते-सुनते मुझे भी कई स्तोत्र याद हो गए थे। रामराजा, शिवकवच, नर्मदाष्टक मुझे बहुत भारते थे। जीजी कहा करती थी कि किसी साथु ने पिताजी को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें अच्छा पुत्र होगा। साधु-सन्तों व सत्पुरुषों की संगति में मेरा मन बढ़ा लगता है। उनके प्रति सहज ही भक्तिमात्र का अनुभव हृदय में करता हूँ। यद्यपि मेरे हृत्युटल पर इन दिनों राष्ट्रीयता का एक चड़ा हुआ था और अब भी चड़ा हुआ है, तथापि धर्म-चिन्तन का जब मुझे मौका मिल जाता है तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। ऐसी में मैंने गीता-रहस्य व्याख्यान से पढ़ा और साथ ही राजवाडे का गीता-भाष्य भी। दोनों मराठी में पढ़े थे। विवेकानन्द के व्याख्यान भी हजारों दिनों पढ़ने को मिले। मोरोपंत की केकावलि की प्रोफेसर परांजपे कृत दीका भी पढ़ी। शास्त्र-रहस्य, व रागिणी इसके पहले ही पढ़ चुका था। इसके फलस्वरूप धर्म-जिज्ञासा उत्पन्न हुई।

एक बार मैं हमीरपुर की तरफ घूमने निकला तो मन में आया कि धर्म की कई व्याख्याएँ लोगों ने की हैं। अलग-अलग ग्रंथों में अलग-अलग मत हैं। हम स्वतंत्ररूप से ही क्यों न सोचें कि धर्म आखिर क्या है? इन ग्रंथकर्ताओं ने भी तो आखिर अपनी बुद्धि से ही धर्म का स्वरूप व लक्षण ढहराया है। तब हम भी अपनी बुद्धि से ही क्यों न इस प्रश्न को हल करें।

अब मैं सोचने लगा कि मनुष्य का धर्म कैसे जाना जाय ? तो पहले यह सोचना चाहिए कि किसी वस्तु का धर्म जानने के लिए पहले क्या करना चाहिए । एक थाली मेरे सामने आई । यदि किसी अनजान को थाली दी जाय तो वह इसका धर्म कैसे निर्णयत करेगा ? नीचे की सतह और आसपास की ऊँची कोर या दीवार देखकर वह अनुमान करेगा कि यह किसी चीज को रखने के लिए बनाई गई है । अर्थात् उसकी बनावट से उसके धर्म का अन्दाज़ लगायेगा । इस निर्णय से मुझे कुछ समाधान हुआ । ऐसा मालूम हुआ कि हाँ, कुछ रात्ता हाथ लगा । अब मेरे सामने एक मेज आई । उसके पाये व ऊपर सपाट सतह देखकर यह अटकल होगी कि ऊँचे पर कोई चीज रखने के लिए यह बनाई गई है । है तो हम मनुष्य के धर्म का विचार उसकी बनावट से करें । अब तो मुझे ऐसा लगा मानो मैदान भार लिया ।

अब विचार आगे चला । तो मनुष्य की बनावट को देखें । उसमें कई इन्द्रियाँ हैं और वे सब चलती-हिलती व काम करती हैं । तो मन में यह खण्ड जमा कि इन इन्द्रियों का जो व्यापार है उसे होने देना ही मनुष्य का धर्म है । केविन तब प्रश्न उठा कि इन्द्रियों के व्यापार तो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी । तो क्या बुरे व्यापार भी धर्म हैं ? हाय से दान भी दिया जा सकता है और खून भी किया जा सकता है, तो धर्म क्या हुआ ? मुँह से गाली भी दी जा सकती है, रामनाम भी लिया जा सकता है, तो धर्म क्या हुआ ? उत्तर मिला, इन्द्रियों का सदृश्यक-हार या सदुपयोग धर्म हो सकता है, बुरा व्यापार या दुरुपयोग नहीं । अब चित्त को समाधान मिल गया—यह निर्णय हुआ कि शरीर का—विविध इन्द्रियों का सदुपयोग मनुष्य का धर्म है । मन में खुशी हुई कि आखिर स्वतंत्र रूप से विचार करते हुए एक नतीजे पर पहुंचे । इससे यह आत्म-विश्वास बढ़ा कि किसी भी विषय पर स्वतन्त्र रूप से सोचने विनिर्णय किया जा सकता है । तबसे पढ़ने की बनिस्वत मनन करने की श्रद्धा और वह गई ।

बाद में मैंने यह सारी प्रक्रिया शायद विवेकानंदी को सुनाई थी तो उन्होंने किसी विदेशी तत्त्ववेच्चा का नाम लेकर कहा था कि उसने हसी दंग पर कर्तव्य का विचार किया है। तब मैं अपने मन में थोड़ा-सा फूला भी कि एक तत्त्ववेच्चा की पद्धति से मेरी पद्धति मिल गई।

फिर यह सवाल खड़ा हुआ कि सदुपयोग व दुरुपयोग किसे कहें? उत्तर सामने आया कि जिसका लोग आमतौर पर स्वागत करें वह सदु-पयोग, जिसका विरोध करें वह दुरुपयोग। दान देने के लिए हमारा हाथ आगे छढ़ेगा तो सब उसको पसन्द करेंगे, भगव कल्प करने के लिए उठेगा तो विरोध होगा। किसी को गाली दी जायगी तो लोग विरोध करेंगे, हुरा कहेंगे; भगवान् का नाम लिया जायगा तो लोग सुश होंगे, अच्छा कहेंगे। यह कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, व्यावहारिक था; भगव इससे मेरा काम चल जाता था और मुझे सन्तोष भी होगाथा था। मुझे धर्म की यह अच्छी काम-चलाऊ व्याख्या मालूम हुई। बाद में तो मैंने धर्म, नीति, अध्यात्म, आदि विषयों का भरसक इतना अध्ययन भी किया जिससे मेरा वौद्धिक समाधान होसका। सबका निचोड़ यह निकला कि धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य, सुख-दुःख, ज्ञान-अज्ञान सबका आधार हमारा चित्त है। उसी को सम, शांत, स्थिर बनाना सारे धर्मों के उपदेश का सार है। सद्गुणों की वृद्धि, दैवी संपदा का विकास, या सात्त्विकता के उल्कर्ष से ही ऐसी स्थिति को पहुंचा जा सकता है। और अहिंसा का उन सब में पहला स्थान है।

## : १३ : दौलतपुर में

उन दिनों परिष्ठितजी किरातालु नीय का अनुचाल करते थे। एक बवट्टा रोज सुमेरे लिखाया करते थे। जब दौलतपुर गए तो उन्होंने चाहा कि मैं भी वहाँ चलूँ। अपने मकान के पास मेरे लिए उन्होंने एक फूंस की झोपड़ी बनवाई, जिसका नाम पढ़ गया 'हरिबाबू का बंगला'। दोबार में कच्ची हैट वैसे ही जमाकर खड़ी कर दी गई थीं। दौलतपुर गंगा किनारे था। गंगा पार करके वहाँ जाना पड़ता था। कुछ तो नाव से व एक-दो जगह वैसे ही छाती तक पानी में चलकर पार की जाती थी।

खाना मैं अपने हाथ से बनाता था—दोनों जूत। कभी मैंने आलस्य-वश एक बार खाना बनाकर दोनों बार नहीं खाया। चौका-बरतन बहुत बार सुन्दर ही किया करता था। दौलतपुर से कुछ दूर भोजपुर में हाट लगती थी और रोजमर्रा की जरूरत का बहुत-सा समान आठवें दिन हाट से खाना पड़ता था। एक बार किसी कारणवश हाट से चीजें मंगाना रह गया और एक दिन मेरी टपरिया में सिवा एक लौकी के खाने की कोई चीज नहीं रह गई। परिष्ठितजी के यहाँ से मंगा सकता था, लेकिन संकोची और कुछ मनचले स्वभाव ने कहा—आज लौकी पर ही गुजर कर लेंगे। लौकी पकाकर जब मैं खाने बैठा तो तकदीर से परिष्ठितजी आ गए। 'है' यह क्या? आज सिर्फ लौकी ही लौकी? मुझ पर घब्बों प्रानी पढ़ गया, मानो चौर सेंध के मुँह में पकड़ लिया गया हो।

'परिष्ठितजी, हाट से चीजें मंगानी रह गईं.....'

‘भले आदमी, घर में क्यों नहीं कहला दिया—क्या घर पै चीजें नहीं रहतीं ?’

‘हाँ, सो तो ठीक है, पर मैंने कहा चलो, आज लौकी पर ही गुजार दें।’

‘वाह—तुम भी खूब आदमी हो। बिटिया, देखो आज से जब उपाध्याय-जी खाना खाने लगें तब आकर देख जाया करो, दाल न बनावें तो दाल, साग न बनावें तो साग घर से दे जाया करो। इनका भरोसा मत किया करो।’

परिणितजी की इस उदारता ने मुझे शर्मिन्दा तो किया ही, सदा के लिए उपकारबद्ध भी कर लिया। उनके वात्सन्य का एक और नमूना याद आ रहा है।

परिणितजी को आम खाने का बड़ा शौक था। मीठे व पतले रस के आम बहुत पसन्द करते थे—ऐसे ही आम बरअसख गुणकारी होते हैं। छः महीने वे आम खाकर ही रहते थे। आम चूस कर ऊपर से दूध पीते थे। सुबह के भीगे आम शाम को, शाम से भिगोये आम सुबह चूसते थे। रस नहीं पीते थे। ऐसे मीठे आमों के कई बाग खरीद लिया करते थे। मीठे फल के आम अपने लिए सुरक्षित रखकर सारा बाग गांव के लोगों के लिए छोड़ देते थे। अपने लिए सुरक्षित आमों में से दूसरों को प्रसंगवश ही दिया करते थे। एक बार न जाने क्या मन में आई। मुझसे पूछा—हमारे खाने के आम कभी तुमने खाये हैं या नहीं। मैंने उत्तर दिया—नहीं तो। तो तुमको कौन-कौनसे आम यहाँ के पसन्द आये? ‘मैंने कहा—मैं ठीक नहीं कह सकता। ‘क्यों?’ मैंने बहुत कम आम यहाँ खाये हैं।’ ‘ऐ—क्या कहते हो; इतने आम लोग मुफ्त खाते हैं और तुम क्यों नहीं ले आते हो?’ मैंने नीचा सिर कर लिया, कोई जवाब न बन पड़ा।

उन्होंने पुकारा—‘बिटिया, देखो आज से दोनों बून उपाध्यायजी को हमारे खाने के आमों में से कुछ आम दे जाया करो। इन्होंने सो अभी

तक यहाँ पेट भर के आम खाये ही नहीं।

किसी आदमी को आवाज देकर कहा—‘दिखो, उपाध्यायजी के लिए चाग से अच्छे आम ले आया करो। ये बहुत संकोची हैं।’

वास्तव में मेरा स्वभाव हरना संकोची है कि अपनी माँ व पत्नी से ‘मी सहसा कोई चीज नहीं मांगता। तकलीफ ऊपचाप सह लेना अच्छा भालूम होता है, भगर किसी से कहना व उसको कष में डालना नहीं सुहाना। इस स्वभाव के लिए बरमण्डल की एक घटना कारणीभूत हुई है।

मुझे होरहा (हरे सुने हुए बूँद) खाने का बड़ा शौक था। कच्ची मूँगफली, भूमर में मुने आलू मुझे अच्छे लगते हैं। बरमण्डल में एक बार होरहा घर में आया। दिन में मैंने खूब खाया। जब सोने लगा तो फिर खाने का मन हुआ और काकी से मैंने होरहा मांगा। उन्होंने एक सूप में लाकर रख दिया। मैं सब खा गया। सुबह मेरे चचेरे भाई-बहनों ने होरहा मांगा तो काकी ने उन्हें पीट दिया। होरहा था नहीं, रात को मैं सब सफा कर गया था। इस घटना का मुझे बड़ा पछतावा हुआ। रात को मैं यह नहीं समझा था कि काकी ने सारा-का-सारा होरहा मुझे दे दिया है। मुझे कुछ ऐसा लगा कि काकी ने नाराज होकर सब-का-सब मुझे दे दिया। दिन में खूब सा लेने के बाद फिर रात में मांगने से उनका नाराज होना था भी स्वाभाविक। मैंने अपनी इस भूल को इस जोर से महसूस किया कि मुझे कोई फरमाइश करते समय यह दर लगने लगता है कि यह अनुचित था असामियिक तो नहीं हो जायगी। भोजन करते समय इस बात का बड़ा स्वयाक रहता है कि कहीं मांगने से ‘पीछे वालों के लिए कम तो नहीं रह जाय। इसलिए आम तौर पर जो कुछ परोसने के लिए सामने आ जाता है, उसी तक अपनी इच्छा को सीमित रखता हूँ।

‘हरि चालू का बंगला’ कच्ची हँटों का था। बारिश के दिन आये। एक रोज रात को जोर की बारिश हुई। नीचे जमीन में पानी बह आया। नात का चक्क। मैं स्टियर पर सो रहा था। एक तरफ की कुछ हँटें गल-

कर गिर पड़ीं। अब सुमेर दर हुआ कि सारी दीवार कहाँ उह गई तो—  
मेरी खटिया इसी में दब जायगी। खटिया टपरिया के बीचों-बीच चिक्काईं  
व पड़ रहा। नींद तो कहाँ से आती। एक-दो बार विचार हुआ कि  
पणिहतजी को पुकार लूँ। अब्बल तो आंधी-आरिश में आवाज पहुँचनी  
मुश्किल थी, दूसरे यह विचार आया कि देखो परमात्मा क्या करता है?—  
योड़ी देर के बाद एक तरफ की दीवार गिरी—तकदीर सिकन्दर थी कि—  
वह फौंपड़ी के अन्दर नहीं बाहर की तरफ ढही। अब पानी की बौछार  
मेरी खटिया तक सीधी पहुँचने लगी। इतने में दीवार गिरने की आवाज  
सुनकर पणिहतजी जग पडे। फौरन डालटेन लेकर आये। पूछा, क्या  
हुआ? मैंने हंसकर जवाब दिया—हमारा बंगला ढह गया।

सुबह गाँव के बहुतेरे लोग ‘हरिवालू के बंगले’ का तमाशा देखने—  
ज़मा होगए। कहते—ईश्वर ने खैर की, कहाँ दब जाते तो! बढ़ों के पुरण—  
ने बचा लिया। मैंने जवाब दिया, पणिहतजी के पुरण ने।

दूसरों को कष्ट में न डालने का भाव अहिंसा का ही एक अंग है।  
हिंसात्मकी को जो आनन्द या सन्तोष दूसरों पर प्रहार करने में, कष्ट पहुँ-  
चाने में होता है, वही अहिंसात्मक व्यक्ति को खुद कष्ट उठा लेने में होता  
है। सर्वतोमुखी संयम अहिंसा की स्थूल साधना है और असंयम हिसाब  
की तरफ ले जाने वाली प्रवृत्ति है।

: १४ :

## तुनक-मिजाजी

तुनक मिजाजी अभिमान है, और अभिमान अस्तीर मे जाकर हिंसा-का ही एक रूप होता है, यह बात आज जितनी साफतौर पर समझ में आरही है उतनी उस समय नहीं थी, जबका किस्सा मैं लिख रहा हूँ। हमारे आसपास की सत्य बातों का हमारे मन पर असर होना—होने देना एक बात है, व उस असर से बिना ज्यादा गहरा विचार किये कोई फैसला कर लेना दूसरी बात है। पहली वृत्ति सत्य-साधक या सत्याग्रही के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना वह सत्य को न सो पा हो सकता है, न साध ही सकता है। सत्य सूर्य की तरह है, जिसकी हजारों-लाखों किरणें चारों ओर फैल रही हैं। सत्यरूपी सूर्य चारों ओर अपनी किरणों को फेंकता है, परन्तु सत्याग्रही अपने चारों ओर उन प्रकाश-किरणों को ग्रहण करता है, आगे देता है व उनके प्रकाश में अपने को—अपनी हर आत को हमेशा जांचता-परखता रहता है और उसके फल-स्वरूप अपने विचार-आचार-वृत्ति में फर्क करता रहता है। इसीसे वह नित नूतन, सजीव, आगे बढ़ता रहने वाला होता है। दूसरी तरफ, जो व्यक्ति सत्य की प्रकाश-किरणों को—आसपास की घटनाओं, मिश्रों की सलाहों, लट्टरों की आत्मोचनाओं, विरोधियों की निन्दाओं, उपहासों, अपमानों, आदि को अपने पर पड़ने नहीं देता, दूर से ही रोक देता है, वह अन्धेरे में ही पढ़ा रहता है व प्रगति नहीं कर पाता। किन्तु जो इन घटनाओं या आत्मो-चनाओं आदि से भयक कर भट्ट से कोई कदम उठा लेता है, वह धक्के-

-खाता है, व पीछे थोड़ा-बहुत पछताता है। यही तुनक-मिजाजी है। बहुत असें तक मैं इसका शिकार रहा। अब भी जब मुझे ऐसा भास होने लगता है कि सामने वाला मुझे दबा रहा है, धौंस से काम लेना चाहता है, किसी की निन्दा करता था तुगली खाता है, बेकसूर ही मुझे उल्लहना देता है, जब तब जैसा करता है, ढांटना चाहता है, तो मेरा पारा चढ़ने लगता है। लेकिन अब मैं झट से कोई फैसला नहीं कर लेता। अपनी तुनक-मिजाजी की कुछ घटनाएं इस समय याद आ रही हैं।

आधार्य द्विवेदीजी मुझे पुत्र की तरह चाहने लगे थे। मेरे घर की चीमारियों वर्गैरा के कारण दो-दो महीने ऐसे बीत जाते जब मैं 'सरस्वती' का कुछ काम न कर पाता था। परन्तु वे खुशी-खुशी ऐसा होने देते थे। अल्प जब मैं ऐसे भौंकों पर काम में लगने की कोशिश करता तो मुझे कुछ मना कर देते। कभी उन्होंने मुझे ढांटकर या फिल्डकर कुछ न कहा। लेकिन एक अवसर ऐसा आ ही गया। १११८ में इन्दौर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन महात्माजी के सभापतित्व में होने चाला था। स्वर्गीय डाक्टर सरजूशसाहजी का पत्र मुझे लिखा कि मैं 'एक मास पहले इन्दौर आकर सम्मेलन के लिए काम करूँ'। मेरा जी बहुत हुआ, परन्तु उन दिनों द्विवेदीजी की सम्मेलन वालों से कुछ अनबन थी। मुझे आशा नहीं थी कि वे मुझे इतनी लम्बी छुट्टी देंगे। परन्तु सम्मेलन में जाने का तो निश्चय मैंने अपने मन में कर लिया था—अल्प ही द्विवेदीजी मना करें, या मुझे इस्तीफा ही देना पड़े। इन्दौर—मेरे घर में सम्मेलन हो, गांधीजी जैसा कर्मचारी सत्याग्रही—उस समय महात्माजी 'कर्मचारी गांधी' कहताते थे—उसका समाप्ति हो, और मैं सम्मेलन में शारीक तक न हो पाऊँ—यह कल्पना ही मेरे लिए असदा थी। इतिहास ऐसा हुआ कि सम्मेलन की तिथियों के कुछ दिन पहले द्विवेदीजी अपने घर दौलतपुर चले गए थे। बाद में उनके घर मेरे नाम विधिवत् निमन्त्रण इन्दौर से आया। इतना समय नहीं था कि मैं उनसे हजार

लेकर इन्दौर जाता । अतः उनके नाम का निमन्त्रण-पत्र उन्हें भेजकर अपने इन्दौर जाने की इच्छिला उन्हें दे दी—जैकिन मैंने मन में समझ लिया था कि परिषदतजी को वह सहज न होगा और अब अपने को युही-छोड़नी पड़ेगी । मेरे सम्मेलन से लौटने के पहले ही परिषदतजी युही आगये थे । लौटने पर जब पहली बार मैं उन्हें प्रणाम करने गया तो उन्होंने त्यौरी चढ़ाकर जरा तीखे स्वर में, जो मेरे सम्बन्ध में उनकी तरफ से नया था, सुझाते पूछा—‘आप हमारी बिना इजाजत इन्दौर कैसे चले गये ?’ उनका ‘आप’ शब्द मेरे लिए ‘सजा’ का काम देने लगा । मैंने जावते की सफाई दे दी—इसके बाद उन्होंने सुझाते कुछ नहीं कहा । मगर मुझे उनका इतना उल्लहना भी नागवार होगया । मैं एक तरह से तिल-मिळा उठा । तुरन्त गणेशजी के पास कानपुर पहुंचा ।

“अब परिषदतजी के पास रहने में लुट्फ नहीं, धर्म भी नहीं । अब तक उन्होंने सुझाते तीखे स्वर तक मैं बात नहीं की । आज एक ऐसी बात के लिए सुझाते जवाब तलब किया, जिसे मैं समझ तो सकता हूँ, पर निगल नहीं सकता । मैं इसी महीने में यहां से काम छोड़कर इन्दौर चला-जाऊँगा ।” मैंने गणेशजी से कहा ।

“जब परिषदतजी का इतना प्रेम व भरोसा आप पर है, इतने सेज मिजाज होते हुए भी आपको आज तक कभी रोका नहीं, अलिफ से बे नहीं कहा, तो इतनी-सी बात पर इतना बड़ा निश्चय करना ठीक नहीं । आप चले जावेंगे तो सेरी यह भविष्यवाणी है कि परिषदतजी एक साल से ज्यादा ‘सरस्वती’ में नहीं रहेंगे । आपका उन्हें बड़ा सहारा है ।”

“मैं भी उन्हें पिता व गुरु दोनों की तरह मानता हूँ । पर यह गोली-निगलना मेरे लिए सुरिकल है । मैं जहां रहता हूँ, घर समझकर काम करता हूँ । किसी की डांट-फटकार आज तक सही नहीं । सम्मेलन बालों से लाग-डांट होने के कारण वे मुझे अपने घर के अधिवेशन में भी नहीं जाने देना चाहते थे—यह कैसे बरदारत किया जा सकता है ?”

गणेशजी ने तरह-तरह से मुझे समझाया। मेरे भावी-हित की, परिषद्वत्ती की असुविधाओं को दलीलें दीं—पर मेरा जी जो उच्चट गया—सो उच्चट ही गया। एक महोने के अन्दर ही मैं इस्तीफा देकर हृन्दौर चला गया।

दूसरी घटना ‘प्रताप’ प्रेस की है। शायद १९२० में गणेशजी ने मुझे अपना ‘पर्सनल असिस्टेंट’ बनाकर दुलाया। ‘प्रताप’ ‘प्रभा’ व उनके निजी कामों में सहायता देना मेरे जिम्मे हुआ। पूँक रोज़ ‘प्रभा’ या ‘प्रताप’ का आखिरी भशीन प्रूँफ़ मेरी भेज पर आया। दो मिनट पहले ही मैं शौच के लिए जा चुका था। इसी शौच शिवली<sup>१</sup> मेरे कमरे में आए। मुझे नदारद देखकर स्वभावतः नाराज़ हुए। मेरे आते ही जरा विहङ्गकर थोले—‘भाऊजी, हम तो आपको अपने घर का आदमी समझते हैं। देखिए भशीन-प्रूँफ़ कब से पड़ा हुआ है, भशीन लकी पड़ी है व नुकसान होरहा है।’

‘मैं शौच गया हुआ था। बाद में प्रूँफ़ आया है। पहले आजाता तो मैं ‘आर्डर’ करके ही शौच जाता। इसमें मेरा तो कोई कुसूर नहीं है। मैं भी घर समझकर ही यहाँ काम कर रहा हूँ।’

वे खामोश रहकर चले गये। गणेशजी से मुलाकात होते ही मैंने इस्तीफा पेश कर दिया और चापस हृन्दौर चला गया।

पूँक दीसरा घटना अहमदाबाद की है। ‘हृन्दौर नवजीवन’ चालू हुआ ही था। मैं स्वामी आनन्द<sup>२</sup> के कहने से उनके ‘नवजीवन क्लब’ में रहने लगा था, हालांकि सत्याग्रहाश्रम ( सावरमती ) में रहने के लिए मकान मिल गया था। परन्तु शुरूआत के काम में मेरी दृष्टिर में अधिक हाजिरी की आवश्यकता स्वामीजी ने बताई थी व खुद ही अपने कूब में

<sup>१</sup> ‘प्रताप’ के तत्कालीन न्यवस्थापक पं० शिवनारायणजी मिश्र।

<sup>२</sup> स्वामी आनन्दानन्द ‘नवजीवन’ भंस्या के तत्कालीन मंत्री व न्यवस्थापक।

रहने की प्रेरणा की थी। बाद मे महोदयजी व गोपीवल्लभजी<sup>१</sup> भी बुही ठहरे। भोजन खर्च के सम्बन्ध में कुछ बहस चल पड़ी तो आवेश में स्वामीजी के सुंह से निकल गया—‘कुब में’ रहने दिया—यह हमारी मेहरबानी थी। सुके यह तीर-सा लगा। महोदयजी व गोपीवल्लभजी को भी बहुत बुरा लगा। दफ्तर से बाहर निकलते ही मैंने दोनों से कहा—

‘मैं तो आज कुब मे खाना नहीं खाऊंगा। नया घर लेकर ही हम सब लोग अलहूदा हन्तजाम क्यों न कर लें?’

सबको यह पसन्द हुआ व उसी दिन धूम-धाम कर नया मकान तलाश किया, सामान-बरतन मोल लिये व नये घर में खाना बनाकर खाया।

एक बात १९१७ की याद आ रही है। मैं जुही में रहता था। मेरे सबसे छोटे भाई बाबू ने, जो उस समय ३-४ साल का था, रास्ते में पाखाना कर दिया। मकान मालिक, जो मेरे सिव्र ही थे, कहने लगे—‘उपाध्यायजी, तुम्हारे घर के लोग कैसे खापरवाह हैं, देखो यह रास्ते में दही फिर रहा है।’ यह उल्हना सुके हृतना नागबार होगया कि मैं बेंत उठाकर अपनी पत्नी पर लपका। माँ ने हाथ पकड़कर सुके ढांडा और बेंत छीन लिया। मैं मानता हूँ कि कोई आदमी तभी शिकायत करता है जब उसकी सहन-शक्ति के परे हो जाता है। फिर जग्नी बाबू जैसे घनिष्ठ सिव्र ने तभी शिकायत की होगी जब उनके लिए घर बालों की खापरवाही असह्य होगई होगी। यही कारण है जो सुके हृतना गुस्सा आ गया था।

इन सब घटनाओं मे जो मेरे मन में विरोध का भाव उठा उसका आंशिक समर्थन अपने मन में पाते हुए भी सुके कई बार येसा लगा है कि

<sup>१</sup> पं० गोपीवल्लभजी उपाध्याय भूतपूर्व संपादक ‘हिन्दी चित्र-संघ जगत्’ पूना।

ये मेरी तुनक-मिज़ाजी के ही नसूने हैं। कई बार इसे हम स्वाभिमान, आत्माभिमान मान लेने की भूल कर जाते हैं। स्वाभिमान तो स्वत्वन्रक्षा का नाम है। अपने सद्गुणों—साधिक गुणों—को अनुचित प्रहारों से बचाना, स्वाभिमान है। परन्तु साधारण बातों से कुई-सुई हो जाना, तिल का ताड समझ लेना या बना लेना तुनक-मिज़ाजी है। जिसे अहिंसा साधनी है उसे इससे पिण्ड कुदाना ही उचित है।

: १५ :

## ईश्वर की कृपा

मैं जन्म-संस्कार से तथा परम्परा से कुछ ईश्वर-भक्त हूँ। मेरा ईश्वर वह शक्ति है, जो सब कुछ जानती है, सब कुछ करती व कराती है। कई बार यह अनुभव हुआ है कि जब तक हमने आपने बल-न्दूते पर कोई काम करना चाहा है, तो बहुत प्रयास करने पर भी उससे कठिनाइयाँ, फँसटें व परेशानी ही ज्यादा हुई हैं; पर जब थककर परमात्मा पर छोड़ दिया है—अन्तर्स्तक से समर्पण की यह दीनदा भरी आवाज उठी है—‘अच्छा तो अब जो भगवान् की मर्दी हो वही होने दिया जाय—यदि उसे यह मंजूर है कि हमारी लाज जाय, बात बिगड़े, तो ऐसा ही हो’ तो अक्सर वह काम बनता दीखा है, चिन्ता की अगह आशा की रेखा दीख पड़ी है। एक कल्पना करके भी उसे उसी समय ईश्वर-कृपा पर छोड़ दिया है तो वही अकलित्त-रीति से वह सफल होती हुई देखी गई है। मेरे एक मित्र ने तो यहां तक कहा कि ईश्वर ने मेरी बाज-बाज अशुभ हँस्त्रियों को भी पूरा कर दिया है। यह अद्भुत अनुभव है। मैंने इसे समझने की कोशिश की है। प्रार्थना दरअसल हमारा ढढ व हार्दिक संकल्प है जो ईश्वर के प्रति सम्बोधित किया जाता है। ढढ व हार्दिक संकल्प अक्सर पूरे होते हुए देखे जाते हैं। हमारा चिन्त, जो संकल्पों का जनक है, ब्रह्माण्ड या संसार में ज्यासु चैतन्य-शक्ति का ही एक अंश है। जब चिन्त बहुत पृकाग्रता से, सूक्ष्मता या शुद्धता से कोई संकल्प करता है तो वह शरीर की इस मर्यादा या आवश्यक करके ब्रह्माण्ड-न्यायी

चैतन्य-शक्ति को आनंदोलित या प्रभावित कर देता है और उसकी सरंगें न जाने कहाँ-कहाँ पहुँचकर अनुकूल प्रभाव पैदा करती हैं, जो अन्त में कार्य-सफलता या सिद्धि के रूप में हमारे सामने आ उपस्थित होती है। हनके सब सूच्चम कारणों या क्रिया-प्रतिक्रियाओं को हम साधारण दशा में प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, अतः हमारी बुद्धि कृपित हो जाती है, किन्तु भावना कह उठती है कि यह ईश्वर की कृपा या अनुभव है। ईश्वर भी तो अज्ञात चैतन्य-शक्ति का ही दूसरा नाम है।

इस ईश्वर-कृपा का मुक्ते कई बार प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, जिसके कुछ नमूने यहाँ देता हूँ—

१६१६ की बात है। मेरी पत्नी अपनी बीमार सास को छोड़कर चल चुकी। पत्नी व माँ की बीमारी में बचा-न्हुआ पैसा खर्च हो चुका था। घर का सब काम-काज रोटी-पानी, कपड़ा-बरतन सब हम—मर्द लोगों को खुद ही करना पड़ता था। एक रोज माँ ने इच्छिता दो कि कल के लिए आटा नहीं है, न पास एक पैसा ही है। मैं जरा सोच में पड़ा। उधार न लेने का नियम कर रखा था। एकापुक खायाल आया—देखें, ईश्वर क्या करता करता है ? कोई घटटा भी न बीता होगा कि नीचे से ढाकिये ने आवाज दी—आपका मनीआर्डर है। मेरे आनन्द के साथ ही आश्चर्य का पारावार न रहा। एक ही उण में सैकड़ों तर्क आये कि आखिर मनीआर्डर आया कहाँ से। मेरा किसी से लेना नहीं निकलता था। किसी की ओर से इच्छिता भी नहीं थी कि मनीआर्डर भेज रहे हैं। ‘सरस्वती’ से भी अपना हिसाब चुकता कर आया था। इतने में ढाकिये ने मनीआर्डर का फ़ार्म हाथ में दिया। मनीआर्डर २) का था व ‘इण्डियन प्रेस’ इक्काहाबाद से आया था। मैं समझ नहीं सका कि यह क्यों आया होगा ? छूपन पर भी कुछ लिखा नहीं था। खैर ईश्वर-कृपा समझ कर रुपये ले लिये व माँ को पुकार कर कहा—देखो ईश्वर कैसा दयालू है। दूसरे दिन पूज्य हिंदैदीजी का एक कार्ड मिला जिसमें लिखा था कि तुम्हारा एक पुराना लेख मेरे पास पड़ा था, उसे

‘सरस्वती’ में कृपा दिया व पुरस्कार के ५) भिजवा रहा हूँ ।

एक बार १९२२-२३ में, जब मैं सावरमती-सत्याग्रहाश्रम में रहता था, मुझे इससे भी अधिक विस्मयजनक अनुभव हुआ । आश्रम के छात्रालय में मैं अपने मित्र श्री छगनलाल जोशी के नव आगान्तुक सहाय्यार्थी ओ० भणसाली—अब सेवाप्राप्ति के सन्त भणसाली—से मिलने गया । वहाँ डाक से मेरे मामाजी की एक चिट्ठी मिली जिसे पढ़कर मैं चिन्तित व नाम्नीर होगया । भणसालीभाई ने समझा कोई खुरी खबर आई है । पूछा—

‘क्यों क्या मामला है ? कोई अशुभ समाचार है क्या ?’

‘नहीं, मामूली समाचार है ।’

लेकिन मेरे चेहरे पर गम्भीरता व चिन्ता झलकती ही रही । मामाजी ने १००) लौटती डाक से मंगाये थे । जिन्दगी से पहली बार मामाजी ने रुपये मुझसे मंगाये थे । मेरी हर कठिनाई पर वे हमेशा मेरी मदद करते रहते थे । उनके सन्तानहीन होने के कारण मैं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी अधिक महसूस करता रहा हूँ । रुपया तो भेजना हो था; परन्तु पास में एक कौड़ी नहीं, उधार न लेने का नियम जारी ही था । मैं इसी सोच में पढ़ गया था कि रुपये का इन्तजाम कैसे किया जाय । पली के पास २००-२५०) के व मां के पास १००-१५०) के गहने थे । सोच रहा था कि इन्हें बेचकर या गिरवी रखकर रुपये भेज दूँगा—इतने में फिर भणसाली भाई ने पूछा—

‘तो फिर आप इतने गम्भीर क्यों हैं ? आखिर कोई बात तो है ?’ छगनलाल जोशी ने जोर दिया—हाँ, बात क्या है ? कहो तो । मैंने सहज भाव से पत्र का आशय उन्हें बता दिया । मेरा मन्यन तो मेरे मन से ही चल रहा था । इतने मेरे अपरिचित भणसाली भाई—उसी समय उनसे परिचय हुआ था—उठे व अपनी जेव से १००) का एक नोट लिकाल कर मेरे सामने रख दिया । मैं स्तम्भित रह गया । भगवान् तेरी कितनी दशालूला !! भणसाली भाई से बोला—

‘नहीं, इसकी जरूरत नहीं; मैंने रुपये भेजने का रास्ता सोच लिया है ।

आपकी यह सहज कृपा हमेशा याद रहेगी; यह नोट वापस ले लीजिए।”

‘मुझे हँसवर ने काफी पैसा दिया है। आपके लिए इतना करना मेरे लिए बहुत मामूली बात है। आप सज्जोच न करें। मेरी भेट आप स्वीकार न करें तो सुविधा से मुझे लौटा दीजिएगा। मैं आपको हिचक़ को समझ सकता हूँ।’

‘नहीं, हिचक यह नहीं है, मैं तो इसमें परमात्मा की एक कृपा का ही अनुभव कर रहा हूँ; पर ऐसी कठिनाई में नहीं हूँ कि आपको कष्ट दूँ।’

अन्त को भण्णसालीभाई व जोशीजी दोनों के प्रेरणाग्रह के सामने मुझे झुकना ही पड़ा। इस घटना में भावी साझा व महान् व्यागी भण्णसाली के बीज अब मुझे दिखाई देते हैं।

अब एक सार्वजनिक जिम्मेदारी का उदाहरण लीजिए। १६३१ की बात है। राजस्थान को अपना जीवन समर्पण करके १६२६ में मैं अज-मेर आ गया था। १६३० के सत्याग्रह के बाद—दिल्ली के गांधी-हरविल्ड सन्धि-काल में—युज्कर में प्रान्तीय कांग्रेस के अधिवेशन की जिम्मेदारी ले ली। कांग्रेस कमेटी पर एक-देह हजार का कर्ज हो गया था, परिषद् का काम चालू कर दिया गया था जिसमें रोज कुछ-न-कुछ खर्च होता ही था। अधिवेशन के मुश्किल से २०-२५ दिन रहे थे। स्वागत-समिति ने ६०००) एकत्र करने का जिम्मा मुझ पर ढाला। मैं जरा दबे हृदय से ही घर से निकला लेकिन मन में कहा—यह भी भगवान् की कृपा को परखने का अवसर आया है। देखो, कैसे निभाता है।

पहले देहली चला। सोचा था कि ५००) मिल जायें तो बहुत—२५०) तक भी मिल जायें तो सन्तोष मान लेंगे। राम का नाम लेकर निकला तो एक मिन्ने ने अपने दफ्तर में आने वालों से वहाँ बैठे-बैठे एक छठे में ७५०) करा दिये। मुझे इसमें भगवान् की सहायता का अनु-भव होने लगा। वहाँ से ग्वालियर गया। यहाँ से ५००) की आशा रखी थी। मिन्नों ने कहा, आपका स्वास्थ्य खराब होगया है, आप कहाँ

चन्दा करते फिरेंगे । हम ही बढ़ोर कर आपको ला देंगे—आप एक-दो रोज आराम कीजिए । उन्होंने ८००) लाकर दे दिए । मैंने मन से तो ईश्वर को धन्यवाद दिया । पर चन्दा-भिन्नुक के रिवाज के माफिक कहा—एक हजार हो जाता तो अच्छा था । मित्रों ने बताया—आपको श्रम से बचाने के लिए सौंचन्तान कर यह रकम जुटाई है । मैं भार से दब गया । किसी को दबाकर भिन्ना लेना तो ठीक नहीं । मैंने मित्रों से कहा—‘तो जितना दबाकर लाये हो उतना इसमें से लौटा लो; और दो घर ज्यादा भिन्ना मांग लूंगा ।’ मैं ऐसी भिन्ना नहीं चाहता कि दाता के मन की सरसवा सूख जाय । उसके दरवाजे पर जाऊं तो उसके बेहरे पर बेसुरम्भती आने लगे । मैं तो यह चाहता हूँ कि आप लोग योड़ी रकम भले ही दें—मेरा द्वार सदा खुला रखें । ‘जी, नहीं अब इसमें से तो नहीं लौटावेंगे हमारा मतलब यह था कि अब ज्यादा माँगेंगे तो लोगों पर जोर पड़ेगा ।’

इस तरह बहुत थोड़े श्रम में रकम इकट्ठी हो गई । धन सम्बन्धी ही नहीं, अन्य अनेक कठिन अवसरों पर ईश्वर-कृपा का अनुभव हुआ है । मुझे पेसा लगता है कि जो मनुष्य दूसरे के सुख-नुःख का अधिक लक्ष्याल रखता है, उसे ऐसी ईश्वर-कृपा का अनुभव अवश्य होता है । सम्बन्धतः दूसरों के आशीर्वाद या शुभ कामना ईश्वर को भंगलता व चयाहुता को जगा दिया करते हैं ।

१६

## ईश्वर-विश्वास

ईश्वर-कृपा के ऐसे अनेक अनुभवों से मेरी ईश्वर-श्रद्धा दिन-पर-दिन बढ़ती ही जाती है। इससे मन में एक किस्म की अजीब निश्चन्तता, निर्भयता, शान्ति व मस्ती-सी रहती है। घटनाओं के लिखिक प्रभावों से विच चंचल तो ही उठता है; फलाहट आ जाती है, पर भगवान् का स्मरण होते ही मन स्थिरता व शान्ति का अनुभव करने लगता है।

निर्भयता अहिंसा का पहला लक्षण है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी कोई काम किसी के दबाव से किया हो। मुझे दबाव का भूल बहम भी होजाय तो मेरा दिल बगावत करने लगता है। हाँ, लिहाज मुलाहिजे में या दया खाकर ऐसे काम जरूर कर दिये हैं जिनके लिए कभी-कभी पछतावा हुआ है। जो दुःखी मनुष्य मेरे पास आता है, उसके कुछ-न-कुछ उपयोग में आने की मेरी इच्छा रहती है। उस समय ऐसा लगता है मानो इसे निराश लौटाना दया-धर्म व सौजन्य के लिलाक है। कोई ढोंगी ठगकर से जाय तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना इस खयाल से कि कोई वास्तविक दुखी सहायता से वंचित रह जाय। कोई मुझे ठग ले जाता है, या धोखा दे जाता है तो दर असल वह अपनी ही अधिक हानि करता है। मेरे पास खाने जैसी चीज है ही क्या? दूसरे मित्रों से कुछ पैसे दिला दिया करता हूँ, या सिफारिश कर दिया करता हूँ। यह मार्ग बन्द हो सकता है। जिन मित्रों को यह लगा या लगता है कि हरिभाऊ सीधा है वह मेरी सिफारिशों की ज्यादा कीमत

आँकेंगे। कोइं भी गुण हो, उचित सीमा के बाहर जाने से वह अवगुण हो जाता है। प्रत्येक वस्तु अपनी मर्यादा में ही उपयोगी होती है। मेरी यह सिधाई, अति-विश्वासशीलता, भलमनसाहत या 'भूखंता' या तो विवेक की कमी का परिणाम है, या निश्चय की इदता का अभाव है, जो सत्य की साधना की कमी का दूसरा नाम है। वस्तु की यथार्थ सीमाओं को जान लेना विवेक है व विवेक के निर्णयों का इदता से पालन करना सत्याग्रह है। इसमें दूसरों पर अन्याय, ज्यादती, बलाल्कार न होने देने की भावना अहिंसा कहलाती है। एक मित्र अक्सर कहते हैं तुम्हें अहिंसा की अधिकता व सत्य की कमी है। मुझे उनकी यह राय सच मालूम होती है। लेकिन अपने दिल को इस तरह समझा लेता हूँ कि यदि अहिंसा भी सच्चाच में है तो वह सत्य की साधना में भी मजबूती ला देगी। मुझे अहिंसा तो सहेली जैसी मालूम होती है; पर सत्य विकट लगता है। उसके समूचे स्वरूप का जब प्रकाश मन पर पड़ता है तो हृदय खिल तो उठता है; पर उस तेज से हृदय दहलने भी लगता है। मन, विचार, वाणी, कर्म में कहाँ भी गलती न होने देना—सत्य का असली रूप है। इसके लिए मन के संकल्प, मनोरथ ही नहीं, स्वप्न तक में जागरूक रहने की ज़रूरत है। प्रत्येक तक्षसील पर ध्यान देना व देते रहना होगा। मन को सदा चौकन्ना, बुद्धि को स्थिर, निष्ठा, निर्मल, व जीवन को सतत क्रियाशील, उद्योगशील रखना होगा। यह तो महान् योगी या वैज्ञानिक या रासायनिक का काम है। जरा चूके, थके, सोये, घबरायें, कल्पायें, मोहित हुए कि गये।

इस निर्भयता का मूल ईश्वर-अद्वा में है। जब मैं छाती पर हाथ धर कर यह देख लेता हूँ कि मेरी भावना शुद्ध है, काम भला है, तो मेरे मन में यह विचार ही नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे, इसमें लोगों के लिए कुछ शंका करने जैसी बात भी हो सकती है। हाँ, कुछ कहु अनु-भवों ने अधिक सावधान लो बना दिया है, फिर भी लोगों की आलोचनाओं व मिदाइयों के बीच अविचल रहने की प्रवृत्ति कायम ही है।

क्षणिक प्रभाव हुआ भी तो वह परमात्मा का आश्रय लेते ही नष्ट हो जाता है।

अजमेर आने से पहले भी मेरा जीवन या तो सेवा-प्रथान ही; परन्तु एक तरह से व्यक्तिगत था। साधियों, कार्यकर्ताओं या जन-सम्पर्क की गुंजाहश उसमें बहुत कम थी। ज्यादातर 'टिबुल-बक्स' था। अजमेर आने के बाद यह स्थिति बदल गई। मेरा आदर्श व सिद्धान्त-पक्ष तो बलिष्ठ था, भावना-पक्ष भी ठीक था, किंतु व्यापक प्रवृत्तियों का प्रत्यक्ष अनुभव कम था। उत्साह तो था ही। बाबाजी<sup>१</sup> के प्रेमावह से कांग्रेस-कार्य में पड़ गया। प्रांतीय-कांग्रेस के चुनाव-संग्राम से ही हस जीवन में प्रवेश हुआ। वैसे जब मैंने पूज्य वापु का आशीर्वाद लेकर राजस्थान में आने का विचार किया तो प्रायः सभी मित्रों ने चेतावनियाँ दी थीं। वहाँ के नेताओं की लडाइयों का हवाला दे-देकर मुझे उस कीचड़ में न फँसने पर जोर दिया। एक जमनाखालजी ही ऐसे थे जिन्होंने राजस्थान में जाने पर तो जोर दिया; पर राजनैतिक चेत्र में न पड़ने की भी सखाह दी थी। किंतु मेरा स्वभाव कुछ हठीला है। जब कोई मुझे कठिनाई, फँकट, भय, आशंका दिखाकर किसी काम से हटाना चाहता है तो मेरा जी उल्टा उस काम को करने पर और उतारू हो जाता है। कहता हूँ—देखूँ तो आखिर यह भय-संकट या फँकट है क्या? चलो, एक नया, अनुभव ही होगा। अतः मैंने अजमेर जाने का निश्चय और भी दढ़ कर लिया। परन्तु मन में सोचा कि दुनिया में तीन बातों के लिए कलह मचते हैं—नेतापन, धन-संग्रह व स्त्री-सौन्दर्य। अपने इन मोहों से दूर रहने का पूरा प्रयत्न करेंगे।

अजमेर आते ही इन परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई। राजस्थान के प्रख्यात पं० अर्जुनलालजी सेठी से चुनाव का मुकाबला घोषित होते ही तरह-तरह की धमकियाँ आनी शुरू हो गईं। 'खून की नदियाँ बहेंगी,

यह बाक्य तो बाज-बाज के मुँह से सदा पैसा निकलता रहता था जैसे पान-तमाङ्ग खाने वाले के मुँह से थूक की पिचकारी। मुझे यह बड़ा अजीब तो लगता, पर ल्यों-स्यों मैं चुनाव लड़ने में अधिक दृढ़ बनता गया। सामने वालों को जबाब दिलवा दिया करता—अंग्रेजों के हाथों भरने से अपने देशी भाइयों के हाथों भरना क्या बुरा है?

❀ ❀ ❀

एक बार एक चुनाव के सिलसिले में विरोधी पक्ष की तरफ से भयावह प्रदर्शन हुआ व वे लोग भीटिंग वाले भक्तान का दरबाजा तोड़कर भीतर छुस आये व आंगन में जम गये। कमेटी के एक सदस्य-मित्र ने कहा—हरिभाऊजी, समझौता कर लीजिए, नहीं तो आज यहां तमंचे चलेंगे। मैंने कमेटी में ही तुरन्त जबाब दिया—प्रदर्शनकारी मित्र सब सुन रहे थे—“मैं समझौते-बाला के नाम से, शान्ति-प्रिय के नाम से बदनाम हूँ। लेकिन हमारे सामने वाले मित्र यदि तमंचे के बलपर समझौता चाहते हैं तो अच्छी बात है, पहले वे तमंचे चला जाएं, बाद में बचे-खुचे आदमी समझौता कर लेंगे।”

❀ ❀ ❀

एक बार एक मित्र ने आकर मुझे सूचना दी—फलां साहब, कुछ साधियों को लेकर आश्रम—गांधी आश्रम, हाफ़-ई—पर हमला करने की सोच रहे हैं, आप होशियार रहिए। मैंने उन्हें कहला दिया कि उनसे कह दीजिए कि हरिभाऊ आश्रम की रक्षा करना जानता है। उसके जीते जी आश्रम पर कड़ा नहीं हो सकेगा। उस समय इतिफाक से ६-७ साधी, कार्य-कर्त्ताओं की स्त्रियां भी वहां भौजदू थीं। मैंने सबको बुलाया और यह इचला चुनाई व पछा—बोलो, हमारा क्या कर्तव्य है? आश्रम का कड़ा दे दें, पुलिस को मदद के लिए बुलावें, या आश्रम की रक्षा के लिए खुद भर मिटें। सबने एक स्वर से कहा—दासाहब, आप हमें निर्भय रहने व अत्याचारी का मुकाबला करने की शिशा देते रहते हैं। यों ही कड़ा दे देना व पुलिस को बुलाना तो कायरता है। आप उन्हें आने दीजिए, हम

‘सब बहने एक कतार से खड़ी हो जायेंगी व हमारी हड्डियां ढूढ़ने पर ही कोई आश्रम की ईंट को हाथ लगा सकेगा।’

अबला कही जाने वाली स्त्री-जाति की इन बहनों के उत्तर से मुझमें हजार हाथी का बल आ गया था। बहनों को इन बहादुराना बातों को व उनको मैं हस जीवन में नहीं भूल सकता।

❀ ❀ ❀

एक दफ्तर एक मित्र ने आकर कहा—फलां साहब आपको मारने की फिक्र में है। उनका दाँब लगा नहीं व आपको उन्होंने पिटवाया नहीं। अतः आप होशियार रहिए। अकेले उस तरफ न जाइए। हाथ में एक डरडा भी रखिए।

‘अच्छा, यदि ऐसा है तो आप मुझे उल्टी सलाह दे रहे हैं। अब तो मुझे उधर होकर जरूर जाना है। यों हत्तफाक से किसी का साथ हो जाता होगा तो भी उधर मैं अकेला ही जाता-आता रहूँगा।’

‘मैंने आपके हित-चिन्तक के नाते आपको सावधान कर दिया, सावधान रहने में क्या बुराई है?’

‘बुराई यों कुछ नहीं, पर मन में भय का संचार होता है। मैं डर को अपने पर हाली होने देना नहीं चाहता।’

❀ ❀ ❀

एक बार बंबई में, जिस साल महात्माजी कांग्रेस से अलग हुए, कांग्रेस-अधिवेशन के अवसर पर, मेरी धर्म-पत्नी ने मुझे सूचित किया कि आज फलां सज्जन ने तुम्हें भार ढालने व कांग्रेस-दम्पत्र पर कब्जा कर लेने की तजवीज बनाई है। भाई राधाकृष्णजी बजाज वर्धा ने सुमझाया, बापू को इस्तिला कर दे, जिससे सम्भव है, कोई अनहोनी बात न होने पावे। मैंने कहा—मैं बापू को इसके लिए कष्ट देना नहीं चाहता, यह तो खतरे से बचने का उपाय है। जो होना होगा, हो जायगा।’

‘लेकिन मैंने तो इसी शर्त पर भागीरथी को समझाया व शांत किया है।’

‘तो आप बापू से जो चाहें कहें, मैं तो नहीं कहना चाहता, खुद ही इस परिस्थिति से निष्ट लूँगा।’

रात के १०॥ बज चुके थे। बापू की सलाह राधाकृष्णजी ने सुनी। बताई—‘हरिभाल से कहो कि दफ्तर के कागजात बंबई ( शहर ) ले जाय, यहां कैप में न रखे व सुद भी आज बंबई ही किसी मित्र के यहां जा सोवे।’

मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। बापू ने यह भाग जाने की सलाह कैसे दी? मैंने राधाकृष्णजी से कहा—बापू की यह सलाह मेरी समझ में न आई, अब तो इसकी सफाई के लिए मुझे बापू से मिलना ही पड़ेगा।

११ बज गये थे, बापू सोने की तैयारी में थे, चादर बदन पर ढाला ही रहे थे कि हम दोनों पहुंचे। मैंने कहा—बापूजी आपने यह उल्लटी सलाह कैसे दी?

‘राधाकृष्ण की बातों से सुझ पर ऐसा अल्पर पढ़ा कि इस परिस्थिति से हम भयभीत हो गये हो, अतः मैंने तुम्हें भयभीत का धर्म बताया। भयभीत का धर्म है प्राण बचाना।’

‘नहीं, मैं तो भयभीत नहीं हुआ, कांग्रेस के कागजात सुरक्षित रखना तो मेरा कर्तव्य ही है; परन्तु मेरा बंबई चला जाना तो बिलकुल काबू रहा है। मुझे तो यह जंचता नहीं।’

बापू ने मेरे मुँह की ओर देखा, बोले—

‘तो फिर आज रात को हम उन्हीं के कैप में, बल्कि उन्हीं के पास जाकर क्यों नहीं सोते?’

मैं समझ गया, बापू मेरी हिम्मत की थाह ले रहे हैं; मैं यों ही बन रहा हूँ, या कुछ दम है। मैंने हर्ष से उत्तर दिया—

‘हाँ, बापूजी आपकी यह सलाह मुझे जंची। अभी जाता हूँ और यही करता हूँ।’

‘तो फिर जाकर ऐसा ही करो।’

वे भाई अपने केंप में सो रहे थे। मैंने जाकर जगाया तो चौंकते हुए उठे। पूछा—‘क्या बात है?’

‘उठो, आपसे कुछ बात करना है?’ मैंने भागीरथी का सुनाया किस्सा कहा। बापूजी की सलाह सुनाकर कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि आपको मेरे केंप तक जाने का कष्ट न उठाना पड़े, आप जो कुछ चाहें कर लीजिए। तो बोले—

‘उसने कुछ अट-शैट कह दिया है। तुम्हें मारकर मैं शहीद बनाना नहीं चाहता। इतने में राधाकृष्णजी व भागीरथी भी वहाँ आ पहुँचे। दूसरे दिन जब बापूजी को यह समाचार मिला तो वे प्रसन्न हुए।

◆

◆

◆

१६३० के सल्याग्रह की बात है। रामसर (नसीराबाद) में नमक बनाने का कार्यक्रम था। कार्यक्रम को विफल बनाने के लिए पुलिस व सहसील के अफसरों का डेरा वहाँ लग गया। वे खुद तो दूर रहे, पर गांव घालों को भड़काकर स्वयं-सेवकों पर हमला करने के लिए भेजा। ३-४ स्वयं-सेवक नमक बना रहे थे, शेष सब देरा बनाकर उनकी रक्षा कर रहे थे। मैं कुछ दूरी पर खड़ा था। गांव के कुछ लोग लाठियाँ चांचे देजी से स्वयं-सेवकों की ओर लपके आ रहे थे। वे स्वयं-सेवकों तक पहुँचने ही वाले थे कि लपककर मैं उनके सामने जा पहुँचा व तनकर बोला—

‘आप लोग क्या करना चाहते हैं?’

‘आप लोग यहाँ नमक न बनाइए—हमारी जमीन में आपको नमक बनाने का क्या हक है?’

‘जमीन पंचायती है, तुम पंचायत से लिखाकर ले आओ—हम चले जायेंगे। हमारी लड़ाई आप लोगों से नहीं है, त्रिटिश सरकार से है।’

इतने में प्लैन हूँस में एक पुलिस चाले ने एक को उकसाया—‘हाँ, जगाओ।’ मैंने देखा और छुटक कर कहा—‘पुलिस ने क्यों चूंकियाँ पहन रखी हैं? खुद ही चर्दी पहनकर ढरडे क्यों नहीं चलाते? हम

तो सिर फुड़वाने के लिए तैयार बैठे हैं। बैचारे गरीब अपढ़ गांव वालों को बहकाकर हमसे भिड़ा रहे हो ?'

एक गांव वाला—‘देखिए, आप लोग यहां खून-खराबी करावेंगे, और हमको बरबाद करेंगे।’

‘क्लाइयां तो तुम्हारे पास हैं, सिर फोड़ने आप लोग आये हैं, हम किसी के पास तो एक बैत तक नहीं है, सब निहले हैं, फिर खून-खराबी तुम कराना चाहते हो या हम ? हम तो उलटे तुम लोगों के सुख व आराम के लिए अंग्रेजी सरकार से लड़ रहे हैं और अपने सिर खून से रंगवाने के लिए तैयार हुए हैं।’

इन वचनों का उस पर ऐसा असर हुआ कि उसने अपने हाथ की क्लाठी पीछे फेंक दी और कहा—‘लो, अब तो हम जिम्मेदार नहीं।’

इरने ही में स्वयं-सेवकों ने घेरा तोड़ दिया। आवाज आई—‘नमक कानून तोड़ दिया।’

\* \* \* \*

१९३० का स्वतन्त्रता-दिवस अजमेर में मनाना था। बाबाजी नगर कांग्रेस के व मैं प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का प्रधान मन्त्री था। सफलता-पूर्वक उत्सव मनाने की जिम्मेदारी प्रधानतः हम दोनों पर ही थी। चुनाव में हमारे विरोधी दल को मुसलमानों का पूरा समर्थन व बल प्राप्त था। अन्त को जब कमेटी हमारी बनी तो स्वतन्त्रता-दिवस को मनाने में कठिनाइयां पैदा की जाने लगीं। खबरे आने लगीं कि यदि अजमेर में उत्सव मनाया गया तो हिन्दू-मुस्लिम दङ्गा हो जायगा। हम लोगों ने दृढ़ता से तैयारियां जारी रखीं। कुछ तो आये दिन की घमकियों के हम लोग आदी ही होगए थे; व कुछ तजरुबा भी कर लेना चाहते थे; कर्तव्य का तकाजा तो था ही। २६ जनवरी को सुबह से ही तरह-तरह की अफवाहें आने लगीं। एक तरफ से जुलूस न निकालने की, व दूसरी तरफ से जरूर निकालने की सलाहें मिलने लगीं। यह निश्चित खबर आई कि जुलूस जहां दरगाह बाजार में पहुंचा नहीं कि इन्द्रकोट वालों

की तरफ से कुछ बखेड़ा जल्द पैदा होगा। मुलिस व मैजिस्ट्रेट उस स्थान पर लैस लड़े थे। उधर से पत्थर या लाठी चली नहीं, और इधर फायर का आर्डर हुआ नहीं। हमारी तरफ से इस बात का पूरा प्रबन्ध किया गया था कि किसी भी तरह से हिंसा या प्रतिहिंसा न होने दी जाय।

जुलूस के चार्ज में वैसे एक दूसरे सज्जन थे। जब जुलूस दरगाह बाजार पहुंचा तो उन्होंने मुझे सुकाया 'उपाध्यायजी' आप जुलूस के अगले हिस्से को संभालिए मैं पिछले हिस्से को देखूँगा।' उन्होंने मैं फौरन आगे लपका। इन्द्रकोट की तरफ से जो रास्ता दरगाह शरीफ के पास आकर मिलता है, वहां मुसलमानों का बड़ा ठहु़ जमा हुआ था। उसी तरफ से खुराकात होने का अन्देशा था। पं० जियालालजी भी जुलूस में थे। हम दोनों बाहें फैलाकर इन्द्रकोट के रास्ते को रोक कर खड़े हो गए व जुलूस गुजरने लगा। मेरा दिल तो धड़कने लगा था कि अब पत्थर बरसे, लाठियां चली, व गोलाबारी हुई। परन्तु जब मैं कोई बात ठान लेता हूँ तो किसी भी संकट या खतरे को परवाह नहीं करता। जुलूस अच्छी तरह निकल गया, तब हम दोनों ने उस रास्ते को छोड़ा। उस दिन पं० जियालालजी की बहादुरी व निर्भयता का मुझे प्रथम परिचय हुआ। अंत को दंगे की अफवाह कोरी धमकी ही साचित हुई।

१७ :

## ‘मालव-भयूर’ व ‘नवजीवन’

अहिंसावादी पक्की लगत व धुन का होता है। इसके अभाव में न तो उसकी अहिंसा की परीक्षा हो हो सकती है, न प्रगति ही। जो व्यक्ति कामों व निश्चयों को बीच-बीच में छोड़ देता है, वह अहिंसा की साधना में कैसे सफल हो सकता है? अहिंसा का अर्थ है सामने चाले के हृदय को जीत लेना। उसकी भावनाओं में परिवर्तन ला देना। उसके बुरे भावों को अच्छे भावों में बदल देना। यह काम बिना धुन, लगत व इद्ध निश्चय के नहीं हो सकता।

जब मैं ‘सरस्वती’ छोड़कर इन्दौर रहने गया तो यह निश्चय करके गया कि वहाँ से कोई पश्च-पत्रिका लिकालेंगे। १९१८ में गांधीजी के सभापतित्व में जो अपूर्व सफलता हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को मिली थी उससे मैंने यह मान लिया था कि इन्दौर में रहकर साहित्य-सेवा का काम बड़े मजे में किया जा सकता है। यह चेत्र तैयार है, और मध्य भारत हिंदी-साहित्य-समिति के द्वारा अपना काम शुरू करने का मैंने विचार किया। उस समय स्व० डाक्टर सरथूप्रसादजी समिति के कर्ता-धर्ता थे। समिति के द्वारा साहित्य-सेवा और साहित्य-प्रचार की योजना भी मैंने पेश की थी। परन्तु मेरा और डाक्टर साहब का दृष्टि-विन्दु ढकराता था। वे दुःखी थे। समिति के तो प्राण ही थे। सुके भी बहुत चाहते थे। परन्तु मेरा दृष्टि-विन्दु राधीय था जब कि उनके लिए वहाँ के तलातीन दुधे हुए वातावरण से ऊपर उठना असंभव था। वे खुद

एक बड़े सरकारी पद पर थे, समिति के संस्थकों व सहायकों में भी ऐसे ही धनी-मानी, राजा-रहस्य लोग थे, जिनसे राष्ट्रीयता सौ-सौ कोस दूर भागती थी। मैं समिति को मालवा की जागृति का केन्द्र बनाना चाहता था। थोड़े मे ही मैंने देख लिया कि समिति के द्वारा यह यत्न अर्थ है। तब मैंने स्वतन्त्र रूप से 'मालव-भूर' नामक एक मासिक पत्र निकालने का आयोजन किया। इधर भाई जीतमलजी लूणिया ने और मैंने मिलकर 'मध्य-भारत-हिन्दी-पुस्तक एजेन्सी' नामक एक संस्था कायम की, जिसके द्वारा साहित्य-निर्माण और साहित्य-प्रचार दोनों का बीड़ा उठाया।

इस समय की एक दो हृदय-स्पर्शी घटनाएं मुझे याद आ रही हैं। जिन्होंने हम दोनों को सदा के लिए परस्पर स्नेह-पाश में बांध लिया। पुस्तक पुजेन्सी में जीतमलजी रूपये लगाने वाले थे और भेरे द्वारा कुछ रूपये की पुस्तकों के फिट पर मंगाना और कुछ रूपया नकद देना तक हुआ था। जीतमलजी तो व्यावहारिक आदमी हैं। मैं था हवा में उड़ने वाला। उन्होंने तबीज रखी कि एजेन्सी के सिलसिले में आपको हमारी लिखा-पढ़ी हो जाय। व्यवहार-हड्डि से उसका सुझाव बहुत उचित था; परन्तु मुझे खटका। मैंने कहा, 'इसका अर्थ तो यह हुआ कि आगे-पीछे हम दो मे से कोई एक बैर्डमानी करने वाला है। मैं तो यह चाहता हूँ कि आपका हमारा इतना साफ-सुधरा सम्बन्ध रहे कि हम तो ठीक, हमारी अगली पीढ़ी में भी कोई खराबी और अविश्वास पैदा न हो। मुझे आपसे कोई लिखा-पढ़ी नहीं करानी है। क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप बैर्डमान नहीं हैं और अगर आपने बैर्डमानी की भी तो मैं उसकी शिकायत कभी नहीं करूँगा।' फिर भी आपको यह जरूरी लगता हो तो आप मझमून बनाकर ले आहए, मैं दस्तखत कर दूँगा।' मुझे जहाँ तक याद, है, हमारी उनकी कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई और हमारा प्रेम-सम्बन्ध अब तक ज्यों-का-त्यों कायम है और मुझे विश्वास है कि कम-से-कम एक पीढ़ी आगे तक दोनों परिवारों में ऐसा ही सम्बन्ध

बना रहेगा। मेरी अब भी यही राय है कि मनुष्य को लिखा-पढ़ी की बनिस्वत् अपनी दी हुई ज्ञान का ज्यादा मूल्य समझना चाहिए। हृदय की सचाई एक हृश्वरीय बल और तेज है जब कि क्रांतिकारी लिखा-पढ़ी हुक्मनदारी है।

अपनी पारिवारिक कठिनाइयों के कारण मैं अपने हिस्से का रूपया समय पर न दे सका। चिना अधिक रूपया लगाये एजेन्सी का काम बड़ नहीं सकता था। सामें की वस्तु होने से और मेरे पास रूपये न होने से जीतमलजी को अधिक रूपया लगाने में पशोपेश होता था। इस उत्तराफन को भाँपकर मैंने जीतमलजी से प्रस्ताव किया, ‘एजेन्सी के मालिक आप बन जाइए, मेरा सामा उसमे से निकाल दीजिए और जो किताबें मेरी ‘क्रेडिट’ पर आर्ह हैं उनकी पूँजी को एक मिन्न की दूसरे मिन्न को भेट या सहायता समझ लीजिए। मैं एजेन्सी से कोई लाभ उठाना नहीं चाहता।’ जीतमलजी मालिक तो होगए; पर मुझे याद आता है कि साल के अन्त में उन्होंने मुनाके की कुछ रकम मुझे दी थी। उनके सौजन्य का मुझ पर असर हुआ।

एक बार मुझे कोई ५००) रूपयों की ज़ारूरत पड़ गई। मुझे कुछ चिन्तित देख जीतमलजी ने खुद ही कहा, ‘इस समय मेरे पास नकद रूपया तो नहीं है, जेवर है, आपको दिये देता हूँ; आप रहन रखकर रूपया ले लीजिए। इसमे किसी प्रकार संकोच न करें।’ उनकी इस प्रकृति सहानुभूति से मेरा हृदय भर आया। मैंने कहा, ‘नहीं, ऐसी कुछ कठिनाई नहीं है जिसके लिए जेवर पर निगाह ढालनी पड़े।’ मेरे लिए तो आपकी यह भावना ही बहुत है—बहुमूल्य है। सदा यह ऐसी ही बही रहे, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए।’ भावना ही असल चीज है उसका प्रकटीकरण तो दुनियादारी की चीज़ है। दुनिया के सम्बन्ध उसके व्यावहारिक रूप पर चलते हैं, और उसके अभाव में लोगों को भाव-नाएँ बेमानी भालूम होती है। मैंने अपने लिए यह व्यवहार-नियम बना रखा है—दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को सदैव क्रियात्मक रूप देते

रहना चाहिए; अपने प्रति केवल उनकी सम्भावनाओं पर ही तृप्ति अनुभव करनी चाहिए। मुझे इसके अमल से जो संतोष व समाधान प्राप्त होता है वह अवर्णनीय है।

‘मालव-भयूर’ के पहले अंक का मसाला लेकर छपाने के लिए मैं बना-रस गया कि इधर इन्दौर के उत्कालीन चीफ-मिनिस्टर ने आर्डर भेजा कि विना पहले से इजाजत लिये ‘मालव-भयूर’ इन्दौर से प्रकाशित न किया जाय। इन्दौर में तब कोई ऐसा कानून नहीं था जिससे पहले भंजूरी लेना लाजिमी हो। मैंने तुरन्त इजाजत के लिए दरखास्त दे दी। मैं जानता था कि वह तो कभी नहीं मिलने वाली है।

देशी-राज्य से निराश होकर मैंने खण्डवा से एक सासाहिक पत्र निकालने का और मालवा के देशी राज्यों में जागृति पैदा करने का निरचय किया। मेरे अभिनन्दन-हृदय भिन्न श्री वैजनाथ महोदय तब इन्दौर में बी० ए० में पढ़ रहे थे। उन्होंने भी सहयोग का वचन दिया। सौभाग्य से इन्हीं दिनों महात्माजी ने कांग्रेजी में ‘यंग इण्डिया’ व गुजराती में ‘नवजीवन’ निकालना शुरू किया था। मुझे सूक्ष्म कि एक ऐसा सासाहिक खण्डवा से निकाला जाय जिसमें लेख टिप्पणी तो ‘यंग इण्डिया’ व ‘नवजीवन’ के लिये जायं व समाचार, संचादपत्र आदि हम लोग स्वतंत्र रूप से ले लिया करें; जिससे महात्माजी के पत्रों का अनुवाद-उनके दिव्य-सन्देश भी लोगों को मिल जाया करें व मालवा में जागृति करने का अपना उद्देश्य भी सफल हो।

खण्डवा से यदि पत्र निकालना हो तो, मैंने सोचा किसी धनी-मानी का सहारा आवश्यक है। उन दिनों भध्यप्रदेश में श्री जमनलालजी बजाज का नाम बहुत चमक रहा था। वे महात्माजी के भक्तों में गिने जाने लगे थे और कांग्रेस के उगते हुए सितारे थे। मैंने आचार्य द्विवेदी-जी से जमनलालजी के नाम परिचय-पत्र मांगा, उन्होंने अपेक्षा से भी अधिक अच्छा पत्र लिखकर भेज दिया। इन्हीं दिनों श्री चांदकरणजी शारदा, तिलक-स्वराज कोष एकत्र करने अजमेर से इन्दौर आये थे।

उन्होंने भी एक अच्छा परिचय-पत्र जमनालालजी के नाम दिया।

मैंने परमात्मा का नाम लेकर महात्माजी को पत्र लिखा। उन दिनों वे ‘प्रिन्स आफ वेल्स’ के स्वागत-बहिष्कार के सिलसिले में बम्बई ठहरे हुए थे और ए० आई० सी० सी० (महासमिति) की मीटिंग शीघ्र ही वहाँ होने वाली थी। मैंने उन्हें अपनी सारी योजना पत्र में लिख दी थी, इस कार्य-सम्बन्धी अपनी पात्रता की भी कुछ कल्पना दे दी थी व जमनालालजी के नाम मिले परिचय-पत्रों की नकल भी साथ भेज दी थी। तुरन्त उनका जवाब मिला—‘यदि सावरमती या वर्धा से पत्र निकालना चाहते हो तो श्री जमनालालजी से लिखा-पढ़ी करो। उनसे मेरी बातचीत हो गई है।’ मैं तो उच्छब पड़ा। रोटी मांगी और अमृत मिला। न जाने कितने जन्मों का, किन-किन पूर्वजों का यह पुण्य उदय हुआ जो सावरमती में पूज्य बापू के पास रहकर पत्र निकालने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने बैजनाथजी से सलाह की व तुरन्त बम्बई रवाना हो गया। पत्र-ब्यवहार की बिन-स्वत मैंने सुद ही जमनालालजी से मिल लेना पसन्द किया। पूज्य महात्माजी के दर्शन व चरणस्पर्श के हस्त सुअवसर को खोना अब मेरे लिए सम्भव नहीं रहा था।

मेरी इसी मुलाकात में ‘हिन्दी नवजीवन’ की नींव पड़ी व बाद मे, मेरे सावरमती रहते हुए ही, ‘मालव-भयूर’ भी काशी से निकला।

अहिंसा का अर्थ है दूसरे की भावनाओं, हुख-ददों का खयाल रखना, अपने स्वार्थ व सुख के लिए दूसरों को कष्ट व असुविधा में न डालना। इन्दौर में जब पुस्तक एजेंसी से मेरा साम्पा ढूट गया तब कुछ समय के लिए मैंने वहाँ के हिंदी फाइनल स्कूल में असिस्टेंट हेडमास्टर की जगह मंजूर कर ली थी। उस जगह पर हक तो एक दूसरे अध्यापक का था, परन्तु मेरी नियुक्ति ऊपर से हो जाने के कारण उनका हक मारा गया। साहित्यिक सेत्र में मेरा नाम तो था ही, अतः हेडमास्टर को भी चिन्ता हुई कि कहाँ जलदी ही यह मेरा पद न छीन ले। मुझे गन्ध लगते ही मैंने दोनों मित्रों को निश्चिन्त कर देने का निश्चय किया। मैंने महसूस

किया कि वास्तव में मेरे एकाएक ऊपर आजाने से उन अध्यापक की इकतलफी हुई है व हेडमास्टर साहब को भी अन्वेशा होना स्वाभाविक है। मैंने उन अध्यापक भाई को बताया कि किन मजबूरियों से मैं यहाँ आया हूँ और सो भी चन्द रोज के लिए। मुझसे उन्हें हर तरह सहायता ही मिलेगी। उनका ऊपरी होते हुए भी मैंने सदा उनके साथ आदर का व्यवहार किया व अपने को उनके प्रति नम्र अनुभव किया। हेडमास्टर साहब की तो हृतनी तरह-तरह से मैंने सहायता की कि वे मेरे आत्मीय मित्र के रूप में मुझे मिल गए व जब तक जिन्दा रहे मेरा 'गार्डियन' अपने को मानते रहे। उनके मरने का मुझे भी हृतना सदमा रहा कि कई दिनों तक हन्दौर जाने का मन ही न हुआ। जब कभी उन दिनों का खयाल होता है तो अपने इस व्यवहार का मुझे सन्दोष ही होता है और इसे मैंने अपनी अहिंसा-वृत्ति का ही पृक चिह्न या प्रदर्शन समझा है। इसके भोठे फल का अनुभव तो मैंने इन दोनों मित्रों के स्नेहमय व्यवहार में सदा ही किया।

१८ :

## परीक्षा

बंबई की यह पहली यात्रा थी। बुखार आने से लग गया था। सो कुनैन का इन्जैक्शन लेकर रवाना हुआ। मणि-भवन में पहुंचा तो देवदास-भाई भिले। उन्होंने कहा—‘आपका खत सुन बापूजी ने पढ़ा है। उसर हिंदुस्तान वालों की लिखावट बड़ी खराब होती है। बापूजी से पढ़ी नहीं जाती। लेकिन आपका खत बड़ा अच्छा था, बापू पर अच्छा असर पड़ा है।’ जमनलालजी भी वही थे। बापू से थोड़ी-बहुत बातचीत हुई व उन्होंने मुझे जमनलालजी के हवाले कर दिया। मैंने वर्धा की बजाय सावरमती में रहकर पत्र निकालना भंजूर किया। जमनलालजी का झुकाव यों वर्धा की तरफ था; परन्तु ‘थंग-हिंदू’ व ‘नवजीवन’ के साथ ही ‘हिंदू-नवजीवन’ का अहमदाबाद से निकालना ही उन्हे सुविधाजनक प्रतीत हुआ।

जमनलालजी आदमियों के बडे कड़े परीक्षक थे। मैंने परिचय-पत्र उन्हे दे दिये। वैसे तो उन्हें मेरे इन-इन से संतोष हुआ; परन्तु अभी मेरी जांच-पड़ताल बाकी थी। मैं उहरा हुई-सुई तबियत का, वे थे भयझर स्पष्टवक्ता व कड़ाई-पसन्द। सवालों की झड़ी लगा दी—धर में कितने प्राणी हैं? खर्च कितना है? कहाँ-कहाँ काम किया है? वहाँ से काम लौटा क्यों? स्वास्थ्य खराब क्यों रहता है? कब से रहता है? इतना खोद-खोदकर पछ्ने लगे कि मैं मन में कुंभलाया—महात्माजी ने किस जल्दाद आदमी से मुझे मिला दिया है। मालूम होता है, इन्हे मेरी बातों

पर भरोसा ही नहीं हो रहा है, तभी तो इतने बारीक सवाल करते हैं। लेकिन मैं धीरज रखकर सब के जवाब देता चला गया। अन्त में उन्होंने पूछा—‘आपका स्वास्थ्य ऐसा झ़राव रहता है। द-१० प्राणियों के निर्वाह का बोझ आप पर है। इधर महात्माजी के कामों में पढ़ने से तो कभी भी जेल में जाना पड़ सकता है, इसका भी कुछ सोच लिया है?’

“महात्माजी को पत्र लिखने से पहले ही सोच लिया था। क्या इतनी मोटी बात भी न सोचता?”

‘तो क्या सोचा है? जेल चले गये तो धरवालों की गुजर कैसे होगी?’

‘कैसे होगी—जैसे भगवान् करावेगा कैसे होगी। जब तक मैं आजाद हूँ, जिन्दा हूँ और बीमारी से बिछौने पर पड़ नहीं गया हूँ तब तक मेरा धर्म है कि पहले घर वालों को ‘खिलाऊ’, फिर मैं ‘खाऊ’। जिस दिन मैं जेल चला गया, मर गया या बीमारी से बिछौने पर पड़ गया उस दिन उनका भगवान् मालिक। मेरे मर जाने पर जो उनका होगा वही जेल जाने पर होजायगा। कोई खैर-खबर लेने वाला न हुआ तो २२ जाल भिखर्मंगो में द-१० की संख्या और बढ़ जायगी। इससे अधिक क्या होगा? वह दिन मेरी सच्ची परीक्षा का होगा। जेल में यदि मैं सुनूँगा कि मेरे परिवार के लोग भीख मांग रहे हैं तो मैं इसे ‘स्वराज्य’ के लिए अपना सम्पूर्ण स्वाग समरकर हर्ष से फूला न समाऊँगा। इससे अधिक तो मैंने और कुछ नहीं सोचा है।’

जमनालालजी शायद ऐसे उत्तर के लिए तैयार न थे। वे बहुत प्रभावित हुए। सहानुभूति के स्वर में बोले—‘नहीं, आखिर जो देश के लिए कष्ट सहते हैं, उनके परिवार वालों की चिन्ता करने वाले लोग भी होते हैं। आपको कोई चिंता नहीं रखनी चाहिए। मैंने तो यह देखने के लिए यह प्रश्न किया था कि आपकी कितनी तैयारी है। आपके उत्तर से मुझे बहुत सन्तोष हुआ।’

इसी अवसर पर जमनालालजी की कड़ाई के एक-दो प्रसङ्ग और याद आ रहे हैं। मैं सत्याग्रहालय सारामती में सपरिवार रहने लगा था।

जमनालालजी ने भी अपने रहने के लिए एक अलग बंगला बनवाया। उनका स्थानाव ही था कि जिसे अपनाते सच्चे हृवय से अपनाते। 'हिन्दी नवजीवन' की अन्तिम जिम्मेदारी उन्हीं पर रखी गई थी, अतः मुझसे व मेरे परिवार से उन्होंने बड़ी अल्दी घनिष्ठता स्थापित कर ली। मैं सझोची हूँ—फलतू जान-पहचान बढ़ाने की आदत नहीं है। काम-काज के सिल-सिले में जितना परिचय हो जाय उतना ही काफी समझता हूँ। पर जमनालालजी का प्रेम आक्रामक था। इस घनिष्ठता के भरोसे मैं एक प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुँचा। धार (मालवा) मे पुक मालवीय भवन-बोर्डिङ हाउस था। उसके व्यवस्थापक बंबई में चन्दा करने गये हुए थे। वहां से उन्होंने मुझे लिखा कि यहां के लोग कहते हैं कि यदि जमनालालजी पहले चन्दा लिख दें तो यहां अच्छी रकम मिल सकती है। आप उनसे सहायता लिखवा क्यों तो हमारा काम आसान होजाय।'

मैंने मन में सोचा यह बहुत भासूली बात है। जमनालालजी अच्छे कामों में सहायता दिया ही करते हैं। मैंने इसी तरह सीधा प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। मुझे याद पहुता है, उस दिन देवदासभाई भी किसी काम से उनके पास गए था और हुए थे। जमनालालजी बोले—‘मैं बिना जान-पहचान के किसी को चन्दा नहीं देता।’ मेरे सिर पर मानो पत्थर गिर पड़ा। तो भी मैंने जबत करके कहा—

‘लेकिन मैं हम्हें जानता हूँ।’

‘आपने खुद इनका काम देखा है?’

‘हाँ, मैं खुद धार गया था—इनकी संस्था में भी हो आया हूँ।’

‘किंतु मेरे सन्तोष के लिए हतना काफी नहीं है। जब तक मैं खुद नहीं देख लेता तब तक मैं कहीं चन्दा या सहायता नहीं दिया करता।’

मैंने बड़ा साहस करके कहा—‘तो आप खुद न दीजिए, दूसरों से दिला दीजिए।’

‘वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस काम में मैं खुद न हूँ’ उसमे

दूसरों को देने की कैसे प्रेरणा कर सकता हूँ। यदि काम अच्छा है तो मुझे खुद क्यों न देना चाहिए ?'

'पर काम तो अच्छा है, मैं जानता हूँ।

'लेकिन मैंने तो नहीं देखा है !'

सारी बातचीत में काफी बेरुखी उन्होंने दिखाई है। मुझे बहुत बुरा लगा। उनके स्वभाव का यह पहलू मेरे लिए बिलकुल नया था। जीवन में किसी से कुछ सहायता मांगने या दिलाने का यह पहला ही अवसर भुजे था। मैं बड़े आत्म-विश्वास से उनके पास गया था। वह सब चूर-चूर होगया। देवदासमाई के सामने मैंने अपने को बहुत लज्जित व अप-मानित भी अनुभव किया। पछवाने लगा कि ऐसे बे-खेड़े आदमी के पास जाकर नाहक ही अपनी बात गंवाई। बड़ी बेवकूफी की। मेरे जी मेरी-सीम घटें तक उथल-पुथल मचती रही। अन्त को मैंने उन्हें एक खत लिखा, तब शांति हुई।

मैंने लिखा—“जीवन मेरे यह पहली बार मुझसे बेवकूफी हुई है,— आपके स्वभाव व तौर-तरीके से परिचित नहीं था, हसीसे यह जालती हुई। आप विश्वास रखें, जिन्दगी में अब आपके पास ऐसी खुष्टता नहीं करूँगा। इस बार जो आपको कष्ट दिया उसके लिए ज़मा चाहता हूँ।”

पत्र पाते ही वे मेरे घर दौड़े आये। तरह-तरह से मुझे समझाते वे ऐसे मामलों के अपने कहु अनुभव व ऊँच-नीच बताते रहे। तुमको 'अपना' समझता हूँ, इसीलिए इतनी बे-खड़ी से पेश आया। बापू के यहां भी कुछ ऐसी बातचीत हो गई थी, जिससे मेरा चित्त स्वस्थ नहीं था। दो घण्टे तक मुझसे व मेरी माताजी से बातचीत करते रहे व खुद ही माताजी से मेरे यहां भोजन करने का प्रस्ताव रख के अपने घर गये। चलकर भोजन करने का प्रस्ताव रख जाना—यह उनकी आत्मीयता की पराकाष्ठा थी। एक ही दिन मेरे उनके दो सिरे के परस्पर बिरुद्ध स्वभावों का यह परिचय मेरे लिए और भी कुत्हल का विषय था। इसमे उनकी महानता छिपी हुई थी। अहिंसा का यह पदार्थ-पाठ ही उन्होंने मुझे दिया।

उन्होंने शायद महसूस किया कि उनका व्यवहार मुझे बहुत नागरिक लगा। इसका कितना बहा परिशोधन ?

जपर से कठोरता और भीतर से सहृदयता का एक और संस्मरण यहाँ लिख देता हूँ। नागपुर-फण्डा-सत्याग्रह के समय की बात है। जमनालालजी उसके 'लीडर' की हैसियत से गिरफ्तार हो चुके थे। फण्डा-सत्याग्रह को बल देने के लिए ए० आई० सी० सी० (महासभिति) की मीटिंग नागपुर में हुई थी। उस समय अजमेर-भांत की ओर से मैं उसका सदस्य था और उसमें जाने की बड़ी उत्सुकता थी। पर खर्च कहाँ से लाने ? जो वेतन मैं लेता था वह घर-खर्च पुरता था। उसमें लम्बे सफर की गुंजायश नहीं निकल सकती थी। मैंने सोचा कि आगे-पीछे जमनालालजी से कुछ व्यवस्था कर लेंगे, अभी तो दफ्तर से पेशगी ले लो। जमनालालजी से नागपुर जैल में भिजा तो उन्होंने प्रश्न किया—यहाँ तक आने के खर्च का क्या इन्तजाम किया ? मैंने सरल भाव से कह दिया—‘अभी तो दफ्तर से पेशगी ले आया हूँ, यहीं सोचा था कि आगे पीछे आपसे प्रबन्ध करा लूँगा।’

उन्हें मेरी यह पद्धति ठीक न मालूम हुई। जरा झल्लाकर बोले—‘आपने जब पहले मुझसे पूछ नहीं लिया है तो इस तरह मेरे भरोसे पेशगी लेना उचित न थो। आप ही कहिये, यह वाजिब हुआ ?’

यह दूसरा बड़ा-भाहर मुझ पर हुआ। मैं शरम से बिज़कुल गड़ गया। मन में सोचा, नाहक ही इनसे हृतनी आशा की, जो हृतनी बात सुनने की नौबत आई। परन्तु उनका पुतराज ठीक था; अतः कहा—

‘वाजिब सो नहीं था, पर आप इसकी चिन्ता न करें, मैं कोई-न-कोई दूसरा प्रबन्ध कर लूँगा।’

वे कुछ बोले नहीं। मैं चला आया। मेरे बाद ही स्वामी आनन्द उनसे भिजे। वे जबलीबन-संस्था के जनरल मैनेजर थे। जब भहीना अस्तीर हुआ व वेतन का समय आया सो स्वामीजी ने मुझे वेतन के पूरे लप्ये दिये। मैंने पेशगी रकम कटाने का सवाल पेश किया तो बोले—मुझे

नागपुर जेल मे जमनालालजी ने नोट करा दिया था कि वह रक्म उनके नामे भाँड़ दी जाय। मैंने कहा—इसकी जरूरत नहीं है, आप इसमें से काट लीजिए। उन्होंने कहा—जमनालालजी की हिंदूयत के खिलाफ मैं नहीं जा सकता। मेरा हृदय जमनालालजी की उच्च हृदयता के सामने झुक गया। उन्होंने मुझे नसीहत भी की, फिर सहारा भी दिया। वे कोरे उपदेशक न थे।

एक और प्रसङ्ग भी लिख दूँ। ग्वालियर राज्य के भूतपूर्व होम मेम्बर (स्वर्गीय) खाशेराव पवार ने मुझे जल्दी में बुलाया। जब वे देवास (छोटी पांती) के प्रधान मन्त्री थे तभी (१९१४-१५ ईसवी) सरवटे<sup>१</sup> साहब ने उनसे मेरा परिचय करा दिया था। मैं खर्च के लिए दफ्तर से पेशगी लेकर चला गया—खाशेराल तो यही किया था कि खाशेराल खर्च की व्यवस्था करेंगे। वे चाहते थे कि पूना मे शिवाजी महाराज या शायद माथव महाराज (ग्वालियर के भूतपूर्व महाराजा) के पुत्रले का अनावरण महात्माजी के हाथों हो और उसमें वे मेरी सहायता चाहते थे। बातचीत के उपरान्त मैं सावरमती लौटा तो प्रसङ्ग से जमनालालजी ने पूछा—कहां गये थे? मैंने किस्सा सुना दिया। बोले—खर्च का क्या इन्तजाम किया था।

मैंने फेपवे हुए कहा—‘सोचा था कि वे दे देंगे; पर उन्होंने इस विषय में कुछ पूछा ही नहीं। सम्भव है, बहुत छोटी बात समझ कर उन्होंने कुछ ध्यान न दिया हो। मुझे भी खुद कहने में सङ्कोच हुआ।’

‘मुझे ऐसी ही आशङ्का थी, इसलिए मैंने यह चर्चा चलाई। जो बुलाता है उसका फर्ज है कि वह खर्चे का इन्तजाम करे। लेकिन लोग अक्सर अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं समझते। आप सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। फिर खर्च पुराता ही बेतन लेते हैं। आप जैसों को क्यों सङ्कोच करना चाहिए? या तो पहले ही खर्च मंगा लेना चाहिए, या तय करा लेना चाहिए अथवा बाद में भी मांग लेने में क्यों मिलकरना चाहिए?’

१. इन्दौर के प्रासिद्ध विद्वान् नेता श्री विनायक सीताराम सरवटे।

‘पहली दो बारें तो ठीक हैं; पर पिछली तो मुझसे हस जन्म में नहीं हो सकती।’

अब भी जब कभी मैं विचार करता हूँ तो बुद्धि तो यही जवाब देती है कि सार्वजनिक सेवक को अपनी आवश्यकता भर मांग लेने में सङ्कोच या खिलक न होनी चाहिए। खिलक या लज्जा का कारण उनके अन्दर रहा सूखम अहङ्कार ही मालूम होता है। स्वाभिमान व अहङ्कार में बड़ी सूखम विभाजक रेखा है। सामने चाला जब हमसे अनुचित व्यवहार करता या कराना चाहता हो तब जो विरोध का भाव मन में पैदा होता है वह स्वाभिमान है; अपनी खुशी से उपयोगी व धर्म समझकर जो व्यवहार किया जाता है उसमें यदि लज्जा या अपमान का अनुभव हो तो वह अहङ्कार का चिह्न है।

## : १६ :

### जब्त के अवसर

अहिंसा के मानी हैं चतुर्मुखी संयम। अब तक जो अहिंसा की धारा शायद पूर्वार्जित संस्कारों के बल पर मेरे अन्दर वह रही थी वह अब महात्माजी के चरणों में पहुंच जाने के बाद त्रुदिशुल्क होने लगी। मुझे भीतर से पेसा लगने लगा कि अपनी 'तुनक-मिज्जाजी' कम होनी चाहिए। 'सरस्वती' छोड़ी, 'प्रताप' छोड़ा—अब 'नवजीवन' छोड़ने की बारी न आनी चाहिए। महात्माजी के पास पहुंचकर जो 'हिन्दी नवजीवन' निकालने का अवसर आया उसे मैंने ईश्वर के द्वारा प्रकारान्तर से अपनी उन भावनाओं की पूर्ति ही समझा जो विद्यार्थी-जीवन में 'केसरी' जैसा पन्न हिंदी में निकालने के बारे में मेरे मन में उदय होती रहती थीं। इससे पहले कभी स्वप्न में भी यह ख्याल न हुआ था कि महात्माजी की छत्र-छाया में रहने का कभी सौभाग्य मिल सकता है। सावरमती पहुंचने के शायद १-२ भाँति पहले ही इन्दौर में बैजनाथजी व मेरे एक भाई से बातचीत होते हुए मेरे मुँह से ये उद्गार निकल पड़े थे—'यदि आप लोगों का यह ख्याल सही है कि इन्दौर में मेरे दिन ज्यर्थ जारहे हैं, मेरे लायक यहाँ का बातावरण नहीं है, तो मुझे अवश्य ही कोई अनुशूल श्रव-सर व बातावरण मिले बिना न रहना चाहिए।' इतने शीघ्र ही पेसा सुअवसर मिलने से मुझे उसमें प्रत्यक्ष ईश्वर का हाथ दिखाई देता था। ये सब भावनाएं व कारण मिलकर मेरे लिए वे सीमाएं निर्धारित कर रही थीं जिनमें मेरा छुइ-मुईपन अपने आप नियंत्रण में आने लगा। इस

सिलसिले में मैंने तीन निश्चय किये—(१) अपने डपरी लोगों को शिकायत का कोई अवसर न देना चाहिए। (२) अपनी सुख-सुविधा के लिए किसी से कुछ न कहना चाहिए व सुनक-मिजाजी में ‘हिन्दी नवजीवन’ छोड़कर कहीं न जाना चाहिए।

स्वामी आनन्द खुद भूत की तरह काम करने वाले आदमी थे। वह बाल-ब्रह्मचारी गायत्री पुराश्रण किये हुए, एक तेजस्वी ब्राह्मण हैं। उन्होंने जब कोई आज्ञा किसी को दी तो उसका पालन होना ही चाहिए। कार्य-तत्पर व कार्द-दल येसे कि मिनटों में महल सहे कर दें व तेज मिजाज भी ऐसे कि मिनटों में उसे दहा भी दें। खुद महामाजी भी इसमें उनकी दाढ़ देते थे। उन्हींके मात्रहत मुझे काम करना था। हिंदी सम्पादकीय विभाग से यथापि उनका सम्बन्ध न था, तो भी सारी ‘नवजीवन-संस्था’ के वे सर्वेसर्वां बने हुए थे। हिंदी टाइप का अहमदाबाद में चलन नहीं के बराबर होने से ‘हिंदी-नवजीवन’ के शुरू के अङ्कों को निकालने में बड़ी बाधाएं पेश आतीं। कई प्रेसों में कम्पोज कराया जाता, फिर एक जगह फार्म मंगाकर छापा जाता। हिंदी टाइप का आर्डर बनवाई दे दिया गया था, मगर वहां से बड़ी सुस्ती हो रही थी। अतः स्वामीजी का हुआ—आप तीन दिन तक अहमदाबाद में रहकर ‘हिंदी नवजीवन’ निकालिए व तीन दिन तक बनवाई में रहकर नया टाइप बलवाकर जल्दी भिजावाइए। मेरा खयाल है कोई एक महीने तक इस तरह दिन-रात दौड़-धूप लगी रहती। गुजराती कम्पोजीटर हिंदी का बड़ा शालव कम्पोज करते। मेरी लिखावट उनके पढ़ने में नहीं आती थी। स्वामीजी का आर्डर हुआ कि एक स्लिप में सात सतरें, एक सतर में पांच-छः शब्द साफ-साफ अलग-अलग लिखा कीजिए। फिर भी शुरू में प्रूफ संशोधन करते-करते मेरी नाकों दम आजाता। ‘प्रीपर’ के दिन तो दिन-रात ही जागना पड़ता। फिर मेरा स्वास्थ्य तो खराब रहता ही था। मगर मैं न हारने का प्रयत्न कर चुका था। पहला अङ्क निकलते ही स्वामीजी से टक्कर होने का अवसर आगया।

‘हिंदी नवजीवन’ के निकलते ही बम्बई में गुजराती, ‘नवजीवन’ की मांग कम हो गई। तब स्वामीजी ने हुक्म निकाल दिया कि बम्बई में ‘हिंदी नवजीवन’ की फुटकर विक्री नहीं होगी, जो ग्राहक थन जायेंगे उन्हें डाक से भेजा जायगा। गुजराती ‘नवजीवन’ के खातिर इस तरह ‘हिंदी नवजीवन’ का प्रचार रोक देना बहुतों को अखरा। जमनालालजी को भी यह अनुचित प्रतीत हुआ। स्वामीजी को समझाया, पर उन्होंने अपना आईर नहीं बदला। मेरा विचार हुआ वापूजी से इसका फैसला कराना चाहिए। मैं बाटू के पास गया तो वहां पहले से ही एक सज्जन स्वामीजी की शिकायत लिये चैठे थे—‘जब मैं पहुँचा तो बापू के ये शब्द मेरे कानों में पड़े, मैं जानता हूँ स्वामी बहुत तेज आदमी है, कभी-कभी ज्यादती भी कर जाता है, पर मेरे पास उसके जैसा दूसरा प्रबंधक नहीं, हुम छुद उसका काम संभाल लो या दूसरा आदमी लाओ तो मैं उसे दूसरे काम में लगा दूँ। सुझे भी उसकी कुछ बारें अच्छी नहीं लगतीं, पर सहन करता हूँ।’ यह सुनकर मैंने अपनी बात अपने मन में ही रख ली। मैं समझ गया, यही जबाब अपने को भी मिलने वाला है। अब स्वामीजी से लड़ने में कायदा नहीं, स्वामीजी का हृदय जीतकर ही उन्हें पटाया जा सकता है।

जो मनुष्य जैसी रुचि या स्वभाव का होता है उसे वैसे ही काम व वैसे ही व्यक्ति पसन्द आते हैं। मिहनती आदमी को काहिन्न से नफरत छोती है। आज्ञाधारी आज्ञापालन से खुश रहता है। तेज मिजाज आदमी अपनी आज्ञा की अवहेलना सहन नहीं कर सकते। स्वामीजी मिहनती भी ये व तेज मिजाज भी। मैंने निश्चय किया कि चाहे दिन-रात वक्त-वेवक्त कैसे ही काम क्यों न करला पड़े, कभी ‘नाहीं’ नहीं करेंगे। स्वामीजी की जैसी हिदायतें होंगी उनका आहरणः पालन कर देंगे। स्वामीजी जब दुलाते प्रेस आजाता; जैसी व जिस क्रम से कापी मांगते उसी तरह देता; जब उहाँ भेजते चला जाता; अपनी सुख-सुविधा का कभी कोई उच्च खदा नहीं करता। इसका परिणाम यह हुआ कि स्वामीजी मुक्तपर प्रसन्न ही नहीं रहने लगे, मेरा लिहाज भी रखने लगे। बम्बई में फुटकर विक्री न

होने देने सम्बन्धी अपना आईं तो उन्होंने नहीं बदला, पर अब 'हिंदी-नवजीवन' भी उनके लिए उतने ही ध्यान का विषय बन गया जितना कि गुजराती 'नवजीवन' था। कहीं बार 'हिंदी-नवजीवन' का व मेरा काम पहले कर देते। कभी देर होजाती या कुछ और गडबड होजाती तो स्नेह से निराह लेते। यहाँ तक कि आगे चलकर जब १९२५ में श्री जगन्नाथालजी व शंकरलालजी बैंकर ने मेरे राजस्थान में जाकर काम करने की स्वीकृति बापूजी से के ली तो स्वामीजी बापू से लड़—'क्या हरिभाऊ पर मेरा हक नहीं है। मेरी राय लिये बिना आपने कैसे उनके जाने का फैसला कर दिया? वे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते।' अन्त में बापू को अपना फैसला स्थगित कर देना पड़ा।

इस प्रकार स्वर्य-प्रेरित संथम के जो अवसर आये, उनसे मुझे यहा लाभ हुआ। 'हिन्दी-नवजीवन' के लिए बापू के 'यंग-हिंदू' व 'नवजीवन' के लेखों का जो अनुवाद करना पड़ता था, उससे सत्य, अहिंसा, खादी-सम्बन्धी बहुत भौजन मुझे मिलने लगा। हसी समय मेरी हुद्दि ने अहिंसा-धर्म सदा के लिए इश्वर कर लिया। यह प्रत्यक्ष जान पड़ा कि बापू कोई दृष्टा है, युग-पुरुष हैं। ज्यों-ज्यों अहिंसा का भर्म समझ में आता गया त्यों-त्यों 'तुनक-मिजाजी' अपने-आप दबती गई। बूसरों को अहिंसाभक पद्धति से जीतने के प्रयोगों में दिलचस्पी होने लगी। अहिंसा के उदय का फल यह निकलना चाहिए कि लोग हमसे मतभेद भले ही रखें, पर हमारे प्रति उनकी सद्भावना जरूर रहे व बदती रहे। हर दल व गिरोह में हमारी चाह हो व रहे। हरेक को हम 'अपना आदमी मालूम होते रहें।' मुझे हसका अनुभव एक घटना से हुआ।

आश्रम—सावरमती में उस समय तीन व्यक्ति प्रधान थे—स्वर्णीय मणनलालभाई गांधी, काकासाहब काजेलकर, स्वर्णीय महादेवभाई देसाई। मणनभाई आश्रम के व्यवस्थापक थे, काकासाहब राष्ट्रीय विद्यालय के आचार्य, व महादेवभाई बापू के दाहिने हाथ। कार्य-विभाग, रुचि-वैचित्र्य, स्वभाव-भेद से तीनों में बाज-बाज बातें पर मतभेद रहता था; मणनभाई

व काका साहब में इसकी मात्रा अधिक होजाती थी। मैं तीनों से सम्पर्क रखता था, तीनों को अपना 'गुरुजन' मानता था। बचपन से ही मुझे मेरे चाचाजी ने यह शिखा दी थी कि 'दो शत्रुओं में सदा भेज करने का यत्न करना चाहिए—कम-से-कम मित्रों में फूट डालने की जिम्मेदारी तो अपने ऊपर हरणिज न लेनी चाहिए।' मैं यहाँ सदैव एक तरफ की वही बात दूसरी तरफ कहता था जिससे आपस में स्नेह व सौहाहर्द<sup>१</sup> बढ़े। एक दूसरे के गुणों व सदूभावनाओं की ही चर्चा एक-दूसरे से करता। एक की की हुई आलोचना नहीं, बल्कि प्रशंसा दूसरे तक पहुंचाता। अतः ये तीनों मुखिया मुझे अपना स्नेह-पात्र समझते थे। जब जमनालालजी ने हन तीनों से अलग-अलग यह पूछा कि आश्रम में कौन व्यक्ति ऐसा है जो बाषु के सिद्धान्तों को समझता है, व जिसे राजस्थान में काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है तो मगनभाई ने मेरा नाम सुनाया, काकासाहब ने भी मेरा हो समर्थन किया, महादेवभाई ने कहा—'आदमी तो एक हरिभाऊ ही यहाँ ऐसा है, पर मैं नहीं समझता कि उसका स्थान आश्रम को छोड़कर कहीं अन्यत्र है।' खुद श्री जमनालालजी ने ही किसी अवसर पर मुझे यह बात कही थी। जब तीनों ओर से समर्थन प्राप्त हुआ तब मेरा नाम बाषु के सामने रखा गया, लेकिन अन्त में स्वामीजी ने उस फैसले को उस समय तो रद्द करा दिया।

१०

## सिपाही की स्प्रिट

अब मैं अपने को अहिंसाधमक-सेना का एक सिपाही मानने लगा। जिन दिनों 'हिंदी-नवजीवन' निकला, युवराज के स्वागत-बहिष्कार का आनंदोलन चल रहा था। उस सिलसिले में किमिनत का अमेंडमेंट एकट को तोड़ने की बारी आगई थी। मैंने भी स्वर्य-सेवकों के दल में अपना नाम लिखाना चाहा। पूज्य बापू से पूछा तो उन्होंने कहा—'तुम्हें 'हिंदी-नवजीवन' का काम करते-करते ही पकड़ा जाना है। सिपाही का काम अपनी ढाई-चौथी पर जमा रहना है।' उनका अन्तिम ध्वनि सदा के लिए मेरे हृदय पर अङ्कित होता।

जब 'हिंदी-नवजीवन' की लिम्बेदारी लेकर मैं बापू के पास रहने लगा तो मैंने उनके प्रति अपना यह व्यवहार निश्चित किया—बापू का कम-से-कम समय लेना, उनको अधिक-से-अधिक निश्चिन्त करना, काम इस तरह करना कि अपने कारण बापू को कहीं से उल्लहना न मिले, न खुद बापू को उल्लहना देना पड़े। तदनुसार बम्बई में बापू के प्रथम दर्शन के बाद, जहाँ तक मुझे याद पह़ता है, 'हिंदी-नवजीवन' का पहला अङ्क लेकर ही अर्थात् कोई दो-ढाई मास के बाद मैं बापू से मिला था। जब कि बड़ा-से-बड़ा आदमी भी बापू से दो मिनट मिलना अपना अद्वेभाग्य समझता था, तब इतने निकट रहते हुए इतने बड़े प्रलोभन को रोकने में मुझे अपने साथ बहुत लड़ना पड़ता था। परन्तु हर बार 'सिपाही की स्प्रिट' की जीत होती थी।

जब 'हिंदी-नवजीवन' का पहला अङ्क निकला तो उसे लेकर मैं महात्माजी के पास गया व कहा—'यह आपकी पसंद के माफिक निकला है या नहीं, यह जानने आया हूँ।' 'अच्छा, रख जाओ, देखकर बता-ऊँगा।' दूसरा अङ्क निकलने पर उसे लेकर फिर मैं गया—'यह दूसरा अङ्क निकल गया। पहला आपने देख लिया होगा। आप कुछ बतावें तो—' उन्होंने हँसकर कहा—'लेकिन मैं तो अभी तक पहला अङ्क भी नहीं देख पाया हूँ। अब तो मुझे शायद ही समय मिले। लेकिन तुम अपना काम उत्साह से करते रहो। जब कभी कोई बात मुझे सूझेगी तो बता दूँगा, या कोई शिकायत आवेगी तब कहूँगा। तब तक तुम ऐसा ही समझो कि तुम्हारा काम मुझे पसन्द है।'

इस उत्तर से मुझे कोई सहायता तो नहीं मिली, इतना समझ लिया कि बापू को काम बहुत है। हम भी इनको क्यों व्यर्थ कष्ट दें। इसके बाद उनसे मैंने 'हिंदी-नवजीवन' के विषय में कोई बात नहीं पूछा। कोई ६-७ महीने के बाद ही वे गिरफ्तार होकर साबरमती जेल पहुँच गये। तब एक दिन जमनालालजी ने मुझसे कहा—'जेल में बापू ने सुन चलाकर तुम्हारे लिए पूछा व कहा कि अच्छा शुद्ध आदमी है। उसकी या उसके काम की अवतरक कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई।'

मेरा मन हुआ कि जेल में जाकर आपूजी के 'दर्शन करूँ', लेकिन दो भावों ने रोक दिया। एक तो यह कि ऐसे महापुरुष को एक बन्दी के रूप में देखने में कौन-सा गौरव है? जो संसार की सब पीडित जातियों के उद्धार के लिए आया है, उसे ब्रिटिश सरकार के जेलखाने में देखना अपनी पामरता को ही अधिक अलुभव करना है। दूसरे यह कि मेरा कोई काम तो ऐसा है नहीं जो उनसे मिले या पूछे बिना अटक रहा हो। अतः सिपाही को तो अपनी ढांगी पर ही जमे रहना उचित है।

शुक्रवार की रात को वे गिरफ्तार हुए व शनिवार को अदालत में उनकी पहली पेशी हुई। शनिवार 'हिंदी-नवजीवन' का 'पेपर है' था। मेरा जी लक्जर्चाया कि अदालत में मुकदमा सुनने जाऊँ। पर याद

आता—‘सिपाही को तो अपनी छ्यूटी पर ही जमे रहना चाहिए।’ फिर मन को समझाया—‘आज तो मुकदमा स्वतंत्र होगा नहीं। अगली पेशी पर चलेंगे।’ इत्तकाक से दूसरी व आखिरी पेशी भी शनिवार को पड़ी। वही मेरा ‘पेपर डे’। किसी ने, शायद स्वामीजी ने, कहा था कि देख आओ, पेपर एक दिन लेट कर दो। सारे हिंदुस्तान से बड़े-बड़े लोग आये हैं मुकदमा ऐतिहासिक महात्मा रखता है, बापू का वक्तव्य अपने ही ढंग का होगा—परन्तु मुझे छ्यूटी छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा। इतना बड़ा सौभाग्य मुझे छोड़ना पड़ा, इसका रज़िया होने के बजाय उल्टा ‘अपनी छ्यूटी में लगा रहा’ इस बात का सन्तोष ही अवतरक मुझे है। अहिंसा-स्मृक सेना में तो कहे अनुशासन की और भी आवश्यकता है। जब मैं स्वयं-सेवकों को केवल अधिवेशन देख लेने, बड़े नेताओं के सम्पर्क में आजाने, या अपनी छ्यूटी छोड़कर जलसा देखने के लिए आ जुटने के दृश्य देखता हूँ तो अपने सैनिक अनुशासन की कमी व इसलिए स्वराज्य-प्राप्ति में होने वाली देरी का मर्म आंखों के सामने आ जाता है। अहिंसक सिपाही भारता नहीं, खुद मरता है; दूसरे को कष्ट नहीं देता, खुद कष्ट उठाता है; दूसरे का द्वेष-द्वेष नहीं करता, दूसरे भले ही उसका द्वेष-द्वेष करते रहें; पर काम तो उसे भी एक अनुशासन में रहकर ही करना पड़ता है। यदि ऊपरियों की आज्ञा मानने व पालने, अपनी छ्यूटी पर रहते हुए बड़े-से-बड़े प्रश्नोंमनों को हुकरा देने, खुशी-खुशी नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति स्वयंसेवकों में न हो तो वे कदापि अहिंसक युद्ध में—सत्याग्रह में नहीं जीत सकते। एक सत्याग्रही को अपनी सारी लडाई अकेले भी, व संगठित रूप में भी चलानी पड़ती है। अकेले की लडाई तो मुख्यतः उसके गुण-बल, तपेबल से चलेगी; परन्तु सामूहिक लडाई बिना सङ्गठन व अनुशासन के कदापि नहीं लड़ी जा सकती। अकेले की लडाई में भी उसे आत्म-संयम, आत्मानुशासन की बहुत आवश्यकता रहेगी। उसके शरीर के सब अंग-ग्रन्तियाँ, मन की विविध भावनाएँ, व बुद्धि के समग्र विचार जबतक एक ताल-सुर में काम न करने

लगेंगे तबतक वह अकेको भी सच्चा सैनिक नहीं बन सकता। उसके रान, मन, आत्मा की सारी शक्ति सामने वालों का प्रतिकार करने में नहीं लग सकती। अतः क्या व्यक्तिगत व क्या सामूहिक दोनों प्रकार के संग्रामों में संगठन व अनुशासन उसी प्रकार अनिवार्य हैं, जिस प्रकार शरीर को कायम रखने के लिए केफ़दों में शुद्ध हवा का आना व जाना जरूरी है।

महात्माजी की गिरफ्तारी न सजा के बाद 'हिन्दी-नवजीवन' के सम्पादकत्व का सचाल ठड़ा। जमनालालजी ने सलाह दी कि 'सम्पादक के स्थान पर वैज्ञानिकी का नाम दे दो; तुम्हारे पीछे बढ़ा कुटुम्ब है, तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहता है, सम्पादक में नाम जाने से किसी भी समय जेल जाने की नौबत आ सकती है।' मुझे उनके प्रस्ताव पर तो आपत्ति नहीं थी, पर दक्षीखें नहीं जाऊँ। मैंने कहा—'यदि नाम देने में कोई बड़ाई या प्रसिद्धि का सचाल है तो शौक से वैज्ञानिकी का नाम दिया जाय। मैंने अभी तक कहीं भी अपने नाम का प्रचार नहीं चाहा है। लेख-कवितादि बनावटी 'मालव-मधूर' 'भारत-भक्त' आदि नामों से देता रहता हूँ। मेरा भत है कि मनुष्य को अपना नाम तब देना आहिष्ट, जब उसके कार्यों से लोग उसे जानने के लिए उत्सुक हो उठें। अतः नाम का सुने शौक नहीं है; परन्तु यदि नाम देने में खतरा है, जैसा कि आप बताते हैं कि जेल जाना होगा, तो हस गौरव का पहला अधिकारी मैं हूँ, मेरे जेल जाने के बाद महोदयजी का नाम दिया जायगा।' जमनालालजी को मेरी दलील ठीक मालूम हुई व 'हिन्दी-नवजीवन' के सम्पादक की जगह मेरा नाम जाने लगा।

मेरे भत में सिपाही वह है जो खतरे के सामने दौड़ा जावे। खतरे को निमन्त्रण देना भूखंता हो सकती है, पर सामने आये खतरे से मुँह मोड़ने वाला सिपाही हरगिज नहीं हो सकता। जो अपने को खतरे में ढाक सकता है वही दूसरे को खतरे से बचा सकता है। शुद्ध को खतरे में डालकर दूसरे को बचाना आहिंसा का ही एक रूप है।

: २१ :  
राजस्थान में

मेरे सावरमती आने के बाद जीतमलजी बनारस चले गये। वहाँ उनकी हच्छा हुई कि 'भालव-मयूर' निकाला जाय, व सुने लिखा कि आप सम्पादन-भार अद्यता कर लीजिए। मैंने तुरन्त 'हाँ' कर दी। एक पुराना संकल्प पूरा होने जारहा था। 'मयूर' छोटा था—पर पाठकों के हृदयों में नाचने लगा—ऐसा कहूँ तो अस्युक्ति न होगी। सावरमती के गुरुजों व मित्रों के सहयोग, सुकाव आदि से वह हिंदी के गण्यमान्य पत्रों में खपने लगा। 'प्राचीन भालव' नामक लेख-माला मैंने गुजरात विद्यापीठ की लायब्रेरी में रात-रात भर जगकर बड़े परिश्रम से लिखी थी। हिंदी में शायद पहली बार वह सामग्री पाठकों को मिली थी। 'मयूर' की कुछ समालोचनाएं पढ़कर भाईं प्यारेलालजी ने कहा था—आपकी यह शैली बिलकुल नहीं है। उसके 'स्वरगत' पाठकों में सुनुरणा पैदा करते थे। आबू सम्बंधी मेरे लेख भी बहुत रुचि से पढ़े गए। पूर्ण बाष्पजी के जेल रहते हुए 'हिंदी-नवजीवन' जिस तरह चला उससे मित्रों व पाठकों को काफी संतोष रहा। एक पत्र ने तो समालोचना में यहाँ तक लिखा था कि—भालूम होता है महालमाजी ही जेल से लेख लिखकर भेज देते हैं। 'हिंदी-नवजीवन' 'भालव-मयूर' दोनों का काम व मेरा आश्रम में आचार-व्यवहार देखकर जमनालालजी के मन में यह भाव पैदा हुआ कि इसे राजस्थान में भेजा जाय। इधर कोरे लेख लिखते-लिखते व उनमें रचनात्मक कामों का महत्त्व समझाते-समझाते सुने अपनी

लेखनी खोखली मालूम पढ़ने स्थगी । बिना प्रत्यक्ष काम किये कोरे लेख लिखते रहने से मन में असन्तोष रहने लगा । इधर बाबाजी राजस्थान जा पहुंचे थे, व तकाजा कर रहे थे कि तुम इधर काम करने आओ ।

शायद १९२४ में फतेहपुर (जयपुर) से अग्रवाल महासभा का जल्सा था । राजस्थान में खादी के काम को बढ़ाने व सुव्यवस्थित करने के लिए अखिल भारतवर्षीय चर्चा-संघ के मन्त्री श्री शंकरलालभाई बैकर व श्री मणिलालभाई गांधी उन्हीं दिनों जयपुर रियासत में आये हुए थे । जमनालालजी की प्रेरणा से मै भी उनके साथ फतेहपुर गया । वहां श्री जयनारायण व्यास<sup>१</sup> से पहली बार भेट हुई । जीतमलजी भी आये । वे बनारस जाकर उस्टा दुःख में पड़ गये थे । इन्दौर से एकबार उनके और मेरे बीच चर्चा चली थी कि सार्वजनिक सेवकों को निर्वाह की समस्या कैसे हल करना चाहिए । जीतमलजी का मत था कि पहले कमाकर रूपया जोड़ लें, फिर बेफिकी से देश-सेवा करते रहे । मैंने बताया था कि अबल तो १०-१५ साल दिये बिना काफी रूपया जुट नहीं सकता । जुटा भी तो तब तक हमारी सेवा-भावनाएं कायम भी रहेंगी या नहीं, कौन कह सकता है । रहीं भी, तो जीवन के अच्छे जवानी के काम-काज करने के दिन तो धन कमाने में गये, थका-मांदा अधेड़ शरीर हम देश के हवाले करेंगे । फिर रूपया जोड़ने में कुछ-न-कुछ तिकड़म, बैहमोंजी जहर करनी पड़ेगी, ये संस्कार हमारी देश-सेवा से बाधक होंगे, अतः यह रास्ता गलत है । यदि हमें सेवा ही करनी है तो हम सो अपने हसी संकल्प पर दृढ़ रहकर अपनी रुचि का सेवा-कार्य चुन लें, व निर्वाह की साधारण व्यवस्था सोचकर शेष भार परमात्मा पर छोड़ दें । मैंने हस प्रसंग की याद दिलाकर जीतमलजी से कहा—बोझो, आप घाटे मेरे रहे कि मैं । उनकी भी हँच्छा हुई कि कोई सेवा-प्रधान साहित्यिक काम किया जाय । मैंने जमनालालजी से उनका परिचय कराया । उन्होंने उन्हें

१—श्री राजपूताना के नेता ।

प्रोत्साहन दिया। जमनालालजी बाब-बार स्व० भिजु अखण्डानन्दजी के गुजराती के सस्तु' साहित्य-बद्धक कार्यालय की प्रशंसा किया करते थे, व चाहते थे कि हिन्दी में भी ऐसी ही संस्था खुले तो अच्छा। जीतमलजी के मिल जाने से उनका यह स्वप्न पूरा होने के लक्षण दिखाई देने लगे। ऐसी संस्था हिन्दी में खड़ी करने की बोलना पर थोड़ा विचार हुआ। यही समाजम 'सस्ता साहित्य मंडल' की जुनियाद है।

फतेहपुर महासभा के बाब शङ्करलालभाई व मगानलाल भाई के साथ मैं अमरसर, गोविंदगढ़ आदि खादी-केन्द्रों को देखने गया। वहाँ खादी कार्य में जो हचि मैंने दिखलाई, खादी-यात्रा पर जो लेख 'हिन्दी-नवजीवन' के लिए लिखे उनसे शङ्करलालभाई मेरी ओर आकर्षित हुए। शायद हन्हीं दिनों उनके मन मे यह विचार दड़ हुआ कि खादी-प्रचार के लिए यह आदमी राजस्थान में उपयोगी हो सकता है। फिर जमनालालजी की व उनकी बातचीत होने पर यह तथ हुआ कि इसे खादी-प्रचार व गांधी विचार-प्रचार की दृष्टि से राजस्थान में भेजना चाहिए। जब जमनालालजी ने मुझसे पूछा तो—मैं तो यहले ही से इस उघड़े-बुन में था—मैंने उनके सुझाव का स्वागत किया। पूर्ण बापूजी से उनकी बात भी होगई, पर स्वामी आनन्द ने उस फैसले को उलटवा दिया।

कुछ समय बाद मैंने खुद ही स्वामीजी से बात-चीत की कि आप क्यों मुझे यहाँ रोकना चाहते हैं। मैंने भी यह सोच लिया था कि स्वामीजी के आशीर्वाद मिले बगैर यहाँ से जाना न हो सकेगा, व जाना उचित भी न होगा। अतः उन्हें राजी करने का मैं यतन करने लगा। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात तो 'हिन्दी-नवजीवन' की है। उसे कौन चलावेगा? नये-नये आदमियों से मुझे रोज रस्मट करना पड़ेगा। आपके लिए तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि 'हिन्दी-नवजीवन' के सिवा आपका कोई स्थान है, या हो सकता है। मैंने समझाया कि किस तरह मुझे खुद अपनी लेखनी खोखली भालूम होती है, किस तरह बचपन से मेरे मन में अपने प्रांत की सेवा के भाव इह होरहे थे, 'मालव-मयूर' के

कारण किस तरह उसके लिए अब ज्ञेन्न अनुकूल होगया है, बापू से सोख-कर यदि जोग धूसेरे प्रांतों में जावे तो किस तरह बापू का काम सुगम हो सकता है, व साथ ही आश्वासन दिया कि 'हिन्दी-नवजीवन' के लिए आदमी की चिंता आपको न करनी पड़ेगी। मैं भेजता रहूँगा, यदि कोई न मिला तो मैं राजस्थान छोड़कर खुद वापिस आजाऊँगा, मगर 'हिन्दी-नवजीवन' का हर्ज न होने दूँगा। यों मेरा मन भी अब यहाँ से उचटने लगा है। वहाँ अधिक काम कर सकूँगा, ऐसी आशा होती है। परन्तु आपका आशीर्वाद न मिले तो हरिंज नहीं जाऊँगा। तब स्वामीजी राजी होगए व पूज्य महाल्लाजी से मुझे राजस्थान में जाने की इजाजत मिल गई। उनसे भी यह शर्त करनी पड़ी कि 'हिन्दी-नवजीवन' की चिंता आपको न करनी पड़ेगी। राजस्थान में रहते हुए वह मेरी पहली जिम्मेदारी रहेगी और इस जिम्मेदारी को मैंने अचूरणः निभाया भी। जब जरूरत पड़ जाती, अजमेर से अपने साथियों—महोदयजी, काशी-नाथजी त्रिवेदी, शङ्करलालजी वर्मा को भेजता व कभी-कभी मैं भी यहाँ से अनुवाद करके भेजता रहता था।

मैं १९२६ की जनवरी मे अजमेर आया। जब मेरे मित्रों को यह मालूम हुआ कि मैं राजस्थान में जा रहा हूँ व अजमेर रहूँगा, तो उन्होंने कस कर विरोध करना शुरू किया—खास कर अजमेर रहने के विषय में कुछ मित्रों ने तो भविष्य-वाणी भी कर दी कि वहाँ जाकर तुम कीचड़ में फंस जाओगे। ऐसी तू-तू, मैं-मैं में पढ़ोगे कि सांस भी नहीं लेने पाओगे। वहाँ के पुराने नेताओं के रगड़े-झगड़ों का जिक्र करके कहते, वहाँ जाकर क्यों अपनी मही पक्कीत करते हो? खुद जमनालालजी ने भी चेतावनी दी थी कि वहाँ की राजनीतिक दल-बंदियों में न पड़ जाना। लेकिन इन भयानक चिंतों का मुझ पर अगर कोई असर हुआ तो यह कि चलकर देखें तो आखिर क्या खतरा या भयानकता वहाँ है? मुझे अपने आप पर इस बात का काफी विश्वास था कि मैं चाहे कैसी भी कठिनाइयों में पड़ जाऊँगा, पर उनसे हारूँ व दबूँगा हरिंज नहीं, व

सबमें से साफ़-पाक निकल आऊंगा । इसका कारण यह था कि मैंने यहाँ के व दूसरी जगह के रगड़े-झगड़ों का सार यह निकाल रखा था कि नेतृत्व, धन व संस्थाओं पर कब्जा करने के लिए ये झगड़े होते हैं । अपन इद्दता-पूर्वक इन मोहों से बचेंगे व बच जावेंगे । एक खियों के सम्पर्क का प्रश्न भी होता है, जिसे लेकर लोग टीका-टिप्पणी, निन्दा व बदनामी करके गिराने का प्रयत्न कर सकते हैं । अतः मैं निश्चय करके चला कि नेतृत्व की होड़ में अपन कभी खड़े न रहेंगे । रुपये जो जावेंगे उन्हें संस्थाओं में जमा करावेंगे, जहाँ उनका पूरा हिसाब रहेगा, जो खुद खर्च करेंगे उसके पाईं-पाईं का हिसाब रखेंगे, अपना पैसा भले संस्था में खर्च हो जाय, पर संस्था का पैसा अपने घर-खर्च में न लगाने पावे । संस्थाओं पर कब्जा करने का जोभ तो दूर, जहाँ उसमें दूसरे लोग भार डाने को तैयार हुए नहीं कि अपन खुद उसमें से हट जाया करेंगे और खियों से काम-पुरता सम्बन्ध रखेंगे । काम होगा तो उनसे बोलने व अकेले में मिलने में भी संकोच न करेंगे, ज होगा तो चार आदमियों में भी मिलने व बातचीत करने की जरूरत न रहेंगे । मैंने इन खियों को भरक पालने का यत्न किया है, और यही कारण है कि मैं यहाँ के राजनैतिक जीवन में आकर्षण छूटकर भी अभी तक इज्जत के साथ जी रहा हूँ— अनुभव-हीनता से कुछ घटके जरूर लगे, कहुँ अनुभव भी हुए; परन्तु पुकार बार को छोड़कर मुझे कभी अजमेर आने का अफसोस नहीं हुआ । हालांकि ऐसे मिज्ज हैं जो मानते हैं कि अजमेर में रहकर मैंने अपनी जबानी बरबाद कर दी, ज्यर्थ ही अपनी मिठी पलीद करा रहा हूँ, परन्तु मुझे अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कोई नैतिक दोष किया है, या अजमेर आना कोई ज्यावहारिक भूल भी है । यों अधिक भावुक व आदर्शवादी होने तथा कम अनुभव के कारण मुझसे ज्यावहारिक भूलें जरूर हुई हैं, पर वे ऐसी नहीं कि जिनसे मुझे अजमेर में आने व रहने पर पछतावा करना पड़े ।

२२

## तत्काली फल

निर्भयता व साहस यदि अहिंसा का एक पहलू है तो सहनशीलता, हमारीलता, दयालुता दूसरा पहलू । दोनों परस्पर पूरक हैं । ऐसा अनुभव सुनें अपने न-कुछ जीवन में कई बार हुआ है । फतेहपुर की आगवाल महासभा के समय की एक घटना है । मैं अहमदाबाद से तीसरे पहर की एक्सप्रेस से रवाना हुआ । एक डिब्बा फौजियों से भरा होने के कारण पहले ही काफी भीड़ गाड़ी में हो गई थी । आबू के आसपास फौजी डिब्बे में किसी तरह आग लग गई तो रात में कोई १ बजे फौजियों को दूसरे डिब्बों में छुसेढ़ा गया । मैं जिस डिब्बे में बैठा था उसमें बैठना भीं मुश्किल से हो रहा था । मैं खिड़की के सहारे था । बगल बाले कंपाठ-मेट में छुसकर फौजी बाही-तबाही बक रहे थे और मुसाफिर चिल्ल-पों मचा रहे थे । मुझसे न रहा गया । मैं उठकर दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि उधर से एक फौजी—वे सब काबुली थे—हमारे डिब्बे की तरफ छुसा । मेरे पास ही आगरे की तरफ के कुछ मुसलमान बैठे थे, उन्होंने दोनों पटरियों के बीच टांगें पसार दीं कि फौजी आगे न धंसने पावें । फौजी ने उठा के एक तमाचा एक मुसलमान के जड़ दिया । यह सुने नागंवार हुआ । मैंने ज्यों ही फौजी को ढाँटना शुरू किया वह मेरी ओर लपका । इधर तमाचा पढ़ते ही मुसलमानों ने टांगें समेट लीं । फौजी मेरी ओर बढ़ा व गरदनिया देकर मेरा सिर खिड़की के बाहर कर दिया । मेरे जी में तो आया कि गाड़ी को जंजीर खोंच लूँ, किर सोचा कि देखें,

इसे सहन करें, क्या नतीजा होता है। इतने ही में उस फौजी के पीछे उनका कोई अफसर आया, व भेरी गर्दन पर उसका हाथ देखकर उसे ढांटा व पिछले कमरे में वापस भेज दिया। यह कुछ पदा-लिखा व सभ्य मालूम होता था। सुझसे कहने लगा—बाबा, हम लोग पठान हैं, बड़े जाहिल हैं, यह आदमी धूक चिंगड़े दिमाग है। आप कुछ स्थाल न करें। मैंने कहा—मेरा तो उसका ही बदला न लेवे का है, जिहाजा भेरी बात छोड़ो, मगर उसने हन्हें—सुसलमान को—जो तमाचा भारा उसकी साजरत होनी चाहिए। इतने ही में वह फौजी फिर इस कमरे में घुसा व बोला—नहीं, ये लोग बदमाश हैं, जब मैं आने लगा तो टांगे फैला दीं, जब तमाचा पढ़ा तो समेट लीं। क्यों हन्होंने मेरा रास्ता रोका? लेकिन इस बाबू—से—भेरी और हशारा करके जल्द भाफी मांगूंगा—हन पर मैंने बिला बजह हमला किया, हन्होंने हन बदमाशों की तरफदारी की, इससे मुझे गुस्सा आ गया। व मेरे पास आकर भाफी मांगने लगा। मैंने कहा—तुम्हें भाफी हन लोगों से मांगनी चाहिए, कुसर तुमने हनका किया है, मैं तो तुम्हारे हमले को भूल ही गया समझो। मेरे जी में सो आया था कि जंजीर सीच लूं, पर फिर जबत करना ही अच्छा समझा। वह तन के बोला, नहीं हनसे हरगिज नहीं मांगूंगा, ये शरीफ नहीं मालूम होते।

अफसर भी थोड़ी देर मेरे पास ठहरा। काबुलियों की, उनमें भी फौजियों की जहाजत के किस्से सुनाकर भेरी दिलजमहै करता रहा। सुझसे यह भी जान लिया कि मैं भावामाजी के आश्रम में रहता हूं व फतेहपुर जा रहा हूं। पिछली [रात को वह पहला फौजी फिर मेरे पास आया व कहने लगा—‘बाबू, तुम हमको भाफ नहीं करेगा।’] मैंने फिर उन लोगों से भाफी मांगने पर जोर दिया—पर उसने साफ नाहीं कर दिया। फुलेरा में जब मैं रींगस की गाड़ी में बैठ गया तो वह फौजी मुझे तलाश करता हुआ उस गाड़ी पर आया व फिर कहा ‘बाबू, मुझे भाफ नहीं करोगे?’ मैंने उसे समझाया कि मैं तो तुमको भाफी मांगने के पहले ही अपनी तरफ

से भाफ कर खुका, लेकिन कुसूर तो तुमने तूसरे ही लोगों का किया है। पर मेरी यह बात उसकी समझ में नहीं ही चौड़ी। इस घटना ने मुझे अहिंसा के प्रयोग का जो तत्काल फल विखलाया उस पर मैं मन-ही-मन मुग्ध हो रहा। पीछे मैंने भी मुसलमानों को ढांडा कि तुममें उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो किर पहले टांगे फैलाई क्यों? और जब फैलाई भी तो तमाचा पढ़ने पर समेटीं क्यों? तमाचे के जवाब में तुम्हें कुछ तो मुकाबला करना था! तुममें न तो बरदाशत की ताकत थी न मुकाबले की। यही बजह है जो उस फौजी ने तुमसे तो माफी नहीं मांगी, मगर मुझसे बार-बार माँगने आया।

शायद १६२३ में जमनालालजी सपारिचार आबू गये थे। काका साहब के साथ मैं भी दो-चार रोज के लिए वहां चला गया था। किसी कार्य-वश पूज्य मालवीयजी व श्री घनश्यामदासजी विड़ला भी वहां आये व जमनालालजी के मेहमान हुए। हम सब श्रीराम-भन्दिर में ठहरे थे। पूज्य मालवीयजी के दर्शन तो मैं काशी वगैरा में दो-चार बार कर चुका था, पर प्रत्यह परिचय का अवसर यह पहला ही था। विड़लाजी को तो देखा भी यहां पहली बार ही। पूज्य बापूजी अपेंडिसाइटिस के आपरेशन के बाद जब जुहू (बम्बई) में विश्राम कर रहे थे तब श्री घनश्यामदासजी वहां आया-जाया करते थे व विचित्र प्रश्न पूछा करते थे। महादेवभाई ने एक बार मुझसे कहा था कि एक अजीब आदमी बापू के पास आता है और वहे अद्भुत प्रश्न करता है। बड़ा साहसी व स्पष्टवक्ता मालूम होता है। बापू भी वैसे ही अनोखे जवाब देते हैं। मारवाड़ी बड़ा घनिक है, बिड़लों का नाम तो तुमने सुना होगा। उन्हीं में से है। आबू में जब पहिली बार उनको विशाल आंखें व लम्बा डील-डैल देखा तो मेरा आकर्षण बड़ा। बाद से उन्होंने महात्माजी-सम्बन्धी अपने विचार व प्रश्नोत्तर भी सुनाये तो समझा कि महादेवभाई वाला 'अजीब' आदमी यही है। मैंने देखा कि उन्हें भी मेरे प्रति आकर्षण हुआ।

पूज्य मालवीयजी को कुछ चिट्ठियां सिखाने का भी सौभाग्य वहां

मिला। जमनालालजी की तो लिखता ही था। जमनालालजी का सुकृपर इतना अधिकार होगया था कि जब कभी कोई सहायक उनके पास नहीं होता तो वे तकल्लुफ़ होकर वे सुकृपकड़ लिया करते, व सुकृपे भी उनकी ऐसी सेवा करने में सुख ही अनुभव होता था।

पूज्य मालवीयजी ने सुकृपे सुकृपा—तुम मेरे पास क्यों नहीं रहते? जैसे गाँधीजी के पास महादेवभाई हैं, वैसे मैं भी अपने पास किसी को रखना चाहता हूँ। पर कोई ऐसा मिलता नहीं। तुम्हारा काम व स्वभाव सुकृपे परसन्द आता है।' मैंने मन में गौरव अनुभव किया। फिर वहे संकोच से बोला—महाराज, आपकी आशा तो सुकृपे विरोधार्थ होती; पर मैं 'हिन्दी-नवजीवन' के लिए बाष्पूजी को बचन देकर निश्चिन्त कर चुका हूँ, नहीं तो मैं इसे बद्धा सौभाग्य ही समझता।

घनश्यामदासकी से तो एक-दो दिन में ही काफी छुल-मिल गया। उनकी प्रतिभा, तीव्र आलोचना व अवलोकन-शक्ति का काफी प्रभाव पड़ा। उनके चेहरे पर जहां एक धनिक का रौब था, वहां उनकी आँखों में स्नेह, सहानुभूति व सुशीलता भी देखी।

इस समय हमारे साहस की एक घटना लिखने योग्य है। हम प्रायः रोज व्याप-मुँह धोने वनको तालाब के परिच्छमी किनारे पर जाता करते। उधर एक गहरा लाला नीचे अनादरा की ओर जाता था। ऊपर से अनादरा पार्हट से नीचे का बद्धा मनोहरी दृश्य दीखता था वे। हमारे खासकर कमल के मन में नीचे जाकर देखने के भाव उभाड़ा करते थे। कमल उस समय न साल का था। एक रोज सुबह जब उधर शौचादि के लिए गये तो उसने कहा—आज इस नाले में जरा नीचे घंसें। हम उत्तरते ही चले गये। कमल जरा भी न ढरता था, न हिचकता था। उसका साहस देख सुकृपे आनन्द होता था। मेरा खयाल है, कोई आशी दूर हम उत्तर गये होंगे। ज्यों-ज्यों नीचे जाते थे नाला गहरा व भयानक होता जाता।

—धी कमलनयन बजाज, स्व० जमनालालजी के वहे पुत्र।

था । मालवी भी काफी सधन । उत्तर बहुत कठिन, कहीं-कहीं तो हम पेड़ों की जड़ों पर लटककर उत्तरते । मुझे आशंका होने लगी कि कहीं भालू शेर आदि से पाला न पड़ जाय । कमल की बजह से और भी चिंता हुई । पर कमल जरा भी नहीं घबराया । आखिर मेरे जोर देने पर हम दोनों सङ्क पर आगये, जो नीचे अनादरा की ओर जाती थी । कमल आगे बढ़ने के लिए इश्वरा करता जाता था । हम आधे से अधिक उत्तर गये । लगभग १० बज गये । तब सोचा कि यों भी ऊपर पहुंचते १२ बज जायेंगे, चढ़ाई में थकान भी काफी आवेगी; अतः अनादरा ही क्यों चलें ? माईंजी (जमनालालजी) तो मेरे साथ रहने से निरिचन्त जैसे थे । पास हमारे सिर्फ एक विसा पैसा था । हाथ में शायद १ लोटा, बदन पर एक बनियान या कुरता, नंगे सिर । सोचा—चलो देखो, क्या अनुभव होता है ? हस नये प्रयोग ने ललचाया व हम नीचे की ओर बढ़ चले । अनादरा ऊपर से तो आबू की तलहटी में ही देख पड़ता था, परन्तु ज्यों-ज्यों हम नीचे उसकी ओर बढ़ते जाते थे, त्यों-त्यों वह तल-हटी से दूर भागता जाता था । आखिर १२-१ बजे हमने उसे पकड़ लिया । दोनों थक कर चूर हो गये । मगर कमल ने जरा भी बेचैनी या परेशानी नहीं दिखाई । गाँव में दूसे सज्जन मिले जो जमनालालजी को व 'हिन्दी-नवजीवन' को भी जानते थे । उनके यहां देहाती खाना खा-पी कर शाम को हम आबू लौटे । कमल की थकान का स्थान करके मैंने चाहा कि अब कल चलेंगे । हालांकि यह बोझ भी दिमाग पर था ही कि दिन-भर गायब रहने से माईंजी चिन्ता करेंगे । अतः कमल ने आग्रह किया कि आज ही चलेंगे । आखिर हम शाम को जब आबू पहुंचे तो जमनालालजी हमारी तलाश में आदमियों को भेजने की तैयारी कर रहे थे । हमारे हस साहस से वे प्रसन्न ही हुए । कमल की निःरदा व साहस की अच्छी छाप मुझ पर पड़ी ।

: २३ :

## आहिंसा का भर्म

आहिंसा विकास की वस्तु है, दक्षील की नहीं। आहिंसा का भर्म है हृदय को मृदुल बनाना, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। दूसरों के प्रति, भले ही वे हमारे शत्रु—कोटि के क्यों न हों, अपने सब व्यवहारों में मृदुल रहना आहिंसा का लक्षण है। उनके दुष्कार्यों, अवशुणों का प्रतिकार भी किया जायगा तो मृदुलता से प्रेरित होकर; उनके प्रहरों को तो हम चट्ठान की तरह सहेंगे, पर उनपर चोट करते समय अपने हृदय को फूल से भी अधिक मृदुल बना लेंगे। वे विष-बुझे वाण भले ही फेंकें पर हम तो पुण्य के ही बाणों से उनकी अन्तराला को जाग्रत करेंगे। इसका आनन्द दक्षीलों से नहीं समझाया जा सकता। बच्चा जैसे माँ के प्रेम को उसकी आँखों में समझ लेता है, उसी तरह आहिंसा का यह आनन्द उसके साधकों को कदम-कदम पर अनुभव होता है। जिन्हें वह अपने से दूर, अपना विरोधी, महा हठी मानता था, वे भी सरल स्वभाव से उसके सामने अपना हृदय खोलकर रख देते हैं। जो चट्ठान-सी दीखती है, वह भरना बन के सामने आ जाता है। ऐसा एक अनुभव अजमेर शाते ही हुआ।

मेरे राजस्थान में आने से पहले सस्ता साहित्य मण्डप की स्थापना हो चुकी थी। अजमेर में उसका कार्यालय रखना स्थिर हुआ। साधारण

देख-भाल मेरे जिम्मे हुईं। हघर खर्बा-संघ की राजस्थान शाखाको अधिक ठित करने की हाइ से भी देशपांडेजी उसके मन्त्री बनकर आ चुके थे; मेरी नियुक्ति इसी शाखा के प्रचार-मन्त्री के रूप में हुई। देशपांडेजी इस प्रांत के लिए बिलकुल नये थे। हिंदी-भाषा भी अच्छी तरह नहीं जानते थे। परन्तु खादी-कार्य के अनुभवी थे। श्री लक्ष्मीदासभाई की देखरेख में गुजरात में खादी-कार्य के संगठन का उन्हें अनुभव था।

थोड़े ही दिनों में—यह १९२६ की बात है—महात्माजी का एक पत्र मुझे मिला, जिसमें उन्होंने एक खादी-केन्द्र के कार्यकर्ता-सम्बन्धी शिकायतों की जांच का काम मुझे सौंपा। शिकायतें नैतिक स्वरूप की थीं। कार्यकर्ता खादी-कार्य में तो दब था, परन्तु अपने ढङ्क का बेढ़ब और बड़ा दबङ्ग था। देशपांडेजी ने व मैंने भी महसूस किया कि यह जांच का काम बड़ा मुश्किल है। उसने कुछूल न किया, व चार्ज भी न दिया तो क्या किया जायगा? ऐसी बातों का सबूत मिलना भी तो मुश्किल होता है। लेकिन मैं जानता था कि पूज्य बापूजी के प्रति उसकी बहुत अख्ता है व मुझे भी जानता-मानता था। अतः मुझे बीच-बीच में ऐसा लगता था कि सम्भव है इतनी कठिनाई न पेश आवे।

हम दोनों केन्द्र में पहुँचे तो बातावरण वैसा ही विकट पाया, जैसा कि ख्याल किया था। एक से एक बढ़कर चक्कर में डालने वाली खबरें मिलीं। उसकी पत्ती ने उसे ज़हर देने का यत्न किया था। अतः वह उसके साथ एक ही शाली में भोजन करता था। हमें आशंका हुई कि ऐसी दशा में हम भी इस केन्द्र में कहां तक सुरक्षित हैं! खैर, पहले खादी-काम का निरीचण किया गया। बाद में मैंने एकांत में बुलाकर उस कार्यकर्ता से कहा—देखिए, हम खोग असल में तो एक दूसरे ही काम के लिए आये हुए हैं। आपके लिखाफ़ कुछ शिकायतें महात्माजी के पास पहुँची हैं और उन्होंने जांच के लिए मुझे लिखा है। आपका खादी-काम एक नम्बर का है, आप सच बोलने का दावा भी करते हैं।

अतः शिकायतों के मामले में भी आपसे सच्चे बयान की ही सुन्ने आशा है। यदि शिकायते सच हो तो सुन्ने कहना होगा कि आप भटक गये हैं व बुरी तरह कीचड़ में फँस गए हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपको उसमें से निकालूँ। सुन्ने आशंका तो यह थी कि सुनते ही वह सुझपर दूट पड़े गे और सम्भव है मेरा अपमान भी कर दें। परन्तु सुन्ने तो अपना कर्तव्य पूर्ण अहिंसात्मक पद्धति से—उसके प्रति अत्यन्त मदुलता से—पूरा करना था। मैंने पूर्वोक्त बातें बहुत ही सहानुभूति के स्वर में कीं। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा—‘बताइए, क्या शिकायतें हैं? कम-से-कम आपके सामने मैं मूँठ नहीं बोलूँगा। मैं जानता हूँ, आप मेरे हितैषी हैं।’

‘हाँ, मैं आपका हित ही चाहता हूँ और वह तभी साध सकूँगा, जब आप सब बातें सच-सच बता दें।’

उन्होंने सारे बाक्यात सच-सच बयान कर दिये। मैंने कहा—‘आप फँस तो बहुत गन्दगी में गये हैं, पर हैं अपनी बात के सच्चे। मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन आप यह तो अच्छी तरह जानते हैं कि यह खादी-काम कोरा व्यापार नहीं है। आप भी व्यापार के लिए यहाँ नहीं आये हैं। व्यापारी के बच्चे हैं, सैकड़ों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन पूज्य बापूजी का काम, गरीबों की सेवा, आदि पवित्र भावनाओं से यहाँ आये हैं, तो यह क्या कर बैठे? इसमें चरखा-संबंध की कितनी बदनामी है? बापू को कितनी चोट लगेगी? इसका स्थान कीजिए। सोचिए, ऐसी दशा में इस केन्द्र की जिम्मेदारी आप पर रखना कहाँ तक उचित है? अपनी यह दुकानदारी तो बापू के नाम पर चलती है। उनके नाम को तो हमें सदा उज्ज्वल ही रखना है। अतः आप इस केन्द्र का चार्ज देश-पांडेजी को संभला दीजिए व पहले आत्म-शुद्धि का उपाय कीजिए।’

‘आपका कहना ठीक है, मैं चार्ज दे दूँगा; मगर खादी के काम से मेरा बदा प्रेम है, इसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ?’

‘मैं कोशिश करूँगा कि आपको बापूजी के आश्रम में भिजवाऊँ। वहाँ रहकर आप इसका प्रायरिच्छत और अपना उद्धार कर सकते हैं।’

उन्होंने चार्ज दे दिया। हमारा बोक्स हस्तका हो गया। हमें उनको सखलता पर आश्चर्य भी हुआ। अब मैं जब कभी उस घटना पर विचार करता हूँ तो हमारी अहिंसात्मक कार्य-शैली के सिवा इसका और कोई कारण नहीं मालूम होता। उनके सच बोलने का दावा भी एक हद तक इसका जिम्मेवार माना जा सकता है। जो हो; महात्माजी तो कहते ही हैं कि सत्य व अहिंसा एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसे सत्य का प्रभाव कहिए या अहिंसा का—एक ही बात है। साधारण बातावरण से ऊपर उठे विना पेसा परिणाम सहसा उपलब्ध नहीं होता—यह निर्विवाद है।

लेकिन उस केन्द्र में जो बातावरण विगड़ गया था उसे ठीक करने में २-३ मास लगे। खुद मुझे एक-दो महीने लगातार रहना-पड़ा। इसमें भी हम लोगों की अहिंसा-वृत्ति बढ़त काम आई। जिसे लोग कार्य-कुशलता कहते हैं, वह अहिंसा की ही उपज होती है। दूसरों से अपना काम बना लेने वाला, दूसरों को अपने मत के अनुकूल कर लेने वाला, अपने कामों को, विना जुकसान उठाये, चला ले जाने वाला व्यक्ति अक्सर कार्य-कुशल कहा जाता है। एक कुशलता वह होती है जिसमें आदमी दूसरों को दम-फांसा देकर, सब्ज बाग दिखाकर, अपना काम बना लेता है; लेकिन थोड़े ही दिनों में इसकी कलहै खुल जाती है। दूसरी व सच्ची कुशलता हृदय की शुद्धता व सुदृशता से उत्पन्न होती है, दूसरों की भावनाओं, सुविधाओं का अज्ञहृद खयाल जब रखा जाता है, तो उनकी वृत्तियां अपने-आप हमारे अनुकूल होने लगती हैं और वे जान वा अनजान में—चाहे अनचाहे—हमारे सहायक बनते जाते हैं। यह सच्ची कुशलता है, और यही अहिंसा है।

हमने महसूस किया कि गांव वालों की भावनाओं को आवात पहुँचा है। खान-पान, आचार-विचार सबमें उन कार्यकर्त्ता ने कोई मर्यादा नहीं रखी थी। अद्वृतपन मिटाने, जात-पांत तोड़ने, खान-पान, रोटी-बेटी-ब्यवहार की संकुचितता तोड़ने, का यह अर्थ नहीं है कि इनमें किसी प्रकार की सीमा या नियम ही न रखा जाय। चाहे जैसा बरतन हो, पानी

पिया जाय; चाहे जिसके हाथ का बना खाना हो, आंख सूँदे खा लिया जाय, चाहे जिसकी लड़की हो, शादी-सगाई कर लो जाय, या यों ही दाम्पत्य-सम्बन्ध कायम कर लिया जाय। इसका समर्थन कोई भी विचार-शील व जिम्मेदार व्यक्ति नहीं करेगा। हमने गांव के लोगों को अपना यह विवेक व भेद समझाना शुरू किया। उन्होंने गांव में एलान कर दिया था कि कोई खादी वालों को अपने कुएं से पानी न भरने दे। हमने इस एलान को मान दिया व गांव से बहुत दूर एक कुएं से पानी लाने व वहीं नहाने-धोने लगे। इसके लिए गांव के सुखियाओं की हमने कोई टीका-टिप्पणी नहीं की। सोचा कि हमारे उपदेश से नहीं, बल्कि हमारे आचार-च्यवहार से ही इनकी मनोवृत्तियां बदलेंगी। नित्य सुबह उठकर हम लोग—ओमदत्तजी शास्त्री, मदनलालजी खेतान, व शायद मूलचन्दजी अग्रवाल भी—दूर एक बगीची में नहाने जाते, नियमित प्रार्थना व व्याया-मादि करते। गांव के कुछ भले व प्रतिष्ठित ब्राह्मण-बनिये भी वहाँ आया करते थे। हमारे इस कार्यक्रम का उन पर अच्छा असर पड़ा व हमसे कुछ बातचीत—चर्चा भी होने लगती। तब हम उन्हें धीरे-धीरे अपना इष्ट-बिन्दु समझाए, और सब बातें तो उनकी समझ में आ जाती थीं, मगर कुआँहूत मिटाने को बात उनके गहे नहीं उत्तरती थी। धीरे-धीरे बातावरण बदलने लगा। गांव के लोगों में ही अब दो दल हो गये—एक हमारा चरफदार, दूसरा विरोधी। तब हमने गांव के मन्दिर में शाम की प्रार्थना करनी शुरू की, जो अब तक अपने खादी-आश्रम में किया करते थे। इसके साथ ही रामायण व गीता की कथा भी मैंने शुरू की। इसमें दोनों प्रकार के लोग आते थे, हमारे माफिक भी व सिलाफ भी। मैं प्रसंगानुसार सार्वजनिक विवाहों की चर्चा भी इसमें करता। एक रोज अचूतपन की समस्या मैंने छेड़ी। देहात के लोगों के समझने योग्य दस्तीसें ही देना पड़ती थीं। तत्त्व-चर्चा भी करता था। मैंने कहा—मैंने सुना है, गांव में लोग चर्चा करते हैं कि पंडितसी व उनके आदमी हैं तो

चोखे; पर बलाद्यों व भंगी-चमारों से छूते हैं, यह बात बेजा करते हैं। इनकी सब बातें अच्छी हैं, एक यही बुरी बात है। सो, अब यह आप ही के सोचने की बात है कि जब हम सब बातों में अच्छे हैं तो एक विषय में हमारी बुद्धि क्यों बिगड़ गई? अब यह हमारी समझ का फेर है या आपकी समझ में कभी है, इसका विचार कीजिए। इसका जवाब तो उनसे नहीं बन पड़ता था, वे निश्चित हो जाते थे। पर पिछले संस्कार बढ़े हठ होते हैं। गले उत्तर जाने पर भी तदनुसार व्यवहार करना बड़ा कठिन होता है। यह धीरज व मिरन्तर अभ्यास से ही हो सकता है।

कभी-कभी कुछ भनन्तरे लोग लड़कों को सिखाकर भी भेजते और वे टेंटे-भेडे सवाल पूछकर मुझे विषम स्थिति में डालने का यत्न करते। एक रोज एक लड़के ने सवाल किया—परिहृतजी, आप हनुमानजी को बन्दर मानते हैं या देवता? यह प्रश्न मुझे आर्यसमाजी सामित करने के लिए पूछा गया हौगा—ऐसा मुझे लगा। मैंने कहा—‘इस सम्बन्ध में दो मत प्रचलित हैं। कुछ लोग उन्हें जंगली मनुष्य मानते हैं और कुछ भगवान् के भक्त। जो बुद्धिवादी हैं वे कहते हैं कि बन्दर मनुष्य की तरह सब काम नहीं कर सकता। अतः वे जंगली या शब्द ‘जंगली वानर जाति के थे। जो भक्त व श्रद्धावादी है वे उन्हे भगवान् रामचन्द्रजी का सेवक व भक्त मानकर देवता समझते हैं।’ तब प्रश्न हुआ—‘लेकिन आप क्या मानते हैं?’

‘मेरी बुद्धि उन्हे मनुष्य व श्रद्धा उन्हें देवता मानती है—अतः जब श्रद्धा-भक्ति उमड़ती है तो बन्दर तो ठीक, यदि कुत्ता भी हो और वह भगवान् का भक्त हो तो मेरे लिए पूजनीय है, जो भगवान् का भक्त है उसके लिए मैं यह सोचना ही नहीं चाहता कि वह मनुष्य है, कुत्ता या बन्दर है, या चारदाल है। मुझे तो उसके चरणों में अपना सीस नवाने में ही आनन्द आता है।’

इस पर वे निश्चित हो गए। गांव में चर्चा फैल गई कि पंडितजी

चढ़े विद्वान् हैं। पक्के सनातन-धर्मी हैं। इन लोगों के आचार-विचार बड़े क'चे हैं। अब वातावरण हमारे बहुत-कुछ अलुक्ष्य हो गया। हरिजनों की बस्ती में एक पाठशाला भी खादी-आश्रम की ओर से खोली गई— और-धीरे उसमें सवर्णों के बालक भी आने लगे।

: २४ :

## मजदूरों में अहिंसा

इसी साल इंदौर के मजदूरों ने हड्डताल कर दी। तमाम भिलों के कोई दस-बारह हजार मजदूर आम हड्डताल पर थे। बोनस के सवाल को लेकर हड्डताल शुरू हुई थी। पर बाद भे घण्टे का सवाल भी जोड़ दिया गया था। उन दिनों इंदौर-राज्य में मजदूरों के काम के घण्टे नियत नहीं थे। १३-१४ घण्टे तक भी उन्हे कारझानों में काम करना पड़ता था। हड्डताल खानिक कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन से चल रही थी, लेकिन मालिक व रियासत दोनों झुकने के लिए तैयार न थे। बोनस की मांग मालिकों से व घण्टों को रियासत से सम्बन्ध रखती थी। मजदूरों के कुछ प्रतिनिधि-श्रीमती अनसूया बहन के पास अहमदाबाद सहायता के लिए पहुंचे। वे वहाँ की प्रसिद्ध मजूर-महाजन की अध्यक्ष थी। उन्होंने व श्री शंकरलालजी बैंकर ने—जो मजूर-महाजन के पथ-दर्शक थे—महाल्माजी से सलाह की। रियासत का मामला था। एहतियात से काम लेना था। महाल्माजी रियासत वालों से सीधी टक्कर नहीं चाहते थे। सबने मिलकर तय किया कि हरिभाऊ इंदौर की तरफ का है, उसे वहाँ भेजना चाहिए। रियासती अधिकारियों से भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं और वह संजीदा भी है। जुनांचे शंकरलालभाई ने पूज्य बापू के हवाले से मुझे लिखा कि— इंदौर जाकर मजदूरों की मदद करो। मैं तत्त्वतः मजदूरों के प्रश्नों को समझता था, महाल्माजी के तत्संबन्धी विचारों को जानता था; परन्तु मजदूरों की हड्डताल में कभी काम नहीं किया था—इससे जी हिचका तो,

परन्तु नवीन साहस का सुने शौक रहता है, अतः चल दिया कि देखें, इसमें क्या अनुभव होता है। ऐसा याद पड़ता है कि हँदौर वाले मजदूरों में से कोई अहमदावाद से सुने लेने आया था। मैंने उससे वहाँ की सारी परिस्थिति समझ ली। महात्माजी की हिदायत थी कि पहले प्रधान मंत्री से मिलना व फिर मजदूरों में कार्य करना, व सुने रिपोर्ट देते रहना, कोई बात कठिन व डलटी भालूम पढ़े तो सुन्ने मिलने आ जाना।

जाकर मैंने देखा तो मिले तमाम बंद, मजदूर गोल बांध-बांधकर व कहीं-कहीं लाठियाँ ले-लेकर सड़कों व बाजारों में घूम रहे थे। यह भी सुना कि जाल साहब—हुक्मचन्द मिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर—की नाक काट लेने की फिराक में थे। श्री मित्रजल साहब—उस समय शायद महकमे कानून के बड़े अफसर—की मोटर बेर ली गई थी, सो उन्होंने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। १-२ दिन पहले ही ४००-५०० मजदूर सर हुक्मचन्दजी की हवेली पर जा पहुंचे व उन्हें बुरी गालियाँ देकर उनके मकान के कांच बगैरा तोड़फोड़ डाले। अनाज के ब्यापारियों व मंडियों को आये दिन यह अदेशा रहने लगा कि बाजार अब लुटा। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर, कोठी, जिधर देखो मजदूरों का ढल ढट बांधकर खड़ा व धूमता दिखाई पड़ता। एक और बाजार के ब्यापारी, दूसरी और सरकारी अफसर व पुलिस परेशान थी, तो तीसरी और मिल-मालिक चिंताग्रस्त। मजदूर यो असंगठित थे, पर हड्डताल के मामले में पक्के दिखाई दिये। इस विकट परिस्थिति में मुझ नौसिखिये को काम करना था। मैंने तुरंत समझ लिया कि इसमें सफलता की कुंजी अहिंसा व मजदूरों की आपसी एकता है। एकता की महिमा तो वे समझते थे, पर अहिंसा की महत्ता समझना याकी था। मैंने इसी की शुरूआत की।

सबसे पहले मैं (अब सर) श्री वापना—चीफ मिनिस्टर—से मिला। क्यों कि जबतक उन्हें चिश्वास न हो कि काम जिम्मेदारी व सचाई से होगा तबतक वहाँ किसी काम की शुरूआत ही नहीं हो सकती थी। वे सुने

बलूची जानते थे । मैंने उनसे कहा—महात्माजी का भेजा मैं भजदूरों की सहायता के लिए यहां आया हूँ । उन्हेंकी पद्धति व सलाह से काम करूँगा । यदि आपको इसमें आपत्ति हो तो मैं लौट जाऊँगा । आपकी इजाजत ही नहीं, सहायता भी इसको निपटाने के लिए प्राप्त करना चाहता हूँ ।

‘बड़ा अच्छा किया जो आप आ गये । आपको हम जानते हैं, विश्वास से बात कर सकते हैं । यहां इनका कोई पृक नेता नहीं । एक से बात करते हैं, वह कुछ तय कर जाते हैं तो दूसरे उनका प्रतिवाद कर देते हैं । ऐसी हालत में समझ में नहीं आता कि बात नक्की कैसे की जाय, व किनसे की जाय । अब आप आ गये हैं तो मुझे भी आशा है कि रास्ता जल्दी निकल जायगा । मैं तो आपका स्वागत ही करता हूँ ।’ फिर भजदूरों के रवैये को शिकायत करने लगे । कहा—‘सरदार किबे इस महकमे के मिनिस्टर हैं, आप उनसे भी मिल लीजिए ।’

मैंने उन्हे बहुत धन्यवाद दिया व आश्वासन दिलाया कि भजदूरों को शांति की ओर ले जाना मेरा कर्तव्य ही है । रियासत के खातिर नहीं, भजदूरों के अपने हित के लिए । सरदार किबे ने भी बहुत सहानुभूति दिखाई व मेरे आ जाने पर खुशी जाहिर की ।

अब मैंने भजदूरों को शांति, अनुशासन व संगठन की राह पर लाने का उपाय किया । उनके कुछ अशुद्धों को छुलाया । उनसे कहा—‘आप लोगों ने अहमदाबाद से एक आदमी मांगा था, महात्माजी ने मुझे आपकी खिदमत के लिए भेजा है । मेरा फर्ज होगा कि जी-जान लड़ाकर आपकी मदद करूँ व हडताल को कामयाबी पर पहुंचा दूँ । लेकिन यह आपको मदद के बगैर नहीं हो सकता । आप ही का काम है, लिहाजा आप तो मदद करेंगे हो—पर आपको यह समझ लेना चाहिए कि वह मदद किस तरह की होनी चाहिए । अपनी असली लड़ाई मिल-मालिकों से है । घटों का सवाल रियासत से जरूर ताल्लुक रखता है, भगर जब कि ग्रिटिंग इरिड्या में १० घटे हो गए हैं तो इन्हें भी लाजिमी तौर

: ५ :

## योग का पाठ

इसके पहले की एक घटना सुनके लिखनी है जिसने सुनके योग का अस्तव्य पाठ पढ़ाया। सुन्दरखाल को एक रोज रात को दस बजे व उल्टी हुई। वह अक्सर अधिक खा लिया करता था। हम समझे, बदहजमी होगई है। रात का चक—हमारी जान-पहचान अभी ज्यादा नहीं हो पाई थी, न दुनिया का ही कुछ तजरुबा था। मकान-मालिक से कहा तो उसने कहा—सब ठीक हो जायगा, सुबह किसी बैद्य को दिखा देंगे। उसे असल में हैजा होगया था। पिछली रात को जब उसके चिह्न खराब दिखाई देने लगे तो हम बवरये व बैद्य को डुलाकर लाते हैं, तब तक वह चल बसा। सुक पर तो मनो पत्थर पड़ गये—अब काका साहब व काकी को क्या सुंह दिखायेंगे? सबसे बड़ी चोट तो यह लगी कि बिना दवा-दारू के ही लड़का हाथ से चला गया। इस सुझाता व गफलत के लिए मैंने आज तक अपने को माफ नहीं किया। जब-जब याद आती है, शूल की तरह सुभंती है और यह भाव मिटाये नहीं मिटता कि मेरी गफलत उसकी मृत्यु की जिम्मेदार है।

उसका दाहकर्म करके उसी दिन हम काशी से बरहलगांज पहुंचे। चाचाजी को देखते ही मैं धड़ाम से गिर पड़ा व बेहोश होगया। इधर सुन्दरखाल का चियोग, उधर काकी का करण-क्रन्दन, सामने मैं बेहोश। उनकी व्यथा की कथा कौन लिख सकेगा? मगर देखने वालों ने कहा कि उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं पड़ी। ज्ञोग मातम-पुरसी के लिए

आपके लिए लड़ने को महात्माजी ने मुझे भेज दिया है। अब आप शांति से घर में अपने बाल-बच्चों के साथ रहिए। जब जरूरत होगी तो समा बुला लेंगे। यो भी आपको बाल-बच्चों के साथ रहने का भौका बहुत ही कम पड़ता है। ईश्वर की दया से यह हङ्गामा का भौका मिल गया है तो इसे इधर-उधर धूम कर क्यों गंवाते हैं? आप लोग एक-दो दिन के अन्दर ही शहर में यह हालत पैदा कर दीजिए कि चारों तरफ मजदूरों की बाह-बाह होने लगे।

‘अब हस लड़ाई में महात्माजी का एक उस्तूल आपको और अच्छी तरह समझ लेना होगा। वह है शान्ति का। अगर आप शान्ति के रास्ते पर चलना मंजूर करेंगे तो तभी महात्माजी की ताकत हमें मिल सकेगी, व तभी मैं भी कुछ काम कर सकूँगा। वरना सब बैकार होगा। रियासत भी तभी हमारी तरफदार बनेगी। जहाँ हमारी तरफ से कुछ भी मार-पीट या दंगा-फसाद होगया तो सरकार व पुलिस की बन आवेगी व मालिक लोग हजार गुना मजबूत हो जायेंगे। महात्माजी भी हमें ही कसूरवार ठहरावेंगे। इसलिए यदि आप अपने घरों में शांत होकर बैठ जायेंगे तो बहुत-सी उलाफने एक साथ ही सुलझ जायेंगी व मैं शेर की तरह आप लोगों की तरफ से लड़ सकूँगा।’

यह सलाह मजदूरों को जंच गई व वे एक-दो दिन में ही अपने-अपने घरों में रहने लग गये। श्री वापना साहब ने मुझे एक दिन कहा कि टेलर साहब (तत्कालीन पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल) आपकी तारीफ करते थे कि उन्होंने आते ही मजदूरों को खूब कानू में कर लिया। अब शहर में दंगे-फिसाद या लूट-मार का कोई अदेश नहीं रह गया है।

‘यह तो मुझे मजदूरों के हित में करना ही था—मुझे सुशी है, अगर हससे पुलिस को व आपको सन्तोष हुआ हो।’

अब मैंने मजदूरों को एक कदम और आगे ले जाना चाहा। यह बड़ी कड़ी गोली थी और मुझे अदेश ही था कि मजूर लोग कहाँ तक इसे गले के नीचे उतार सकेंगे। परन्तु परमात्मा ने यहाँ भी सहायता की।

सरकारी अधिकारियों की, शहरियों की सहानुभूति प्राप्त करके अब मुझे मालिकों से मिलने व समझौते की बातें करने का रास्ता खोलना था। वह तभी ही सकता था जब मैं पहले कोई ऐसा काम करूँ जिससे मालिकों को मेरी सद्भावना का यकीन हो। अधिकांश मुझे जानते जरूर थे, लेकिन मैं तो इस समय मजदूरों का तरफदार और इसलिए उनके हितों का विरोधी (?) जो था। इसके लिए मैंने सर हुक्मचन्दजी के घर जाकर उस गाली-गुप्ता कर आने वाली घटना से लाभ उठाना उचित समझा।

मैंने मजदूरों के चुने हुए नेताओं को एक जगह बुलाया। उनसे मैंने पूछा कि हम जो लडाई लड़ रहे हैं यह शरीकाना ढंग से हो या गंवारू ढंग से? मजदूरों की इज्जत किस तरह की लडाई से बढ़ सकती है? लडाई हमारी बोनस की व बण्टो की है, हड्डताल उसमें हमारा सबसे बड़ा व अच्छा हथियार है। गाली-गुप्ता व मार-धाढ़ से क्या हमारी इज्जत दुनिया के सामने बढ़ सकती है? मैं यह चाहता हूँ कि सुद हमारे हुरमन भी—मालिक लोग भी—महसूस करने लगे कि मजदूर हमसे भी ज्यादा शरीक होते हैं। ऐसा नकाजा निकले तो आप लोगों को अच्छा लगेगा न?

‘लगेगा तो जरूर; पर यह होगा कैसे?’

‘इसका रास्ता मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी २-४ रोज पहले’ कुछ मजदूर हुक्मचन्दजी के यहाँ गाली-गुप्ता कर आये व उनके घर के कांच टोड़-फोड़ आये। इससे उनकी इज्जत लोगों की निगाह में गिरी है। वे समझने लगे हैं कि मजदूर तो गुण्डों की टोली हैं। जो खाते पसीने की कमाई खाते हैं—१३-१४ घण्टे सख्त मेहनत की रोटी खाते हैं, वे जरा-सी बात में ‘गुण्डे’ कहलाने लग गये। इसकी रोक-थाम हमें अभी से कर लेनी चाहिए। हमारी लडाई लम्बी चल सकती है और ऐसे हर भौंके पर हमें यही सवित कर देना है कि मजदूर मालिकों से कम शरीक नहीं हैं। लिहाजा मेरी तजबीज तो यह है कि आप लोग मजदूरों की तरफ से सेठ हुक्मचन्दजी से मिलें।’

‘साहब हम लोग मिलेंगे तो मजदूरों को शक न होगा कि मालिकों से क्यों मिले ?’

‘नहीं, आप मेरी चिट्ठी के साथ उनसे मिलिये। तब ऐसे शुब्द की जुँजायश नहीं रहेगी।’

‘और क्या कहें उनसे ?’

‘मैं चिट्ठी लिख दूँगा, आपको कुछ ज्यादा न कहना होगा। सिर्फ इतना ही कह दीजिएगा कि उस रोल मजदूरों ने जो गाली-गुफ्ता किया, उस पर हम लोगों को बड़ा अफसोस हो रहा है। हम आपसे रजीलों की नहीं, शरीफों की लडाई लड़ना चाहते हैं।’

‘तो हस्से मालिक यह न समझेंगे कि हमारी खुशामद करने आये हैं।’

‘पहले तो अपने दिल पर हाथ रखकर देखो कि क्या सचमुच खुशामद करने जा रहे हो। यदि नहीं तो फिर उन्हें जी चाहे सो समझने दो। जब तक हमारी हड्डताल जारी है कोई यह नहीं मान सकता कि हम किसी की खुशामद करने जा रहे हैं। हम सिर्फ एक गलती को ठीक कर रहे हैं, जिससे मजदूरों की इज्जत व ताकत बढ़ेगी व उनकी गिनती शरीफों में होने लगेगी।’

कुछ और समझाने के बाद वे राजी हो गये। मैंने सेठ हुक्मचन्दजी के नाम एक पत्र हस्से आशय का लिखा—

“आपने सुना ही होगा कि मैं महात्माजी के आदेश से मजदूरों में काम करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले कुछ मजदूर आपके यहाँ जाकर गाली-गुफ्ता कर आये व कांच भी तोड़फोड़ ढाले। उनका यह काम महात्माजी के बताये अहिंसा के तरीके के खिलाफ था। मैंने उनके नेताओं से बातचीत की तो उनकी भी यही राय होती है कि यह अच्छा नहीं हुआ। मजदूर शरीफों की लडाई आपसे लड़ना चाहते हैं, अतः ये लोग उस घटना पर खेद प्रकाशित

करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। आशा है, आप इन्हें उस दिन के कार्य के लिए माफी देने की कृपा करेंगे।”

मजदूर-नेताओं ने मुझे लौटकर रिपोर्ट दी कि पत्र पढ़ते ही सेठजी ने हमें गले लगा लिया और कहा—आप सोग तो मेरे वेटा-वेटी हो। मैं तो उस बात को उसी दिन भूल गया। मुझे भी पत्र का जवाब दिया—‘मजदूर तो मेरे वेटा-वेटी हैं। मैंने उसी दिन उन्हें छामा कर दिया था। आपके इस पत्र के लिए धन्यवाद।’

अब मालिकों से समझौते की बातचीत का रास्ता सुल गया।

: २५ :

## मालिकों पर असर

मजदूरों की इस अहिंसा का प्रभाव मालिकों पर स्पष्ट दीखने लगा। धण्डों के बारे में तो राजप्र ने फैसला कर दिया। १० घण्टे रोज मिल चलने का आईर निकल गया। बोनस देने के लिए मालिक लोग राजी हो रहे थे; भगव उन्होंने यह पख लगाई कि धण्डे यदि कम किये जाते हैं तो मजदूरी भी कम होना चाहिए। समझौते को बातचीत के दर-मिथान वे नफा-नुक्सान, मजदूरी, रेट आदि की बहुतेरी ढलीलों पेश करने लगे जिनके बारे में मेरा ज्ञान नहीं के बराबर था। मैंने जाल साहब व सर हुक्मचन्दनजी से स्पष्ट कह दिया कि इस विषय में मेरा ज्ञान कुछ नहीं है। अहमदावाद से मैं कोई विशेषज्ञ बुलाऊंगा, वे जो सलाह मुझे देंगे उस पर मजदूरों को राजी करना मेरा काम है। मैं अहमदावाद गया, पूज्य चापूली व शक्तलालभाई ने लाला गुलजारीलाल नन्दा को भेजा। मजूर-महाजन अहमदावाद के सारे कच्चे काम को करने व जमाने का श्रेय इन्हों गुलजारीलालजी को है। उनके आजाने से अब हँडताल व मजदूरों के संगठन को जहां कहूँ गुना बल मिला तहां समझौते का रास्ता भी सरल हुआ। मालिक लोग भी उनकी जानकारी व सज्जनता का लोहा मानने लगे। इसके बाद मजदूरों का जो छद्म संगठन हैंदौर में बना उसका बहुत श्रेय गुलजारीलाल को है। इस सम्पर्क में उनके जिन-जिन गुणों व योग्यताओं की छाप मुझ पर पढ़ी, उससे मैं सदा के लिए उनका प्रशंसक व कद्रदां बन गया हूँ। जब भी अवसर मिले, उनके साथ दो घड़ी रहने की इच्छा होती है।

इसी मजदूरी के सवाल पर हमारी तरफ से यह प्रस्ताव था कि पंच के जरिये फैसला करा लिया जाय। हमने इस सिद्धान्त पर जोर दिया कि यदि मालिक व मजदूर में झगड़ा है, व आपस में नहीं निवटता है, तो पंच के जरिये उसका निपटारा करा लेना चाहिए। मालिक लोग कहते—हम मालिक, वे हमारे मजदूर; हम फैसला करेंगे व उन्हें मानना होगा। सेठ हुक्मचन्द्रजी ने तो एक बार कहा भी कि हम बाप व मजदूर बेटे। हमारे झगड़े हम निपटा लेंगे। आप क्यों बीच में पड़ते हैं? मैंने जबाब दिया था—आप बाप-बेटों में झगड़ा है, आपस में कोई निपटारा हो नहीं रहा है, आपका फैसला मानने को वे तैयार नहीं, क्योंकि आप पर से उनका विश्वास हट गया है। हम चाहते हैं कि आपके और उनके सम्बन्ध मधुर हो जायं, आप पर उनका विश्वास जमने लगे, यह कोई चुरा काम हो तो हम लोग चले जायं, आप मजदूरों से निपट लें। हमारे रहते तो समझौते की भी उभयोद है, मिर जब वे बम्बई से खाबवाला व 'जीनवाला' को ढुकावेंगे तब आपको निष्पटना सुनिकल पड़ेगा।

इस पंच के उस्तुल से मालिक लोग घबराते थे; वास्तविक रूप में झगड़ों के शान्ति पूर्वक, थोड़े खर्च, थोड़े अम व अधिक न्याययुक्त फैसले का इससे अच्छा कोई रास्ता संसार में नहीं है। मालिकों के डर के दो कारण थे—एक तो पंच का सिद्धान्त स्वीकार करने से उनकी एकांतिक सत्ता, जो अब तक मजदूरों पर वे अपनो मान रहे थे, जायम नहीं रहती थी। दूसरे पंच के लिए मजदूरों को तरफ से बाहरी आदमों होंगे और उनको अपने 'धर' में बुसने देना उन्हें हानिकर मालूम होता था। उनकी कठिनाइयों का विचार करके हम लोगों ने यह मंजूर कर लिया कि रियासत के ही आदमी पंच रहें व जहाँ तक बने एक ही आदमी ऐसा तबाश किया जाय जिस पर दोनों पक्षों के लोगों का विश्वास हो। चुनांचे हमने तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री बापना साहब को दोनों तरफ से एक-मात्र पंच नियत करने का प्रस्ताव किया। सेठ हुक्मचन्द्रजी की ओर से इसको

<sup>१</sup> उस समय के बम्बई के उग्रवादी मन्त्र-नेता

पसन्द नहीं किया गया। लेकिन हमारे स्वभाव की सौम्यता, हमारी सद्भावना, भलमनसाहृत, व दोनो पक्ष के लिए सम्मान-पूर्ण समझौते की हमारी इच्छा—एक ही शब्द में हमारी अहिंसा-पद्धति के बे कायल होते जाते थे। एक और हमने जहां हड्डताल को सुट्ट बनाया, तहां दूसरी और मालिकों का या मिल का विला बजह कोई नुकसान न हो, मालिकों या उनके आदमियों का किसी तरह अपमान न हो, इसका बड़ा खयाल रखा। इसका असर उन पर हुए बिना न रहा—यहां तक कि एक बार जब हम निराश होकर सेठ हुकमचन्दजी से आखिरी बातचीत करने गये और कहा कि ‘अब हम लोग जाते हैं, आप पंच बनाने पर राजी नहीं होते और मजदूर इसके बिना दूसरा फैसला मंजूर नहीं कर सकते, सिवा इसके कि उनकी मांग ज्यो-की-स्यों मंजूर कर ली जाय—अर्थात् घण्टे कम करने की बजह से एक पाई भी मजदूरी कम न की जाय—तो हमारा ज्यादा रहना फिजूल है। मजदूर अब तक एक संगठन, एक अनुशासन में थे, शान्ति का पाठ सीख रहे थे। अब हमारे जाने पर वे अपने-आप स्वतन्त्र हो जायंगे, अब आप जानें और वे जानें।’ तो उन्होंने हमसे कहा—‘नहीं, फैसला तो आप ही लोगों से कराऊंगा। आप हमारी कठिनाइयों को समझने का यत्न करते हैं।’ मजदूरों के तो हम विश्वास-पात्र इसीलिए थे कि उनकी चाजिव मांगों पर हम बराबर ढढ बने रहे। उनके सङ्घठन को मजबूत बनाते रहे, हड्डताल के सिलसिले में हर तरह की सहायता व सुविधा उन्हें देते रहे।

इसका प्रमाण नीचे लिखे संचाद से मिलता है जो एक मालिक व हमारे एक मान्य मित्र के बीच हुआ था—

**मालिक**—‘हड्डताल तो जल्दी खत्म होती दीखती नहीं।’

**मित्र**—‘क्यों, हरिभाऊजी तो समझौते का बहुत उद्योग कर रहे हैं।’

‘क्या कर रहे हैं, उनके आजाने ही से तो हड्डताल इतनी मजबूत व लम्बी होगई। नहीं तो अब तक हमने मजदूरों को ठीक कर दिया होता।’

मित्र को हुरा लगा। ‘हां, हरिभाऊजी ने आकर गलती की, नहीं

तो………साहब की नाक अब तक उड़ गई होती ! और आप भी खुले आम मौद्र पर दौड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे ।'

इधर मालिकों का हृदय हमारी ओर आकर्षित होता था क्योंकि हम उनकी कठिनाइयों व प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखते थे । बारिश के दिन थे । हृदयाल ऐसी मुकम्मिल थी कि मशीनों को टेल देने के लिए भी मालिकों को आदमी नहीं मिलते थे । उन पर जंग चढ़ रहा था, व बहुत खराब हो जाने का अन्देशा था । जाल साहब ( हुकमचन्द्र श्रूप के भैनेलिंग डायरेक्टर ) ने बात-चीत के दौरान में मुझसे कहा—‘उपर-ध्यायजी, एक बड़ा नुकसान हमारा हो रहा है और उससे मजदूरों का कोई फायदा नहीं । आपकी मदद के बिना वह नुकसान रुक नहीं सकता, उसमें मजदूरों को भी कुछ तो नुकसान होगा ही । तभाम मशीनों पर बारिश की बजह से जंग चढ़ रही है । उन्हें जल्दी /ही टेल न दिया जायगा तो बहुत खराबी पैदा हो जायगी । आसिर एक रोज मिल तो चलनी ही है । जंग चढ़े सांचे मजदूरों को मिलेंगे तो कई दिन वे भी पूरा माल न बना सकेंगे व उनकी आमदनी पर इसका असर पड़ेगा ।

मैंने महसूस किया कि इनका यह कह सच्चा है, और मजदूरों के इष्ट-विन्दु से भी इस पर सोचने की जरूरत है । मैंने पूछा ‘तो आप क्या मदद चाहते हैं ?’

‘सिफँ इतनी ही कि थोड़े से आदमी—मजूर दे दीजिए जो मशीनों को टेल दे दें ।’

मुझे सन्देह हुआ कि कहीं हृदयाल लोडने की तरकीब तो न हो । क्योंकि हृदयाल प्रायः तभीतक कायम रहती है जबतक एक भी आदमी मिल के अन्दर न धंसने पाये । जहाँ एक भी हैंट सिसकी कि सारी हमारे ढहने की शुरूआत समझिए । अतः मैंने कहा—‘आदमी भेजने से तो हमारी हृदयाल में कमजोरी आ जायगी । आपके खोगे उन्हें चहका-चहकाने मिल चलने की कोशिश करेंगे ।’

‘नहीं, मैं बादा करता हूँ कि ऐसा हरणिंज न होगा ।’

मैं सोच में पढ़ गया कि क्या किया जाय ? मैंने कहा—‘अच्छा सोचूँगा ।’ मैंने तब किया कि मजदूरों के आगेवानों के सामने थह्र मसला रखा जाय । जो शक मुझे था वही उन्हें भी हुआ । लेकिन हमने उन्हें समझाया कि अपना कगड़ा मालिकों से है, कार-खाने या मशीनों से तो ही नहीं । मशीन को नुकसान पहुंचाने से अपना क्या फायदा होगा, उबटा कुछ समय तक मजदूरों को भी नुकसान ही उठाना पड़ेगा ।’ तब सवाल हुआ कि उन्हें मदद कैसे पहुंचाई जाय ? किसी ने, शायद लालाजी ने ही, सुझाया कि एक शर्त पर हम अपने आदमी भेज सकते हैं—‘मालिकों का कोई आदमी उनसे बातचीत न करे । उन पर निगाह रखने के लिए तेल देने वाले आदमियों के साथ हमारा एक विश्वास-पत्र आदमी अन्दर जायगा, और यदि मालिकों के किसी भी आदमी ने उनसे कुछ भी बात-चीत की तो सब तेल वाले उसी दम लौट आयेंगे, और फिर मिल में पांव न रखेंगे, भले ही मशीनें व कारखाना चौपट हो जाय ।’

जाल साहब ने यह शर्त मंजूर की व मशीनों को तेल देने की सुविधा कर दी गई । इस घटना का असर खुद जाल साहब व उनके द्वारा मालिकों पर भी पड़ा । व इसके फल-स्वरूप आगे चलकर सभ-कौते का एक मार्ग निकल आया ।

जब हम खुद न्याय पर दृष्टि रखते हैं, हक से अधिक अपने या अपने पक्ष के लिए कुछ नहीं चाहते, व साथ ही अपने विरोधी की हानि, कठिनाई व मान-सम्मान का व्याप रखते हैं तो हमारी गति व प्रगति इतनी जोरदार व निश्चित हो जाती है कि संसार में उसे कोई शक्ति कुण्ठित नहीं कर सकती । क्योंकि विरोधी का दाव तभी चलता है जब हमारे पक्ष में कोई अनैतिक या गलत बात होती हो । तटस्थ आदमी भी हमारे तरफदार होने लगते हैं; क्योंकि उन्हें हमें दोष देने के लिए कारण नहीं मिलता । अहिंसा-मार्ग की यही खूबी है ।

इस घटना के फल-स्वरूप एक दिन मालिकों की तरफ से एक मित्र

ने मुझे सुकाया—‘उपाध्यायजी, आप लोगों की सद्भावना की मैं दाद देता हूँ। इसलिए मैंने बहुत सोचा कि आखिर क्या रास्ता निकाला जाय जिससे आपका पंच का उसूल भी कायम रहे व मालिकों को भी कोई घाटा न हो। मुझे एक बात सूझी है, पर वह ऐसी अटपटी कि शायद आपके गले न उतरे। मगर मुझे उसके सिवा अब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और मुझे विश्वास होता है कि आप उसे मंजूर कर लें तो मजदूरों का भी कोई नुकसान न होगा।’

‘जल्द बताहए।’

‘आप सेठ हुकमचन्द को हुकमचन्द श्रृंप का पंच दोनों ओर से मंजूर कर लीजिए। इससे सब फ़गड़ा खत्म हो जायगा।’

मेरे दिमाग में मानो किसी ने विजयी चमका दी। बिना ज्यादा सोचे ही मुझे, मानो अन्तःप्रेरणा से, यह लगा कि निश्चय ही यही एक-मात्र हल है, और इसमें मजदूरों की कोई हावि नहीं। मैंने सोचा कि इस समय सचमुच ही हुकमचन्दजी मजदूरों को खुश करने की कोशिश करेंगे, व मजदूरी नहीं काटेंगे। परन्तु दूसरी तरफ जिनसे फ़गड़ा उन्हींको पंच बना देने की बात लोक-टटि में भाँड़ी ही लग सकती है। सचमुच यदि मालिक मजदूरों के हतने विश्वास-पात्र बन जायें तो इसे अहिंसा की चड़ी विलय कहना होगा, परन्तु इसमें दोनों ओर से अपने ज्ञानालभ की ही दृष्टि प्रधान थी। मालिकों के पह भैं यह बात पढ़ती थी कि उन्होंने खुद ही पंचकी हैसियत से—इस फ़गड़ेको लिपटाया और यदि रियायत की गई तो यश उन्हीं को मिलेगा। मजदूरों के पह भैं मुझे यह जंच रहा था कि और कोई पंच होंगे तो जल्द थोड़ी-बहुत कटौती हो जायगी; परन्तु हुकमचन्दजी के होने से, कम-से-कम इस समय तो—कटौती नहीं होगी।

परन्तु इन्होंने मैं अपने जिस किसी मित्र से मैंने इसकी चर्चा की उन्होंने मेरी दिल्लगी उडाते हुए कहा—‘खब, हुकमचन्दजी को आप पंच बनायेंगे, मजदूरों में अपनी इज्जत सही-साकामत रखनी हो तो ऐसी

जिम्मेदारी न लेना । मालिकों का क्या भरोसा ? जिनसे झगड़ा उन्हीं के हाथ में मजदूरों की गर्दन दे देना तो परले सिरे की सूखता होगी ।' छाँटे से लेकर बड़े तक की टीकाओं का यह सारांश है । लेकिन मुझे तो जंच गया था कि इसके सिवा दूसरा हल नहीं, मजदूरों की कटौती बिलकुल न होगी । अतः इस टिप्पणी व उपहास के बातावरण में भी मेरा विश्वास दृढ़ बना रहा ।

मैं अहमदाबाद पहुंचा । लाला गुलजारीलाल ने सुनते ही उपहास के स्वर में कहा—‘खबूल ‘आफर’ लाये आप ? हुनिया क्या कहेगी ? मजदूर कभी इसे पसन्द भी कर सकते हैं ?’ मैंने कहा—‘यह कितनी ही हास्यास्पद बात हमें दीख पड़ती हो; पर हल यही है, व इसमें मजदूरों की कोई हानि न होगी—इसका मुझे विश्वास होता है । सारी परिस्थिति के अध्ययन का जो सामूहिक असर मेरे मन पर पड़ रहा है उसके फल-स्वरूप मेरी अन्तरात्मा यही कहती है ।’ जब मैंने बहुत जोर दिया तो हम लोग शंकरलालजी बैकर के पास गये । उन्हें भी यह प्रस्ताव बिलकुल नहीं जंचा । अन्त में बापूजी के पास हम सब लोग गये । उन्हें भी यह अटपटा तो लगा; पर मैंने अपना सारा दृष्टि-बिन्दु खोलकर रखा व अपना आत्म-विश्वास प्रकट किया तो वे बोले ‘तो अच्छा, इसको सामने रखकर चलो, मगर मजदूरों की राय न हो सो यह न करना ।’ मामला विकट व प्रसंग बढ़ा नालुक था । जोखिम भी कम नहीं थी । मजदूरों में तरह-तरह के तर्क फैलने का अन्देशा था । अतः लालाजी भी मेरे साथ आये । यह हमारे दुनिं-कौशल व अहिंसा दोनों की परीक्षा का विकट अवसर था । यद्यपि इस ‘आफर’ को दुकरा देते हैं तो फिर चारों ओर अन्धकार के सिवा कुछ नहीं दीखता था, यदि स्वीकार करते हैं तो सिर पर नंगी तलवार लटकाने के बराबर था । अतः बहुत फूँक-फूँक कर चलने का हम लोगों ने निश्चय किया । मजदूरों के सामने इस सुझाव को रखने के पहले हमने खुद सेठ हुकमचन्दजी से ही बात-चीत करने का निश्चय किया व उसका परिणाम देखकर आगे कार्य-क्रम विरिचित

करना तथ किया। उनके रुख का हम पर अनुश्वल ही असर हुआ—हमने सेठ साहब से कहा—‘मजदूरों को आप अपना बेटा कहते हैं, अब आप के ही सिर पर पंच की हैसियत से फैसला करने का बोझ पड़ना चाहता है, आप ने बेटों को प्रसन्न करने का अवसर खो दिया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम मजदूरों की तरफ से आपसे कोई रियायत नहीं चाहते, सिर्फ न्याय चाहते हैं।’ उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि वे पंच की हैसियत से न्याय ही करेंगे, परन्तु आप की हैसियत से मजदूरों के प्रति हृदय में सहानुभूति भी रखते हैं। हस्से सुने व लालाजी को भी उत्साह मिला। बाद में इस चीज को मजदूरों के आगेवानों व फिर मजदूरों के गले उतारने में लालाजी ने जो चारुर्य प्रदर्शित किया उसकी सुरक्षा पर गहरी छाप पढ़ी। उनके सुझाव पर मजदूरों के आगेवानों का एक शिष्ट-मण्डल सेठ साहब से मिलने भिजवाया। उसने कहा—‘सेठ साहब की बातचीत का हम पर अच्छा असर हुआ है, हमें विश्वास हुआ है कि वे अपने साथ इस समय न्याय ही करेंगे। मजदूरों की गर्दन नहीं काटेंगे। लेकिन आप लोग भी उनसे मिल लीजिए—आपके दिलों पर भी ऐसा असर पड़े तो हम सब मिलकर मजदूर भाइयों को इसके लिए समझायेंगे। इधर सेठ साहब से हमने कहा—‘हमें तो यह प्रस्ताव लंच गया है, परन्तु जब तक मजदूरों को न जंचे तब तक आपनी जिम्मेदारी पर यह जोखिम लेना हम नहीं चाहते। मजदूरों के आगेवान आपसे मिलेंगे। उनपर जो असर आपके रुख का पड़ेगा उसीसे उन्हें मजदूरों को समझाने का उत्साह या अनुत्साह मिलेगा और उसी मात्रा में हम भी उसमें सफल या असफल होंगे।’

आगेवान लोग बहुत प्रभावित होकर लौटे। तब मजदूरों की आम सभा दुकाकर उसमें प्रस्ताव की चर्चा की। सेठ हुक्मचन्दजी तथा (स्व०) द्रविड वकील को मजदूरों की तरफ से पंच घोषित किया गया। हुक्मचन्द शुप के लिए हुक्मचन्दजी व मालिका भिल के लिए द्रविड साहब मालिक व मजदूर दोनों की तरफ से पंच नियत किये गए। इस पर अधिकांश मजदूरों

के दस्तखत करा लिये गए। दो महीने के बाद दोनों ने फैसला दिया जिसमें मजदूरी न काटने की घोषणा की गई। इस तरह मजदूरों की तीनों मांगें (१) बोनस मिले, (२) काम के घरटे १० कर दिये जाएं, (३) मजदूरी न काटी जाए, पूरी हुई। चौथा लाभ यह हुआ कि मजदूर-संघ कायम हो गया, जिसके सभापति श्री द्रविड वकील, उपसभापति जाल साहब व मैं, प्रधान मंत्री लाला गुलजारीलाल बनाए गए।

लालाजी कहते थे कि ऐसी सफल हड्डताल हिन्दुस्तान में यह पहली ही है जिसमें मजदूरों की सब मांगें पूरी हुई हों व इतने लाभ एक साथ हुए हो।

: २६ :

### हृदय-मन्थन

इस हड्डाल के सञ्चालन व शुभ समाप्ति के दरमियान ऐसे कितने ही अवसर आये जिनमें मेरा खूब हृदय-मन्थन हुआ। कई नवे अनुभव हुए और विश्वास भी बहुत बढ़ गया। अहिंसा का पालन कैसे एक और मनुष्य को तेजस्वी व अदम्य बनाता है, तथा दूसरी ओर समझदार (reasonable) सम्भव व विनम्र बनने के लिए विवश करता है, इसका अनुभव हुआ। मजदूरों की जाहिरा अहिंसा ने सरकार, मालिक व भाग-रिक सब पर असर किया व दीनों की ओर से उन्हें प्रशंसा प्राप्त हुई। इसके दो-तीन अनुभव यहां देने लायक हैं।

हड्डाल के विलासिके में मुझे प्रधान मन्त्री से अक्सर भिलाना पड़ता था। मैंने उनसे चाहा कि इस भास्तु में सरकार किसी का पहुँच न ले। घण्टे का फैसला कर देनेके बाद जब तक मजदूरों की तरफ से शान्ति भंग नहीं होती, सरकार को दखल देने की कोई जरूरत नहीं पैदा होती। आप या तो समझौते की कोशिश कर सकते हैं या तटस्थ रह सकते हैं। तरफ-दारी आप किसी की न करें। क्योंकि मजदूरों को यह अन्देशा है कि सरकार मालिकों के साथ है। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि 'सरकार न मालिकों का तुक्सान चाहती है, न मजदूरों का। वह शान्ति चाहती है व चाहती है कि मिलें अलदी चालू हो जायें। इसमें जो विज्ञ ढालेंगे उनसे सरकार नाराज होगी।' चूंकि मजदूरों की बहुतेरी शिकायतें पुलिस व मालिकों की तरफ से उन तक पहुँचती रहती थीं, इसलिए मैं उनसे

जब-तब मिल लिया करता था व मजदूरों की स्थिति स्पष्ट कर दिया करता था। एक बार मालिकों में से एक ने उनसे कहा—‘आप तो मजदूरों की तरफदारी करते हैं। हरिभालजी वार-वार आपसे मिलते हैं, इससे आपकी सहाजुभूति पुक ही तरफ बढ़ती जा रही है।’ इसके बाद जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने इस संवाद का जिक्र किया। मैंने समझा शायद इनकी भव्यता यह हो कि मैं उनसे न मिला करूँ। मैंने कहा—‘आप खुद देख सकते हैं कि मैंने मजदूरों की तरफ से कोई अनुचित वात आपसे चाही हो, या मालिकों के लिलाफ आपको कभी भरना चाहा हो। मजदूरों की स्थिति आपके सामने गलत तौर पर न आती रहे, इसी की चिन्ता मैंने रखी है। फिर भी आपको ऐसा लगता हो कि मेरा आना अवाञ्छनीय है तो मुझे न आने से कोई दुःख न होगा। सिर्फ इतना ही कि मुझे मजदूरों की तरफ से बहुतेरी बातें सार्वजनिक रूप से कहनी व लिखनी पड़ेंगी, जिनसे समस्याएं और उलझ सकती हैं। वैसे यह एक चरह से अच्छा भी है। मैं मजदूरों की तरफ से जो कुछ उचित दीखे करने के लिए स्वतंत्र रहूँगा, आप राज्य को और से स्वतन्त्र ही हैं। लेकिन इसमें, सम्भव है, मुझे राज्य से उलझ जाना पड़े और आपको भी कहु-कर्तव्य का पालन करना पड़े। मालिक लोग अगर इसमें सुश इत्तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।’

उन्होंने कहा—‘नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। मैंने तो यों ही चलत् बात आपको सुना दी। मैं जो कुछ करता हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझ कर ही करता हूँ।’

×                    ×                    ×                    ×

यह सुमाव आया कि श्री वापना साहब को दोनों ओर से पंच बना दिया जाय। इन सुमाव की खूबी यह बताई गई थी कि वे राज्य के प्रतिनिधि हैं, अतः मालिकों के हित उनके हाथ में सुरक्षित हैं। पंच हैं, इस-लिए मजदूरों के साथ भी न्याय ही करेंगे। फिर ‘वाहरी आदमी पंच न हो’ इस आवाज का भी समाधान इसमें हो जाता है। ये दलीलें मौजूद

झोते हुए भी मुझे यह आशंका ही रही कि बापना साहब को पंच बनाने में मजदूरों को धारा रहेगा। मालिक ज्ञोग => रूपया मजूरी काठना चाहते थे। मुझे यह अन्देशा था कि बापना साहब दोनों पक्ष को राजी रखने के लिए —) जस्त काटने का फैसला देंगे। इधर उनके सौजन्य की छाप बराबर मुझ पर थी। दूसरा हल भी नहीं दिखाई देता था। उधर मजदूरों के तुकसान होने का भी डर। इस कशमन्त्र से मैं एक दिन-रात बैचैन रहा। मुझे रात-भर नींद नहीं आई, व परमात्मा से प्रार्थना करता रहा कि कहीं बापना साहब को पंच बनाने की जिम्मेदारी लेकर मैं भजारों मजदूरों की हानि की जोखिम तो नहीं ले रहा हूँ। अन्त में खाला-जी व मैं दोनों इसे स्वीकार कर लेने के ही जरीले पर पहुँचे। ईश्वर की दशा ही समझनी चाहिए, कि मजदूरों की तरफ से स्वीकृति-पत्र चला जाने पर भी हुक्मचन्द्र शुप वालों ने इसके मंजूर नहीं किया। मुझे शब भी यही लगता है कि बापना साहब —) जस्त कटवाते; परन्तु परमात्मा को यह मंजूर नहीं था, अतः हुक्मचन्द्रजी को पंच बनाने जैसा अटपटा ग्रस्ताव कराके भी अन्त को उनसे मजदूरों का १ पैसा भी न कटने दिया। इससे मेरी ईश्वर-भक्ति बढ़ी, और कुछ ऐसा अनुभव करता हूँ कि जिस काम का शुभ परिणाम न निकलने वाला हो उसका कुछ स्टका पहले ही से हो जाया करता है। यह भी अनुभव होता है कि किसी अवाञ्छनीय बात को ओर प्रवृत्ति होती हो तो भगवान् न जाने कहाँ-कहाँ से किस तरह उसमें रकावट ढाल देता है। इसे मैं भगवान् की अपने ऊपर कृपा व बड़े दूरों तथा गुरुजनों का आशीर्वाद ही समझता हूँ। ऐसा भी अनुभव कहूँ चाह हुआ है कि किसी व्यक्ति को देखते ही अचानक मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई गहरी खराबी होनी चाहिए, वावजूद तमाम जाहिरी अच्छाएँ हीं के मेरा वह स्टका बना ही रहा व अन्त में कुछ समय बाद उसका गहरा पोल-खाता खुला। मैंने यह भी अनुभव किया है कि जब अन्तःकरण की शेरणा पर चलता हूँ तो फाड़ी-मझ्हड़, कुएँ-खाई में गिरते हुए भी साफ—शाक बाहर निकल आता हूँ, लेकिन झुँझि की कठर-च्योंत

में पढ़ जाता हूँ तो धक्के खाता रहता हूँ। फिर भी कई बार अन्तरालमें की आवाज पर चलने की हिम्मत नहीं होती, हालांकि कल्याण उसी में दीखता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस अंश तक मनुष्य की आत्मा में मतिनता होती है, कोई कसर व कच्छाई होती है, उसी अंश तक उसमें ऐसे साहस का अभाव पाया जाता है। उस मतिनता के स्वरूप पर विचार करता हूँ तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मलसर—इनमें कोई एक या अधिक विकारों का आवरण आत्मा पर छाया हुआ होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से काम व अहंकार का आवरण मुझे और विकारों से अधिक दबाये हुए है। मैं जाग्रत रहकर उनसे लड़ने में प्रयत्नशील हूँ। फल तो सर्वथा परमात्मा के ही अधीन है।

हठताल चलते-चलते कई दिन हो गये। मालिकों ने बापना साहब जैसे तक को पंच बनाना मंजूर न किया तो एक ऐसा अवसर आ गया जब लालाजी व मैं—दोनों बिलकुल निराश हो गए। मंजूर बार-बार आकर हमें ढाठने लगे कि आप लोगों से कुछ न होता हो तो अब हमें क्षुटा छोड़ दीजिए। हम अपने बल-बूते—मतलब मार-धाढ़ लूट-पाट-पर दो दिन में फैसला करा लेंगे। मालिक लोग एक-न-एक बहाना निकालते रहते हैं और आप लोग कोई जोर नहीं लगाते। अब आपके तरीके से काम नहीं होता दीखता। हमें क्यों रोक रहे हैं? बमुद्रिकल तमाम हमने उनसे १०-१५ दिन का समय और मांगा और रात को दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि अब तो यहां से अपना-सा मुँह लेकर ही वापिस लौटना होगा। इससे चित्त बहुत भारी-भारी हो रहा था। लालाजी तो शायद १-२ दिन में अहमदाबाद चले गये। मैं अकेला नित्य परमात्मा से प्रार्थना करता कि आखिर क्या इसीलिए तूने मुझे अजमेर से यहां मिजवाया? यह तो शुरू में ही मुँह काला कराने का ढंग बना दिया। अच्छा अगर तेरी यही मर्जी है तो यही सही। हमारा मुँह काला भड़े ही हो, पर तेरी मरजी होने दे। इस प्रार्थना के बाद मेरे हृदय का भार हस्ता हो गया। मैं इस दुष्परिणाम के लिए तैयार हो गया और अब एक

वैज्ञानिक की तरह अलिप्त भाव से परिस्थिति को देखता रहा। तुष्ट ही दिनों में भालिकों की तरफ से एक सज्जन ने सर सेठ हुकमचन्दजी को पंच बजाने का सुझाव पेश किया, जिसमें मुझे वास्तविक हळ दिखाई दिया और अन्त को ऐसा ही सावित भी हुआ।

२७ :

## एक नई कसौटी

इन्दौर से फारिग होते ही एक नई कसौटी सामने आ गई। नीमच (छावनी) में यादव-युवकों का एक संगठन अर्से से चला आरहा है। ये लोग काम तो इमारत आदि बनाने का करते हैं; परन्तु गिनती हरिजनों में होती है। इन्होंने सवर्णों की अनुमति से अपना एक स्वतन्त्र मन्दिर बनवाया। इस पर किसी सनातनी ब्राह्मण ने यह व्यवस्था दी कि जो अलूतों की पूजित मूर्ति का दर्शन करते हैं उनकी कई पीढ़ी नरक में जाती हैं। इससे दोनों में बड़ी कशमन्कश चल रही थी। पैसे बातावरण में वहाँ के यादव-युवकों ने एक परिषद् की आयोजना की व उनकी तरफ से वहाँ के प्रसिद्ध—अब स्व० सेठ श्री नथमलजी चोरगिया राजस्थान सेवा-संघके मंत्री श्री रामनारायणजी चौधरी को उसके सभापतित्वके लिए लिवाने आये। वे नहीं जा सके व उन्होंने उनको मुझे ले जाने का संकेत किया। चोरगियाजी का यह प्रथम ही परिचय मुझे हुआ। नवरात्र के दिन थे। हमारे यहाँ बत व पूजन होता है, और मेरे लिए उन दिनों बाहर जाना सम्भव नहीं था। फिर भी जब हरिजनों का प्रश्न सामने आया तो इस कर्तव्य से मुँह भी नहीं मोड़ा जा सकता था। एक ब्राह्मण के नाते मैं मानता हूँ कि हरिजनों की सेवा में सबसे पहला हिस्सा उनका होना चाहिए और यदि परिस्थितियों ने मुझे मजबूर न कर दिया होता तो अपना जीवन इसी कार्य में दे देता। अपनी इस भावना के कारण मैं बड़ी दुष्कृति में पड़ा। अन्त को यह तय रहा कि मेरे बजाय भाई वैजनाथजी महोदय को सभापति बनाया जाय; मैं साथ चलूँगा, मगर

अष्टमी को, पूजन के दिन, लौट आऊंगा। हमारे साथ श्री कृष्णचन्द्रजी विद्यालङ्कार—अब अर्जुन के सम्पादक—व श्री हरिजी—उस समय के बहुचारी हरि, भी थे।

सुबह नीमच स्टेशन पर उतरते ही चोरडियाजी ने संवाद सुनाया कि परिषद् के आयोजन से नीमच, छावनी व बबाना, तीनोंके सवण्ठ हिन्दू चिद गण हैं व उन्होंने परिषद् के तथा परिषद् में सहयोग देने वालों के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया है। तदनुसार हम आगन्तुकों को न कहीं कोई ठहरने को मकान मिल सकता है, न खाने को रोटी या अनाज। हमें इससे पहले इस परिस्थिति की न तो कोई जानकारी ही थी, न कोई आशंका ही। सुनते ही हम सब स्तंभित होगए। ‘हम तो न यहां के लोगों को जानते हैं, न परिस्थिति को। आपके बुलाये हम आ गये हैं। जैसा आप बतावें वैसा किया जाय। लेकिन मैं इतना कह दूँ कि परिषद् किये बगैर हमारा लौटाना बहुत ही बुरा होगा—वाहे जो हो, भले ही एक-दो रोज़ ज्यादा लग जाय, मगर छत्सव जरूर होना चाहिए। चोरडियाजी जवां-मर्द थे। बोले, खाना तो मैं आपको अपने घर खिलाऊंगा। भले ही सुके बिरादरी वाले खारिज कर दें। मगर ठहरने का सवाल विकट है। हरिजनों के यहां हम लोग जान-बूझकर ठहरना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे सवण्ठों के सहयोग का प्रश्न और जटिल होजाने की आशङ्का थी। हमें तो उनका हृदय जीतना था—अहिंसा व सहृदियत से काम करना था। मैंने पूछा कोई धर्मशाला, सराय भी है या नहीं।

‘है तो, मगर उनके मालिक शायद ही हिम्मत करें।’

‘यहां तो आर्यसमाज की बड़ी धूम रहती है। क्या कोई आर्यसमाजों भी ऐसा नहीं है, जहां हमारे ठहरने का प्रबंध होजाय?’

‘धर्मशाला तो एक आर्यसमाजी सेठ की ही है; पर उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि बिरादरी वालों का रोष सहन करें।’

‘धर्मशाला में किसी का क्या लैना-देना। वहां तो सभी यात्री ठहर सकते हैं। क्या यात्री के नाते हमें वहां ठहरने का अधिकार नहीं है।’

आप तो हमें वहीं ठहराइए—जब कोई निकालने आवेगा तब देख लेंगे।'

यह विचार सबको पसन्द आया व चोरडियाजी ने कहा कि आपको निकालने की जरूरत शायद कोई न करे।

तब हम लोग वहीं चले। यादव-युवकों व बालकों व कुछ बड़े-बूढ़ों से विरा हुआ हमारा छलूस छावनी में चला। तो कोई हमें देखकर मुँह बनाता, कोई दूसरी तरफ देखकर थूक देता, चेहरों पर घृणा का भाव फैलकर हमने देखा। जीवन में ऐसे 'स्वागत' का पहला ही अवसर था। हमने हसे परमात्मा की कृपा के रूप में ही अपनाया। जी में हुआ कि चलो यह भी एक नया अनुभव है, देखें इसमें से क्या नतीजा निकलता है।

धर्मशाला में टिक गये व चोरडियाजी के यहां भोजन करने गये। उनका घर में सेठानी से झगड़ा हो गया। वे पुराने विचार की हैं और अपने विचारों की बड़ी दृढ़ भी हैं। इधर चोरडियाजी भी वैसे ही बात के धनी, आन-बान के आदमी। उन्होंने कह दिया—घर मेरा है, मिहमान मेरे बुखारे हैं, जरूर मेरे यहां भोजन करेंगे, तुम लोगों को युवराज हो तो दूसरे घर में चली जाओ, मैं उन्हे खाना बनाकर खिलाऊँगा।' अब तो सेठानी लाचार होगई।

फूँचते ही परिस्थिति का अध्ययन करना शुरू किया तो पता चला कि केवल सवर्णों का ही विरोध इस परिषद् में नहीं है, बल्कि यादवों के चौधरियों व बड़े-बूढ़ों का भी विरोध है। वे नवयुवकों के नेता श्री धनी-राम जी पर इस बात के लिए नाराज थे कि वह उनकी जात-पंचायत में दखल देते हैं व उनकी प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं। मतलब कि परिषद् या उत्सव तभी सफल हो सकता था जब एक ओर यादवों में एकता हो, फिर यादवों व सवर्णों में सहयोग हो। भीतरी व बाहरी दोनों कठिनाईयों का सामना हमें करना था।

हमारे धर्मशाला में टिक जाने व चोरडियाजी के घर खाना खाने का असर यह हुआ कि सवर्णों में जो सुधारक प्रवृत्ति के थे उनका कुछ हौसला

बढ़ा। फिर भी दिन में तो प्रायः सब हमसे निकला टाल रहे थे, अतः दिन हमने भीतरी कठिनाइयों को समझने व दूर करने में बिताया। रात को १-२ आर्यसमाजी हमसे मिले। उनकी सलाह से परिषद् को सफल बनाने की योजना बनी। यादों की फूट मिटाने की जिम्मेदारी मैंने ली; सबणों की सहायुभूति व सहयोग प्राप्त करने के लिए चौराडियाजी व अन्य एक-दो सुधारक मित्र उचित हुए। यह तथ याया कि स्थानिक लोगों के अलावा जो बाहरी सवर्ण नीमच, छावनी, बबाना, स्टेशन आदि आस-पास हों, जिन पर यह वहिकार की तलबार न चल सकती हो उन्हें उत्सव में बुलाया जाय, खास तौर पर लाने का प्रयत्न किया जाय।

आन्तरिक एकता के लिए धनीरामजी व उनके युवक दल को मैंने बताया कि आप लोग पुरानी पंच-पंचायती के मामलों में दखल न दें। अलग संगठन करके अपने सुधार-कार्य जारी रखें। इससे दुड़ों की यह आशंका कि हमारा हक्क छीनना चाहते हैं, दूर हो जायगी। दुड़ों व चौधरियों को समझाया कि युवक-दल जो कुरीतियों को दूर करना चाहते हैं, उससे आपका हिन्दू-समाज में दर्जा बढ़ेगा। आपको चाहिए कि आप सुधारकों से नाराज न हों बल्कि उनका दल बढ़ावें। युवकों को मैंने समझाया कि उत्सव का स्वागताध्यक्ष अपनी पंचायत के दूढ़े चौधरी को बनाओ, जिससे उनकी यह आशंका आज से ही निर्मल होने लगे कि युवक बड़े-दूड़ों का, पंच के मुखियाओं का मान-सम्मान नहीं करना चाहते।

इन कठिनाइयों की बजह से पहले दिन परिषद् न हो सकी। लेकिन चारों तरफ से जो समाचार आने लगे उनसे यह निश्चय हो गया कि दूसरे दिन बहर उत्सव हो जायगा व उसमें कुछ सवर्ण भी आ सकेंगे।

इधर विरोधी पहवालों ने चारों ओर यह प्रचार कर दिया कि बाहर से जो लोग आए हुए हैं, वे आर्यसमाजी हैं, ताकि सनातनी और सिंच जायें। यदि हम यह प्रत्यक्ष सावित कर सकें कि हम आर्यसमाजी नहीं हैं तो बातावरण के बहुत कुछ बदलने की आशा थी। रात ही को मैंने सुमाया कि सुबह ही हम लोग नहा-घोकर तिलक लगाकर किसी राम-

मन्दिर या कृष्ण मन्दिर में दर्शन के लिए चलें। इससे बढ़कर प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सनातन-धर्मी होने का क्या हो सकता था? फिर सोचा कि मन्दिर में चलने से या तो लोगों से, पुजारी आदि से झगड़ा होगा, या बातचीत का सिलसिला निकलेगा। दोनों स्थितियां आपने लिए शुभ ही होंगी।

हम चारों जो मन्दिर में गये तो दरवाजे पर ही कुछ लोगों ने टोका—  
‘यह मन्दिर है, आप कहाँ जा रहे हैं?’

मैं—‘भगवान् के दर्शन करने जा रहे हैं, क्यों क्या मनाई है?’

वे लोग एक-दूसरे का मुँह देखने लगे। इतने में हम अन्दर चले गये; मूर्ति को प्रणाम किया व पुजारी ने चरणामृत तथा तुलसीदाल हाथ में रखा, हमने भक्ति-भाव से ग्रहण किया। इतने ही मे कुछ लोग हमारे पीछे मन्दिर में धंस आये। किसी ने पुजारी से कहा—ये आर्य-समाजी मन्दिर मे द्वास आये हैं, आप कुछ कहते भाहीं।’

पुजारी के हृदय में भगवान् प्रकट हुए—‘इन्हें कौन आर्यसमाजी कहता है, मूर्ति को प्रणाम किया हैं, चरणोदक व तुलसीदाल लिया है, यों ही दूसरों को बदनाम करते हो!?’

हमारा आधा काम होगया। तब मैंने उनसे शान्तिपूर्वक बैठ जाने के लिए कहा व पूछा—‘किसने कहा कि हम लोग आर्यसमाजी हैं? हम में सिर्फ एक ही—कृष्णचन्द्रजी—आर्यसमाजी कहे जा सकते हैं, लेकिन ये भी मन्दिर में आये हैं। इसलिए कि भगवान् राम व कृष्ण को वे महा-पुरुष जरूर मानते हैं। अगर आर्यसमाजी मन्दिर में आते हैं तो इससे हमारा महस्त घटता नहीं, बढ़ता ही है। और आप लोग यह बिना बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? आपने ही भाइयों का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं?’

उन्होंने इसपर यादों की शिकायतें शुरू की व हमारा अपराध यह बताया कि आप लोग इनके तरफदार होकर आये हैं, इसलिए हम आप को भी नहीं चाहते।’

मैं—‘किसने कहा तरफदार होकर आये हैं? हम हरिजनों में सुधार

चाहते हैं, उन्हें सफाई सिखाना, मध्य-मास सुखवाना, पदाना-खिलाना चाहते हैं, क्या यह कोई बुरा काम है ? यदि यादव लोग सवारों के साथ कोई तुर्ज्यवाहार कर रहे हों तो हम उनका समर्थन करने हरगिज यहां नहीं आये हैं । हमें आने से पहले आप लोगों के विरोध का पता भी नहीं था । अब तो हमारा यह भी फर्ज हो जाता है कि १-२ दिन और यहां रहें व आपके हृतके सम्बन्धों को ठोक करा दें । अगर इसमें यादवों का कहीं कसूर हमको दीखा तो हम जरूर उनको समझावेंगे, और उसमें उनका साथ न देंगे । हम तो शुद्ध न्याय के हासी हैं, हमें उनका या आपका पहले नहीं है ।'

अब तो वे और सिटपिटाये । कहने लगे तो 'आपको हमारे पंचों से मिलना चाहिए ।'

'जरूर । हम सहर्ष मिलेंगे, उनकी शिकायतें सुनेंगे और उनमें जो बाजिव भालूम होंगी उन्हें जरूर दूर भी करेंगे । हम फूट ढाकने या बढ़ाने नहीं आये हैं, आपस में ग्रेम, सहयोग व एकता की धारा बहाने आये हैं । पंचों से हम कैसे व कहां मिल सकेंगे ?'

'उनसे पूछकर हम लोग तीसरे पहर आपको बता सकेंगे ।'

'तो अब आप यह तो समझे गए न, कि हम लोग इच्छार्यसमाजी नहीं हैं और जिन्होंने ऐसा प्रचार किया है उन्होंने हमारे साथ कितना अन्याय किया है ? और अन्याय के बल पर आप लोग यादवों को और हमें हराना चाहते हैं ! क्या यही सनातन धर्म है ?'

अबूदे और शर्मिन्दा हुए । ऐसे कहा—'तो आपका यह कर्तव्य है कि जहां कहीं आप लोगों ने यह सूठ फैलाया है वहां-वहां इसका संशोधन करें ।'

मेरा स्थान है, कि इस कार्य-क्रम का अच्छा ही असर हुआ । छावनी में यह बात अपने-आप फैलने लगी कि ये लोग तो सनातन-धर्मी हैं । अब विरोधी पहले ही एक दिन हमारा समर्थक यदि नहीं तो हम-दर्द जरूर बनने लगा ।

रात को जल्सा हुआ। महोदयजी ने अपने भाषण में सवर्णों को राम व यादवों को लक्ष्मण बताकर दोनों को सहयोग व प्रेम से रहने व अपने रगड़ों-झगड़ों को मिटाने की अपील की, जिसका बड़ा असर हुआ। सवर्ण जो सभा में आये, वे दो तरह के थे। एक तो सीधे सभा में आकर बैठे—इनमें अधिकांश बाहरी लोग थे। दूसरे वे जो पहले तो फासले पर खड़े-खड़े तमाशा देखते रहे, पीछे धोरे-धोरे मण्डप के पास व अन्दर भी आगये। इनमें अधिकांश सुधारक दल के आर्यसमाजी आदि युवक थे। कुछ रुद्धिवादियों व बहिष्कारकों के लड़के भी थे।

पहले दिन का उत्सव बड़ी सफलता से सम्पन्न हुआ। दूसरे ही दिन सुबह सुधारक-दल की तरफ से एक विज्ञप्ति छपकर बंटी जिसमें बहिष्कारक पंचों से कहा गया था कि कल को सभा में फलां-फलां सवर्णों के घर के लोग उपस्थित हुए थे; बहिष्कार-प्रस्ताव के अनुसार या तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाय, नहीं तो आज हम सुल्लाम-खुल्ला सभा में जावेंगे।' अब बहिष्कारक बड़े पेच में पड़ गये। उन्हींमें से कुछ लोगों के लड़कों के नाम उसमें दिये गए थे। अब खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो घर में ही झगड़े मचते हैं, फूट पटती है, नहीं करते हैं, तो आज बहिष्कार-प्रस्ताव की शाज ही किरकिरी हुई जाती है।

इस बातावरण में मैंने उन्हें अपनी तरफ से सन्देशा भिजवाया कि मैं आज आपके मुखियाओं से खुद भिजना चाहता हूँ, जिससे आपके दुःख व कठिनाइयों के कारण जान सकूँ व हो सके तो उन्हें दूर करके यह आपस का झगड़ा खतम करा दूँ। वे इतमीनान रखें कि मैं आर्य-समाजी नहीं—सनातन-धर्मी हूँ व सनातन-धर्म का अपमान कदापि बरदाशत नहीं करूँगा।

एक बगीचे में पंचों से तीसरे पहर भेट हुई। उनकी दो आपत्तियां मुख्य थीं—एक तो यादव लोग हमको कुछ गिनते नहीं। दूसरे अद्वृत-पूजित मूर्ति का दर्शन निषिद्ध है, अतः वे अपने विमान न निकालें। यों उनमें जो मध्य-मांस-निषेध व शिक्षा-प्रचार किया जाता है, उसके वे पह

जैं थे । परन्तु छूआहूत उठा देना जहाँ चाहते थे । पहली बात के बारे में मैंने उनसे कहा कि मैं यादबों से कहूँगा कि वे, जैसा कि महोदयजी ने भाषण में कहा है, सबणों को बड़ा भाई समझें और उनके साथ कोई दुर्ब्यवहार न करें । दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने उन्हें समझाया कि परमात्मा सबका एक है व सबको उसकी पूजा-अर्चा करने का अधिकार है । बाल्कि जो पीड़ित व परित वै उनके लिए भगवान् का भजन-पूजन-अर्चन और भी ज्यादा जरूरी है । आपको तो उल्टा उन्हें चिमान निकालने आदि के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए । आप खुद अपने दरबाजे बन्द करके मूर्ति के दर्शन तक नहीं करते हैं, यह परमात्मा का बड़ा अपराध व घोर नास्तिकता है । परन्तु परिदृष्टों की व्यवस्था के आगे हज़ दलीलों का असर उनपर न हुआ । छूआहूत कायम रखने के पक्ष में उनको दलीलें पेटेन्ट थीं जो अक्सर सनातनी कहे जाने वालों की ओर से दी जाती हैं । मैंने उन्हे समझाया कि इस प्रथा को अब जारी रखने से किस प्रकार हिन्दू-धर्म व हिन्दू-समाज की शक्ति दिन-दिन घटती चली जाती है । आध्यात्मिक दृष्टि से सब में एक आत्मा है, धार्मिक दृष्टि से वह ऊँचा है जो स्यागी, न्यायी, भला, परोपकारी व ईश्वर-भक्त है । हज़ गुणों से ऊँचाई-निचाई आंकी जाती है न कि जात-पांत के लिहाज से । सामाजिक दृष्टि से हरिजन हिन्दू-समाज का अङ्ग है और उसके प्रति अङ्ग जैसा व्यवहार न किया जायगा तो वह हिन्दू-समाज से अलग हो जायगा । परन्तु हज़का भी उनपर कोई खास असर न हुआ । तब मैंने उनसे कहा—कम-से-कम उनके इस उत्सव में तो आप लोगों को बाधा न ढालनी चाहिए । यह अहिकार का प्रस्ताव उठा लेना चाहिए । कल तो वहुतेरे सवर्ण उत्सव में आये थे, आज और भी ज्यादा आयेंगे, अतः यह आप का रवैया आत्म-धात ही सावित होगा । उन्होंने परिस्थिति की गम्भीरता तो महसूस की, पर प्रस्ताव वापिस लेने में अपनी तौहीन समझी । जो शरीक हुए थे उनके खिलाफ कुछ करने-घरने की भावना भी उतनी तीव्र

नहीं पाई गई। उन्होंने कहा—बहिष्कार तो ज्यादातर इस धारणा के बशी—भूत किया गया था कि आप लोग आर्यसमाजी हैं व अछूतों के तरफदार बनकर आये हैं। हम इनमें सुधार तो चाहते हैं पर अपने सिर पर बिठाना नहीं चाहते। मैंने समझा कि छूआछूत को मिटाना उन्हें सिर पर बिठाना नहीं है, बल्कि अपने समाज के अङ्ग में जो विष या पीव पड़ गया है, उसे बाहर भिकालना है। उन्हे दलीलें कुछ जांचती तो थीं, पर समाज की कुप्रथाओं को मिटाने का बल उनमें नहीं था। अस्तु।

दूसरे दिन समाज और भी उत्साह के साथ हुई। बहुतेरे सर्वर्ण, मुख्यतः आर्यसमाजी उसमें खुल्लम-खुला आये। आज की कार्रवाई—प्रस्तावादि—और भी इस तरह की गई जिससे सर्वर्णों के हृदय की कहुता कम हो। यादों को पूर्ण सन्तोष रहा। चोरडियाजी बहुत आनंदित हुए। हम लोग भी अपने मिशन में सफल होकर लौटे। कृष्णचन्द्रजी ने कहा, ‘उपाध्यायजी, आपने दो महीनों का काम यहाँ दो दिन में किया है।’

हरिजनों ने एक मामला मेरे सामने पेश किया व सज्जाह पूछी। एक यादव इस बात पर अड़ गया कि मेरी शादी फलां लड़की से करो, नहीं तो मैं ईसाई या मुसलमान हो जाऊंगा। इस धमकी को सुनते ही मैं गरम होकर बोला—वह अभी मुसलमान या ईसाई हो जाय, इस तरह धमकाकर कोई किसीकी लड़की नहीं मांग सकता, न ले सकता है। आप लोग ऐसी धमकी से ढरकर लड़की दे दोगे तो कल को किसीकी बहु देने की नीबूत आ जायगी। ऐसे नामाकूल आदमी तो ईसाई या मुसलमान हो जायं तो हिन्दू-धर्म का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि उन्हीं धर्म वालों का नुकसान होगा, जो उन्हें अपने में मिलावेंगे। ये गन्दे लोग जहाँ भी रहेंगे, गन्दगी फैलावेंगे। वे बेचकूफ हैं जो ऐसों को अपने धर्म में मिलाकर फूलते हैं। मेरी इस राय का उनपर अच्छा असर हुआ। मैंने यह भी कहा कि हरिजन होने का यह मतलब तो नहीं कि उनकी कोई हज़रत नहीं, उनमें धर्म-कर्म, न्याय-नीति नहीं। यदि आपको

एक नई कसौटी

१४६

हिन्दू-समाज में प्रतिष्ठा का पद पाना है तो अपनी हजात सुद  
बढ़ानी पड़ेगी ।

इस तरह इस नई कसौटी में पास होकर हम लोग अभिमान के  
साथ अलमेर लौटे ।

: २८ :  
**कार्य-विस्तार**

जब मैं साबरमती से अजमेर यानी राजस्थान में आने लगा तब वहाँ केवल एक ही राजनैतिक संस्था सजीव थी व काम कर रही थी—राजस्थान सेवा संघ। उसका एक साप्ताहिक पत्र भी निकल रहा था—‘तरुण राजस्थान’। १९२०-२१ के आनंदोलन में कांग्रेस संस्था बहुत जोर पर हो गई थी, लिलाफत-आंदोलन के समय तो कांग्रेस की शक्ति हिन्दू-मुसलमान-एके की वजह से बढ़ गई थी। परन्तु बाद में नेताओं के आपसी झगड़ों ने १९२६-२७ तक उसे छतना निर्बल बना दिया था कि कांग्रेस का साइनबोर्ड ही उसके अस्तित्व की निशानी रह गई थी। कांग्रेस के नाम पर सार्वजनिक चन्दा बन्द हो गया था—मिलता नहीं था। देशी-राज्यों में गवालियर में श्री पुस्तके साहब भिन्न-भिन्न रचनात्मक कामों के द्वारा जागृति कर रहे थे। १९२१ में हन्दौर में ग्रजा-मण्डल जैसी संस्था बनाने का उद्योग सर्वश्री द्रविड़, सरथटे आदि सज्जन कर चुके थे, पर इस समय वह भी ठप हुई बैठी थी। श्री जमनालालजी व मणि-भाई कोठारी कुछ रियासतों में घूमे-फिरे थे व खादी के लिए अनुकूल वायु-मण्डल बनाया था। हाँ, शैखावाटी में अलबत्ता पाठशालाओं व सेवा-समितियों के रूप में सेठों की सहायता से कुछ जागृति के काम हो रहे थे। राजस्थान-सेवा-संघ के मित्रों से तो हमारी नीति-रीति मिलती नहीं थी, अतः उनसे मित्र-भाव रखने तक ही हमारी सीमा थी। कांग्रेस कमेटी एक तो कमज़ोर थी, दूसरे श्री सेठीजी उसकी बागड़ोर संभाल

रहे थे। मुझे कागदकर संस्थाओं पर कब्जा करने की नीति पसन्द नहीं है। अपनी सेवाओं के बल पर यदि संस्थाओं में हमारा स्थान हो जाता हो तो वह मुझे अधिक प्रिय है। अतः जब कभी पढ़ या कब्जा करने के लिए संस्थाओं में लड़ाई-फगड़े होते हैं तो मैं तटस्थ रहता हूँ। सिर्फ़ कॉन्प्रेस-कमेटी में ही ऐसे एक-दो मौके आये जब इस नीति में मुझे अपवाद करना पड़ा था। अतः फिलहाल राजनीति में न पढ़ने की नीति रखी व चार दिशाओं में मेरे कार्य की शुरूआत हो गई। (१) चरखा-संघ के द्वारा खादी-कार्य को जमाना व बढ़ाना। (२) 'सस्ता साहित्य मंडल' के द्वारा साहित्यिक व राष्ट्रीय जागृति में सहायक होना (३) मजदूर-सेवा (४) विजोलिया, जिसका बर्णन अब किया जायगा।

जयपुर-राज्य में खादी का उत्पत्ति-कार्य होता था। परन्तु बिक्री प्रायः बाहर बम्बई, गुजरात आदि में होती थी। जरूरत इस बात की थी कि प्रांत में ही अधिक बिक्री होने लगे। अतः राजस्थान में आते ही जहां एक और उत्पत्ति-केन्द्रों को जमाने व विकसित करने में, आरम्भिक कठिनाइयों को हल करके काम को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया; जिसके फलन्स्वरूप अमरसर, गोविन्दगढ़ व बांसा के तीन लेन संगठित हुए, ताहां खादी-फेरी व प्रदर्शनियों के द्वारा खादी-प्रचार की भी शुरूआत की। इन्दौर, उज्जैन व देवास में सबसे पहले मैंने खादी-फेरी का आयोजन किया, उसमें जो सफलता मिली उससे इन्दौर व उज्जैन के खादी-भण्डारों की नींव पड़ी। अजमेर में शिक्षा व कला-परिषद् के अवसर पर तथा भरतपुर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर (१९२७ में) खादी-प्रदर्शनियां की गईं।

इसी तरह विजोलिया (मेवाड़ राज्य) में १-२ साल पहले से श्री जेठालालभाई वस्त्र-स्वावलम्बन का कार्य चरखा-संघ के द्वारा कर रहे थे। ६ मई १९२७ के 'तस्तु राजस्थान' में खबर छपी कि—गत ३ ताज़ को 'राजस्थान-सेवा-संघ' के तीन कार्यकर्ता, जो कि गांधी में शान्ति-पूर्वक केवल शिक्षा-प्रचार का कार्य कर रहे थे, और दो आदमी

चरखा संघ खादी का काम करते हुए गिरफ्तार कर लिये गए हैं। अ० भा० चरखा संघ विजोलिया के प्रमुख सचिवालक से जमानत देने को कहा गया।' श्री जमनालालजी बजाज इन दिनों अ० भा० चरखा संघ के अध्यक्ष व राजस्थान-चरखा-संघ के पुजेएट थे। फिर मेवाड़-राज्य के साथ पहले बात-चीत करके विजोलिया में काम शुरू किया गया था। ऐसी दशा में इन गिरफ्तारियों पर उन्हें आश्रय व हुँस्त होना स्वाभाविक था। इस भामले की जांच व सफाई करने के लिए वे खुद विजोलिया गये। खादी-कार्यकर्त्ता के नाते मैं भी उनके साथ गया। पहले हम लोग उदयपुर गये, जिससे वहाँ के अधिकारियों का पक्ष मालूम हो जाय। इस यात्रा में मुझे सेठजी की कार्य-नीति व राजनीति-कुशलता को जानने का अच्छा अवसर मिला।

अधिकारियों ने बताया 'सेवा-संघ के कार्यकर्त्ता शिल्पा आदि के नाम पर छिपे-छिपे राजनैतिक कार्य करते हैं। उन्होंने अपने दो आदमी चरखा-संघ में छुसा लिये हैं वे वे खादी की आड में राजनैतिक प्रचार करते हैं। आपसे बात हुई थी कि खादी वाले सिर्फ खादी का ही काम करेंगे, इसका भंग आपके लोगों ने किया है, व इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की है।'

जम०—मैं तो ऐसा नहीं समझता, पर, यदि ऐसी है तो मैं अवश्य इसकी जांच करूँगा व यदि आपकी जानकारी सही है तो मैं ऐसे कार्यकर्त्ताओं को चरखा-संघ में नहीं रखना चाहूँगा। हमारी नीति तो साफ व खुली है, जो कहंगे वही करेंगे। लेकिन गिरफ्तार करने से पहले यदि आप मुझे यह सूचित कर देते कि आपके कार्यकर्त्ता वचन-भंग कर रहे हैं तो सम्भव था कि या तो मैं खुट उन्हें राजनैतिक काम से छुड़ा देता या चरखा-संघ से हटा देता। आपने गिरफ्तार करके रियासत के खिलाफ भी प्रचार करने का मौका दे दिया व हम लोगों में भी शक्त-फहमी पैदा होने का सामान उपस्थित कर दिया। अब अच्छा हो कि आप उन्हें छोड़ दें व मैं सारी स्थिति सम्भाल लूँगा।'

‘अब तो हम उन्हें तभी छोड़ सकते हैं जब आप यह वायदा करें कि पथिकजी के कोई आदमी खादी-कार्यालय में न आवें न ठहरने पावें। पथिकजी बड़े चाल-बाज आदमी हैं, हमें उनपर तनिक भी विश्वास नहीं हैं, भले ही आप उन्हें देश-भक्त मानें।’

‘पथिकजी से हमारा नीति-मेंद्र जरूर है; पर हम उन्हें अवश्य ही देश-भक्त मानते हैं, और कदापि इस शर्त को मंजूर नहीं कर सकते कि वे या उनके आदमी खादी-कार्यालय में न आवें, न ठहरें। अतिथि-रूप में हर किसी को हमारे यहाँ आने का अधिकार है व रहेगा। हाँ, यदि पथिकजी के आदमी कोई राजनैतिक काम खादी-कार्यालय से करना या करना चाहेंगे तो हम जरूर उन्हें मना कर देंगे। क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि खादी-कार्य के साथ हम कोई राजनैतिक कार्य नहीं करेंगे, हस्तिए नहीं कि हम राजनैतिक कामों से डरते हैं, या उसे बुरा समझते हैं। ब्रिटिश भारत में तो हम गले-गले तक राजनैतिक कामों में हूबे हुए हैं, मैं खुद कार्य-समिति का सदस्य हूँ। परन्तु देशों रियासतों में हम अभी राजनैतिक काम नहीं करना चाहते और वह भी खादी या किसी दूसरे काम की आड़ में तो हरगिज़ नहीं।’

‘आप तो बड़े होशियार लोग हैं। पहले खादी-काम के जरिये अपना संगठन बढ़ कर लेंगे, पीछे एक दिन घोषणा कर देंगे कि अब हम राज-नैतिक काम शुरू करते हैं, तो हम आपका क्या कर लेंगे?’

‘हाँ, जरूर ऐसा हो सकता है; पर खादी की आड़ में हम ऐसा हरगिज़ नहीं करते, न करेंगे। इतना ही हमारा वादा आपसे है। आगे यदि हमारा हरादा बदलेगा तो पहले आपको उसकी सूचना दे देंगे व फिर कोई दूसरा या राजनैतिक काम करेंगे।’

‘लेकिन उस अवस्था में आपके काम को बन्द कर देना, या आपके ग्रभाव को वहाँ से हटा देना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा; तो हम अभी से क्यों आपकी जड़ जमने दें?’

‘हाँ, पर जड़ न जमने देना तो आपके हाथ में नहीं है। जब हम

यह बादा करते हैं कि खादी का ही काम करेंगे, उसकी आद में राजनैतिक काम न करेंगे, तब आप खादी-काम को रोक भी कैसे सकते हैं? और रोकेंगे तो आप ही की बदनामी होगी कि खादी जैसे गरीबों की सेवा करने वाले रचनात्मक काम को भी ये रोकते हैं। जनता की सेवा भी नहीं करने देना चाहते।

‘अब रहा यह कि खादी का काम जमनेपर हम जरूर राजनैतिक काम कर सकते हैं और यदि हमारा दल-बल मजबूत है और आप बुद्धिमान् होंगे तो हमसे समझौता कर लेंगे। नहीं तो आपकी हमारी भिन्नत हो जायगी, फिर नतीजा जो भी निकले।’

अन्त में पथिकजी को या राजनैतिक काम करने वालों को खादी-कार्यालय में अतिथि-रूप में भी न ठहरावे—यह शर्त राजवालों ने वापस के ली और हम लोग बिजोलिया रवाना हुए।

बहाँ जो उहकीकात को गई तो मालूम हुआ कि भेवाड़-राज्य को उन गिरफ्तार शुदा खादी-कार्यकर्ताओं पर सन्देह करने के कुछ कारण थे। खादी-संचालक को कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में अधिक सावधान रहने के लिए कहा गया व सुके जहाँ तक याद है, बाद में दोनों खादी-कार्यकर्ता छोड़ दिये गये थे।

जब जमनालालजी उदयपुर में थे तभी वहाँ के किसानों की बन्दो-बस्त सम्बन्धी शिकायतें उनके सामने आ चुकी थीं। भेवाड़-राज्य ने बिजोलिया के किसानों के साथ हुए अपने समझौते के अनुसार वहाँ बन्दोबस्त कराया जिसमें किसानों को शिकायत हुई कि लगान बढ़ गया। अतः उन्होंने लगान कम करने या फिर से बन्दोबस्त करने की मांग पेश की थी, और उसके मंजूर न होने की अवस्था में राजस्थान-सेवा-संघ के मित्रों की सलाह से विरोध-स्वरूप सारी जमीन का इस्तीफा पेश कर दिया था, व वह मंजूर भी हो चुका था। किसानों को व उनके सलाहकारों को यह आशा नहीं थी कि अबल तो राज इस्तीफे मंजूर कर लेगा, और यदि कर भी ले तो जमीन जोतने-बोने के लिए दूसरे लोग तैयार न होंगे।

वहाँ की किसान-पंचायत के संगठन पर उनका पूरा विश्वास था। परं अन्त में यह चाल फँस गई व किसानों ने चाहा कि जमनालालजी अपने प्रभाव-बल से इस समस्या को हल करा दे। हधर राज्य के तत्कालीन रेविन्यू मेम्बर मिठौ ट्रैन्च भी, जिन्होंने बिजोलिया में बन्दोबस्त कराया था, चिन्तित थे कि प्रजा में किसी तरह शान्ति हो और उन्होंने भी जमना-लालजी से कहा था कि आप बिजोलिया जाते हैं तो किसानों के प्रश्न को भी समझ लें व उन्हें शान्त करने का उपाय करें।

जमनालालजी की परिभाषा के अनुसार यह राजनैतिक प्रश्न था। अतः उसमें वे मध्यस्थ की स्थिति रखकर उसे सुलझा सकते थे। इस यात्रा में बिजोलिया का वस्त्र-स्वावलम्बन-कार्य जो मैंने देखा तो उसपर मुझ हो गया। मैंने जमनालालजी से कहा—सच्चा काम इसी लाइन पर हो सकता है। उत्पत्ति-बिक्री वाला काम यो ही है, यह हम देश-सेवकों को उस्ता बनिया-मनोवृत्ति का बनाता है। वे इस बात के तो कायदा ये कि वस्त्र-स्वावलम्बन ही असली खादी-कार्य है; परन्तु एक तो इसके लिए गांव में रहकर काम करने वाले त्यागी सेवक नहीं मिलते, दूसरे किसानों से खुद काम करवा लेना बड़ा कठिन है। अतः वे इसे बहुत अम व समय-साध्य काम समझते थे। इसी समय मैंने ‘वस्त्र-स्वावलम्बन बनाम उत्पत्ति-बिक्री’ नामक एक लेख तैयार करके पूर्ण बापूजी को भेजा जिसमे वस्त्र-स्वावलम्बन की महत्ता व उत्पत्ति-बिक्री वाली खादी की कमियां बतलाई गई थीं। बापू ने कहा—वस्त्र-स्वावलम्बन की महत्ता वाला भाग छापना मुनासिब होगा; उत्पत्ति-बिक्री की कमियों वाला छापने से हानि होगी। लोग वस्त्र-स्वावलम्बन तो अपनावेगे नहीं, उत्पत्ति-बिक्री से अलवत्ता पराहसुख हो जायंगे। आज (१९४८) में बापूजी चिल्ड्रा-चिल्ड्रा कर कहने लगे हैं कि उत्पत्ति-बिक्री बन्द हो जाय तो मुझे रंज नहीं। वस्त्र-स्वावलम्बी एक भी व्यक्ति होगा तो मैं उसे केकर नाचूँगा। मेरे जी में पहले भी आगा करता था, व अब भी आता है कि उसी समय यदि बापूजी को किसी तरह यह जंच जाता तो वास्तविक खादी की ओर

देश ने बहुत प्रगति कर ली होती । परन्तु काम के होने का जब समय आता है, तभी होता है । वापूजी को जंचने के लिए आज की घटनाएँ व परिस्थिति अनुकूल हुईं । जो हो, विजोलिया चस्त्र-स्वावलम्बन के महान् प्रथम प्रयोग व प्रयत्न के रूप में खादी-श्रतिहास में अमर रहेगा । इसमें वहाँ की जिस पंचायत के संगठन से बहुत अनुकूलता पैदा हुई वह भी राजस्थान के किसानों में राजनैतिक जागृति व निःशस्त्र लड़ाई के श्रतिहास में अमर रहेगी । इसका वर्णन अगले प्रकरणों में ।

: २६ :

## बिजोलिया की समस्या

जब मैं राजस्थान मे आने लगा तो मैंने अपने मन मे यह हिसाब लगाया था कि कितना काम हो जाने पर अपना कार्य सफल या समाप्त मानूँगा । वास्तव में सफलता या असफलता या समाप्ति का ऐसा हिसाब जगाना बड़ा कठिन है । जिसे आप सफलता मान लेते हैं उसे दूसरे और ही कुछ समझते हैं व जिसे आपने समाप्ति मान ली है, उसे दूसरे आरम्भ भी नहीं मानते । इसके अलावा भी सफलता—समाप्ति आदि की सीमाएँ हैं । जिन परिस्थितियों में हमने विचार किया था, वे बदल जाती हैं । खुद हमने जिस अवस्था में संकल्प किये होते हैं, वह भी वैसी नहीं रहती । जिन साधनों का हमने हिसाब लगाया था, उनमे भी बहुत कमो-बेशी हो जाती है । दैची कारणों का तो कोई आजतक हिसाब लगा भी नहीं पाया । इतनी अनिश्चित अवस्थाओं में या तो ऐसा हिसाब लगाना मनुष्य की मुख्ती ही है, या बहुत मोटा व अनिश्चित जैसा हिसाब केवल अपने सन्तोष या मार्ग-दर्शन के लिए बनाया जा सकता है, दूसरों को सन्तोष देने के लिए नहीं । अतः जहां सफलता का दिंदोरा दुनिया में पीटना निर्यक है, क्योंकि वह केवल आत्म-सन्तोष की वस्तु है, वहां दुनिया, जिसे असफलता कहती है उससे निराश, दुखी, हतोत्साह या दुनिया के प्रति अनुदार होने की भी आवश्यकता नहीं है । मनुष्य जो हिसाब लगाता है, वह सच पूछिए तो अपने लिए लगाता है, अतः अपनी सफलता-असफलता का उत्तर, यदि वह सही-सही मिल सकता

हो तो बुड़ अपने अन्दर से ही मांगना चाहिए। दुनिया सो आखिर उपरी वारों को डेखती है, उपरी परिवर्तन, सुधार-विगाढ़, उच्छिति-अवनति का लेखा वह रख सकती है, लेकिन आपमें भीतरी क्या हानि-लाभ हुआ है, आपको मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक क्या लाभ-हानि हुई है, मफलता-असफलता मिली है, इसका अन्दाज सहसा उसे नहीं हो सकता। लेकिन आपको, यदि आप आम-निरीक्षण के अस्त्रासी है, एक माधव, मिपाही, गिर्य या विद्यार्थी का-सा जीवन आपने अपना मान या बना रखा है, जहर उम्मका ज्ञान व अनुभव हो सकता है। यों भी आज नहीं तो कल संसार को आखिर वही बात माननी होगा जो मेरे द्विल में से उठी है, क्योंकि वैसा ही मेरा सतत प्रथल रहेगा और बहुत-कुछ वैसा ही असर भमाज या संसार में उसका दीख पड़ेगा। जो हो; मैंने अपनी हँसियत एक माधव या सिपाही की—आत्मिक जगत् का साधक, राष्ट्रीय जगन् का सिपाही—मानी है, अतः मैंने एक सिपाही के नाते यह अन्दाज बांधा था कि यदि १०० अच्छे कार्यकर्ता गांधीवादी राजस्थान में बल जायं, १०० अच्छे पुस्तकें भस्ता मंडल से निकल जायं, 'मालव-भयूर' स्वावलम्बी हो जाय, खादी की जितनी उत्पत्ति राजस्थान में होती है, वह वहां विकले लगने जाय, इतनी राजनैतिक जागृति प्रान्त में हो जाय कि कांग्रेस का अधिवेशन हो सके व पूज्य वापू का एक दौरा राजस्थान में कराया जा सके तो अपना राजस्थान आना सफल हो जायगा। आत्मिक-माधव के नाते सत्य व अहिंसा की ही माधवा मैंने अपने सामने रखी थी। अब तो कुछ समय से अद्वैत-माधवा भी उसमें जुड़ गई है। अहिंसा में मैंने यह आदर्श सामने रखा था कि द्वेष, क्रोध व प्रतिहिंसा का भाव भी मन में न पैदा हो। द्वेष का अभाव तो मैं पहले से ही अपने अन्दर अनुभव करता हूँ; परन्तु क्रोध जहर आ जाता था, अब भी मझाहट बाज-बाज मौके पर व बाज-बाज व्यक्तियों के सामने आ ही जाती है। अतः मैंने मामान्यतः अब यह परीक्षा अपनी अहिंसा-प्रगति को मानी है कि उन अवसरों व उन व्यक्तियों के संपर्क या सहवास में

जब फ़लाहट भी न आवे तब समझ लूँगा कि अहिंसा में ठीक प्रगति हुई है। द्वेष के लिए मैंने एक मित्र को अपने सामने रखा है, जब वे यह भानने लग जावेंगे कि मैं उनका मित्र ही हूँ, तब मैं समझ लूँगा कि मेरे मन में से द्वेष सचमुच हटा हुआ है। जब सुझ पर कोई हमला या प्रहार करता है, कहु या तीव्र आलोचना करता है, जीयत को बुरा बताने लगता है, किसी को चुगली या निन्दा मेरे सामने करता है, तो सुके एक दम तैश आजाता है, उसमें कुछ बुरा-भला भले ही कह बैठता हूँ; परन्तु इसके लिए प्रतिहिंसा की, सामने वाले को दुःख या कष्ट पहुँचाने या दण्ड देने की इच्छा नहीं होती। कुछ तो पहले से ही ऐसे संस्कार हैं, व बाद को अहिंसा की साधना ने बुद्धिपूर्वक इस खराबी से बचना सिखाया है।

सत्य की साधना में मैंने मुँह से व विवाद में भी भूठ न निकलने देने का आदर्श सामने रखा है। जो मन मैं हो वही कहें, जो कहें वही करें—हसका भी ध्यान रखा है। परन्तु मन या बुद्धि जो जानती है, जो समझती है, उसे ज्यों-का-न्यों कहने और हँके को चोट कहने की हिम्मत अभी नहीं आई है। आचरण में भी बहुत बार शिथिलता आ जाती है व च्युति के अवसर भी आ जाते हैं। अद्वैत-सिद्धि तो सत्य व अहिंसा की पूर्ण साधना का ही फल है—उसे प्रत्यक्ष रूप से सामने रख लेने से एक आध्यात्मिक सत्य या आदर्श हृदय में सदैव जाग्रत रहने लगता है।

जहाँ तक सिपाही की स्थिति वाले कार्यक्रम से सम्बन्ध है, अभी तक सभी मर्दें अधूरी हैं और उसकी पूर्ति के लिए काफी प्रयास की आवश्य-करता है। इसी धून व प्रयास में मैंने अपना स्वास्थ्य खोया है, कुछ मित्रों को नाराज किया है, जिनकी यह शिकायत है कि अपनी आयु के अच्छे से अच्छे दिन खोकर भी मैंने यहाँ अपनी मट्टी पलोद करवाई है, परन्तु इस हानि के बावजूद मुझे अपनी अन्तरात्मा में बहुत सन्तोष है कि मैं अपने लक्ष्य से न तो ढिगा ही हूँ, न थका या हारा ही हूँ। इसका कारण यह है कि मैं अपने हर कार्य के अन्त में यह हिसाब लगाता हूँ कि इसमें मैंने

क्या खोया व क्या कमाया ? कमाई में भी मैं नैतिक व आध्यात्मिक कमाई को ज्यादा महत्व देता हूँ। यही कारण है जो मैं कभी-कभी नैतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से व्यावहारिक कार्यों की उपेहा कर जाता हूँ और मित्रों से 'मूर्खता' का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेता हूँ। चूँकि मेरा सच्चा सामुदायिक सेवा-नीतीवन राजस्थान में आने के समय से ही शुरू होता है, मैंने यह ठीक समझा कि मैं अपने तत्सम्बन्धी आदर्श का चित्र भी पाठकों के सामने रख दूँ जिससे वे यहाँ की घटनाओं व कार्यावलियों को उसके प्रकाश में देख व समझ सकें।

बिजोलिया जाने पर जहाँ बस्त्र-स्वावलम्बन-कार्य ने मुझे आकर्षित किया, तहाँ, वहाँ की किसान-पंचायत व उसके स्थानिक सलाहकार श्री माणिकलालजी वर्मा ने भी आकर्षित किया। बिजोलिया वास्तव में ही भाग्यवती भूमि है। परमार वंश के रावजी का शासन वहाँ है। पथिकजी जैसे क्रान्तिकारी भावनाओं वाले पुरुषार्थी वहाँ पहुँचे। उनके त्याग-शील देश-भक्त मित्रों व साथियों ने उसे जगाया व पंचायत की स्थापना द्वारा संगठित किया। फिर डिकाने के लोगों व अबवादों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ो, जिसमें बहुत कामयाबी हुई। उसके बाद श्री जेठालाल भाई जैसे सेवा-भावी प्रणवीर वहाँ पहुँचे, माणिकलालजी जैसे सच्चे सेवक व नेता वहाँ उत्पन्न हुए, जमनालालजी जैसे प्रतापी नेता ने उसे अपनाया, ये सब उसके भाग्यशाली होने के ही लक्षण हैं। इस यात्रा में मैंने किसान-पंचायत व किसानों की वर्तमान समस्या का भी थोड़ा अध्ययन कर लिया। हमारी यही यात्रा निमित्त बनी है आगे किसान-पंचायत से मेरा सम्बन्ध स्थापित करने में।

जब किसानों ने देखा व पथिकजी ने भी अनुभव किया कि पंचायत की रीति-नीति में परिवर्तन हुए बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती, तब किसान-पंचायत की ओर से जमनालालजी के सामने यह समस्या हज़ के लिए रखी गई। उन्होंने कहा, यदि पंचायत मांधी-नीति पर चलना चाहे तो मैं दिल्लचस्पी ले सकता हूँ और तभी इसका हज़ मेरे द्वारा

निकल भी सकता है। पंचायत ने इस स्थिति को मंजूर किया, परिकल्पी ने खुद पंचायत को अपना इस्तीका भेजा व पंचायत की इच्छा तथा जमनालालजी की सलाह से भेरा नाम पंचायत के सलाहकार की जगह रखा गया। तब मैंने जाकर वहाँ सारे प्रश्न का अच्छी तरह अध्ययन किया व फिर राज्य से समझौते का प्रयत्न किया। निश्चय ही जमनालालजी इसमें भेरे पथ-प्रदर्शक रहे। जब तक वे जीवित रहे, राजस्थान में उन्हें ही मैंने अपना पथ-प्रदर्शक माना था। अब भी उनकी आलोचा से प्रेरणा व उनके जीवन-कार्यों से प्रकाश पाता रहता हूँ। जहाँ नैतिक व सैद्धांतिक विषयों में पूज्य बापूजी भेरे पथ-प्रदर्शक हैं तहाँ व्यावहारिक समस्याओं में जमनालालजी पथ-प्रदर्शक रहे हैं।

बिजोलिया उदयपुर राज्य का ठिकाना है। जारी नहीं, पहले स्वतंत्र राज्य था, पीछे उदयपुर में शामिल कर लिया गया। नीमच स्टेशन (मालवा) से कोई २५ मील पूर्व की ओर 'ऊपर माल' नामक पठार पर बसा हुआ है। इसकी आवादी १५००० के लगभग है जिसमें १०,००० से ऊपर किसान हैं। लगान के अलावा कई तरह की लगभग ८० किस्म की, जैसा लागे इन पर लगती थी। यों से किसान लोग असें से अपनी तकलीफें मिटाने की कोशिश कर रहे थे। परन्तु श्री परिकल्पी ने जाकर उनमें जागृति व डोस संगठन किया। कोई आठ वर्ष के अंदोलन और चार वर्ष के सत्याग्रह (लगान बन्दी) के बाद ७ फरवरी १९२२ को राजपूताना के ४० जी० जी० मि० हालैड के रोबरु ठिकाने व किसानों के बीच एक समझौता हुआ, और दूसरी कई शर्तें तय पाईं, कई लागें उठा दी गईं।

इस समझौते से यह तय पाया था कि नया बन्दोबस्त १ अक्टूबर, १९२२ में शुरू होजाय। इससे पहले 'लाटा-कूता' (अर्थात् पैदावार का एक अंश, जो प्रतिवर्ष तय हो जाया करता था) का रिवाज था। इस शर्त के अनुसार मेवाड़-राज्य के बन्दोबस्त के हाकिम मि० ट्रैव को देस-रेस में बन्दोबस्त हुआ। उसमे किसानों को आम तौर पर यह शिकायत

रही कि जमीन पर सासकर माल (Non-irrigated) जमीन पर लगान बढ़ा दिया गया। उनका कहना था कि १९२२ के फैसले के बाद लगान ४२,६५५) लिया जाता था। सो जब बंदोबस्त में वह ५३,२४७) होगया। अर्थात् १०, २६२ को बृद्धि हुई। किसानों को इस बढ़ती की सास शिकायत थी। दूसरे 'छद्दंद' नामक एक लाग किसानों को देना पड़ता था। बिजौलिया के राजजी उदयपुर रियासत को जो कर देते हैं वह टिकाने की आमदनी का छठा हिस्सा होता है, इसलिए 'छद्दंद' कहताता है। १९२२ के फैसले की शर्त के अनुसार वह २,२२५ रु० लिया जाना चाहिए, परन्तु बंदोबस्त के बाद वह ३,६६०) अर्थात् की आना रुपया कर दिया गया। किसानों की मांग थी कि वह कम किया जाय और समझौते के अनुसार लगान में शामिल कर दिया जाय, अलग न लिया जाय।

१९२२ के फैसले के बाद दो-एक साल फसलें गल गई थीं, किसान उनकी माफी चाहते थे। सरकार ने लगान स्थगित कर दिया था, माफ नहीं किया था।

समझौते के अनुसार ३०) मासिक जो किसान-पञ्चायत को मिलना चाहिए था, वह बंद कर दिया गया।

बंदोबस्त संवत् १९५३ में हुआ। लगान-बृद्धि के कारण किसान पहुँचे जेना नहीं चाहते थे। राजवालों ने कहा—यह खिलाफ कानून है, पहुँचे जेकर अपना उच्च करो। तदनुसार उन्होंने दरख्तास्ते दीं और अपना आमदनी-खर्च का हिसाब भी पेश किया। कोटा की रेट स्वीकार करने की उन्होंने इच्छा प्रदर्शित की। कोटा में जिस जमीन का रेट ६) बीघा थी उसीका बिजौलिया में ८) बीघा लगाया गया था। कोटा बिजौलिया का पड़ोसी राज्य है। पर राज्य में उनकी सुनवाई नहीं हुई। तब किसानों ने लगान-बृद्धि तथा दूसरी तमाम शिकायतों के विरोध में उनके तत्कालीन सलाहकार श्री पथिकजी की सलाह से, उन शिकायतों के दूर होने तक, माल जमीन का इस्तीफा देदिया। इसीफा पेश करने के

समय द్रेच साहब ने किसानों से कहा था कि तुम ऐसा मर करो, जमीनें किर वापिस नहीं भिलेंगी। भक्ति स्वास मे अपील करो, उसे बंदोबस्तु बदलने का अधिकार है। पर किसानों को उनके आश्वासन पर भरोसा न हुआ। माल जमीन कुछ ८०,००० बीघे यी किसमें ६०,००० बीघे का इसीका दे दिया गया था। ३८६५ किसानों ने इसीपे दिये। राज ने इसीपे मंजूर कर लिये और दूसरे लोगों से जमीनें छुतवाने की कोशिशें कीं। कहीं लालच और कहीं धमकी व सख्ती के बल पर कुछ जमीनें राज ने दूसरों को दे दीं और कुछ का तो पट्टा भी कर दिया। पट्टा करा लेने वालों मे विशेषतः राजकर्मचारी, महाजन, और बलाईं (हरिजन) लोग थे।

जब जमनालालजी विजोलिया गये तो द्रेच साहब ने उनसे कहा था कि विजोलिया के इस झाड़े में दिलचस्पी लेकर आप इसे मिटवा दें। उन्होंने उनके सामने अपनी यह नीति स्पष्ट की थी कि यदि अधिकारी व किसान दोनों चाहें तो मुझे दिलचस्पी लेने मे कोई आपत्ति नहीं है। किसानों ने भी उनकी सहायता चाही व किसान-पंचायत ने बाद में मुझे जोर देकर लिखा भी कि हमें इस समय आपकी मदद की सफ्ट जरूरत है। तब श्री जमनालालजी की सलाह से मैं विजोलिया गया व महसूस किया कि यदि किसानों की इस समय सहायता न की गई तो उनका पंचायत का सहाय भी दूट जायगा व लोग निराश हो जायंगे। कोई उपाय न देख वे एक बार सत्याघ्रह कर लालने की सोच रहे थे। जब पंचायत ने मुझे बाजाबता अपना सलाहकार चुन लिया व राज को भी इसकी इच्छा दे दी तो मैंने उन्हें सलाह दी कि अधिकारियों से मिल-जुल कर पहले समझौते का यस्त करना चाहिए व तबतक सत्याघ्रह या लगानबंदी की बात स्थगित कर देनी चाहिए।

फिर मैं ठिकाने के राबड़ी, कामदार तथा मेवाड़ राज्य के बंदोबस्तु हाकिम मिठू द्रेच से मिला। द्रेच साहब से मेरा परिचय नहीं था। जमनालालजी ने उदयपुर में चलते-चलते यों ही नाममात्र का परिचय

कराया था। मैं जब उदयपुर पहुँचा तो श्रीमोहनसिंहजी मेहता मिलने आये, जो उस समय द्वेष साहब के सहायक अधिकारी थे। उन्होंने पूछा—‘द्वेषसाहब से आपका परिचय है? मैंने कहा—‘नहीं के बराबर’। उन्होंने कहा—मेरी स्थिति बड़ी नाजुक है, मैं उन्हेंके सहायक पद पर हूँ। मैंने कहा, आपसे जिक्र निकल पड़े तो इतना जरूर कह दीजिए कि गांधीवादी हैं और उन्हेंकी पद्धति पर देशी-राज्यों में काम करने के हासी हैं। जमनालालजी के आदमी हैं, यह भी ठीक समझे तो कह दीजिए।

मुझे बिजोलिया के कार्यकर्ताओं व किसानों के मुखियाओं ने कह रखा था कि द्वेष साहब का भरोसा नहीं। आप जो कुछ बात करें वह पक्षी करें—ऐसा न हो कि पीछे धोखा होजाय। हम भुगत नुके हैं।

द्वेष साहब बड़ी अच्छी तरह मिले। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह किसान-पंचायत की रीति-नीति में परिवर्तन होगया है, वह अब महालमाजी की जाह्नवी पर चल रही है। मैं उनका बाजारता सलाहकार हूँ, आपसे जो कुछ तथ नहीं जायगा उसे उससे मनवा सकूँगा, ऐसी स्थिति में हूँ। वे सब तरह से निराश होकर फिर सत्याग्रह की सोच रहे हैं। मैंने उन्हें समझाया है कि महालमाजी का तरीका यह है कि पहले समझौते का हर तरह प्रयत्न कर लेना चाहिए, जब सम्मानपूर्ण समझौता किसी तरह सम्भवनीय न हो तब और तभी सत्याग्रह का अवसरम्बन करना चाहिए। यद्यपि उन्हें अब समझौते की भी कोई आशा नहीं रही है तो भी उन्होंने मुझे एक मौका देने का निश्चय किया है जिसके फल-स्वरूप मैं आपसे मिलने आया हूँ। यदि आप वहाँ शांति चाहते हैं, तो उसके लिए यह अच्छा अवसर है और आप मेरी शक्ति व प्रभाव का उपयोग वहाँ शांति-स्थापना में कर सकते हैं।

खुद रावजी व कामदार तो सुलह के पक्ष में थे ही, पर मेवाड़-राज्य की अनुसन्धि के बिना वे कुछ नहीं कर सकते थे, अतः मैंने द्वेष साहब पर उनकी भावनाएँ भी प्रकट कीं व कहा कि अब यदि समझौता न हो पाया तो इसकी जिम्मेदारी मेवाड़-राज्य पर रहेगी। तब द्वेष साहब ने कहा—

‘हम भी बिजोलिया में सुलह चाहते हैं, फिर से उसे तूफान का केन्द्र नहीं बनने देना चाहते।’

‘तो मैं भी किसानों की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि वे भी उभी सत्याग्रह का अवलम्बन करेंगे जब मैं समझौते के प्रयत्न में हर तरह विफल हो जाऊंगा। मैं भी उनकी तरफ से शांति का ही यैगाम लेकर आपके पास आया हूँ।’

अब समझौते की शर्तों पर बातचीत चली।

: ३० :

## बिजोलिया-समझौता

मैंने किसानों से ज्यादा-से-ज्यादा शर्तें मांगी व कम-से-कम प्राप्ति पर सन्तोष कर लेने की स्वीकृति ले ली थी। उन्होंने कह दिया था कि यदि जमीनें भी सम्मानपूर्वक बापिस मिल जायं तो हमें सन्तोष होगा। मैंने अधिकतम शर्तें ट्रैच साहब के सामने रखी—

( १ ) लगान चौथाई कर दिया जाय था फिर से बंदोबस्त किया जाय।

( २ ) इसी हिसाब से कसरात व बकायात कर दी जायं।

( ३ ) रोली की फसल की कूट १२ आना दी जाय।

( ४ ) छट्ठंद १६२२ के फैसले के अनुसार रहे और वह लगान में शामिल कर दिया जाय, अलाहदा न रहे।

( ५ ) लगान व कसरात की कूट-बंदोबस्त के शुरूआत से दी जाय।

( ६ ) गलत फसल के लिए, फसल खराब हो तो, आठ आने तक कूट मिलनी आहिए।

( ७ ) इस्तीफाशुदा जमीने बापिस लौटाई जायं।

( ८ ) १६२२ के फैसले की जो शर्तें तोड़ी गई हैं उनकी पूर्ति की जाय।

इसके पहले बातचीत के सिलसिले में ट्रैच साहब मुझ से पूछ बैठे—  
किसानों का मेरे बारे मे क्या कहना है ? मेरे मुँह से हठात् निकल पड़ा—  
‘किसान आपको धोखेबाज समझते हैं। उन्होंने मुझे चेतावनी देकर भेजा।

है कि दैर्घ्य साहब मिठ-बोले आदमी हैं, उनके जाल में कहाँ फँस भत जाना।' मेवाड़ में शायद ही इतना स्पष्ट व खरा जवाब उनको किसी से मिला हो। एक चूरोपियन और फिर ऐसा हाकिम, जिसका मेवाड़ के ग्राम्यन पर सर्वाधिक प्रभाव हो, उसको शान में ऐसा कहने की कौन हिम्मत कर सकता था? उन्होंने शायद इतने साहस की मुरक्के उम्मीद भी न की होगी। वह फक होकर मेरा मुँह देखने लगे। तब मैंने सोचा कि इस जवाब से कहाँ अपना काम बिगड़ न जाय? मैंने बात संभालने के लिए तुरन्त कहा—'लेकिन यह तो उनकी राय है। मैंने अभी तक इस पर कोई राय कायम नहीं की है। मैं तो अपने ही अनुभव से किसी के बारे में राय बनाता या बिगड़ता हूँ। मेरा आपसे यह पहली बार ही सावका पड़ा है। जैसा अनुभव होगा वैसी ही राय बनाऊंगा। आपने पूछा तो मैंने किसानों की राय बता दी। इससे आप यह भी समझ सकेंगे कि मेरा काम कितना मुश्किल है और आप ही से उसे सरक्कर बनाने की मैं आशा कर सकता हूँ। आप जो कुछ कह या कर देंगे, मेवाड़ मेरे बही हो जायगा—ऐसा भी आपके प्रभाव के बारे में मुरक्के उन्होंने कहा है। अब: सारा दारोमदार आप पर ही है, किसानों के हृदय को जीतने का भी यह अच्छा अवसर आपके लिए है।'

इससे उनके द्वे होरे का भाव कुछ बदला। बोले—'मैंने तो किसानों को सदा नेक ही सलाह दी है, उनका भला ही चाहा व किया तथा अब भी उनमें शांति ही चाहता हूँ। जो भी वाजिब मांगे होंगी उन्हें जरूर पूरा कराने की कोशिश करूँगा व सही तकलीफे होंगी उन्हें भी दूर करने का उद्योग करूँगा। मैंने किसानों को कितना समझाया कि हस्तीका मत दो, महकमे सास में अपील करो, एक दफा जमीन मुम्हारे हाथ से निकल जायगी तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगी; पर उन्होंने एक ब मानी। उनके सलाहकारों ने उन्हें हँबो दिया। अब कितनी ही जमीन बापी पर दे दी गई—पटा कर दिया गया—लेने वालों ने हमसे कहा कि आप किसानों से दबकर फिर हमसे जमीन छीन लेंगे व उन्हें दिला देंगे। तब

हमने ऊपर से उन्हें और आश्वासन दिया कि नहीं ऐसा हरणिज नहीं होने दिया जायगा। अब बताओ, वह जमीन कैसे वापिस ली या दी जा सकती है ?'

'उनका इस्तीफा आपने मंजूर कर लिया, यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आप सोच सकते थे कि किसान इस्तीफा देकर शांत नहीं बैठने वाले हैं। इस्तीफा भी उन्होंने शर्तों के साथ व विरोध-स्वरूप दिया है। सब तरह से निराश होकर दिया है। आपको चाहिए था कि आप उनकी शिकायतों को दूर करते, बजाय इसके कि इस्तीफा मंजूर कर लेते। पुर्णनी जमीन, जिन पर उनके बाल-बच्चों का सारा दारोमदार है, वे कैसे आसानी से छोड़ देंगे ! और वे किसान भी मामूली नहीं लड़वाये हैं; उनमें अच्छा सङ्घठन है, मेवाड़-राज्य से टक्कर ले चुके हैं और उसमें कामयाब हुए हैं, हर टक्कर में उन्होंने कुछ-न-कुछ कामयाबी हासिल की है, ऐसी दशा में आपको इस्तीफा मंजूर करने से पहले सौ दफा सोच लेना चाहिए था। आपने उन्हें तो समझाया कि जमीन फिर वापिस नहीं मिलेगी पर अपने को भी तो समझाया होता कि कलगड़े की जमीन है, देनेक्षेत्रे वाले सब मुसीबत में पड़ेंगे। अब इस मुसीबत की जिम्मेदारी से आप कैसे बच सकते हैं ? क्या आप मानते हैं कि जमीन दिये बिना किसानों में कभी शांति स्थापित हो सकती है ?'

'नहीं, यह तो मैं भी मानता हूँ !'

'तो फिर इसका कोई रास्ता आप ही भली प्रकार निकाल सकते हैं !'

मुझे जहाँ तक याद है बिना बापी की जमीन लौटा देने का आश्वासन तो शायद रावजी साहब व उनके कामदार ने भी दे दिया था—बापी बाली यानी पट्टे बाली जमीन की ही असली दिक्कत थी। इैच साहब ने भी कहा कि बिना बापी को जमीन तुरन्त लौटवा दूँगा। बापी बाली के बारे में सोचना पड़ेगा।

'बन्दोबस्त बाली शर्त पर उन्होंने कहा—'बन्दोबस्त में कोई गलती नहीं हुई है, तब दुबारा कैसे किया जाय ?'

‘तो चार आना लगान कम कर दीजिए।’

‘इससे राज्य की तौहीन होगी, विना खास कारण के इतना लगान कम भी कैसे किया जाय?’

‘कारण क्या? क्या आप मानते हैं कि किसानों की माली हालत बहुत बिगड़ नहीं गई है? अभी उनके हाथ से निकल गई। कसरात, बाक्षियात उनके सिर पर हई है व बढ़ती जाती है। फसल भी तो खराब होती रही, जिसकी छूट उन्हें नहीं मिली—क्या ये कारण लगान में छूट देने के लिए बस नहीं है? यदि इसमें भी आपको दिक्कत मालूम हो तो फिर से बन्दोबस्त क्यों नहीं करवा देते? आपकी भी स्थिति अच्छी रहेगी व किसानों को भी सम्मोष हो जायगा।’

‘जितना रुपया फिर बन्दोबस्त में खर्च होगा उतना किसानों को क्यों न दिला दिया जाय?’

‘तो फिर लगान में कमी करा दीजिए। जो अधिक सुविधाजनक हो वही कर दीजिए। मैं आपकी कठिनाइयों को भी समझ सकता हूँ और इसलिए किसी अधिक कठिन बात पर जोर देना नहीं चाहता।’

‘अच्छा यदि लगान में एक आना कमी करा दी जाय व इतना रुपया और तरह से छूट में दिला दिया जाय जो तीन आना लगान कमी कर देने के बराबर हो तो आपको कोई आपत्ति है?’

‘यदि कुल मिलाकर चार आना लगान में छूट हो जाने के बराबर हो जाय तो मैं किसानों की समझा सकूँगा।’

तब नीचे लिखे अनुसार समझौते की शर्तें तथा पार्द्दे<sup>1</sup>। यह दो-तीन चार की सुलाकारों का फल था—

(१) ठिकाने से किसानों को इस बात का यकीन दिलाया जाय रिके १६२२ के फैसले की शर्तें न तोड़ो जायेंगी, और जो हृदो होंगी उन की पूर्ति करा दी जायगी।

(२) ‘छह-द’ लगान में शामिल कर दिया जाए और लगान में

एक आना फी रुपया कमी कर दी जाय और कसरात-बाकियात में ५०% फी सदी छूट दे दी जाय।

(३) जो जमीन ठिकाने के कब्जे में है वह तुरन्त लौटा दी जाय और बापी (पक्का पट्टा) पर दी गई जमीन बापीदारों से खानगी में कह-सुनकर लौटा दी जाय।

इस आखिरी शर्त को पूरा करने की जिम्मेदारी द्वेष साहब ने ली थी। उन्होंने कहा—‘जाबते से ये जमीनें नहीं छीनी जा सकतीं। आप यह तो मानेंगे कि इसे आपने बच्चों का पालन करना ही चाहिए। मगर इसमें आपस में समझौता करके जमीन वापिस दिला दी जायगी।’

‘मैं भी मानता हूँ कि आप जाबते से डसे वापिस नहीं ले सकते, न क्लीनी भी चाहिए। जो बच्चन दिया गया है, उसका पालन अवश्य होना चाहिए। हमारा मतलब तो जमीन वापिस मिलने से है। जब तक वह वापिस न मिलेगी, न किसानों में शांति रहेगी न बापीदार ही शांति की नींद ले सकेंगे। अतः उनकी भी शांति इसी पर निर्भर करती है कि वे जमीनें उनके असली मालिकों को लौटा दें। यह तो आप जानते ही हैं कि जमीनें प्रलोभन, ढांट-धमकी दबाव से इन लोगों को दी गई हैं व इन्होंने ली है।’

‘लेकिन बापी के लिए इन्हें नजराना जो देना पड़ा है।’

‘नजराने के बारे में किसानों से समझौता कराया जा सकता है।’

‘तब तो जमीने मिलने में ज्यादा दिक्कत न होगी; फिर भी, अभी तो मुश्किल ही दीखता है।’

‘आपकी कोशिश पर सब कुछ सुनहसिर है।’

इसके अनुसार और सब शर्तों का पालन होगया। सिर्फ बापी बाली जमीन रह गई थी। इसका किसाना लम्बा चला। अन्त को १६३१ में किसानों को इसके लिए सत्याग्रह करना पड़ा। फिर भी जमनालालजी ने बीच में पढ़कर समझौता कराया। उसके बाद अभी कोई २-३ साल यहले वे सब जमीनें उन किसानों को मिल पाईं। जाबते व कानून

से देखा जाय तो जिसका हस्तीफा किसानों ने खुद दे दिया व जिसका पट्टा दूसरों को कर दिया गया उसका वापिस मिलना असंभव ही था। जिसके भी सामने यह केस जाता वही कहता कि किसानों ने बड़ी भूल की, अब यह जमीन कैसे वापिस मिल सकती है? जमनालालजी भी यही मानते थे; परन्तु सब इस बात को भी महसूस करते थे कि बिना जमीन मिले किसानों में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। इस असली सच्चाई ने कानून व जाते पर विजय पाई। यदि इस तरह खुद व खुद हस्तीफा दे देने के बजाय किसान लगान देना बन्द कर देते, व जमीन अपने ही कब्जे में रख लेते तो यह बात इतनी उलझती नहीं, व उन्हें इतने लम्बे अरसे तक कष्ट न भुगतने पड़ते।

मेरी समझ से अस्तन्त निराशाजनक परिस्थिति में भी इतनी सफलता मिल जाने के नीचे लिखे कारण हैं—

(१) किसानों की इच्छा कि जमीने जल्दी न मिलें, व बन्दोबस्तु-संबंधी कष्ट न दूर हुए तो हम 'सत्याग्रह' करेगे, दब कर बैठ नहीं जायंगे।

(२) किसान-पंचायत की रीति-नीति में परिवर्तन करके सत्य-नीति का अवलम्बन करना।

(३) यह हकीकत कि समझौता हुए बिना किसानों में शान्ति न होगी—व इसका सब पह बालों में एहसास।

(४) समझौते की बातचीत के सिलसिले में दिखाई गई किसानों की तरफ से एक और इच्छा व दूसरी और सद्भावना की स्परिट।

जीवन में संघर्ष व समझौता दोनों के लिए समान स्थान है। समझौता जीवन की वृत्ति है व संघर्ष जीवन का नियम है। जब समझौता नहीं हो पाता है तो संघर्ष छिड़ता है। जो समझौते की उपेक्षा करके संघर्ष करता है या करता रहता है वह जीवन से विछुड़ जाता है।

मुझे एक विश्वसनीय मित्र ने कहा था कि द्रेंच साहब का कहना है इरिभाऊ बन्दोबस्तु के बारे में तो कम जानकारी रखता है, परन्तु उसकी

सच्चाई का मेरे हृदय पर गहरा असर हुआ है। उसकी सच्चाई नकाला करती है कि किसानों की तरफ से वह जो कुछ कहे पूरा कर दूँ।' मुझे उनके हन्दे इशारों में अहिंसा की विजय-ध्वनि सुनाई पड़ती है।

३१ :

## कांग्रेस में प्रवेश

एक या दो वर्षों के बाद मैं चरखा-संघ से निकलकर 'गांधी-सेवा-संघ' में शामिल हो गया। चरखा-संघ के कर्मचारी की हैसियत से मेरा अधिकांश समय खादी-कार्य में ही लगना चाहिए था। परन्तु सहता-मंडल, इंदौर, उज्जैन के मजदूर-कार्य, बिजोलिया का किसान-कार्य आदि विविध प्रवृत्तियों में समय जाने लगा। अतः मैं गांधी-सेवा-संघ का सदस्य हो गया।

शायद १९२७ व २८ में एक रोज हृष्टंडी आश्रम में श्री अर्जुनलाल सेठी व श्री दुर्गाप्रसाद आये। सेठीजी शायद प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री व दुर्गाप्रसादजी या तो नगर कमेटी के मंत्री या प्रधान थे। सेठीजी ने सुझते कहा, 'उपाध्यायजी, अब तो आप यहाँ जम गये हैं। मण्डल, चरखा संघ, आश्रम, तथा दूसरी प्रवृत्तियों के द्वारा अपना काम आप जमा रहे हैं। अतः अब कांग्रेस की तरफ भी ध्यान दीजिए। आप चाहें तो हम आपको इसका सभापति बना सकते हैं और आपकी सलाह से ही सब काम-काज करेंगे।' सेठीजी के पहले-पहल दर्शन मैंने इंदौर में किये थे जब कि वे मंद्रास की किसी—शायद बेलारी—जैल से हूट कर आये थे और एक बहुत बड़े जलूस के द्वारा उनका स्वागत वहाँ किया गया था। मैंने बड़े ही भक्ति-भाव से उन्हे प्रणाम किया था और राजस्थान के पहले बांदी के दर्शन करके मैं गदगद हो गया था। उस समय क्या पता था कि इन्हीं सेठीजी से भिन्नत का सौका आगे जाकर आ जायगा। आज तो

-सेठीजी मुझे अपनाने के लिए आये थे । मुझपर स्नेह भी रखते थे । मैंने जवाब दिया—‘मुझे रचनात्मक काम प्रिय है और उसीमें अपनी शक्ति लगाना चाहता हूँ, व थोड़ी-बहुत लगा भी रहा हूँ । यह भी कांग्रेस का ही काम है, ऐसा आप मानिए । कांग्रेस-कार्य के दो विभाग हैं, एक शासनात्मक, दूसरा रचनात्मक; पहले को आप संभाल रहे हैं, दूसरे को मैं संभाल रहा हूँ—ऐसा ही आप समझिए । इससे आपको हमारी दोनों शक्तियों का सदुपयोग होगा, वे परस्पर-पूरक हो रहेगी । यदि मैं सीधा कांग्रेस में आ गया तो आपकी-मेरी शक्तियाँ टकराती रहेंगी; क्योंकि आप एक स्वतंत्र नेता हैं, मैं महात्माजी का एक नम्र अनुयायी व सिपाही । मुझे उनके आदर्श, आदेश व नियमों के अनुसार ही काम करना होगा, आप जैसे स्वाधीन नेता के लिए यह संभव नहीं है कि उनका अनुगमन करें । अतः हमारी आपस में खीचातानी होती रहेगी । फिर मेरी कोई ऐसी महात्माकांजा भी नहीं है । अतः आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में मुझे ऐसा लगता है कि सब तरह अहित ही होगा ।

मगर बाबाजी चाहते थे कि क्यों न कांग्रेस को यहाँ पुनर्जीवित किया जाय ? मेरे आने से पहले ही वे व राहतजी (श्री चेमानंद ‘राहत’) एक बार ऐसा उद्घोग कर भी चुके थे । हक्कफाक्से, कलकत्ता-कांग्रेस (१९२६) में सेठीजी पर बेजा तौर पर कांग्रेस के टिकट बेचने का आरोप लगा व प्रांतीय तथा अजमेर कांग्रेस कमेटी तोड़ दी गई और नये चुनाव का आदेश हुआ । इन दिनों मैं भी कलकत्ता गया हुआ था । वहाँ एकाएक पुष्टकर के श्री सोहनलाल गिले जिन्होंने मुझसे टिकट बेचने का किस्सा बताया व कहा कि पं० जवाहरलालजी पूछते थे कि अब वहाँ किसके भरोसे कमेटी बन सकती है, तो मैंने आपका नाम ले दिया । मैं बिगड़ा कि ‘मुझसे बिना पूछे क्यों मेरा नाम ले दिया । मैं तो ऐसे किसी झगड़े में पड़ना नहीं चाहता । अगर कमेटी ही मुझे लेनी होती तो सेठीजी खुद मुझे देने आये थे, लेकिन मैंने इन्कार कर दिया । आपने यह अच्छा नहीं किया ।’

‘मैंने तो प्रांत के हित में जो अच्छा समझा वही सुना दिया।’

जैसे ही कमेटी दूटने की स्वर अलमेर पहुंची, बाबाजी आदि मित्रों ने, मेरे वहाँ पहुंचने से पहले ही, चुनाव लड़ना व उसके लिए सुन्में आगे करने का निश्चय कर लिया। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने बाबाजी से कहा कि, इसमें मेरी न तो रुचि है, न योग्यता ही ऐसे कामों में पड़ने को है; अतः मुझे दूर रख के ही आप इस काम को छलाइए।

‘तो क्या आप इसे अनुचित व बुरा समझते हैं।’

‘नहीं अनुचित व बुरा तो नहीं है; पर मैं इस योग्य अपने को नहीं मानता।’

‘तो यदि यह काम बुरा नहीं है, और आपके साथी या मित्र उसे करना चाहते हैं तो क्या आप उनको मदद न करेंगे? यह आपका कर्तव्य नहीं है?’

‘कर्तव्य भी हो सकता है, व मदद भी करनी चाहिए, परन्तु अपनी योग्यता को देखकर ही।’

‘तो हम आपसे सिर्फ इतनी ही मदद चाहते हैं कि आप चुनाव कमेटी के सभापति बन जाइए। हम पर अंकुश रखिए—हमसे कोई गलत काम मत होने दीजिए। बाकी काम सब हम लोग कर लेंगे। आपको विलक्षण तकलीफ न होने देंगे।’

‘यह तो मैं बाहर रह कर भी कर सकूँगा।’

बाबाजी—‘नहीं, मैं कमेटी में ही व सभी ऐसी चगह जहाँ से आप अधिकारी रूप से हमें रोक सकें, आपको चाहता हूँ।’

बाबाजी तो दृढ़ संकल्प कर ही चुके थे। उनका स्नेहाभ्रह तोहना भी मेरे लिए कठिन था। ‘अंकुश’ बाजी बात का महत्त्व भी मैं समझता था; अतः मैंने कहा—

‘तो पहले ऐसा कोलिए कि अलमेर व व्यावर के सभी सार्वजनिक चेत्र के मित्रों से इस बारे में राय लीजिए कि इन स्थान पर किसे विठाना चाहिए। यदि सबकी राय घह होगी तो मैं सोचूँगा। लेकिन आप

लोग मेरा नाम न सुकावें । उनकी ओर से ही नाम आने दीजए ।'

बाबाजी ने इसे स्वीकार कर लिया । मेरा उद्देश यह था कि सार्व-जनिक रूप से कोई जिम्मेदारी लेना हो तो वह उसी दशा में ठीक है जब अधिकांश लोगों के सहयोग की आशा हो । इससे मुझे स्थानिक मित्रों की हचि-अर्हाच का पता लग सकता था । यदि लोगों की राय न हुई या कम हुई तो मुझे बाबाजी को समझाने का अच्छा अवसर मिल जायगा । बाबाजी ने रिपोर्ट लाकर दी कि हमने व्यावर, अजमेर के सब मित्रों से पूछ लिया । १६ राय आपके व १४ राहतजी के पढ़ में मिलीं । प्रायः सभी ने आपका नाम सूचित किया है । तब मैंने सोचा कि यह जिम्मेदारी तो कोरी स्थानिक नहीं है, प्रान्तिक है, सभी जगह मेम्बर बनाने होंगे व चुनाव लड़ना होगा । प्रान्त भर के सहयोग की आवश्यकता होगी । तो मैंने कहा कि सब प्रान्तों से चुने हुए कार्यकर्त्ता खुला लीजिए, उनकी भी राय हुई तो मुझे आपके अनुकूल सोचने में बहु मिलेगा ।

तदनुसार प्रान्तीय मित्रों की मीटिंग हुई, जयपुर के श्री पाटणीजी क भोपाल के श्री विह्लदासजी ने मुझे यहां तक दबाया कि यदि ऐसे समय जब कि कंग्रेस का पुनरुद्धार हो रहा है, आपके जैसा आदमी पीछे हटता है तो हम मानेंगे कि आप प्रान्त का हित करने नहीं आये हैं, अहित चाहते हैं ।

इस परिणाम से मैं खुश हुआ । यह पता लग गया कि आम तौर पर लोग मुझे चाहते हैं । तब मेरे मन मे यह ख्याल आया कि अब 'नाहीं' कहने से बाबाजी आदि मित्र तो नाराज हो ही जायेंगे, शायद लोग यह भी समझने लगें कि यह बड़ा जिद्दी व अभिमानी भी है । दूसरे यह सोचा कि दूसरी जगह तो लोगों को यह शिकायत है कि लोग हमें सहयोग नहीं देते, विरोध करते हैं, यहां जब इतने मित्र सहयोग देने के लिए तैयार हैं तो उससे खाम न उठाना शायद गलती भी हो और जैसा कि इन मित्रों ने कहा, इससे प्रान्त का अहित भी हो ।

इन भावों के प्रभाव में मैंने मीटिंग में ही बाबाजी से कह दिया—

'मैं तैयार हूँ, आपको जहाँ बिठाना हो वहाँ बिठा दीजिए। मगर युक्ति र्थर्त है, यदि कोई भी अनैतिक बात हमारी तरफ से हुई तो मैं तुरन्त इस्तीफा दे दूँगा।'

बाबाजी ने इसे स्वीकार किया। यह मेरे कॉर्ग्रेस में प्रवेश होने की भूमिका है। चुनाव में दो नियमों पर कड़ाई से अमल करना तथा हुआ—सेठीजी की पार्टी के खिलाफ कलकत्ते बाली टिकट बेचने की या दूसरी सार्वजनिक बुराहियों का ही प्रचार संयत भाषा में किया जाय, व्यक्तिगत आहेप कर्त्ता न हो। अपनी तरफ से कोई कानूनी गलती भी न की जाय।

मुझे याद पड़ता है, एक अवसर ऐसा आ गया था, जब मुझे स्वार मिली कि कुछ व्यक्तिगत गंदगी उछालने की—ऐसे छपाने की—बात हो रही है, हमारी कमेटी में से ही कोई ऐसा प्रयत्न कर रहा है तो मैंने फौरन बाबाजी से कहा कि ऐसी बात होगी तो अपने ठहराव के अनुसार मैं कमेटी में नहीं रहूँगा।

चुनाव के लिए श्री किंदवर्ह साहब आये थे। मेरा उनका यह प्रथम ही परिचय था। एक बार सेठीजी की पार्टी की ओर से हमारी पार्टी के खिलाफ आई रिपोर्ट उन्होंने मुझे जांच के लिए दी। मैंने आश्चर्य से कहा—'हमारी पार्टी के संवंध में शिकायत, और आप मुझे ही उसकी जांच का काम देते हैं। इससे शाकी मित्रों को कैसे सन्तोष होगा? किसी तीसरे आदमी को दीजिए न।'

'मैं जानता हूँ कि आप सच्चाई को छिपावेंगे नहीं। आपकी पार्टी की गलती होगी तो आप जरूर अपनी पार्टी के खिलाफ राय दे देंगे। किसी तीसरे आदमी की वनिस्वत मुझे आप पर ज्यादा विश्वास है।'

जब चुनाव में हमारी कामयाबी हुई तो किंदवर्ह साहब ने हम स्टोरों को सुधारकान्दी दी थी। तब मैंने कहा—'मुझे इस जीत पर खुशी नहीं है। यह बोटों की जीत है, कानूनी जीत है; नैतिक विजय नहीं है।'

चुनाव में मेरा नाम प्रान्तीय कॉर्ग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री की जगह

रखा गया था। मैंने सिर्फ साल-भर के लिए यह पद स्वीकार किया था, परन्तु बाद में, इसी साल सत्याग्रह का दौर चल निकला जो १९३६ तक चला। सत्याग्रह के बीच में ऐसी जिम्मेदारी को छोड़ देना मुझे अपनी स्पिरिट के खिलाफ भालूम हुआ। मेरा नियम यह है—जब कठि-  
नाई, जोखिम, निन्दा का अवसर हो तो आगे, व भाज-सम्मान, बढ़ाई  
का हो तो पीछे रहना चाहिए। सत्याग्रह स्थगित होने के बाद मैं कांग्रेस  
के पद से हट गया। सिर्फ विचित्र परिस्थितियों में एक अपचाद करना  
पड़ा था।

## : ३२ : स्मरणीय घटना

१९२६ के दिसम्बर के महीने में हमने कांग्रेस-कमेटी का चार्ज लिया था १९३० की २६ जनवरी को प्रथम स्वाधीनता-दिवस मनाना था नवे सिरे से नई कमेटी की प्रतिष्ठा जमानी थी। अजमेर में आर्य-समाज के वार्षिकोत्सव के सिवा सार्वजनिक चन्द्रा बन्दू हो गया था। सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के प्रति लोगों की अश्रद्धा किस गहराई तक पहुँच चुकी थी, इसका अन्दाज़ मुझे गुजरात बाढ़ के चन्दे के समय हुआ। श्री मणिलाल कोठारी उन दिनों मुझे चलाते-चलाते कह गये कि गुजरात बाढ़ के पीड़ितों के लिए भी कुछ करना। मैंने सहज भाव से 'हाँ' कर ली। जब अजमेर के मित्रों से बातचीत की तो पता चला कि यहाँ तो चन्द्रा मुश्किल है। लोगों का विश्वास ही सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं पर से उठ गया है। पर सहायता तो भेजनी थी, क्योंकि बादा कर चुका था। तब श्री हुर्गाप्रसादजी ने तजवीज़ सुझाईँ कि कमेटी के संयोजक आप बनें, खजांची वैद्यराज रामचन्द्रजी बनें, तो चन्द्रा भले ही हो सके। फिर जितना रूपया रोज मिले उतना उसी दिन सरदार पटेल को भेज दिया जाय व दूसरे दिन सुबह दानदावाओं की सूची व रूपये भेजने का बीमा या भनीआर्डर नम्बर छापकर पत्रिका निकाली जाय तो लोगों का विश्वास जम सकता है। ऐसा ही किया गया। तब जाकर कोई ३०००) रु० व कपड़ा आदि वहाँ भेजा जा सका। इसी तरह खादी-फेरी के सिलसिले में जब इंदौर गया था तब वहाँ एक खादी-भंडार कायम करने के लिए रूपये पुकार करने

लगा तो व्यापारी समाज के लोगों ने कहा—अजमेर के नाम पर एक पैसा भी चन्दा हम लोग नहीं देंगे। तिलक-स्वराज्य कोष के लिए कोई ४००००) इन्दौर से गये जिसका एक पैसा भी यहाँ नहीं भेजा गया, जबकि ३५ यहाँ मिलना व खर्च होना चाहिए था। लेकिन आप खादी के लिए आये हैं तो आपको इनकार नहीं कर सकते। इसी तरह जब २६ जनवरी मनाने की व्यवस्था के सिलसिले में हम प्रथम बार केकड़ी गये तो वहाँ के लोगों ने भी कहा कि चंदे का तो हमें बड़ा कटु अनुभव हुआ है। अजमेर के लिये यहाँ से एक पैसा नहीं मिलेगा। तब मैंने लोगों को समझाया कि अजमेर से तो मैं खुद भी पैसा मांगने आऊँ तो आप मत दीजिएगा—लेकिन यहाँ के कामों के लिए पैसा हकहा करके आपके विश्वास-पात्र लोगों के पास यहाँ रखिए व यहाँ खर्च कीजिए। आपको चाहिए तो अजमेर से उल्टा पैसा मैं यहाँ भिजवाता रहूँगा। और छः मास तक केकड़ी की कमेटी के लिए अजमेर से रुपया भिजवाता भी रहा। ऐसे अशब्दा व अविश्वास के बातावरण में काम करना था। परन्तु परमात्मा की कृपा व महात्माजी के आशीर्वाद से, जब नई कमेटी बनी तो लोगों का उसपर विश्वास जसने लगा व आशाएं भी बढ़ने लगीं। चुनांचे अजमेर, केकड़ी व्यावर व अन्य जगह भी स्वाधीनता-दिवस धूमधाम से मनाया गया।

इसके दो ही महीने बाद नमक सत्याग्रह का कार्यक्रम देश के सम्मुख आगया। मैं प्रथम डिक्टेटर बनाया गया। पिछड़ा हुआ व देशी-राज्यों से विरा प्रांत होने के कारण मैंने सोचा कि कम-से-कम १०००) मासिक रुपया व ५०० स्वयं-सेवक मिल जाने पर—जिससे कम-से-कम १ साल तक तो लडाई चालू रह सके—यहाँ सत्याग्रह चालू करना चाहिए। भले ही शुरू करने में हमें कुछ दिन की देरी क्यों न लग जाय। साल-भर के लिए रुपयों का इंतजाम कर चुका था। पर स्वयं-सेवकों के २५० नाम ही आये थे; तब हमने तजवीज की कि ६ अप्रैल को स्वयं-सेवकों की दो टोकियाँ पैदल प्रचार के लिए भिन्न-भिन्न दिशाओं में अजमेर से निकलें। पहली टुकड़ी श्री नित्यानंदजी नागर—भूतपूर्व कमांडर हून चीफ, बूंदी

राज्य—के नेतृत्व में व्यावर जाने वाली थी। उसको विदाई देने के लिए  
८ अप्रैल १९३० की शाम को आम सभा होने वाली थी। मैं विदाई  
का भाषण देने के लिए सभा के मैदान में बुसा ही था कि भार्ह वैज-  
नाथजी ने कहा—‘दा साहब, नागरजी ने तो कल जाने से इन्कार कर  
दिया! और सभा की तो तैयारी हो गई। आपकी ही इंतजारी हो रही  
हैं।’ सुझ पर मानो किसी ने बज गिरा दिया। मन में कहा—यह तो  
ऐन बक पर बड़ा खोखा दिया। क्रोध तो इतना आया कि नागरजी सामने  
मिल जाय और मैं हिंसाचादी होऊँ तो गोली से उड़ा दूँ। इस विषम  
परिस्थिति से मेरी आंखों में आंसू छुलछुला आये। यह देखकर वैज-  
नाथजी ने कहा—‘पर आप चिन्ता क्यों करते हैं, मेरी टुकड़ी चली  
जायगी।’ मैंने मन में यही सोचा था और खुद उन्होंने ही यह प्रस्ताव  
रख दिया। मेरे हृदय में उस दिन वैजनाथजी का जो मूल्य बड़ा उसको  
आँकड़ा कठिन है। ऐसे साथी को पाकर मेरी छापी फूली न सभाई।  
मैंने कहा—तो अपने आदमियों को इकट्ठा कर लीजिए—कछु तो सभा  
में भी आये ही होंगे। मैं आपकी टुकड़ी को विदाई दे देता हूँ।

विदाई के बाद कोई रात को १० बजे सत्याग्रह कैम्प में मैंने नागरजी  
को बुलाया व उनसे बड़ी शांति व सद्भाव से पूछा—‘आपने कल जाने  
से इन्कार क्यों कर दिया?’ मैंने मन में निश्चय कर लिया था कि नागरजी  
को पहले पूर्ण सन्तोष देकर फिर उनसे आज की अवज्ञा का जवाब-तलब  
करूँगा। उनके जैसा आदमी बिना किसी बड़े कारण के ऐन भौंके पर  
इन्कार नहीं कर सकता। अतः पहले मैंने उनके दिल को टटोलना मुना-  
सिब संमझा। यही मुझे इस समस्या को अहिंसात्मक रीति से हल करने  
का भार्ग सूक्ष्म। अहिंसात्मक अनुशासन मुख्यतः अन्दर से विकसित किया  
जाता है। मैं चाहता तो इसी बात पर उन्हें स्वयं-सेवक दल से हटा  
सकता था; परन्तु मैंने कोरे उपरी अनुशासन को महत्व न देकर उसकी  
उह तक पहुँचना व उसका असली उपाय करने का निश्चय किया।

उन्होंने कहा—‘मुझे कुछ ऐसा लगा कि यहाँ सत्याग्रह की तैयारी

ढीली-ढाली है। आपकी मंशा सत्याग्रह चालू करने की नहीं है, ऐसा भी सुना। लोगों ने यह भी कहा कि आप कमज़ोर आदमी हैं, कोई-न-कोई बहाना निकालकर सत्याग्रह न होने देंगे, न खुद ही जेल जायंगे।'

'यही बात है या और कुछ ?'

'बस यही और इतनी ही। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बंबई चला जाऊँ। मुझे सत्याग्रह जरूर करना है।'

'आप बस्बई क्यों जावे? आपको यही सत्याग्रह का मौका मिलेगा। अच्छा अब आपको यकीन कैसे हो कि यहां सत्याग्रह अवश्य चलेगा व मैं भी उसमें सम्मिलित होऊँगा।'

'आप सत्याग्रह की कोई तारीख निश्चित कर दे तो मुझे इतमीनान हो जायगा।'

'तारीख मैंने अभी तक इसलिए नहीं तय की कि मैं चाहता हूँ कि कम-से-कम २०० स्वयं-सेवक भर्ती हो जायें, जिससे १ साल तक तो जेल जाने वालों का तांता न ढूढ़ने पावे। पर अब तो मुझे आपका सन्देह दूर करना है, इसलिए इस शर्त को छोड़कर तारीख निश्चय किये देता हूँ। अच्छा २० अप्रैल हो तो कैसा?

'हाँ, बहुत ठीक है। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं। कल मेरी टुकड़ी को बिदा कर दीजिए।'

'और मैं चाहता हूँ कि २० तारीख को व्यावर में सत्याग्रह शुरू करने का भी गौरव आपकी टुकड़ी को मिले।'

अब तो नागरजी बहुत प्रसन्न हो गये। मैंने फिर कहा—

'अौर मेरा यह निश्चय है कि २० तारीख को ही अजमेर में मेरे नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा जायगा। अब तो आपको दोनों बातों का इतमीनान हो जायगा न ?'

नागरजी ने शानन्द से उछलकर मेरे पांव पकड़ लिये। वे मेरी तरफ से हृतने सब आकस्मिक व अनुकूल निश्चयों के लिए तैयार न थे। जब उन्होंने कह दिया कि अब मुझे पूरा इतमीनान व सन्तोष हो गया तब मैंने कहा—

‘आपका तो पूर्ण समाधान मैंने कर दिया, अब मेरे समाधान की बारी है। देखिए, आप चून्दी-राज्य के कमांडर-इन-चीफ रह जुके हैं। सेना के शासन व अनुशासन से खूब वाकिफ हैं। मैं तो एक बाह्यण का बेटा हूं, मेरे बाप-दादों में भी कभी कोई सेना में भर्ती नहीं हुआ। यों भी मैं बोदा आदमी गिना जाता हूं, और शायद किसी सेना के संचालन की योग्यता भी नहीं रखता हूं। परन्तु आपसे यह जानना जरूर चाहता हूं कि आज आपने अपने सेनापति की जो अवज्ञा की है और जिस तरह ऐन मौके पर की है, वैसी किसी भी सेना में सहन की जा सकती है ?

‘नहीं, हरगिज नहीं।’

‘तब, आप ही बताइए कि मुझे आपके व आपकी टुकड़ी के लिए अब क्या कार्रवाई करनी चाहिए ? आप मेरी जगह होते तो क्या करते ? शायद गोली से उड़वा देते ! मेरे भी जी में ऐसे कड़े अनुशासन के भाव अस्थि थे, आपका गुनाह मुझे गोली भार देने के काबिल ही जंचा था, परन्तु मैंने उसे सत्याग्रही तरीके से हत्त करना मुलासिम समझा। अब बताइए मैं क्या करूँ ?’

उन्होंने एक सच्चे अपराधी की भाँति मुझसे माफी मांगी, और कहा—‘मैं सेनापति रहा होकर भी नालायक सिपाही सावित हुआ, आप सैनिक न होकर भी सच्चे सेनापति सावित हुए। आज आपने मुझे सदा के लिए जीत लिया। तबसे नागरजी का जो विश्वास मुझपर बैठा है वह आज तक ढूटा नहीं है। दूसरे दिन जब उनकी टुकड़ी को विदाई मैंने दी तब भरी सभा मेरे उन्होंने मुक्केषण से अपना अपराध स्वीकार किया, मेरी माफी मांगी और सो भी पूर्वोक्त शब्दों को दुहराते हुए। इससे मुझे नागरजी की साफ-दिली व साहस का भी परिचय मिला।

पूर्व-निश्चय के अनुसार २० अप्रैल १९३० को अजमेर में मेरे नेतृत्व में व व्यावर में नागरजी के नेतृत्व में नमक-कानून ढूढ़ गया।

३३ :

## बहिष्कार

इसके पहले की एक और घटना याद आ गई, जिसमें मुझे अपने घर में ही एक भारी 'सत्याग्रह' का सामना करना पड़ा। इसमें मेरी उद्धता तथा अहिंसा दोनों की काफी परीक्षा हुई। रेवाड़ी में एक भगवान्ति आश्रम है। वहाँ श्री जमनालालजी के साथ मैं भी गया था। वहाँ के तत्कालीन प्रधान श्री परमानन्दजी महाराज से नीचे लिखे अनुसार जमनालालजी को बातचीत हो रही थी कि मैं पहुँच गया—

महाराज—'खान-पान के बारे में आपके क्या विचार हैं ?'

जमनालालजी—'शुद्ध भोजन, शुद्ध पानों में शुद्धता से बनाया हुआ हो तो मुझे किसी के भी हाथ का खाने में आपत्ति नहीं है।'

'क्यों उपाध्यायजी, इस विषय में आपका क्या मत है ?'

'सेठजी का व मेरा इस सम्बन्ध में एक ही मत है।'

'तब तो आपको हरिजनों के हाथ का खाने में कोई परदेज न होगा !'

'क्या परदेज हो सकता है ? भगव शूद्धोंक तरह से बना हो।'

तब महाराजजी ने पास ही जाते हुए एक हरिजन बालक को, जो उनके आश्रम की पाठशाला में ही शायद पढ़ता था, छुलाकर कहा—  
'देखो, आज जमनालालजी व उपाध्यायजी तुम्हारे यहाँ खाना खायेगे। तुम अपने घर कह दो।'

जमनालालजी—'लेकिन मेरी तैयारी इनके घर खाने की नहीं है। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि पान शुद्ध होना चाहिए, व शुद्धता के

साथ बना हुआ होना चाहिए । इनके घर पर न जाने कैसे पात्र हों, व न जाने किस तरह खाना बने ।'

महाराजजी—‘तो येसा करो, (हरिजन बालक से) तुम अच्छी तरह नहा-धोकर, आश्रम के साफ बरतनों में, यहीं खाना बनाओ और आप लोग वह भोजन करेंगे ।’

हमारे सामने इसके परिणामों का सारा चिन्ह खड़ा हो गया । मन में यह तो हुआ कि महाराजजी ने अपने को अच्छे पेंच में डाल दिया । परन्तु यह भी खाल आया कि जैसा हम दावा करते हैं वैसी ही परीक्षा का अवसर अगर आ गया है तो पीछे हटना कायरता ही होगी ।

हम दोनों ने कहा—‘हां, हस तरह भोजन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है । पाठशाला के कई बालकों ने भिलकर, जिनमें एक वह हरिजन बालक भी था, चूरमा-बाटी बनाया व हम दोनों ने वह प्रसाद प्रहण किया । दूसरे-तीसरे ही दिन अल्पतारों में बड़ी-बड़ी सुखियों में इसका समाचार छपा । हमने इसका अनुमान पहले से कर लिया था । अजमेर पहुंचते ही मैंने अपनी भाँ से कहा—‘आज से मेरा खाना मेरे कमरे से पहुंचा दिया करो । मेरे पानी का बर्तन भी मेरे कमरे में ही रखवा दो । मैं आप लोगों की रसोई में भोजन नहीं करूँगा ।’

भाँ हृष्टा-बक्का रह गई । पूछा—‘आखिर बात क्या है ?’ मैंने सब भासला बयान किया । वह बिगड़ कर बोली—‘तो वाह ! कहीं येसा हो सकता है, तुम अलग खाओ व हम अलग खावे—यह कभी नहीं हो सकता ।’

‘लेकिन विरादरी बाले ऐतराज करेंगे । मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आप लोगों को कठिनाई में पड़ना पड़े ।’

‘तो जो तुम्हारी गत होगी वही हमारी, हम तुमसे अलग नहीं रह सकते ।’

बब मैंने अपनी धर्मपत्नी को समझाना चाहा तो उसने और भी बिगड़कर कहा, जब जीजी जैसी बूढ़ी व पुराने विचार की को कोई

आपत्ति नहीं है तो आप समझते हो मुझे आपत्ति हो सकती है, व मैं यह स्वप्न में भी गवारा कर सकती हूँ कि आप अलहदा खायें-पियें ? यह तीन काला मे नहीं हो सकता ।'

पत्नी से तो मैं यही उम्मीद रख सकता था—लेकिन माँ की इस उदारता के लिए मैं तैयार नहीं था । उसके इस जवाब में मातृ-हृदय की सारी विशेषता व महत्ता छिपी हुई मैंने देखी । आज भी माँ का वह साहस मुझे कई बार याद आता है और कठिन अवसरों पर मुझे बहुत बल देता है ।

किन्तु पिताजी ज्ञान करने वाले नहीं थे । वे अपने विचारों के बड़े ही दृढ़ हैं । वे मेरे कितने ही नये आचार-विचारों से यों जाराज थे; परन्तु छुआछूत दूर करने का भसला आज तक भी उनके गले नहीं उतरा है । तो फिर उनके हाथ का खाने की बात तो उन्हें कैसे बरदाशत हो सकती थी ? उन्होंने मुझे बहुत डांटा—‘तुमने यह धर्म-विलङ्घ आचरण क्यों किया ?’

‘इसे मैं धर्म-विलङ्घ नहीं मानता । जिसे मैं धर्म-विलङ्घ समझता हूँ । उसे नहीं करता हूँ । यह केवल समाज की प्रथा के विलङ्घ कहा जा सकता है ।’

‘तो क्या तुम समाज मे नहीं हो ? जब हो तो क्या समाज के नियम मानना जरूरी नहीं है ?’

‘जिन नियमों या प्रथाओं से समाज का अंहित होता हो उन्हें तोड़ डालना ही उचित है । यह समाज की बड़ी भारी सेवा है ।’

‘पर जब तुम परिवार में रहते हो तो परिवार वालों से बिना पूछे तुमने ऐसा काम क्यों किया, जिससे सारे परिवार को संकट में पड़ना पड़े ।’

‘आपकी यह दबील कुछ अंश तक ठीक है । लेकिन जिन परिस्थितियों मे यह हुआ उसमें परिवार वालों से पूछने को गुंजाइश नहीं थी । और उसका अब यह इलाज है कि आप परिवार से मुझे पृथक् समझ-

लें। मैंने आते ही जीजी से यही कहा था कि मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा दिया करो व पानी का बरतन भी यहीं रखवा दो। मैं आप सुगमों के चौके चूल्हे, पानी आदि से दूर रहूँगा। पर वे दोनों नहीं मानतीं। आप उनको समझा दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।'

जीजी टस से मस न हुई। यह पिताजी को बहुत नागवार हुआ। उन्होंने कहा तुम यदि इसका प्रायश्चित्त नहीं करोगे तो मैं खाना-पीना छोड़ दूँगा, पुँकर चला जाऊँगा व प्राण दे दूँगा। मैंने उन्हे तरह-तरह से समझाया कि अपराध मेरा है तो मुझे जो चाहें दण्ड दे दीजिए, पर आप क्यों यह कष्ट उठा रहे हैं। जीतमलजी, महोदयजी ने भी समझाया पर एक दो दिन वे नहीं ही समझे।

तब मैंने उनसे कहा—‘आपको यह प्रायश्चित्त का आग्रह छोड़ देना चाहिए।’

‘तुम जानते हो, मैं अपने विचारों का बड़ा पक्का हूँ।’

‘लेकिन मैं भी आप ही का तो पुत्र हूँ। आपका यह गुण मुझे भी विरासत मे मिला है। मैं भी यों किसी की धमकी से अपने विचार छोड़ने वाला या कुछ और करने वाला नहीं हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस बात पर जोर न दें।’

‘नहीं, तुम नहीं मानोगे तो मुझे प्राण दे देने होंगे।’

‘तो यह मेरा दुर्भाग्य है। यदि मेरे भास्य मे यही लिखा है, तो यह ट्लेगा भी कैसे? यदि संसार में मेरे लिए यही भशहूर होना है कि एक ऐसा पिण्ठ-धाती पुत्र जन्मा तो मैं इस अपकीर्ति को सहूँगा, सुगदूँगा, और क्या उपाय है? लेकिन आप यदि मुझे अपराधी समझते हैं तो मुझे क्यों नहीं कहते, जा मुझे मुँह मत दिखा, पुँकर में हूँ भर। देखिए, मैं उसका पालन करता हूँ या नहीं।’

पिताजी के धार्मिक संस्कारों को आधात पहुँचा था, यह सही; परन्तु इससे भी अधिक उन्हे जाति से बहिष्कृत होने का ढर था, जो आखिर

सामने आ ही गया। कोई १२-१३ साल तक हमारा परिवार बहिष्कृत रहा।

एक सहानुभूतिशील मित्र ने कहा—‘उपाध्यायजी, आप सिर्फ इतना ही कह दीजिए कि यह खबर गलत है। लोग इसीको प्रमाण मानकर बहिष्कार उठा जाएंगे।’

‘यह इतनी-सी बात तो बड़ी भारी है। मनुष्य किसी-न-किसी एक बल को लेकर जीवित रहता है। किसी के सत्ता-बल होता है, किसी के धन-बल, किसी के विद्या बल, किसी के सत्य-बल। मेरे पास और कोई बल नहीं, थोड़ा-सा सत्य-बल है, जिसकी बदौलत मैं जो सकता हूँ व जो रहा हूँ। आप उसीको मुझसे छीन लेना चाहते हैं। उसे खोकर मैं जाति से भले ही आ जाऊँगा, पर अपने जीवन से हाथ धो बैठूँगा। क्या आप इतनी बड़ी कोमत लेना या मुझसे दिलाना चाहते हैं?’

मित्र चुप हो गये। अपने जीवन में पिताजी के ‘सत्याग्रह’ का सामना करने का यह पहला ही अवसर था। इसमें जो मानसिक संघर्ष हुआ उसे सहने का बल केवल ‘अहिंसा’ के द्वारा ही मिल सकता था। इस प्रसङ्ग पर मुझे उसकी नाप निकालने का अच्छा मौका मिला।

: २४ :

## एक दूसरा सत्याग्रह

जेल में एक इससे भी जबरदस्त सत्याग्रह का समाचार करना पड़ा था। १९३० के मध्यकालीन को तोड़ने में बहुतेरे छोटे-बड़े कांग्रेसी जेल में आये। अजमेर में दो पाठियाँ थीं—एक सेठीजी की, दूसरी हम लोगों की। जेल में दोनों तरफ के लोग आये। वहां स्वभावतः कुछ मित्रों ने यह कौशिश की कि दोनों दल एक हो जायें। मुझे ऐसा लग रहा था कि उपरी चैपा-न्वापी से अधिक लाभ न होगा। यहां जेल में कुछ दिन साथ रह लेने के बाद शायद मनो-मालिन्य मिटने में ज्यादा सुविधा होगी। मेरे सन्मान्य मित्र मास्टर लक्ष्मीनारायणजी—अब स्वामी श्रीमानन्दजी तीर्थ-जी, जो समझौता कराने वालों में मुख्य थे, यह लगा कि मैं समझौता नहीं चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा उपाध्यायजी, मैं समझौते का यथ कर रहा हूँ, जब कि उसमें आप कठिनाइयाँ पैदा कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आपका खयाल गलत है। मैं भी समझौता ही चाहता हूँ, परन्तु जल्दी करने से वह कच्चा। रह जायगा—यह अन्देशा मुझे है। उनका इससे समाधान न हुआ व उन्होंने 'मुझसे कहा—'नहीं, आप समझौता नहीं चाहते हैं, मैं आपको इसमें दोषी मानता हूँ व इसलिए आपके विरोध में अनशन करूँगा।' बहुत करके उन्होंने यह भी कहा था कि दोनों दिन के बाद मैं पानी भी छोड़ दूँगा।

मैं जानता था कि मास्टर साहब वडे दहु प्रतिष्ठ हैं। हम दोनों में परस्पर बहुत प्रेम व आदर भी था। वे वही गलतफहमी के असर में

आगये थे । मैं अपनी भावनाओं को खूब अच्छी तरह जानता था—एक बार फिर अपने हृदय को टटोला—उसमें कहीं ऐसी भावना नहीं पाइं, जिसमें मास्टर साहब के सन्देश का कारण रहे । मैंने कहा, मैं आपसे ठीक कह रहा हूँ कि मेरी भावना शुद्ध है, आपको ऐसा सत्याग्रह नहीं ठानना चाहिए ।

उन्होंने नहीं माना, कहा—‘मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अब नहीं ठल सकती । आप अपना हृदय साफ कीजिए ।’

‘तो मुझे कहना होगा कि यह आपका सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है । और दुराग्रह मुझे कभी दबा नहीं सकता । मुझे बड़ा दुःख है कि मैं आपको अपनी सचाई समझा नहीं सका ।’

वे अपने ढोले—स्थान पर चले गये । इस घोषणा से सभी राज-नैतिक बन्दियों में सन्नाटे की गम्भीर लहर फैल गई । मेरे मित्र मुझे समझाने आते थे कि मास्टर साहब को सन्तोष देकर इस अधिय काण्ड को समाप्त कर देना चाहिए; पर मैं हैरान था कि जो आशय मेरा नहीं है उसको गलत समझकर कोई कुछ कार्रवाई करे तो मेरे पास क्या उपाय है, सिवा इसके कि उसके दण्ड या प्रायश्चित्त को शांति से सहन करूँ व परमात्मा से उसकी शङ्का-निवृत्ति के किए प्रार्थना करता रहूँ । उनके कष्ट या प्राण जाने के भय से झूठ-झूठ ही कोई बात कुछूँ कर लेना तो किसी के भी साथ न्याय करना न हुआ । मैंने मन में सोचा कि जो कुछ परमात्मा को मंजूर होगा वह ही जायगा । मुझे निश्चय था कि मास्टर साहब ने जो कह दिया है वह अब होकर ही रहेगा । उनकी मृत्यु का भार मुझे सिर पर लेना ही होगा । परमात्मा की ऐसी इच्छा है तो यही सही ।

मैंने मास्टर साहब के पास जाकर कहा—‘अब तो जो कुछ होगा वह सब परमात्मा के अधीन है । यदि मैं सच्चा हूँ तो परमात्मा मुझे आपके इस घोर तप को सहन करने का बल देगा । पर मेरा एक अनुरोध जरूर है । जब तक आपका अनशन चालू रहे तब तक आपकी हर प्रकार की

सेवा मैं करूँगा । आप आराम से लेटे रहिए—यह सौभाग्य मैं दूसरे को नहीं देने देना चाहता ।'

'मुझे खुद किसी की सेवा की ज्यादा जरूरत न होगी—और सब प्रकार की सेवा तो मैं आपसे ले भी नहीं सकता । लेकिन मैं आपके प्रस्ताव को अमान्य भी नहीं कर सकता; अतः आप, जब-जब मैं चाहूँ, उपनिषद् पढ़कर मुझे खुनाते रहिए ।'

'लेकिन इस बीच आप इस बात की भी तलाश-पूछ करते रहिए कि इसमें सचमुच मेरा कोई कसूर है क्या ? कोई हकीकत आपके सामने आवे तो आप उसे मेरे सामने रखिए व मेरा जवाब या सफाई सुन कीजिए । इसमें क्या हर्ज है ?'

'हर्ज कुछ नहीं—मैं जल्द ऐसा करूँगा ।'

मुझे बड़ा हर्ष हुआ जब २-३ दिन में ही उन्होंने मुझसे कहा—'उपाध्यायजी, मैंने खब छान-बीन करला—आप इसमें निर्दोष हैं । अतः अब मुझे इस उपचास को जारी रखने का प्रयोजन नहीं रहा ।'

मैंने उन्हें व परमात्मा को शतशः धन्यवाद दिये । एक महान् अग्नि-परीक्षा से परमात्मा ने मुझे उबारा । मुझे इस समय प्रह्लाद का स्मरण आया । जलती होली में से उसे भगवान् ने इसी तरह बचाया होगा ।

मुझे कहूँ चाह, वहे नानुक अवसरों पर भी, यह अनुभव हुआ है कि जब मैंने अपने हृदय को टटोलकर अपनेको निर्दोष पाया है तो वहे से वहे भय व धर्मकी का तिलभात्र असर मेरे मन पर नहीं हुआ है । उल्टा यह कुत्खल पैदा होजाता है कि देखो परमात्मा इस मुसीबत से क्या नरीजा—शुभ निकालता है । असर मेरे पास लोग आये हैं—'हम इस तरह अखबारों में छपवा देंगे, खूल उड़ा देंगे, पोल स्टोल देंगे—आदि कहते हुए । मैं उन्हें सीधा जवाब देता हूँ 'तो पहले यह सब कर लीजिए । पीछे बातें करेंगे । अभी आप बात करने नहीं आये हैं, मुझे दबाने व ढरने आये हैं । ऐसी दशा में बात करना फिजूल है ।' और मेरे मन पर तनिक भी आतङ्क नहीं छाता कि अब क्या होगा । ऐसे

समय मेरे मन में इस प्रकार विचार उठते हैं—यदि अपना दोष नहीं है, तो इनको छुराई वदनामों से अपना कुछ विगड़ नहीं सकता—इन्हीं की दृज्जत कम होगी। यदि अपन दोषी हैं तो अव्वल तो उसे कुबूल कर लेना ही अच्छा है, नहीं तो फिर कोई उसे प्रकाश में क्यों न लावे? यदि यह मेरे सुधार के लिए पेसा करता है, तो मुझे उसे धन्यवाद ही देना चाहिए। यदि उसकी नीयत महज मुझे वदनाम करने की है तो इसका फल वह आप पा जावेगा व उसकी वदनीयती उसे हुँख देगी न कि मुझे। इन विचारों ने मुझे ऐसे अवसरों पर बढ़ी शांति व चल मिलता है।

: ३५ :

### बलाइयों के बीच

सम्भवतः १९३१ की बात है। मैं जेल से छूटा ही था कि भाई श्रीमूदचंद्रजी का बुलावा अमरसर (जयपुर) से आया—‘बलाइयों को बहुत बड़ी पंचायत है। उनमें सुधार का प्रचार करने का बहुत अच्छा ग्रवसर है। आप जरूर आइए।’ १९२७ में ही हम लोगों ने एक ‘अचूत सहायक मण्डल’ बनाया था जिसका मैं सभापति था। श्री देशपांडेजी मंत्री व कपूरचंद्रजी पाठ्यणी सदस्य थे। प्रकृत रूप से उसका कार्य जयपुर राज्य में ही चलता था। पाठ्याला में, दवा-दारू, सफाई, दुर्घटसन-निषेध, आदि का प्रबन्ध उसके द्वारा होता था। अतः मैं तुरंत अमरसर पहुंचा। ठीक पंचायत का काम शुरू होने के कुछ पहले नीम के थाने (जयपुर का एक जिला) के पुलिस इन्स्पेक्टर आये। मुझसे कहा—जयपुर-राज्य में सभा बुलाने की सुमानियत है, आप लोग सभा न करें, न व्याख्यान दें। भाई कपूरचंद्रजी व देशपांडेजी भी वहाँ थे। हमने उन्हें जवाब दिया कि सिर्फ जयपुर-शहर में बन्दी है, (उस समय ऐसा ही था) रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा—आप हजाजर मंगा लीजिए, फिर व्याख्यान दीजिए। हमने कहा—‘जब हजाजर की जरूरत नहीं है, तो क्यों मंगाई जाय?’

‘तो मैं आपको मना करता हूँ कि आप सभा में व्याख्यान न दें।’

मैं समझ गया कि मैं जेल से अभी छूटा हूँ, इसलिए पुलिस यह गडबड कर रही है।

‘तो आप जयपुर-राज्य से तार देकर मनाईं-हुकम मंगा लीजिए ।’

‘मैं क्यों तार दूँ, मैं तो यहाँ आपको हुकम दे रहा हूँ ।’

‘तो आप लिखित हुकम दे दीजिए । हम जानते हैं कि आपको ऐसा कोई अखिलयार नहीं है, फिर भी हमारी नीति राज्य से मिडने की नहीं है, अतः हम मान लेंगे, और आपके हुकम के लिखाफ जयपुर-राज्य से लिखा-पढ़ी व दूसरी मुनासिब कार्रवाई करेंगे ।

‘लिखा हुकम तो मैं नहीं दूँगा—जबानी ही काफी है ।’

‘पर हम तो काफी नहीं समझते । अगर आप लिखित हुकम नहीं देते हैं तो मैं जरूर सभा में बोलूँगा । जबानी हुकम हम लोग आपका नहीं मान सकते ।’

‘दिल्लिए, आप ख्वामर्खा बखेड़ा करते हैं । इसका नतीजा अच्छा न होगा ।’

‘बखेड़ा आप खड़ा करते हैं या हम ? जब रियासत में सभा करने व व्याख्यान देने की मनाई नहीं है, तो हम कैसे मान लें ? फिर अगर आपको विश्वास है कि आप कानूनन सही कार्रवाई कर रहे हैं तो क्यों नहीं लिखित हुकम दे देते ? हम तो अनुचित होते हुए भी उसे मान लेने को तैयार हैं । अब बखेड़ा आप खड़ा करते हैं या हम ? आपको यह समझ लेना चाहिए कि हम इस तरह छुड़की में आजाने वाले लोग नहीं हैं ।’

अब वह कुछ दबे । कोई माकूल जवाब उनके पास न था । यह देख मैंने कहा—‘आपको यह सन्देह है कि हम लोग बलाहयों को राज के लिखाफ भड़कावेंगे ? यह सभा तो केवल उनके सामाजिक सुधारों के लिए उत्तराई गई है । आप इतने परेशान क्यों होते हैं ? आप भी सभा में चलिए न ! आप भाषणों की पूरी रिपोर्ट लीजिए व जयपुर भेज दीजिए । चहाँ वालों को जो कुछ करना होगा, हमपर कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे । आप क्यों मुफ्त में यह बला अपने सर पर लेते हैं ? आप या तो नये आदमी हैं, या कानून-कायदे से बाकिफ नहीं हैं । आपका जबानी

हुक्म हम मानने के नहीं। व्याख्यान जरूर देंगे—तब आपकी बात क्या रहेगी? उल्टा जयपुर वाले भी आपको ढाँटेंगे कि व्यर्थ में तुमने एक पैचीदी हालात पैदा कर दी। सम्भव है, फलादा बढ़ा तो, आपकी नौकरी पर भी जौफ़ आ जाय।'

अब वह और भी विचार में पड़ गये। इतने में हम लोग सभा में गये—उन्हें भी साथ ले गये। एक-दो व्याख्यान के बाद वे यह कह कर चले गये कि मैंने देख लिया। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आप लोग शौक से सभा कीजिए।



इससे भी अधिक दिलचस्प एक बाक्या इसी अमरसर का और याद आता है। जब अमरसर मे खादी-केन्द्र अच्छा जम गया व खादी काफी बनने लगी तो वहाँ के ठाकुर साहब के मन में कुछ लालच आया। वे रावजी कहलाते हैं और शेखावत राजपूतों में सबसे ऊंचे समके जाते हैं। उन्होंने अमरसर वाले अपने अधिकारी को हुक्म दिया कि खादी-कार्यालय से जितनी खादी जाय उस पर को थान एक या दो पैसा कौड़ी (चुड़ी) ली जाय। यह कौड़ी लेने का अधिकार सिर्फ़ जयपुर-राज्य को है। उस समय इत्तकाक से खादी-आश्रम में श्री देशपांडेजी व मैं दोनों भौजूद थे। हमने उनके कर्मचारी को कहला दिया कि कौड़ी लेने का अधिकार रावजी साहब को नहीं है। अतः हम कौड़ी देने से मजबूर हैं। उन्होंने कहलाया कि जब तक आप कौड़ी न देंगे—माल नहीं लादने पावेगा!

हम लोगों ने सोचा कि यह अच्छी जबर्दस्ती रही। इसे हम हरिगिज चरदाशत नहीं कर सकते। किसी ने कहा भी कि देशी-राज्य है, कौन सुनवाई करेगा? मैंने कहा—‘कोई करे या न करे, अनुचित लाग हम नहीं दे सकते। हमें अपने इनकार पर इड रहना चाहिए—परिणाम जो निकलेगा सो देखा जायगा।’ हमने कहला दिया कि माल परसों जरूर लदेगा। हम क्या सात आदमी आश्रम में हैं। सब ऊंटों के साथ रहेंगे। जब तक हम जिन्दा हैं तब तक तो माल रुक नहीं सकता। हमारी लालों

विछ्ना देने के बाद ही आप भले माल को रोक सके। अब तो कर्मचारी घबराया—शायद खुद ही आश्रम में आया और कहने लगा—‘साहब, इस बखेडे में मेरी नौकरी सुफत में चली जायगी। मैं तो मजबूर हूँ, जैसा रावजी साहब हुक्म देते हैं, वैसी तासील सुके करनी पड़ती है। आप दो रोज और मेरे खातिर रुक जाइए, मैं खुद शाहपुरा जाता हूँ व रावजी साहब को सारी परिस्थिति समझता हूँ। आप लोग भी वहाँ चलें तो और भी अच्छा रहेगा। आप लोगों की बातों का जरूर उनपर प्रभाव पड़ेगा।’

हमने कहा—‘आपके खातिर हम एक हफता रुक जायेंगे। हम न आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं न रावजी साहब को। लेकिन किसी की धांधली हम बरदाश्त नहीं कर सकते। हम महात्माजी के उत्सूक पर चलने वाले लोग हैं। न ढरते हैं, न ढराना चाहते हैं।’

नतीजा यह हुआ कि रावजी साहब ने दूसरा हुक्म दिया कि खादी-आश्रम वाले जो माल भेजें उसको तहसील में दर्ज करा दें और जब यह सावित हो जायगा कि हमें कौड़ी लेने का हक है तो सारे माल की कौड़ी चुक्का दी जायगी। हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन साथ ही उन्होंने अपने कर्मचारी को दूसरा हुक्म यह भी दिया कि बेजारे—बलाई लोग जो माल खादी आश्रम को बेचें उस पर तहसील से छाप लगावें व की थान एक पैसा लेकर छाप लगाई जाय। मतलब यह कि खादी-आश्रम को छोड़कर उन्होंने यह लाग बेजारों (बुनकरों) पर लगा दी। अब बेजारों में हलचल मच गई। हम लोगों के सम्पर्क में आते रहने के कारण वे पहले जैसे दब्बू नहीं रह गये थे। वे हमारे पास आये। हमने कहा—‘देखो, तुम्हारी शिकायत तो सही है—रावजी साहब ने यह जबरदस्ती का लट्ठा तुम्हारे पीछे लगा दिया है। परन्तु हमने राज वालों को वचन दिया है कि हम आपके व प्रजा के महाद्वारों में नहीं पड़ेंगे। सिर्फ रचनात्मक काम करेंगे। अतः हम तो आप लोगों की सेवा खादी, पाठशाला, औपचार्य, आदि के रूप में ही कर सकते हैं, व करते हैं।

आपको अपनी लड़ाई सुन द ही लड़नी पड़ेगी। आप जयपुर जाना चाहो तो हम ऐसे आदमियों को लिख सकते हैं जो हन ममलों नें पड़ते हैं, वे आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आप यह तो सोचिए कि क्यों रावजी साहब ने हम पर से कौड़ी उठाली व क्यों आप पर लगा दी ?

उनमें से कुछ ने एक-साथ कहा—साहब आप लोग जवारदस्त हैं, आप मिड़ गये। आपसे नहीं चली तो आपको छोड़ दिया और हमें गरीब बेक्स समझ के भार दिया !

'तो, इसका वस सीधा इक्काँड़ यही है कि तुम भी जवारदस्त बन जाओ !'

बाद में तो सैकड़ों की तादाद में वे सारे स्त्री-पुरुष तहसील में गये व दिन भर धरना दिये बैठे रहे। कहा—'जवारदस्तों के आगे तो आपकी चली नहीं, हम गरीबों का क्यों पेट काटते हैं ?' अन्त में वे मी रावजी साहब के पास अर्जांड़ हुए व उन पर से भी यह नया लट्ठा उठ गया।

रावजी साहब के सुकाबले में, जो कि वहां उमाम ठिकानेदारों में चाँके राजपूत गिने जाते हैं, सीधे सत्याग्रह की यह पहली विजय थी, जिससे लोगों में वहे बल, आत्म-विश्वास व आशा की लहर फैल गई।

: ३६ :

## अहिंसा प्राणों का मोह नहीं

एक बार जोधपुर में एक जैन मुनि श्री मिश्रीलाल जी ने आपस के सम्प्रदायिक मङ्गडों को मिटाने या एकता कराने के उद्देश से अनशन किया। कुछ दिन बीत जाने पर भी अनशन-समाप्ति के कोई चिह्न नजर नहीं आते थे व सुनिजी के प्राण खतरे में पड़ गये। इससे स्वभावतः ही जैन आवक्षो व साधुओं में बड़ी हळचल मची। उन दिनों व्यावर में एक-दो जैन मुनि ऐसे रहते थे जो मुख्य पर कृपा रखते थे। इस कठिनाई के अवसर पर उन्होंने सुझे बुलाया और कहा कि ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुनि के प्राण बच जायें। उनकी यह प्राण बचाने वाली दलीक मुझे नहीं जंची। मैंने उनसे कहा—‘मुनिजी एक ऊँचे उद्देश से अनशन कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें उन्होंने जलदबाजी की हो, परन्तु हमें उनका उद्देश पूण् य करने की अधिक चिन्ता रखनी चाहिए, न कि उनके प्राण बचाने की। वे भी मुनि हैं और आप लोग भी मुनि हैं। मुनियों को प्राणों का इतना मोह क्यों होता चाहिए? हम लोग जो कि गृहस्थ हैं, ऐसा मोह रखें तो चल सकता है। पर मुझे खुद ऐसा मोह नहीं होता। मनस्वी मुरुषों के सामने उनका उद्देश सुख्य होता है। उसकी सिद्धि के लिए वे प्राणों का कुछ मूल्य नहीं समझते। मुझे तो उसका यह डर लगता है कि हम लोगों के इस मोह से मिश्रीलालजी में कहीं कोई कमज़ोरी न आने लगे। अतः यदि मेरा बस चले तो मैं सम्प्रदायों में एकता कराने की अवश्य कोशिश करूँ और इस तरह उनके प्राण

बचाने का उद्योग करूँ। परन्तु येन-केन-भक्तरेण मिश्रीलालजी को समझा-तुम्हाकर अनशन छुड़ाऊँ—यह मुझसे न हो सकेगा। हाँ, यदि उनके उपवास में कोई दोष या गलती भालूम देगी तो मैं जरूर उनसे कहूँगा कि यह अभोष मृत्यु नहीं, आत्म-घात है। उसी समय किसी ने कहा— प्राण बचाना भी तो अहिंसा है। मैंने कहा—‘अर्हिंसा का यह गलत अर्थ है। किसी के उद्देश की परता न करते हुए उसको जान बचाने का जैसे-तैसे उद्योग करना सच पूछो तो उस व्यक्ति के प्रति बड़ी हिंसा है। इतने महान् त्याग के द्वारा वह जो वस्तु हमें समझाना चाहता है उसे तो हम एक ओर रख दें व केवल उसके प्राण बचाने की बातें करें तो यह उसके त्याग की बुरी तरह अवधेष्यना ही हुई। इससे न उसका उद्देश ही पूरा होगा, न उसके प्राण ही बचेंगे, यदि वह सच्चा आदमी हुआ।’

मुनियों ने कहा—आपने बिलकुल सच कहा है।



इससे मिलता-जुलता एक और प्रसंग मुझे याद आ रहा है। भांग-रोल (काठियावाड़) मे गो-वध बन्द कराने के उड़ेश्य से श्री रामचन्द्र वीर बन्धु मे अनशन कर रहे थे। ये बैराट (जयपुर) के रहने वाले हैं और १६३० में हम लोग जेल में कुछ समय एक साथ रह चुके हैं। मुझ पर कुछ श्रद्धा भी रखते थे। इच्छाक येसा हुआ कि जिस दिन अखबारों में यह समाचार छपे कि रामचन्द्रजी की हालत खराब होरही है, बल्गम में खून आने लगा है, उन्होने मौन ले लिया है और ढाक्टरों ने हिवायत दी है कि उनसे कोई मिले-जुले नहीं व उन्हें पूरा आराम दिया जाय, उसी दिन मैं बन्धु पहुँचा। खबर पढ़ते ही न रहा गया व उनके स्थान पर गया। मेरे बहाँ जाते ही वे उठ बैठे, पलंग से नीचे उतरकर मुझे प्रणाम किया व बातें करने लगे। मैंने कहा—‘यह शिष्टाचार दिखाने का अवसर नहीं है। आपकी हालत नाजुक हो रही है, प्राण संकट में हैं, ढाक्टरों की सलाह है आप बिलकुल आराम करें, तो इतनी तकलीफ की

क्या जरूरत ? और फिर आप बोलने भी लगे । आपने तो मौन लिया है न ? मैं तो सिर्फ आपकी हालत देखने आया—मुझसे रहा नहीं गया । अब अगर मेरे आने से आपके शरीर का कष बढ़ा तो मुझे बढ़ा हुँख होगा । आप चुप साधकर लेट जाइए ।'

'ठोक है, लेकिन आपके आजाने के बाद मैं बिना बोले कैसे रह सकता था ?' मुझे मालूम हुआ कि इससे पहले महामाझी ने भी उन्हें लिखा था कि उपवास छोड़ दो, परन्तु वे छोटे रहे । मेरे आने से न जाने क्यों उन्हें यह शंका होगई कि मैं उनका उपवास छुड़ा न दूँ । अतः उन्होंने मुझसे कहा—'आपसे एक प्रार्थना है ।' मैंने कहा—'सो क्या है ?' 'और सब कीजिएगा, पर मेरे उपवास छुड़ाने का यत्न मत कीजिएगा । गोमाता के प्राण न बचने तक मेरा संकरण है कि मैं उप-वास जारी रखूँगा ।'

मुझे यह प्रार्थना अटपटी लगी । मैंने उनसे कहा—'आपको यह शंका क्यों होनी चाहिए ? मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जिन्हें प्राणों का मोह हो, न अपने न औरों के । प्राण देने की जरूरत है तो जरूर देने चाहिए । आप गोमाता को बचाने के लिए प्राण दे रहे हैं । इससे अच्छा उद्देश और आपके प्राण-दान का अवसर क्या हो सकता है ? मैं तो यह मानता हूँ कि यदि आपके अकेले प्राण-दान से गोमाता न बची तो औरों को भी देने चाहिए । अतः आप मुझसे यह आशंका मत रखिए । परन्तु आपके मन में जो यह शंका पैदा हुई, उससे मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं-न-कहीं कचाई होनी चाहिए । यदि आपने सोच-समझ कर ही अनशन किया है तो फिर आपको निःशंक रहना चाहिए, और कोई भी आपको समझावे, इससे हटाना चाहे तो आपको हटना नहीं चाहिए । हाँ, सत्याग्रही का यह कर्तव्य जरूर है कि वह सत्य के आने का रास्ता न रोके । समझो, आपके उपवास में यदि मुझे कोई कचाई दीख पड़े, कभी या भूल मालूम हो तो क्या यह यह मेरा धर्म नहीं है कि आपको बताऊँ और आपका धर्म नहीं है कि उसे सुनें और उसपर

विचार करें ? सत्याग्रही सत्य का प्रकाश चारों ओर से आने देता है और अपने दावे को फिर उसके प्रकाश में जांचता रहता है। इसके सिलाक यदि वह प्रकाश का रास्ता रोक दे, तो फिर वह सत्याग्रही नहीं रहा। अतः मैं तो इस समय आपसे यदि कुछ कहना चाहता भी हूँ तो इतना ही कि आप अपना अनशन उसी दशा में बन्द करें जब या तो आपकी प्रतिज्ञा या मांग पूरी होजाय, या आपको ऐसा लगे कि अनशन करने में अपन ने जल्दी की है। जब मन यह कहने लगे कि 'जलदबाली कर गये' तो फिर उपवास जारी रखना आत्म-हत्या करने के बराबर है—अपने प्रति घोर हिंसा है। उस समय आपको अन्तरात्मा से मरने का बल नहीं मिलेगा, और लोक-लाज से मरने तो अधीरति की प्राप्त होगे। जो हो अब तो आप विश्वन्त होजाओ—मैं आया हूँ। गोमाता को बचाने में मैं भी अपनी शक्ति लगाऊंगा। पूज्य बाप को भी खिले देता हूँ कि वे निश्चन्त रहें। मैं अब स्थिति संभाल लूँगा। और आपको अनशन से उसी समय इटाने का प्रयत्न करूँगा, विक लब मेरा धर्म होजायगा, कि जब आप खुद यह महसूस करने लगो कि उपवास में जल्दी कर डाली, अब न तो गोमाता बचती है न आपके प्राण ही।<sup>3</sup>

ईश्वर ने किया तो दो ही दिन के भीतर ऐसा आपवासन आगया, जिससे रामचन्द्र वीर की मांग पूरी होजाने का पूर्ण विश्वास होगया, व उनका अनशन अच्छी तरह समाप्त हुआ।

३७

## बिजोलिया-सत्याग्रह

बिजोलिया का समझौता हो जाने के बाद ही मैं ११३० में नमक-सत्याग्रह के सिलसिले में जेल चला आया। ११३३-३४ में इसका दौर जब तक खत्म न हो पाया, मैं तीन बार जेल गया। पहली बार सजा दो साल की हुई थी मगर गांधी-इविन या दिल्ली-सन्निधि के कारण एक साल बाद ही छोड़ दिया गया। दूसरी गोल मेज परिषद् के बाद ही फौरन दूसरा सत्याग्रह शुरू हुआ। दोनों के बीच का काल दिल्ली-सन्निधि-काल समझौता चाहिए। प्रथम बार के जेल-वास के दर्मियान मुझे बिजोलिया की काफी चिन्ता रही। वैसे तो मैं यही भानकर चला था कि ट्रैच साहब शेष जमीन वापस दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर मुझे समाचार मिलते रहते थे कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक बार एकाएक मुझे खबर मिली कि 'त्याग-भूमि' के एक लेख के कारण ट्रैच साहब, व महाराणा साहब, बहुत नाराज हो गये हैं और अब वे बिजोलिया के मामले में मुझसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। बिजोलिया-समझौते मे ट्रैच साहब के साथ ही श्री महाराणा साहब ने, जो उस समय राजकुमार थे व भहकमे खास के आला अफसर थे, अच्छी सहायता दी थी। मेरे मन में दोनों के प्रति कृतज्ञता का ही भाव था। लेकिन जब मैंने यह सुना तो मैं एक दम चकित हो गया। 'त्याग-भूमि' के उस लेख की कापी मैंने देखी तो समझ गया कि उनके बदले हुए लेख का असली कारण क्या है। उस लेख मे उदयपुर के शासन की व स्वास करके श्री

महाराणा साहब के कार्यों की आलोचना की गई थी। उसकी शैली मुझे नापसंद हुई व यदि मैं बाहर होता तो वह उसी रूप में कहाँपि नहीं छप सकता था। परन्तु मेरे जेल में रहने से उसकी जिम्मेदारी मुझपर कैसे आयद हो सकती थी? अतः मैंने तुरन्त द्रेच साहब को पत्र लिखा कि लेख देखकर मुझे भी अफसोस हुआ—मैं बाहर होता तो ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन जेल में स्थित व्यक्ति पर उसकी जिम्मेदारी ढालना व इस कारण उससे एक सार्वजनिक हित के मामले में असहयोग रखना न्याय व औचित्य-भूर्ण नहीं है। लेकिन उस लेख से दोनों इतने भडक चुके थे कि द्रेच साहब ने जवाब लिखा कि 'त्याग-भूमि' पत्र आपका है। आप उसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि अब विजोलिया के मामले में आपसे कोई सम्बन्ध न रखा जाय। जब जेल से मैंने उन्हें पत्र लिखा था तो यह आशा करत्है नहीं रखी थी कि वे जवाब देंगे। पर उन्होंने एक राजबन्दी को जेल में जवाब देने की शिष्टता व साहस दोनों दिखाये—इसके लिए उनके प्रति मेरा मान बढ़ा। परन्तु इस जवाब की अनुचितता व युक्ति-हीनता से मेरे मन में दुःख भी हुआ। यह घटना एक और जहां देश-राज्य के अधिकारियों के छुई-मुई-पन पर अच्छा प्रकाश ढालती है, तहां अखबारनवीसों को उनकी जिम्मेदारी का भी ज्ञान कराती है। पत्र-सम्पादक दो तरह के होते हैं—एक वे जो केवल पत्र-सम्पादन करते हैं, अपने दफ्तर में रहकर लेख-टिप्पणी लिख देते हैं, जनता के अन्दर प्रकृत कार्य नहीं करते हैं। इससे उन्हें यह सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि इसका असर हमारे कामों पर क्या पड़ेगा? दूसरे वे जो तरह-तरह के कामों की जिम्मेदारी लिये रहते हैं और मुख्यतः उनकी सफलता के लिए पत्र निकालते हैं। दूसरे पत्रकार 'मिशनरी' श्रेणी में आते हैं। 'त्याग-भूमि' ऐसी ही पत्रिका थी। उसके मुख्य सम्पादक ने—मैंने—तरह-तरह के दूसरे कामों की जिम्मेदारी ले रखी थी। यदि तत्कालीन सम्पादक इस बात को अनुभव करते व साथ ही उन्हें यह भी मालूम होता कि विजोलिया-प्रकरण में,

श्री महाराणा साहब ने मदद की थी तो वे उस लेख की कहता या उग्रता जरूर कम कर देते। आलोचना का अर्थ किसीपर टूट पड़ना ही तो नहीं होता। आलोचना का अर्थ यह है कि न्यायोचित व सच्ची बात कही जाय, पर कही जाय मौका देखकर व ऐसे तरीके से जिससे सुनने वाले पर वाञ्छनीय असर हो। जब मैं 'सरस्वती' में था तो एक बारभारत या शू० प० शिक्षा-विभाग की रिपोर्ट की बड़ी कड़ी आलोचना लिखकर मैं पढ़ितजी ( स्व० द्विवेदीजी ) को दे आया। उन्होंने मुझे उसे देखकर एक सूत्र बताया, आलोचना लिखते समय यह सोचना चाहिए कि जिसकी हम आलोचना कर रहे हैं वह हमारे सामने है और सुन रहा है। जो बात हम किसी के मुँह पर न कह सकें उसके पीछे कहना कायरता है। उसका हमें अधिकार नहीं है, व उसका असर भी अनुकूल नहीं होता। हम अक्सर देखते हैं कि लोग पीछे पीछे बाही-तबाही बकते हैं, सामना होने पर हुम हिलाने लगते हैं। आचार्यजी की यह शिक्षा मेरे हृदय में सदा के लिए अंकित होगई है। और लिखते समय ही नहीं दूसरों के विरुद्ध आपस में भी बात करते समय मुझे उसका अक्सर स्मरण हो आता है। गीता में भगवान् ने वाणी के इस तप के विषय में उत्तम क्षमैषी बताई है—

द्वितीर्थं प्रेम से पूर्णं वाचा सत्यं चुम्बे न जो ।

स्वाध्याय करना नित्य वाणी का तप है कहा ॥ (हिंदी गीता)

इस एक लेख के कारण जो परिस्थिति उत्पन्नी व चिकिट हुई उसकी कीमत जिजोलिया वालों को बहुत चुकानी पड़ी। भेवाइ के शासक व अधिकारी भी इस जिम्मेदारी से बरी नहीं किये जा सकते; क्योंकि जेज से छूटते ही मैंने दोन्ह साहब को खत लिखा कि मुझे एक बार मिलने का अवसर दीजिए, मैं आपकी व श्री महाराणा साहब की सब शंकाओं व मन्देहों को दूर कर दूँगा। पर वे किसी भी तरह टस-से-मस न हुए। इससे बढ़कर अनुदारता, मूढ़ता व ज्यादती और कथा हो सकती थी ?

अब किसानों ने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए ? मैंने देखा कि

राजवालों ने ज तो अब तक जमीने ही लौटवाईं, न कोई सच्ची कोशिश हुई ही दीखती है, न देव साहब मुझसे मिलना ही चाहते हैं—बिजोलिया के मामले मे संबंध रखना तो कूर—तब सिवा सत्याग्रह के और क्या मार्ग बच रहता है ? मैंने उनसे कहा कि आपकी तैयारी हो तो सत्याग्रह कर सकते हैं। मैंने उनके नेता श्री माणिकलालजी को बताया कि किस-किस तरह उनकी तैयारी की जांच करनी चाहिए व कहा कि किसानों को खुद अपने बल पर सारी लड़ाई लड़नी है, बाहर से उन्हें विशेष सहायता की आशा न रखनी चाहिए।

राज्य को विधिवत् नोटिस देकर उसी वर्ष (१९३१) की अखारीज को सत्याग्रह शुरू होगया—किसानों ने उस जमीन पर अपने हस्त चला दिये, जो उनको पुश्टैनी थी, व राज्य ने जिसका पटा दूसरों को दे दिया था। कानून एक तरह से नये बापीदारों के पक्ष में था, जब कि न्याय-नीति उराने भालिकों के। राज्य की ओर से घोर दमन हुआ, किसान-नेता व प्रतिष्ठित सार्वजनिक कार्यकर्त्ता जैसे श्री अचलेश्वरग्रसाद् व श्री शोभालालजी गुप्त, आदि दुरी तरह और जूतों से भी पीटे गये, जिसके चर्णन के लिए पाठक एक अलग पुस्तक को राह देते।

एक ओर तो यह अत्याचार, दूसरी ओर उदयपुर राज्य ने, उस समय उसके सलाहकार या प्रधान शासक सर सुखदेव प्रसाद थे—अलमेर के तत्कालीन कमिशनर गिव्सन साहब के द्वारा मुझे एक चेतावनी दिलवाई जिसमें कहा गया था कि हरिभाऊ उपाध्याय बिजोलिया मे आपत्तिजनक पर्चे बंटवाते हैं, ‘त्याग-भूमि’ मे भूठी खबरें छापते हैं और किसानों को भड़काने के लिए अपने अदमी भेजते हैं। इसलिए उन्हें चेतावनी दी जाती है कि यदि वे अपनी हून कार्रवाईयो से बाज न आवें तो रियासत उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और उनके कार्यकर्त्ताओं को मेवाड़ मे प्रवेश करने पर सजा देगी, क्योंकि मेवाड़ के शासक नहीं चाहते कि कोई बाहरी आदमी उनके मामले मे दस्तन्दाजी करें।

इसका जो जवाब मैंने जवानी दिया उससे गिव्सन साहब बहुत प्रभावित-

हुए। मेरा उनका साम्राज्य परिचय पहले से था। मैं विना काम कभी किमी से—खासकर बड़े आदमियों से, चाहे वे नेता वर्ग के हों या अधिकारी वर्ग के—न मिलता हूं, न चिढ़ी-पत्नी ही लिखता हूं। जहाँ किसी को न-सकलीफ में या जरूरत में देखता हूं तो खुद होकर भी अपनी सेवाएँ अप्रिंत कर देता हूं। गिर्वासन साहब ने पन्न लिखकर मिलने के लिए दुलाया तो चला गया। फल यह हुआ कि जहाँ उन्होंने मुझे चेतावनी देने के लिए दुलाया था चहाँ मेरे कार्य के प्रति उनके मन में उल्टी हमदर्दी पैदा होगई। व उससे मुझे विजोलिया के मामले को निपटाने में एक अंश तक सहायता भी मिली। मैंने उनसे कहा—विजोलिया में मैंने जो कुछ किया था कर रहा हूं उसपर मुझे जरा भी पछताचा नहीं है। जब तक विजोलिया के किसानों के साथ न्याय नहीं किया जायगा तब तक मैं चराचर अपनी कोशिश व कार्रवाई जारी रखूँगा। उद्यपुर के शासक शौंक से मेरे खिलाफ जो कुछ कार्रवाई करना चाहे जरूर करें, मुझे उससे कोई परेशानी न होगी। मैं अपनी जिम्मेदारी को खूब समझता हूं व उसे समझकर ही विजोलिया में अपना कर्तव्य-पालन कर रहा हूं। परन्तु यदि पूँ जी० जी० को विजोलिया-संचांधी सही खबरें मालूम हों तो वे बजाय मुझे चेतावनी देने के मेराव के शासकों को चेतावनी देना जरूरी समझेंगे। विजोलिया में जिस कदर दमन व अत्याचार होरहा है उसपर वे एक जांच-कमेटी बिठावें तो मैं अपने दावे को सच सावित करने के लिए तैयार हूं।

‘लेकिन यह भी तो सोचने की बात है कि आखिर किसान व मैं इस हृद तक जाने के लिए क्यों उतारू हुए हैं? कोई नहीं चाहता कि रास्ते चलते योंही लेल व दमन की सखियों को सहें व अपनी जान को मुफ्त में परेशानी में डालें।’ मैंने उनसे कहा कि जब आपने मुझे रियासत का पक्ष लेकर चेतावनी दी है तो आपका यह भी फर्ज है कि मेरा जवाब भी पूरा सुन स्कूँ। मेरी इस भूमिका से बहुत प्रभावित होकर वे बोले—‘जरूर, जरूर। मैं बहुत ध्यान से सुनूँगा।

तब मैंने बताया कि किस तरह पहले एक समझौता हुआ था, जिसमें बापी की जमीनें भी असखी मालिकों को दिला देना तथा हुआ था ! किस तरह 'त्याग-भूमि' बाले लेख से गलत-फहमी हुई व रियासत ने बेजा तौर पर कड़ा रुख अस्वित्यार किया । मैंने किस-किस तरह से सुल्तानों काँते भांग-भांग कर व अन्य प्रकार से मिल-जुल कर इसे सुलटाने के प्रयत्न किये । पर अधिकारी टस-से-भस न हुए । तब गिट्सन साहब से पूछा—क्या मैं किसानों को यह सलाह देता कि चूँडियां पहन कर बैठे रहो, व पुरतैनी जमीन का स्वयाल छोड़ दो ? मेरी जगह अगर आप होते तो उन्हें सलाह देते "अपनी जमीनों पर कब्जा कर लो व जो सामना करने आवें उन्हें गोलियों से उड़ा दो ।" मैं चूंकि महात्माजी का अनुयायी हूं व अहिंसा में विश्वास रखता हूं, अतः मैंने उन्हे सलाह दी कि अपनी जमीनों में हल्क चला दो व इसके परिणाम में जो कुछ कष्ट मिलें उन्हें शान्ति से सहन कर लो । ऐसे सत्याग्रह की सलाह देने में मैंने कौन-सी गलती की ? अब भी यदि आप बतला दें कि फलां कार्रवाई करनी बाकी रह गई थी, व सत्याग्रह में मैंने जल्दी या गलती की है तो मैं उसपर विचार करने के लिए तैयार हूं । बुटने टेककर गिड़गिड़ाना ही बाकी रह गया था, और मैं इसको सलाह किसानों को कढ़ापि नहीं दे सकता था । यदि मैं उनका सच्चा सलाहकार हूं तो उन्हें कायर बनने की या अत्याचार को चुपचाप बरदास्त करने की सलाह कढ़ापि नहीं दे सकता था । इसके लिए राज्य सत्याग्रही किसानों को कानून के माफिक सजा दे सकता था; परन्तु इसके अलावा पुलिस व ठिकाने के आदमियों द्वारा उन पर, उनकी स्त्रियों पर, व उनके सहायक कार्यकर्ताओं पर जो जाली-नूतों से भार-पीट की गई, जिसमें कहियों के चाँटें भी आई हैं, उसका कोई जवाब हो सकता है ? फिर सर सुखदेव व देंच साहब तो मेवाड़ के लिए 'स्वदेशी' हो गये व हम लोग 'विदेशी' कैसे ? 'त्यागभूमि' में भूठी खबरें छापने के बारे में तो मेरा इतना ही निवेदन काफी है कि मैंने बहुत जिम्मेदार संवाददाता बहां भेजे हैं, उन्हें यह हिदायत है कि समा-

चारों में अत्युक्ति जरा भी न हो। फिर भी उनकी खबरों में सुन्ने जो बढ़ाकर लिखी लग जाती है उसे मैं सौम्य बना देता हूँ। इस सावधानी के बावजूद मैं आप ही से कहता हूँ कि आप अपना आदमी या कोई कमेटी वहाँ जांच के लिए भेज दे व उनकी रिपोर्ट के फलस्वरूप जितने वाक्यात गलत साबित होगे उनका प्रतिवाद स्थागभूमि मे छाप दूँगा। व खुले दिल से माफी मांग लूँगा। फिर गलत खबरों का प्रतिवाद खुद रियासत भी तो कर सकती है। वह क्यों नहीं प्रतिवाद भेजती?

अब तो गिव्सन साहब के लिए आपत्ति करने की कोई गुणायश नहीं रह गई थी। मैंने उनसे कहा—आप ही कोई उपाय बताये जिससे मैं सत्याग्रह बन्द करा दूँ व किसानों का हक उन्हें मिल जाय। अन्त को उन्होंने बड़ो सहानुभूति के साथ मेरा लिखित जवाब ले लिया और संभवतः अपने नोट के साथ ए० जी० जी० को भेज दिया जिसके फलस्वरूप, सुन्ने थाएं मे मालूम हुआ कि, सर सुखदेव को ए० जी० जी० को सविस्तर जवाब देना पड़ा।

गिव्सन साहब के इतना अनुकूल बन जाने का सिवा इसके और कोई कारण नहीं था कि मैंने सत्याग्रह के पहले तक अजहद मिलनसारी सौम्यता व सौजन्य से काम लिया, जो कि अहिंसा के ही अंग-उपांग हैं। अन्त तक किसानों के मन मे ठिकाने या राज्य के प्रति कहुता न पैदा होने दी। बल्कि उनके मन मे आत्म-बलिदान व कष्ट-सहन के बल को बढ़ाने व संगठन मजबूत करने पर ही जोर देता रहा।

३८

## सत्याग्रह का अन्त

बिजोलिया-सत्याग्रह के अन्त से भी हमें काफी शिक्षा मिल सकती है। नेता का काम केवल लड़ाई लड़ते चले जाना ही नहीं है। जब-जब बीच में समझौते के अवसर आवें तब-तब उसका स्वागत करना सत्याग्रही नेता का कर्तव्य होता है। वह तभी व तभीतक जनता को कष्ट-सहन में डालता है जब तक कि लक्ष्य-प्राप्ति में कठिनाइयाँ व वाधाएँ पढ़ती जायें। हाँ, समझौता सम्मान-पूर्वक होना चाहिए। अर्थात् जिसमें किसी को अपना सिद्धांत या मुख्य नीति न छोड़नी पड़े। ऐसे नैर-जिम्मेदाराना नेतृत्व का एक दुरा उदाहरण मैंने कल्पकत्ते में देखा था। १९३६ की बात है। कल्पकत्ते की केशोराम काठन मिल्स में मजदूरों ने हड्डताल कर रखी थी। मिल के व्यवस्थापकों ने शायद मजदूरी देने की पद्धति में कुछ परिवर्तन किया था, जिससे दफ्तर के काम-काज में या गिनती करने में सहायित होती थी। यह मजदूरों को नापसंद था—इसी विवाद पर हड्डताल हुई थी। एक दिन श्री विड्लाजी—घनश्यामदासजी—ने मुझे कहा—“हरिभाऊजी, आप जरा दिलच्चस्पी लेकर इस हड्डताल को समाप्त करा दीजिए न। आप तो मजदूरों में भी काम करते हैं!” मैं उन्हीं के यहाँ ठहरा हुआ था। मैंने कहा—“मैं यहाँ के मजदूरों के लिए एक दम नया आदमी हूँ। न उन्हें जानता हूँ न उनके नेताओं को। फिर मैं आपका मित्र हूँ व आपके ही साथ ठहरा भी हूँ। यदि उन नेताओं ने मजदूरों से कह दिया कि ये तो मालिकों के मित्र हैं उन्होंके यहाँ ठहरे

हैं व आते-जाते रहते हैं तो मेरा वहाँ क्या असर पड़ेगा ? लेकिन आपको सलाह देने से यह हड्डताल जल्दी खत्म हो सकती है ।' तो उन्होंने कहा 'अच्छा यहीं सही ।' मैंने पूछा—'प्रश्न दर असल नफे-नुकसान का है, या वैसे ही सटर-पटर है ।' तब उन्होंने पूर्वोंकि गिमतो को नहीं पद्धति का जिक्र किया व कहा कि मजदूरों की शिकायत है कि इससे दरअसल हमें मिहनताना कम मिलता है । तो मैंने पूछा—

'व्यवस्थापकों की नीयत दर-असल कुछ अप्रत्यक्ष कटौती कर लेने की है या केवल दफ्तर की सुविधा का ही प्रश्न है ?'

'नहीं जी, अपने को भगवान् ने बहुत पैसा दिया है । इस तरह आई-टेक तरीकों से गरीबों का पेट काटने की अपनी नीयत नहीं है । सिर्फ दफ्तर की सुविधा का ही प्रश्न है । कम बलकों से काम चल जाता है ।'

तो मैंने कहा—'तब तो और भी मामला आसान होगया । यदि मजदूरों को असन्तोष व सन्देह है तो पहले बाली ही परिपाठी जारी करा दीजिए । क्यों इतनी-सी बात के लिए इतने दिनों तक हड्डताल चलने दी ? मजदूरों का फगडा व्यवस्थापकों से है, मालिकों से तो है नहीं । वे अब तक आपके पास पहुंचे भी नहीं हैं । उनका एक शिष्ट-मण्डल आपसे मिल ले व आप पुराने तरीके को चालू रखने का उन्हें आश्वासन दे दीजिए ।'

उन्हें यह सलाह जंच गई; पर साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि आप एक बार मिल में हड्डताल की दशा तो देख आइए । मैं गया— वहाँ जो अपमानजनक दृश्य देखा उसे अब तक नहीं भूला हूँ । मिल के मैनेजर साहब के कमरे में पहुंचते ही क्या देखता हूँ कि एक मजदूर अपना साफा उतारकर मैनेजर साहब के पैरों में ढाक रहा है व पैर छूकर हाथ जोड़कर और गिर्दगिराकर चिनती कर रहा है कि कोई ऐसा रास्ता निकाल लीजिए जिससे हड्डताल जल्दी खत्म हो व मिल चालू हो ताकि हमारे बाल-चच्चों की परवरिश होने लगे । मैं हड्डताल टूटने के इस दयालुक दृश्य को देखने के लिए तैयार नहीं था ।

मेरे जाते ही मैनेजर साहब उठे, अपनी कुर्सी उन्होंने मुझे दी। मैंने उन शहरी बाहुओं का परिचय पूछा जो उस कमरे में एक तरफ खड़े थे। मैनेजर ने बताया कि वे हड्डालियों के लीडर हैं, इनमें काम करते हैं। सुनते ही मेरे सारे तन-बदन में आग लग गई। थोड़ी देर बाद मामूली हालात जानकर मैं वापस लौट आया। तब श्री विठ्ठलाजी ने पूछा—‘कहो क्या हाल देखा?’

मुझसे न रहा गया। मैंने छूटते ही कहा—‘ऐसा चुरा कि कुछ कह नहीं सकता।’ उस मजदूर के साफा उतारकर पैर ‘चूने व नेताओं को खड़ा देखने के दश का वर्णन करके मैंने कहा—‘आपके मैनेजर की यह जुर्त कि एक मजदूर को इस तरह से अपने पैर छुआकर अपमानित होने दे ! उन्होंने उसे मना तक नहीं किया। वे तो दीक, आप मालिक हैं, पर अगर मजदूर इस तरह आपके पैरों पर भी पगड़ी रखें तो मैं इसे बरदाशत नहीं कर सकता। जो पसीने की रोटी खाते हैं, क्या उनके कोई इज्जत या स्वाभिमान नहीं होता ?’

और उन नेताओं पर तो मुझे इतना गुस्सा आया था कि बेटों से पीटा जाय। उनकी यह हालत कि मैनेजर के कमरे में एक बैच भी उन्हें बैठने को नहीं दी गई, फिर खड़े-खड़े मजदूर का ऐसा अपमान देखते हैं ! यदि मजदूरों में इस कदर कमजोरी आ गई थी तो इन्हें इतनी अक्ष होनी चाहिए थी कि समय पर ही चेताकर आपस में समझौते का रास्ता निकाल लेते। जिन लीडरों को न अपने स्वाभिमान का ख्याल है, जो अपने मजदूरों के, वे तीन कौदी के आदमी हैं ! मजदूरी करने से मजदूर हकीर नहीं हो जाता। मालिक व नेता दोनों तरफ के आदमियों का फर्ज है कि मजदूरों के स्वाभिमान की रक्षा करे व उनमें वह न हो तो उसे जाग्रत करें।’

इसी सिलसिले में एक घटना मुझे इन्दौर के मजदूर-संघ की याद आ रही है। यह भी सम्भवतः २८-२९ की है। मैं उस समय वहाँ के मजदूर-संघ का उपसभापति था। मैं संघ के दफ्तर में गया तो क्या देखता

हुए कि संघ के सेक्रेटरी बड़ी मस्तनद लगाये बैठे हुए हैं व एक-दो मज-  
दूर स्वामी-खड़े उनसे बात कर रहे हैं। गही बिछी हुई थी, बैंच भी पढ़े  
हुए थे, पर सेक्रेटरी ने उनसे बैठने के लिए नहीं कहा। मजदूर उन्हें  
'हुजूर' सम्बोधन कर रहे थे, व वे मानो कोई सेठ या अफसर हों, ऐसे  
रौब से उनसे बात कर रहे थे व उनकी बातों का जवाब दे रहे थे। यह  
देख मेरा माथा ठनका। हम मजदूरों के सेवक, मजदूरों के संघ के कर्म-  
धारी, सेक्रेटरी तो वैतनिक कर्मचारी थे—मजदूरों से इस रौब व शान  
से बात करें? मजदूरों के चले जाने पर मैंने सेक्रेटरी से पूछा—

'यह यूनियन किनका है ?'

वे चौंके,—'मजदूरों का है !'

'इसके खर्च का पैसा कहां से आता है ?'

वे फिर परेशान हुए—'मजदूरों के चान्दे से आता है !'

'आपको वेतन कहां से भिलता है ?'

अब तो वे हक्के-बक्के से होने लगे—'यूनियन से ही !'

'तो फिर आपका व मजदूरों का क्या रिश्ता रहा ?'

उनका चेहरा फीका पड़ने लगा—वे चुप रहे।

'मजदूर इस यूनियन के मालिक, सेठ व हम उनके गुमाश्ता, कारिन्दे  
ही हुए या नहीं ?'

'जी हौं'

'तो फिर गुमाश्तों को मालिकों से किस तरह पेश आना चाहिए ?  
दुनिया में कहीं ऐसा भी होता है कि मालिक तो नौकरों की तरह स्वामी  
रहें, 'हुजूर-हुजूर' कह रहे हैं व गुमाश्ता-मुनीम सेठ व राजा-रहेस की  
तरह बैठे हुए रौब से बातें कर रहे हैं ?'

वे बहुत शरमाये, बोले—'मैंने तो अब तक इस तरह सोचा नहीं था।'

'आयन्दा इस संघ में मजदूर को 'आप' कहकर बतलाइएगा, व  
गही, जाजम, बैंच पर उन्हें बैठने के लिए कहिएगा, उनके साथ बहुत  
हजार व अठव से पेश आहएगा। हम पढ़े-लिखे हैं, इसके यह मानी

नहीं है कि अपद मजदूरों की इज्जत का खयाल न करे । बल्कि पढ़े-  
लिखे होने की बजह से हम पर और ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम शरा-  
फत, नश्वता, अदब मे किसी से पीछे न रहे ।'

X                    X                    X

कुछ विषयान्तर होगया, परन्तु ये संस्मरण तो जैसे याद आते जा रहे  
हैं, लिखता जारहा हूँ । मैं बिजोलिया-सत्याग्रह के अन्त की कथा कह  
रहा था । सत्याग्रह के चलते हुए भी मैंने ऐसे पैगाम अधिकारियों को  
भिजवाये जिनसे उन पर रोशन हो जाये कि मैंने बहुत अनिच्छापूर्वक,  
बही मजदूरी से, केवल कर्तव्य समझकर, महज न्याय के लिए किसानों  
को इस आग की भड़ी में कूदने की सलाह दी है और इससे मैं प्रसन्न  
नहीं हूँ; परन्तु किसी के कान पर जूँ तक नहीं रँगी । सत्ता अंधी होती  
है, अहंकार उसका जबर्दस्त पृष्ठ-पोशक होता है । दोनों मनुष्य की बुद्धि  
व विवेक को भक्षित कर देते हैं । न्याय अन्याय, भावी परिणाम को  
देखने की उनकी आंखों पर वे परदा ढाल देते हैं । फिर अक्सर राजा-  
महाराजाओं की अपेक्षा कई बार उनके नौकरों, अधिकारियों में यह शरूर  
व हठधर्मी बहुत पाई जाती है । मेवाह में उस समय सर सुखदेव जैसे  
'फौलादी पंजे' की हुक्मत थी । इसी बीच मुझे कुछ ऐसे आसार  
मालूम पढ़ने लगे कि दमन के फलस्वरूप किसानों में कुछ शकान-सी  
आरही है या जलदी ही आजायगी, और यदि ऐसा हुआ तो रही-सही  
बाजी भी हाथ से निकल जायगी । उस दशा मे सर सुखदेव किसानों  
को इस तरह पीसकर रख देंगे कि वरसो तक उठना मुश्किल होगा ।  
मेरी अन्तरालमा ने प्रेरणा की कि यही समय संभलने का है । समझौते  
का कोई मार्ग तुरन्त छूँडना चाहिए । मेरे मन में कुछ योजना बनी व  
मैं तुरन्त महाराजी के पास बारडोली पहुँचा । सारी स्थिति उन्हें  
सुनाई व अपनी योजना भी उनके सामने रखी । उन्होंने उसे पसंद  
किया व कहा कि मेरी समझ से इसमे समझौते की गुंजायश है ।  
अभी तुम सत्याग्रह स्थगित कर दो, मैं मालवीयजी महाराज या जमना-

लालजी को भव्यस्थ बनने के लिए प्रेरित करूँगा । बाद में यही तथ्य हुआ कि महात्माजी की ओर से जमनालालजी ही बीच में पड़े । मैंने तुरन्त अखबारों को खबर मिजवाई कि ‘बिजोलिया-सत्याग्रह’ की सारी परिस्थिति महात्माजी के सामने रखी गई, उन्होंने कहा इसमें अभी समझौते की गुंजाइश है, जब तक मैं इसका प्रयत्न न कर देखूँ तब तक सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाय । उनके इस आदेश के अनुसार मैंने बिजोलिया के सत्याग्रहियों को हिदायत दी है कि वे फिलहाल सत्याग्रह स्थगित कर दें ।’ पूर्ण मालवीयजी ने इसमें काफी दिलचस्पी ली, सहायता दी व सर सुखदेव तथा जमनालालजी के बीच एक समझौता हुआ जिसमें किसानों को उनकी जमीन उचित समझौते के आधार पर वापस दिलाना तय हुआ । जिन्हें सजा मिल चुकी थी उनकी तरफ से भेवाइ हाईकोर्ट में अपीलें दायर करना तय पाया व अपीलों में वे सब रिहा कर दिये गए ।

मैं मानता हूँ कि इस समय मैंने दूरन्देशी से काम न किया होता तो अर्थ का अनर्थ होकर रहता । इसमें सुके वही अहिंसा-भावना काम करती हुई दिखाई देती है कि यदि कम कष्ट से काम चल जाय तो अधिक कष्ट में किसी को न ढालना चाहिए । अहिंसा के साधक के लिए तप तो कदम-कदम पर अनिवार्य है; परन्तु यदि वह विवेक से काम न के तो वही तप दुराग्रह, अत्याचार, ज्यादती व एकांगी कठोरता का रूप धारण कर लेता है, जो कर्त्ता व उसके आस-पास के लोग दीनों को हानि पहुँचाता है व कभी-कभी तो उलटा पतन व अपमान के मुँह में भी ढाल देता है ।

: ३६ :

## संयम का नमूना

प्रथम जेल-जीवन की दो-धटनायें लिखना जरूरी हैं। अपनी जिम्मे-वरी का पूरा ख्याल रखना एक सत्याग्रही के लिए परम आवश्यक है। जिम्मेवरी का मतलब है जिस काम को अंगीकार कर लिया, जिसकी शुरूआत की, जिसका बचन दे दिया, उसको अच्छी तरह निवाह देना। दो प्रसंग ऐसे याद आते हैं जिनमें मेरी ठीक-ठीक परीक्षा हुईं।

एक प्रसंग है श्री नथमलजी चौरडिया का। वे नीमच छावनी के लखपति सेठ थे। यादव-सम्मेलन के बाद से उनसे बहुत घरेपा हो गया था। बिजोलिया से एक बार हम दोनों लौट रहे थे कि रास्ते में मेरी उनसे बातचीत हुई। १६३० का सत्याग्रह सामने आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि—‘बापू साहब, सत्याग्रह नजदीक आरहा है। इसमें आपके घर से एक बिलान चाहिए।’ वह बहादुर तुरन्त बोला—‘किसका?’ मैंने कहा—‘आपके तीन तो पुत्र हैं, चौथे आप हो। इनमें से किसी एक को दे दो।’ उन्होंने चट से कहा—‘तो मैं तैयार हूँ, और केसर—उनकी विधवा लड़की—को भी लेता आऊँ तो कैसे?’ मैंने कहा—‘सोना और सुहागा।’ तो जरूर आवेंगे न? कब तक? उन्होंने उसी सांस मे कहा—‘जरूर व बहुत लंदी।’

और अपने बडे पुत्र भाषोसिह पर सारा कार-बार छोड़कर निश्चन्त हो वे अलमेर आ गये और डिक्टेटरों की शंखला में प्रान्त के एक डिक्टेटर बनकर जेल भी पहुंच गये। एक रोज जेलर ने मुझे दुलाकर एक

तार दिखाया; मुझे काटो तो खून नहीं। जेलर ने कहा—‘कहीं बूढ़े के दम न निकल जायं।’ इस कल्पना से मैं और बेचैन हो गया। मुझे अपनी जिम्मेवरी का खयाल आया कि मेरी ही प्रेरणा से ये जेल आये हैं। अब यदि घर को बरबादी होती है तो मुझे हर यत्न से उसे बचाना चाहिए। लेकिन इससे भी पहले जरूरी यह है कि बूढ़े के प्राण बचें।

मुझे यह पता नहीं था कि ये सी घटनाओं को सहने की उनमें कितनी शक्ति है। किस तरह यह खबर उन्हें दी जाय कि जिससे उन्हें कम-से-कम सदमा हो। मैंने एक योजना अपने दिमाग में बनाई व भाई चौधरीजी व महोदयजी को वह तार दिखाया—वे दोनों भी सन्न रह गये। दफ्तर से जाते ही बैरक के लोग पूछने लगे कि क्या बात थी? क्यों छुलाया था जेलर ने? बात सहसा कहने की नहीं थी। बड़ी दुःख-दायी होने पर भी मुझे इतना संयम रखना था कि समय से पहले एक-एक किसी को मालूम न पಡे कि कोई गहरी बात है। मुझे सदा की तरह प्रसन्न बदन रहना था। पर भीतर तो बड़ी बेचैनी मच रही थी। मैंने एक बात के सिलसिले में बापू साहब को घूमने में साथ ले लिया। मैं यह टटोलना चाहता था कि उनमें शोक-जनक अवसरों पर धैर्य रखने की कितनी ज्ञानता थी। मैंने इधर-उधर की बात चलाकर पूछा—‘बापू साहब, जब केसर बहन पर दुःख पड़ा (विधवा हुई) तब आपने उसे किस तरह सहा? वे बोले—‘भाई, सच पूछो तो मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम हुआ। मुँह पर हुपहा ढालकर मूँठ-मूँठ रोने का ढोग कर लिया करता था।’ मैंने सोचा कि जब जवान बेटी के विधवा होने के अवसर पर इन्होंने इतनी कड़ी छाती रखी तो आवश्यक है मजबूत हिये के। मुझे कुछ निश्चिन्ता हुई।

शाम को प्रार्थना के बाद भजनों का कार्यक्रम रखा था। चौधरीजी व महोदयजी से पहले ही तथ्य हो गया था कि वैराग्य-पूर्ण व मृत्यु-संबंधी भजन गाये जावें, जिससे इनकी चित्त-वृत्ति डसी भाव में रँग जाय व वे उस शोकदायी समाचार को दृष्टा से भुज सके। ‘अब हम

अमर भये न मरेंगे'—‘भंगल मन्दिर खोलो’ ‘धीर धूरन्धरा, शूर साचा  
खरा, मरण नो भय ते तो मन न आये।’ ऐश्विर साटे नटवर ने  
वरिये—‘ऐ पालु’ तो पगलु’ नव भरिये’ आदि भजनों का तांता लगा  
दिया। बापू साहब भी मस्त होकर चिमटा लेकर लंगोट बांधे झूमते  
हुए भजन गाने लगे। मैं बीच-बीच में टोकता जाता था, बापू  
साहब, मस्ती तो खूब है, पर यह टिकी रहे तभी बात है। हु.ख के अब-  
सर पर भी मनुष्य इसी तरह मस्त रहे, तब उसे सच्चा बहादुर सम-  
झना चाहिए—आदि।

मुझे रात-भर नीद नहीं आई। इन्होंने इस घक्के को सह भी  
लिया तो आगे धरन्धर का क्या होगा—इसी उधेड़-तुन मे करवटे  
बदलता रहा। सुबह ही उनकी-मेरी साथ बरतन भाँजने की ढूयूटी थी।  
हम सोग सब काम अपने हाथों से करते थे व १५-१५ दिन मे एक  
जनरल मैनेजर नियुक्त कर दिया करते थे, जो सबको काम की ढूयूटी  
बांट दिया करता था। बातों-बातों से मैंने पूछा—‘बापू साहब, आप हैं  
तो वडे भजबूत दिल के—पर यह बताइए कि कौन-सी घटना से आपको  
सबसे ज्यादा हु.ख हो सकता है?’ इस प्रश्न पर वे चौंके। बोले—‘क्या  
बात है? कल से तुम अजीब-अजीब बाते पूछ रहे हो?’

मैं—‘बात तो है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसे कहां  
तक सह लोगे?’

‘तो क्या बात है कहो न?’ वे जरा चिन्तित त्वर मे बोले।

‘वर से बुरी खबर आई है।’

‘क्या किसी के मरने की है?’ वे अधिक आतुर होकर बोले।

‘हाँ, है तो ऐसी ही। भला किसके मरने की खबर हो सकती है?’

‘मेरे रिश्ते में एक हुड़िया बीमार थी सो मर गई होगी और क्या?’  
उन्होंने कुछ इतनीनाल से कहा।

‘अच्छा, किसके मरने से आपको ज्यादा-न्यादा रंज हो  
सकता है?’

‘केसर के मरने से—क्या केसर मर गई ?’ उन्होंने अधीर होकर पूछा ।

‘नहीं, केसर तो नहीं मरी ।’ उन्हें कुछ तसल्ली हुई । अब मुझे अन्दाज हो गया कि इस खबर से इन्हे कुछ कम ही धक्का लगेगा ।

‘तो फिर कौन मरा, बताओ न ?’

‘पहले यह बादा कीजिए कि कल रात को भजन गाते बक्त जैसे रहे थे वैसे ही मस्त बने रहोगे, तो खबर सुनाऊ ।’ अब उनके हाथ बरवस ठहर गये । जरा सुंफलाकर बोले—

नहीं तुम मुझे बताओ क्या बात है, और कौन मरा है ?’

मैंने जेब से निकालकर तार उनके हाथ में दे दिया । उनका चेहरा फक हो गया । उसमें लिखा था—‘माधोसिंह इन्दौर से यकायक मर गये ।’ इसके फलस्वरूप आर्थिक हानि भी कम न हुई थी ।

अब वे उठकर जाने लगे । मैंने कहा—‘चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करे ।’

उनका गला भर आया, और बोले—‘अब मुझे अकेला छोड़ दो ।’

‘नहीं, सो नहीं हो सकता । हम सब आपके पास रहेंगे ।’

‘नहीं, मुझे अकेला ही रहने दो । इसी में मुझे अधिक शान्ति मिलेगी ।’

‘तो प्रार्थना की तैयारी कबतक करे ?’

‘बरटे ढेड घटे बाद ।’ उन्होंने इदता के स्वर में कहा ।

अपने ढोले पर वे सर पर चादर डालकर आसन बांधकर बैठ गये ।

प्रार्थना के अवसर पर जो शांति उन्होंने दिखाई, उसके बाद जो भाषण दिया, उससे हमें ऐसा लगा कि यह असाधारण व्यक्ति है । यह तो उल्टा हमें सान्त्वना दिला रहा है । यह तो धैर्य का धनी है, और हम इसके आगे दरिद्र मालूम होते हैं । दूसरे दिन की घटना ने तो यह सिद्ध कर दिया कि उनका मनःसंयम एक योगी की कोटि का है ।

मिलाई में किसी के मिठाई आई । वह इस संकोच से दुबककर

अपने ढोके की तरफ जा रहा था कि बापू साहब के सामने इस अवसर पर मिठाई का प्रदर्शन शोभा न देगा। उन्होंने भाँप लिया और दौड़कर डलिया छीन लाये। पहले अपने मुँह में मिठाई डाली, फिर सबको खिलाई। हममें से किसी ने उत्तमता दिया तो कहने लगे—‘बेटा मेरा मरा है। मुझसे अधिक रंज आप लोगों को नहीं हो सकता।’ और फिर तो तरह-तरह की बोली बोलकर, स्वांग भरकर, हम लोगों को ऐसा हंसाया करते कि हम लोट-पोट हो जाते थे। मुझे तो बीच-बीच में यह शक भी हो जाता था कि कहीं इस सदमे का असर इनके दिमाग पर तो नहीं होगया है। उस समय मैंने उनसे कहा था—‘जब तक मैं मौजूद हूँ, आप माधोसिंह को भूल जायें।’

अब चौरडिया इस संसार मे नहीं हैं। स्वोपार्जित ७० हजार का द्रव्य बालिकाओं की शिक्षा के लिए अपने जीवन-काल से ही बना गये थे। उनकी विधवा पुत्र-वधु को उसकी संचालिका बनने के बोग्य बनाने का उन्होंने बहुत उपाय किया और अब संभव है परमात्मा उनकी इच्छा को पूर्ण भी कर दे। परन्तु उनके कुहम्ब की जब भी कोई समस्या सामने आजाती है तो मुझे इस बात का जरूर स्मरण हो आता है कि मेरी ग्रे रणा से चौरडियाजी जेत गये थे, और मुझे माधोसिंह की जिम्मे-दारी अदा करनी है।

दूसरी घटना भाई कृष्णगोपाल गर्ग की है। सत्याग्रह का मैं प्रथम दिक्टेटर नियुक्त हुआ था। नवयुवक कृष्णगोपाल तेजस्वी व उत्तम विचार का देशभक्त था। उस समय अजमेर के रेलवे-कारखाने में काम करता था। उसके मन में सत्याग्रह में शामिल होने की उठल-पुथल मच रही थी। उसने सबसे सकाह ली, गरमा-गरम विचार रखनेवालों ने भी, उसके घर की जिम्मेदारियों को देखकर, उसे मना किया कि तुम अपना काम करते हुए जो-कुछ सहायता कर सको वह करते रहो; पर सत्याग्रह मे भत कूदो। उसने न रहा गया। मेरे पास आया। कहने लगा—‘दा साहब, सबने—बाबाजी तक ने—मुझे मना किया है कि मैं सत्याग्रह मे न पढ़ूँ।

पर मेरा दिल नहीं मानता। आपसे सलाह लेने आया हूँ, जो आप कह देंगे वही कहूँगा।'

मैंने कहा—‘मुझसे सलाह मत लो। मैं इस समय डिक्टेटर हूँ और इस युद्ध को चलाने की मेरी जिम्मेदारी है।’

‘जो भी हो, मैं तो आपकी सलाह पर ही चलूँगा, चाहे जो हो जाय।’

उसकी लगन व दृढ़ता ने मुझे मोहित किया। पर उसकी कौटुम्बिक जिम्मेदारियों का भी मुझे खाल था—भावी का भी विचार मन में आया, फिर सोचा, मेरा कर्तव्य तो इस समय अच्छे-अच्छे बलिदान प्राप्त करना है। उससे कहा—

‘देखो, मैं डिक्टेटर हूँ। इस समय आहुतियां तलाश करना व भोकना मेरा काम है। तुम मुझसे सलाह मत लो। तुम दुख पाओगे।’

उसने अधिक जिद पकड़ी। ‘बस आपकी राय की देर है, मैं उसीके अनुसार फैसला करूँगा।’

‘तो मैं तो इसके सिवा दूसरी राय ही नहीं दे सकता कि कूद पबो इस अपिन-कुण्ड में। आगे जो राम करे सो हो जायगा।’

और उसने वही से सीधा कारखाने में जाकर इस्तीफा पेश कर दिया। पीछे जब जेल में जेल-अधिकारियों से झगड़ा हो जाने के फल-स्वरूप हम बीस आदमियों को ढण्डा-बेड़ी पड़ी व वह हमारे साथ कोठ-रियों में बन्द किया गया तब मुझे कृष्णगोपाल के कट्टों का बहुत विचार मन में आता रहा। जेल से निकलने पर उसके सामने जब-जब कोई कौटुम्बिक या सार्वजनिक समस्या आती है तो मुझे अपनी यह जिम्मेदारी याद आ जाती है कि मेरे ही कहने से लागी-लगाई नौकरी पर लात मारकर उसने अपने भविष्य को खतरे से बाल दिया था और मैं भर-सक उन्हें सुलगाने का यत्न करता रहता हूँ।

; ४० :

## ईश्वरीय प्रकाश

मन में बहुत उथल पुथल मचने, घबघोर मन्यन चलने, या चारों ओर कठिनाइयों से घिर जाने की अवस्था में मुझे कई बार ऐसा अनुभव हुआ है, मानो दुष्टि कुपिठत हो गई है, मन निराशा में शिथिल होता जा रहा है कि एकाएक एक प्रकाश जैसा भस्त्रिक में पड़ा—एक नूतन विचार या स्मृत्या आई व उसमें मुझे रास्ता सूझ गया। कभी-कभी मेरे मुँह से बिना सोचे अचानक बातें निकल जाती हैं—उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो यह ईश्वर की किसी अज्ञात व्यवस्था या रचना के मातहत हुआ हो। आज तो मैं केवल श्रद्धावश इसकी कल्पना करके रह जाता हूँ; परन्तु मेरा मन कहता है कि अहिंसा की चरमसीमा पर पहुँच जाने से यह रहस्य खुल जाना चाहिए। ईश्वर के संकेतों को, भावी को हम तक पहुँचने के लिए यदि कोई वाधा है तो हमारे मन के राग-द्वेष रूपी मलिनताओं की। अहिंसा कं पालन से राग-द्वेष छूट जाता है। तब मनुष्य का हर्तन्त्र परमात्म-तन्त्र से सीधा जुड़ जाता है, जरा स्विच हुमाया और सूक्ष्म विद्युत-तार एक-दूसरे से जुड़ गये। जो हो, यहाँ तो मैं ऐसी दो-एक घटनाएँ लिखता हूँ जो इस समय मुझे खासतौर पर याद आ रही हैं।

बिजौलिया का समझौता करके मैं जेल चला गया था। जब यह खबर मिली कि ट्रैन साहब आदि गलतफहमी में आकर सुक्ष्मसे सब सम्बन्ध तोड़ दुके हैं व बापी की शेष रही जमीन किसानों को मिलने की

अब कोई आशा नहीं रही है तो जेल में सुके बड़ी अशान्ति रहने लगी। पहले तो किसान सत्याग्रह की तैयारी कर रहे थे; समझौता हो जाने के कारण अबकी शिथिल हो गये होंगे, हुवारा सत्याग्रह के लिए उनके तैयार होने न होने का मैं जेल में निश्चय नहीं कर सकता था। लेकिन मैं अपनी यह जिम्मेदारी तो मानता ही था कि जो समझौता हुआ है, उसका पालन कराया जाय। इस प्रकार मन्त्यन मेरे मन में चल रहा था कि सुके एकाएक सूक्ष्मा—क्यों न मैं उपचास करके इस शर्त को राजवालों से मनवाऊँ? जो पच समझौता तोड़ता है, या किसी शर्त का पालन नहीं करता है, वह दोषी है और उसे समझौता मानने पर वाध्य करने के लिए सत्याग्रह अच्छा उपाय है। तो उपचास कितने दिन का करूँ? यदि यह प्रायशित्त रूप हो तो दिनों की संख्या नियत की जा सकती है। पर यह तो सामने बाले से अपनी मांग पूरी कराने के लिए है, अतः इमर्म मांग की पूर्ति तक की मियाद होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मांग पूरी न हुई तो प्राण की बाजी लगामी होगी। इस विचार से सुके बहुत बल मिला। मेरी सारी चिन्ता काफ़ूर हो गई। एक आखिरी तीर मेरे पास चलाने के लिए है—उसे चला दूँगा; पर हृतने से भी काम न चला तो? उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं। जब तक मैं जिन्दा हूँ, अपना यारा बल—अपना प्राण तक—लगा देना मेरा कर्त्तव्य या जिम्मा है, आगे काम भगवान् का। इस विचार से सुके बहुत सन्तोष मिला।

जेल से छूटने पर मैंने इसका जिक्र अद्वैय जमनालालजी से किया। वे मेरे स्वभाव को जानते थे कि जो यह सोच लेगा वह कर गुजरेगा। वे बहुत समय तक गांधी-सेवा-संघ के अध्यक्ष रहे, व मैं पुक सदस्य। दो-एक अवसर पैसे आ चुके थे जब उन्होंने उल्लहना दिया कि यह काम गांधी-सेवा संघ के अनुशासन की दृष्टि से ढीक नहीं हुआ; इससे संघ की स्थिति विषम होती है, तो मैंने तुरन्त संघ से इस्तीफा दे देने की तैयारी कर ली। मेरे कारण किसी की और खासकर, 'गांधी सेवा संघ' जैसे की स्थिति विषम हो—यह मैं कभी बरदाशत नहीं कर सकता। अतः मेरे हुईं-सुईं

स्वभाव के कारण वे चिन्ता में पड़ गये। सुके समझने की कोशिश भी की; पर सुके अपने इस विचार में कोई दोष नहीं मालूम हुआ। तब उन्होंने एक दिन एकाएक पूज्य बापूजी के सामने भेरे इस निरचय की चर्चा छेड़ दी व कहा—ये बहुत भावुक आदमी हैं। आपको इनका विचार कैसा लगता है? बापू ने कहा 'ऐसी भावुकता तो सुके अच्छी लगती है। अपनी जिम्मेदारी का ऐसा ही ख्याल मनुष्य को रहना चाहिए। परन्तु सुके लगता है कि इस विषय में अभी अनशन करने का अधिकार हरिभाल को नहीं प्राप्त हुआ है।' इस पर सैने पूछा—'सो कैसे?' उन्होंने समझाया कि एक बार फिर किसानों का संगठन करके उनमें अपनी माँग की पूर्ति कराने का बल पैदा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसे किये बगैर प्राणों की बाजी लगाना जल्दबाजी है और जहां जल्दबाजी है वहां सत्याग्रह में कभी आ जाती है।

\* \* \*

स्वास्थ्य मेरा बचपन से ही खराब है। ज्योतिषी भी मेरी कुण्डली देखते हैं तो वे जन्म-भर के लिए सुके निश्चन्त कर देते हैं कि स्वास्थ्य का यही दाल रहेगा। सो मेरी हालत इस विषय में मीराबाई की तरह हो गई है—'भवसागर सब सूख गया है, फिकर नहीं सुके तरनन की।' परन्तु एक ख्याल रह-रह करके आ जाता था। जब कभी मैं ज्यादा बीमार हो जाता तो भेरे दूढ़े पिता, पत्नी, भाई आदि को कितना हुँख होगा, वे कैसे असहाय हो जायंगे, यदि मैं इस बीमारी में मर गया। एक बार जेल में मैं बीमार हुआ, वे ऐसी ही चिन्ता मन में आने लगी तो एकाएक किसी ने यह प्रश्न भेरे दिमाग में किया—क्या तुम इन सबके ईर्श्वर हो? क्या तुम्हारा व सबका कोई एक ईर्श्वर नहीं है, जो तुमसे छुटा व सबसे बढ़ा है? फौरन मैं अपनी भूल समझ गया। तब तो बड़ा साहस अजीब बे-फिक्री लगने लगी। ठीक लो है; यह सब भार तो पर-मेश्वर पर है; मैं गाड़ी के नीचे चलने वाले कुच्चे की तरह व्यर्थ ही यह समझ रहा हूँ कि यह गिरस्ती की गाड़ी मेरी बदौलत चल रही है। उसके बाद सुके ऐसा अल्पभव होने लगा मानो मेरी उम्र बढ़ गई हो।

: ४१ :

## ज्ञाना मंगवाना अहिंसा नहीं

यदि मैंने जान में या अनज्ञान में आपको नुकसान पहुंचाया है, आपका कोई अपराध किया है व मैंने उसे महसूस कर लिया है तो मेरे लिए सर्वथा उचित है कि मैं आपसे उसके लिए माफी मांगूँ। यह महसूस करना कि सचमुच हमने इनका नुकसान कर डाला है, अनुत्ताप या पश्चात्ताप कहलाता है। इस पश्चात्ताप को प्रदर्शित करने के लिए जो काम—याह्याचार किया जाता है वह प्रायशिच्छा और सामने वाले पर जब अपना पश्चात्ताप प्रकट किया जाता है तो वह ज्ञाना-याचना कहलाती है। पर जब आप मुझसे यह तकाजा करते हैं कि तुम फलां बात के लिए मुझसे माफी मांगो तो मैं आपको अपने सामने भुकाना चाहता हूँ—आप अपने मन में यदि इसका एहसास कर लेते हैं तो इतने से मुझे सन्तोष नहीं है। यह दूसरे को भुकाने की भावना अहिंसा में नहीं आती, ऐसा मुझे लगता है। दूसरे शब्दों में विजय की भावना का अहिंसा से सम्बन्ध नहीं है। अहिंसा में दोनों पक्ष की विजय होती है। मेरी विजय तो यह है कि मैंने अपनी भूल समझ की, आपकी विजय यह है कि आपकी ज्ञान-शीलता मुझे अपनी भूल विखलाने में कामयाब हुई।

ऐसे विचार रखने के कारण जब कोई मुझसे ज्ञाना-याचना करने आता है तो मुझे शर्म-सी मालूम होती है। सामने वाले की वह दीनता या नम्रता मेरे लिए बहुत भारी हो जाती है। क्या मैं कोई ऐसा बड़ा आदमी हूँ जो इस नम्रता को देखता रहूँ, और इस पर मन-ही-मन युल-

कित होंक ? और क्या सचमुच इस दृश्य में कोई बद्धमान भी है कि एक आदमी मुक्कर आपके पैरों में पड़ता है, और आप उसमें कुछ आनन्द या संतोष या अपने लिए गौरव अनुभव करते हैं ! अतः जब कभी ऐसे अवसर आये हैं, मैंने सदा ज्ञाना-याचना करने वालों से कहा कि ‘भाई, मुझेहुम्हारी ज्ञाना-याचना की जखरत नहीं है । मैं नहीं मानता कि तुमने मेरा कोई त्रुक्सान किया है । यदि तुमने मेरी कोई बुराई की है तो तुमने अपना ही त्रुक्सान किया है । यदि मेरा कोई त्रुक्सान हुआ है तो उसको जिम्मेदारी मेरे पर ही है । मेरे ही किसी दोष का यह फल मुझे मिला है । सो तुम किस बात के लिए सुझासे माफी मांगते हो ? तुमने गलती की थी, तुम उसे सुधार लो । आयंदा ऐसी बुराई भर किया करो । इससे तुम्हीं को फायदा पहुँचेगा ।’

मगर इससे भिन्न एक दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं, जिन्हें तब तक सन्तोष नहीं होता जब तक कि सामने वाला उनसे माफी न मांग ले । वे तभी अपने स्वाभिमान को सुरक्षित पा सकते हैं । मेरा स्थान है कि ऐसी मांग जहां तक खुद से संबंध है, अहंकार का व सामने वाले के प्रति संबंध है, हिंसा का ही एक स्वरूप है । इस वृत्ति में अपने प्रति दृष्टि व सामने वाले के प्रति दृष्टि ज्यादा कठोर है ।

इसी तरह जब कभी हम दूसरों से मिलते हैं तो सदा अपनी ही बढ़ाई करना अपने ही बातें में अधिक बातचीत करना, अपने व अपनों के कामों को अधिक महत्त्व देना, दूसरों व दूसरों के कामों के प्रति तुच्छता का भाव रखना, अपना काम दूसरों से करवा लेना, दूसरों के काम के समय टाला दे जाना, ये सब वृत्तियां मुझे हिंसा का ही स्वरूप मालूम होती हैं । हमारी जिन-जिन वृत्तियों में, दूसरों के भावों की, विचारों की, महत्त्व की, सम्मान की, हानि की, उन्नति की उपेक्षा व तुच्छता पाई जाय वे सब हिंसा के ही अन्तर्गत हैं । ज्यों-ज्यों मुझे इस रूप में हिंसा के दर्शन होते जाते हैं त्यों-त्यों मैं उससे बचने का यत्न करता हूं, जिसका नतीजा फिलहाल तो यह हो रहा है कि कहूँ बार असमंजस में पड़ जाता हूं

कि अपने बारे में हनसे क्या बात करूँ ? सामने वाले के सुख-दुःख की ही बात करने में ज्यादा दिलचस्पी मालूम होती है। अपनी बात निकाली भी तो बहुत छोटेण का अनुभव मन में होने लगता है। साथ ही तुलसी-दास की यह पंक्ति याद आने लगती है—“जासों दीनता कहाँ हैं देखों दीन सोऊँ; दीन को दयालु दानि दूसरो न कोऊ ।” ईश्वर पर अद्वा बढ़ती है, वह इसके साथ ही निश्चिन्ता भी। पहले जहाँ दौड़-दौड़ कर जाने को मन होता था, अब किसी के दुःख या संकट के अवसर पर ही जाने में रुचि रह गई है, जहाँ अपनी बदाई होती हो, मान मिलता हो वहाँ अटपटा लगता है, जहाँ अपनी टीका, निन्दा, आलोचना होती हो तो सुनने को जी चाहता है। ऐसा लगता है कि बदाई सुनने से कहाँ गढ़े में न गिर जाऊँ, व निंदा सुनने से जागरूकता बढ़ेगी जो अपने काम आवेगी। इस वृत्ति में मुझे अपना अहिंसा की तरफ प्रयाण साफ दीखता है। पर मैं अनुभव करता हूँ कि जब तक अपने विरोधी के प्रति अपने को हानि पहुँचाने वाले के प्रति सगे भाई की तरह सक्रिय-प्रेरण मन में न उत्पन्न हो तब तक अहिंसा की साधना अधूरी ही है। चौबीस घण्टे जब तक ऐसी भावना न रहे तब तक अहिंसा कही है। यह तभी सम्भव है जब हम मनुष्य-मात्र को नारायण का रूप मानने ही नहीं, समझते भी लगें। इस तरह अहिंसा हमें ‘नर-नारायण’ बनाने की तरफ ले जाती है, यह विश्वास व अनुभव के साथ कहा जा सकता है। हाल ही मैंने अपने एक मित्र को लिखा कि ‘जो मुझे अपना विरोधी समझते हैं उनमें भी मैं तो अपनी ही आत्मा के दर्शन करना चाहता हूँ।’ कोई अपना विरोधी तभी तक है जब तक हम अपने ‘स्व’ को ही देखते हैं। जब हम ‘स्व’ व ‘पर’ दोनों में एक ही आत्मा को देखने लगते हैं तो फिर कौन किसका विरोधी रहा ? यदि मैं अपना विरोधी हो सकता हूँ तो सामने चाला भी मेरा विरोधी है। नरसिंह मेहता ने कहा है—ज्यों ज्ञानी आत्मा तत्व चीन्यो नहीं स्थां लगी साधना सर्व जूँड़ी ।

## अर्हिंसा की सूक्ष्मता

जब हमारे पास कोई सलाह लेने आवा है तब हम कहं भावों से प्रभावित होकर उसे सलाह देते हैं। एक भाव तो यह होता है कि इसे ऐसी सलाह दी जाय जिससे उलटा अपना काम बन जाय। दूसरा भाव यह कि सलाह ऐसी हो जिससे इसका भी काम बने व अपना भी मतलब बन जाय। तीसरा भाव यह कि जिससे अपना मतलब बने या न बने, भले हानि भी हो, पर सलाह सच्ची ही देनी चाहिए, ऐसी कि जिससे इसका ही हित हो व किसी दूसरे के साथ अन्याय न हो। ये क्रमशः उत्तरोत्तर कंची भावनाएँ या अवस्थाएँ हैं। दूसरी भावना से अर्हिंसा की शुरूआत होती है व तीसरी में उसका उन्नत स्वरूप प्रकट होता है। अर्हिंसा और आगे चली तो व्यक्ति दोनों—सलाह मांगनेवाले व देनेवाले—का भय भूलने लगता है। वह समझने लगता है कि जिसे मुझे सलाह देना है वह मैं ही तो हूँ—मेरे व इसके हित मैं ही नहीं, आत्मा में भी कोई अन्तर नहीं है। यह आत्ममधी-दृष्टि अर्हिंसा की परम काढ़ा है। यहाँ अर्हिंसा जाकर सत्य में मिल जाती है।

अपनी अर्हिंसा-भावना की जिसमें परीक्षा कुई है ऐसी घटनाएँ यहाँ दे रहा हूँ जिससे संभव है, पाठकों को अर्हिंसा-पालन की दिशा में कुछ सहायता मिल सके।

मेरे एक मिय साथी मुझसे नाराज होकर अद्वग हो गये। दूसरी

संस्था में काम करने लगे। उनका एक अल्पन्त निकटस्थ व्यक्ति था—उन्हें पिता की तरह क्या, पिता ही मानता था। बाबजूद मुझसे उनकी नाराजगी, के बह सुझ पर भी विश्वास रखता था। एक रोज जल्दी में मुझसे रास्ते में मिला। अपने इन पिता की बहुत सी शिकायतें सुझसे कीं व मेरी सलाह मांगी। मुझे उसका मेरे पास आकर सलाह मांगना उचित नहीं जंचा। एक तो पिता इस बात से अप्रसन्न होंगे, जो मुझे अभीष्ट नहीं। दूसरे, इनके सम्बन्ध आपस में विगड़ जायेंगे, जो मुझे मंजूर नहीं। फिर मेरे प्रति अकारण ही उनके मन में सन्देह हो जायगा, जो किसी के भी लिए हितकर नहीं। मैंने पूछा—

‘तो तुमने अपने पिताजी से इन सब विषयों में बातचीत कर ली है?’

‘नहीं तो,—मैं तो आपसे सलाह लेने आया हूँ कि क्या करूँ?’

‘लेकिन पहले तो तुम्हें अपने पिताजी से ही इस विषय में बातचीत करनी चाहिए। जिनसे उन बातों का संबंध है उनसे बातचीत न करके किसी दूसरे तक उन बातों को ले जाना अनुचित है। उत्तरधर्म के तो प्रतिकूल है ही, परन्तु ऐसा करने से उनके साथ न्याय भी नहीं होता। सम्भव है, बहुत-सी बातें गलतफहमी से ही पैदा हुई हों, उनकी बातचीत से तुम्हारा सन्तोष हो जाय, तो फिर क्यों आपस की या घर की बातचीत किसी तीसरे से कही जाय। अब: मेरी तो यही सलाह है कि तुम पहले अपने पिताजी से ही बातचीत करो। बल्कि शुरू में ही उनसे इस बात के लिए माफी मांगो कि तुमने पहले उनसे बातचीत न करके मुझसे की। भले ही उनसे कह दो कि मैं हरिभाकजी के पास गया था व उन्होंने मुझे आपसे ही बातचीत करने की घ पहले जमा मांगने की सलाह दी है।’

लड़का उद्दिमान् या, उसने इस सलाह के महत्व को समझ लिया।

X

X

X

एक बार एक सज्जन के बारे में कुछ शिकायतें मेरे पास आईं व

मुझे ऐसा लगा कि ये सच होनी चाहिए। एक दूसरे मित्र ने आकर मुझे विश्वास दिलाया कि शिकायते गलत हैं। मैंने इन्हें अधिक विश्वसनीय समझकर इनकी बात मान ली व उन सज्जन को लिखा कि विना आपका पक्ष जाने ही जो मैंने आपको कुछ समय तक भी मन में दोषी मान लिया, इस अपराध के लिए आपसे चमा चाहता हूँ। हालांकि बात में वे शिकायते सच ही निकले।

एक दफा विरोधी पक्ष के मित्रों से समझौता हुआ। तब मैं उनके दृष्टि-विन्दु को उतना ही महत्व देने लगा जितना कि अपने दृष्टि-विन्दु को। उनकी गैर हाजिरी में भी कोई प्रश्न उपस्थित होता तो मैं सोचता कि उनके हित की दृष्टि से इसमें क्या करना मुनासिब है। मैं मानता कि उनके हित मेरे हाथों में सुरक्षित रहने चाहिए। इस पर मेरे एक साथी को आश्चर्य व सुरक्षाहट भी हुई। मैंने उन्हें समझाया कि जब हम किसी को अपना मित्र, साथी या भाई मानते हैं तो हमारे हाथ में उसके हित सुरक्षित ही रहने व समझे जाने चाहिए। भले ही पहले ये विरोधी रहे हों, पर अब, जब कि एक समझौता हुआ है तो मुझे इनके प्रश्नों को उसी भावना से हल करना चाहिए जिसे भावना से अपने भाई के प्रश्नों को हल करता हूँ। इसमें मुझे यह देखने की जरूरत नहीं है कि खुद उनका घ्यवहार मेरे प्रति कैसा है। ऐसा देखना तो सौदा कहलायगा। सौदे से हृदय छुड़ते नहीं। वे प्रेम व विश्वास से ही छुड़ते हैं। प्रेम व विश्वास का अर्थात् अहिंसा का मार्ग जोखिम से तो खाली जरूर नहीं है। परन्तु यदि हमें उनके हित के सिवा दूसरी बात मंजूर नहीं है तो फिर जोखिम भी क्या रही? जब हम केवल सार्वजनिक या सामने वाले के हित का ही ध्यान रखते हैं तो फिर जोखिम का भय या चिन्ता हमारे लिए निरर्थक है।

X

X

X

एक महाशय ने, जो मुझे अपना विरोधी समझते थे, एक बार मेरे खिलाफ एक बाहियात पर्चा टाईप कराके इघर-उधर इस तरकीब से

भिजवाया कि सन्देह किसी दूसरे पर ही हो। जिसने टाईप किया था वह उनका निकटवर्ती था। कुछ समय के बाद दोनों में कुछ अनबन हुई व वह टाईप करने वाला उन्हें बहुत ही कड़ा पत्र लिखकर मेरे पास आया व अपना दोष स्वीकार करके माफी मांगने लगा। कहा—‘आप जैसे के लिलाफ मुझे इस पद्ध्यन्त्र में शरीक नहीं होना चाहिए था। मैंने उनसे कहा भी कि मैं इसे टाईप नहीं करूँगा; परन्तु मेरे जैसे सम्बन्ध उनसे थे, उसमें मजबूर हो गया, आदि व उन महाशय से अनबन होने व चिट्ठी लिखने का हाल कहा—बल्कि चिट्ठी का कुछ अंश सुनाया भी। मुझे इस सारे कारण पर आशर्चर्य तो हुआ; परन्तु फिर भी ऐसी कड़ी चिट्ठी का लिखा जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उससे कहा—‘यह तो मनुष्य की अपनी कमज़ोरी है कि वह अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी गंदे काम में शरीक हो। मुझसे माफी मांगने को जरूरत यों नहीं कि मैं समक्ता हूँ कि इस सुठाई में शरीक होकर तुमने अपनी ही हानि की थी। अब उसका पश्चात्ताप करके तुम अपना ही हित-साधन कर रहे हो। मेरा बिगड़ तो तुम या कोई दूसरा कर नहीं सकता। वह तो मेरी ही अपनी करतूतों से हो सकता है। अतः मुझसे माफी मांगना बेकार है। परन्तु तुम्हारी यह चिट्ठी व उसकी टोन मुझे जंची नहीं। जिसको तुम अपना बड़ा मानते हो उसके प्रति ऐसी अशिष्ट चिट्ठी लिखना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यदि वह चिट्ठी न भेजी हो तो मेरी सलाह है कि इसे रोक लो व अपनी शिकायतें व तुम्हें बहुत नम्रतापूर्वक उनके सामने पेश करो। इस चिट्ठी से उन्हें बहुत आघात पहुँचेगा, और इससे लाभ के बजाय हानि ही अधिक होगी। मुझे, जहां तक याद है, वह चिट्ठी भेज लुका था, व मेरी सलाह के बावजूद उसे उस कड़ी चिट्ठी पर पछतावा नहीं हो रहा था।

X                    X

जब मैं प्रान्तीय कॉर्प्रेस कमेटी का प्रधान मंत्री था, तब नगर या जिला कमेटी के मंत्री मुझसे नाराज होकर महा समिति के दफ्तर में

शिकायतें भेजा करते थे। वे लौटकर मेरे पास जवाब के लिए आर्तीं। युक बार वे सज्जन मिल गये तो मैंने उन्हें बताया व समझाया कि भाई शिकायतें ऊपर लिखो व करो तो जरा ऐसे ढंग से तो करो व लिखो कि ऊपर बालों पर कुछ असर हो। तुम ऐसे बाही-तबाही ढंग से लिखते हो कि मेरा ही पह प्रबल हो जाता है व उनकी राय तुम्हारी तरफ से बिगड़ जाती है। किसी काबिल आदमी से भसविदा बनवा लिया करो, या मुझसे कहो तो मैं बना दिया करूँ। उन्हें मेरे इस रवैये पर बड़ा ताज्जुब हुआ—संभव है, उन्होंने इसे भेरा बनावटी व्यवहार ही भाना हो, पर मैंने उन्हें शुद्ध भाव से उनके हित में यह सलाह दी थी।

मुझे शुरू में मेरे चाचाजी ने व बाद में जमनालालजी ने यह शिक्षा दी कि मनुष्य के गुणों की ही चर्चा अधिक करनी चाहिए। आवश्यकता व प्रसंग पढ़ने पर ही अवगुणों का उल्लेख करना चाहिए। जो अपने विरोधी हों उनके प्रति तो इस नियम के पालन में और भी सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि एक तो स्वभावतः ही अपने मन में विरोधी के प्रति सद्भावना कम रहती है, अतः उसके अवगुणों, दोषों व अपकर्मों के प्रति तीव्र दृष्टि रहती है और उनको चर्चा में हम उदार भी रहते हैं, दूसरे इस स्थिति से बेजा फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करनेवाले इनका बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार करके हमारी खाई को और चौड़ा कर देते हैं। अतः अपने मित्र के बारे में एक बार अवगुण-चर्चा हमसे हो जाय तो वह इतना बुरा असर नहीं पैदा करती जितनी विरोधा की चर्चा। मैं भरसक इस नियम का ध्यान रखता हूँ व जब कभी कोई मेरे सामने किसी की निन्दा या आलोचना करते हैं तो मैं उनके गुण—उनका शुक्र पह—उनके सामने उपस्थित करता हूँ। इससे एक तो आलोचक के मन को कटुता कम हो सकती है व दूसरे मेरे प्रति गलत-फहमी फैलाने का अन्देरा नहीं रहता। इसका मुझे कई बार प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। ऐसे सज्जन मिले हैं जिन्होंने मुझसे खुद आकर कहा है ‘कि हम तो आपको दुराई करते फ़िरते थे; पर कई जगह हमे लोगों ने कहा कि

उपाध्यायजी तो, जब कभी अवसर आता है, आपके गुणों को ही बढ़ाई करते पत्ते गये।' इससे मेरे प्रति उनकी भावनाएँ भी बदलीं। जो तीव्रता या कहुता उनके मन में पहले थी वह अब नहीं पाई जाती। फिर भी एक बाह्य नियम के रूप में इसका पालन करने की अपेक्षा जब अहिंसा के कल्पित नियम के तौर पर इसकी साधना की जाय तो उसके सुफल व आनन्द का ठिकाना नहीं रह सकता। वास्तव में जिसे हम अपना विरोधी, निन्दक, आलोचक समझते हैं वह हमारे ही दुरुगुणों, दोषों, त्रुटियों, कमजोरियों की प्रति-मूर्ति या प्रतिबिव जैसे होते हैं, अतः हमसे पृथक् उनका विचार करना ही गलत है। वे हमारे ही अंग हैं। जिस दिन हम यह समझ लेंगे उस दिन अहिंसा की सबसे ऊँची मंजिल पर अपने को पावेंगे।

जेल में एक व्यक्ति ने मेरे प्रति बहुत अशिष्ट, अपमानजनक व अश्लील व्यवहार किया—मेरी अनुपस्थिति में। जिन-जिनको भी मालूम हुआ उन्होंने उसे बहुत धिक्कारा। वह कुछ स्वभाव व वृत्ति से ही ऐसा आदमी था। ऐसा अवसर आया कि उसकी कुछ हरकतों से बिगड़कर दूसरे लोगों ने उसकी पूजा कर डाली! जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने उसके जिम्मेदार मित्रों को शर्मिन्दा किया। एक और अवसर पर जब कोई चौकेवाले उसे अपने चौके में भोजन कराने के लिए राजी नहीं होते थे, ऐसी हालत हो गई थी कि अब उसका कोई नहीं रहा—तब मैंने कहा—अच्छा हम दोनों का एक अलग चौका रहेगा, हम अलग बैरक में भी रह जायेंगे, अगर जेल वाले ऐसी व्यवस्था कर दें। जिसका कोई नहीं है उसका साथी मैं हूँ। मुझे याद पड़ता है, भाई शोभालालजी भी उसके साथ अकेले रहने के लिए तैयार हुए थे।

अहिंसा की परीक्षा हमारे अपने लोगों के बीच उतनी अच्छी तरह नहीं होती जितनी गौरों या विरोधियों के बीच। शायद अहिंसा अपनों के लिए है भी नहीं। जहां अपनापन है वहां छैत नहीं, व जहां छैत नहीं, वहां अहिंसा का क्या काम?

: ४३ :

## नकद धर्म

इस अध्याय में जिस घटना का वर्णन किया जायगा उससे मुझे प्रत्यक्ष अनुभव होगया कि अहिंसा सचमुच 'नकद धर्म' है। 'इस हाथ दे, उस हाथ ले'। इन्दौर में शायद १६३१-३२ में नन्दलाल भंडारी मिल्स-व स्टेट मिल्स में मजदूरों ने हड्डताल कर दी। इन दोनों के संचालक उस समय कन्दैयालाल भण्डारी थे। ये उद्योग-ज्यवसाय व प्रबन्ध में बड़े दब्ज माने जाते हैं। १६२६ में जब मजदूरों की आम हड्डताल हुई थी तब भी इन्होंने बड़ी तरकीब से अपनी मिलों चालू करा लो थीं। इनका विश्वास था कि मेरी मिलों में कभी हड्डताल नहीं हो सकती। इन्दौर के मजदूर संघ वाले भी इनकी मिल में प्रवेश करना बहुत कठिन बात मानते थे। पर एक बार मजदूरों ने दोनों मिलों में हड्डताल कर ही ढाली। लाला गुलजारीलाल अहमदाबाद से वहां मजदूरों की सहायता के लिए गये। उनका ख्याल था कि द-१० दिन में हड्डताल का कुछ निपटारा करा लेंगे। परन्तु वह इनकी आशा अपेक्षा से कहीं उथापा ठहर गई। कन्दैयालालजी उन्हें आसानी से दाद देने वाले आदमी नहीं थे। उन्होंने तथा श्री शंकरलालजी वेकर ने भी मुझे पत्र लिखे कि इसे जल्दी निपटाना चाहिए। लालाजी के इन्दौर में अचानक रुक जाने से अहमदाबाद के काम में बहुत हज़र हो रहा था। मैं उन दिनों बीमार था—परिस्थिति की जटिलता व कठिनाइयों को खूब समझता था, तो भी भगवान् का नाम लेकर मैंने श्री कन्दैयालालजी को एक पत्र लिखा। मैंने

सोचा कि यदि उनका हार्दिक सहयोग न मिले तो निपटारा होगा कैसे ? अतएव पहले पत्र से उनका रुख जान लेना ठीक रहेगा । मैंने उन्हें लिखा कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आपकी मिल में हड्डताल कैसे होगहै ? मैं चिन्तित हूँ कि मेरा बस चले तो एक दिन भी हड्डताल न बढ़ने दूँ । पर मैं अस्वस्थ हूँ, और दूर बैठे हुए यह समझ नहीं सकता कि मेरे बहाँ आने से हसे सुलटाने में कुछ सहायत ऐदा हो सकती है । यदि आपको ऐसा ज़ंचे कि मेरा आना उपयोगी होगा तो मुझे निःसंकोच तार दे दीजिए । मैं ऐसी हालत में भी तुरन्त चला आऊँगा व शक्ति-भर ऐसा यत्न करूँगा जिससे शान्ति व सद्भावना के साथ हड्डताल निपट जाय ।

संयोग से इन्दौर के श्री लक्ष्मीदत्तजी मिलने आगये । मैंने उन्हें सारी परिस्थिति समझाकर कहा कि आप खुद कन्हैयालालजी से मिल लीजिए । उनका रुख अनुकूल होगा तो ही हड्डताल के जलदी समाप्त होने की आशा रखी जा सकती है । दूसरे ही दिन भण्डारीजी का तार आगया व मैं इन्दौर रवाना होगया । जब स्वेशन पर मैंने एक तरफ श्री भण्डारीजी को दूसरी तरफ लाला गुलजारीलालजी को व तीसरी तरफ अपने मित्र बालू भैया दाते को, जिनके यहाँ कि मैं अक्सर ठहरा करता था, व जो मजदूरों के प्रति बहुत हमदर्दी रखते थे, देखा, तो उल्ल-भर के लिए सोच में पड़ गया कि कहाँ ठहरू ? इतने ही मैं कन्हैया-लालजी ने मोटर का द्वार खोला व कहा, आइये, 'भाऊ साहब !' अब तो उनके ही साथ जाना व उन्हींके यहाँ ठहरना उचित था । उनके तार से ही मैं रवाना हुआ था । लेकिन उधर मजदूरों में यह गलतफहमी फैलने का अदेशा था कि ये तो सेठ के यहाँ ठहर गये, हमारा क्या भला करेंगे ? वैसे तो मैं मजदूर-संघ का उप-सभापति भी था । मैंने लालजी की ओर देखा—मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने भण्डारीजी के यहाँ ठहरने का समर्थन ही किया । फिर मैंने यह भी सोचा कि भण्डारीजी के नज़दीक रहने से ही, संभव है, मजदूरों का अधिक हित साधा जा सके ।

मैं शुद्ध न्याय के लिए प्रयत्न करने आया था। समझौता उसी का नाम है जिसमें दोनों पक्ष वालों के प्रति न्याय-दृष्टि रखी जाय, दोनों के स्वामिमान की रक्षा का ख्याल हो। भण्डारीजी मुझे जानते थे कि मैं एक शान्त व न्याय-प्रिय व्यक्ति हूँ। अतः मैंने उन्हीं के साथ जाने का निश्चय किया। परिणाम से मैंने देखा कि वालू भैया जैसे बोसरी जगह ठहरकर भी वह काम नहीं हो सकता था जो कन्हैयालालजी के साथ ठहरने से हुआ। उन्होंने व मैंने—दोनों ने इस समय अहिंसा के गुण व शक्ति को अनुभव किया। वे तो धर्मतः भी अहिंसावादी—जैनी—हैं।

दो-तीन दिन तक भण्डारीजी मजदूर-संघ के कार्यकर्ताओं की शिकायत व संघ की प्रवृत्तियों की कहुँ आलोचना करते रहे, जिसे मैंने धैर्य के साथ सुना। इसलिए भी कि जब तक उनके दिल का सब गुच्छर निकल न जाय तब तक वे शान्ति के साथ किसी समझौते की बात पर विचार करने की स्थिति में न होंगे। उससे मुझे पता लगा कि इस हड्डाल से इनके दिल में गहरा धाव हो गया है। धैर्य से उनकी बात न सुनूँगा तो इस धाव की भरहम-पट्टी न होगी—सञ्जुप्यता, न्याय व मजदूर-हित तीनों दृष्टियों से मुझे यह आवश्यक भालूम हुआ।

मेरे पहुँचने के कुछ घण्टों के बाद ही लालालजी का एक खत मुझे मिला जिसमें उन्होंने मजदूरों का पक्ष सुनने के लिए मुझसे मिलना चाहा था। इससे पहले ही मैं कन्हैयालालजी की बातों से यह समझ गया था कि संघ वालों के प्रति उनके भाव कैसे हैं; हालांकि गुलजारीलालजी के प्रति उनके मन में जल्द आदर था, व वे उसे व्यक्त भी करते थे। किर मी मैंने कन्हैयालालजी को विश्वास में लेकर इसका निश्चय करना ढीक समझा। वह पत्र मैंने उनके हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा—‘हाँ, जल्द मिलना चाहिए; पर उनसे मजदूर संघ में जाकर मिलिए, यहाँ मत खुलाइए—नहीं तो गलत-फहमी फैल जायगी।’ मैं भी संघ के कार्यालय में ही मिलना पसन्द करता था। अतः मैं वहाँ जाकर लालालजी से मिला।

कन्हैयालालजी की बातों से ऐसा लगता था कि अभी महीना-मर

मिलें न चलें तो उन्हें कोई चिंता नहीं। हृधर मजदूर-संघ ढीला पड़ने के लिए तैयार न दिखाई दिया। तब मैंने शायद तीसरे दिन कन्हैया-खालजो से कहा—‘ऐसा मालूम होता है, मैं यहां जल्दी आगया, और आपने भी मुझे बुलाने में कुछ जल्दी ही की। मेरा स्वास्थ्य भी खराब है, अब मुझे कल अजमेर बिंदा कर दीजिए।’

वे चौककर बोले—‘क्यों, ऐसी क्या बात हुई?’

‘मैं तो यह सोचकर अजमेर से चला था कि दूसरे ही दिन समझौता करके हड्डताल समाप्त करा सकूँगा। क्योंकि शंकरखाल भाई व खालजी के पश्च मेरे पास आते ही रहते थे, अब आपका तार मिल जाने से मैंने समझा कि जाते ही दोनों पक्ष बाले किसी समझौते पर रजामंद हो जायेंगे। परन्तु आज तीन दिन हो गये, हड्डताल बराबर चल रही है, और समझौते की बात शुरू करने का अवसर ही नहीं आया। मैं तो अपने लिए यह बड़ा पाप समझता हूँ कि मैं एक-एक दिन यहां इस तरह यिताता रहूँ, व हड्डताल चलती रहे—हृधर गरीब मजदूरों की मजदूरी का नुकसान हो, उधर मिल के शेयर होल्डरों की भी हानि हो। दोनों पक्षों की लाखों नहीं तो हजारों की हानि की जिम्मेदारी मैं इस तरह अपने पर नहीं ले सकता। मुझे तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप अभी एक मास और मिल चालू करना नहीं चाहते। उधर संघ बाले भी कहते हैं कि सेठ एक मास छटेंगे तो हम भी एक मास तो छट ही सकते हैं। अतः मेरी राय में समझौते का बक्त अभी नहीं आया है। समझौता तभी हो सकता है जब दोनों पक्ष सच्चमुच उसकी आवश्यकता अहसूस करें। तो मुझे हजारत दीजिए।’

इसका अनुकूल असर कन्हैयालालजी पर हुआ। उन्होंने कहा—‘नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब आपको तार देकर बुलाया है, तो मैं आपको खाली बापस नहीं लौटा सकता। तो कहिए, मजदूर क्या चाहते हैं?’

मैं—‘पहले आप बताइए कि आपकी तरफ से सबाल बात का है या पैसे का?’

‘पैसा तो परमात्मा ने अपने को काफी दिया है। मैं यह महसूस करता हूँ कि मजदूरों को यह हड्डताल नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने जावते से नोटिस तक नहीं दिया। इसका मुझे सबसे ज्यादा रंग है।

‘तो प्रश्न बात का ही रहा न! अच्छा समझौते में मूँछ आपकी कंची रहेगी, मालिकों का सम्मान मेरे हाथ में सुरक्षित है। अब?’

‘तो मेरी तरफ से, आपके हाथ में कलम देता हूँ, आप मजदूरों की तरफ से जो ठोक समझें लिख दीजिए, मैं दस्तखत कर दूँगा।’

मुझे सेठनी के इस जवाब से बहुत सन्तोष हुआ। मैंने कहा—‘तो इसके लिए अब लालाजी से मिलना होगा।’ उन्होंने कहा—‘हाँ, जरूर मिलिए।’

लालाजी से मैंने कहा—‘समझौता मजदूरों के बिलकुल हक में हो सकता है, लेकिन मजदूरों की ओर से एक गलती हमें मंजूर करनी होगी। मजदूरों ने बिना नोटिस दिये जो हड्डताल कर दी, यह गलती तो उनको माननी ही होगी न।’

‘हाँ यह तो आपने यूनियन की दृष्टि से भी गलती ही है।’

‘तो फिर समझौते की पहली शर्त यह होगी कि मजदूर अपनी इस गलती पर खेद प्रकाशित करते हैं।’

‘हाँ, यह तो आपने संघ के डिसिप्लिन के लिहाज से भी ठीक है।’

तो मैंने कहा—‘अब मजदूरों की तरफ से आप लिख दीजिए क्या चाहते हैं?’

शायद उसी दिन समझौता हो गया। मजदूरों के खेद-प्रकाशन की पहली शर्त से सेठनी को मूँछ कंची रह गई, इधर मजदूरों की लगभग सभी मांगें सेठनी ने मंजूर कर लीं। लेकिन एक शर्त पर मामला फिर विकट हो गया। मजदूरों की तरफ से चाहा गया कि हड्डताल के कारण किसी मजदूर को सताया न जाय व सभी हड्डताली काम पर लिये जायं।

सेठजी को सिद्धान्तसः इसे स्वीकार करने में दिक्षत न थी; पर कठि-  
नाई यह थी कि वे ७०-७५ मजदूरों को गुण्डा समझते थे, उनसे उन्हें  
मिल को तुकसान पहुंचने का अन्देशा था। उनका कहना था कि इन्होंने  
पहले भी तुकसान पहुंचाया है, अतः वे उन्हे वापिस नहीं लेना चाहते।  
यदि ऐसा अपवाद करते हैं तो मजदूरों के दृष्टिकिन्द्र से वह एक नीति  
को छोड़ने जैसा होता था। तब रास्ता निकाला गया कि सभी मजदूर,  
जिनमें ये ७०-७५ लोग भी होंगे, कारखाने में जाकर आपने-आपने सांचे  
पर काम करने लगें व जिन मजदूरों के बारे में मालिकों को शिकायत हो  
उनकी जांच मालिक लोग करें व उसके फल-स्वरूप जो कुछ कार्रवाई  
उचित दीखे, वह की जाय। कन्हैयालालजी ने सुमाया कि इनका मुक-  
दमा हरिमालजी करें। यह बड़ा धर्म-संकट था, लेकिन मामले को सुल-  
फाने के लिए मैंने यह जिम्मेदारी कुबूल कर ली। मिल चालू हो गई।  
अब हनके मुकदमे का समय आया।

मेरे दिल में बड़ी उथल-पुथल मची। यदि ये ७५ आदमी निर्दोष  
पाये गए तो मुझे छोड़ देने पड़ेंगे। पर उस दशा में सेठजी निश्चिन्त  
नहीं रह सकेंगे। उन्हें निश्चिन्त करने के लिए क्या मैं अन्याय करूँ?  
मैंने कन्हैयालालजी से कहा—‘देखिए, मैंने यहां आकर मालिक व मजदूर  
दोनों का हित ही साधा है।’

‘देखक, आपने इस समय दोनों की बहुत सेवा की है।’

‘और यह मैंने अपना कर्तव्य समझकर किया है, किसी लोभ-  
खालच से नहीं, मुझे इसका पुरस्कार कहीं से नहीं चाहिए। लेकिन  
आपने मुझे उलटा एक धर्म-संकट में डाल दिया है।’

‘सो क्या?’

मैंने अपनी उथल-पुथल बताई व कहा कि इस धर्म-संकट से मुझे  
बचा लोजिए। इस सूची में यदि आदमों कम किये जा सकें तो एक बार  
देख लोजिए और मुझ पर यह बोझ कम-से-कम रखिए।’

उन्होंने 'अच्छा' कहकर आपने एक भाई को बुलाकर सूची में काट-छांट करने के लिए कहा। थोड़ी देर में वे ३०-३२ की सूची बनाकर लाये। कन्हैयालालजी ने सूची देखी, एक मिनट सौचा व मुझसे कहा— 'भाऊ साहब', आपने यहाँ आकर सबका व मेरा भी भला ही किया है। आप जैसे पाप-भीरु को यह बोक असह लग सकता है। आपके हतने सहवास का मुझ पर काफी असर पड़ा है। मेरे मुँह से यदि कोई बात मूठ निकलने लगती है तो जबान दब जाती है व खयाल होता है कि कम-से-कम भाऊ साहब से तो मूठ न कहूँ। आपने यहाँ आकर एक दावानल को शान्त किया है। मैं तो चकित हूँ कि किस धैर्य से आपने मेरी एक की एक बात को बाह-बार सुना है व तनिक भी अकु-लाहट या मुँखाहट नहीं आने दी। अतः आप पर यह बोक अब अन्यथा ही होगा। मैं तो इन सभी को काम पर लिये लेता हूँ—जैसा कुछ भगवान की मंजूर होगा, वह हो जायगा।'

मुझे मानो सेठजी ने असित पुरस्कार दे दिया हो, उबार लिया हो—  
ऐसा जागा। मैंने हृषित स्वर में कहा—'कन्हैयालालजी, आप खुद बहुत अच्छे मुन्तजिम, बड़े रौब-दाव व घाक के आदमी हैं। बड़े-बड़े गुणों को ढीक कर सकते हैं। जो आपको ही मिल में काम करते हैं उन्हें आपने कब्जे में रखना आपके लिए कौन कठिन बात है। मुझे तो आश्र्य था कि आप इन लोगों के विषय में क्यों इतना आत्म-विश्वास खो रहे हैं। भगवान मैं समझता हूँ, अब भगवान आपके हृदय में से प्रकट हुआ है और उसने मुझ गरीब को धर्म-संकट से बचा लिया है।'

मैं आज भी इस घटना में अहिंसा-माता के आशीर्वाद के ही दराने कर रहा हूँ। उसमी दुई बात को सुखमाने में सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए कि लोगों के हृदयों को चोट कहाँ-कहाँ व कैसे-कैसे लगी है? पहले उसका हलाल कर लेने से दूसरी उसकर्ने लल्दी सुखम जाती है। हृदय के भावों—आत-प्रतिवातों—की उपेक्षा करके कोई कोरे बुद्धि-

कौशल से, तरकीबों से समस्याएँ सुलझाना चाहें तो वे उन्हें उलझा देंगे। हृदय का मार्ग अहिंसा का, प्रेम का, सहन-शोलता का, धैर्य-का है। कोरे बुद्धि-कौशल या तकर्क का मार्ग एक धोखा साधित होता है, जो अन्त में परिणामतः सबके लिए हिंसात्मक साधित हो रहता है।

: ४४ :

## दो आहिसा-धर्मी

सम्भवतः १९२२-२३ की वार है। मैं गवालियर से सावरमती (आह-मदाबाद) जा रहा था। बांदीकुड़ी में रात को कोई २-३ बजे गाड़ी चढ़-लनी पड़ती है। देहली से जो गाड़ी अहमदाबाद चलती है उसमें आगरे से बैठने वाले मुसाफिरों को यहाँ सवार होना पड़ता है। रात में मुसा-फिर आमतौर पर सोये रहते हैं। मैं जो एक डिब्बे में बुसा तो श्रावः एक-एक पटरी पर एक-एक शख्स को सोये देखा। मैं किसी को जगाना तो नहीं चाहता था, सिर्फ बैठने-भर के लिए पटरी पर एक कोना तलाश कर रहा था। एक पटरी पर किसी के सिरहाने जरा-सी जगह देखी तो आहिस्ता से बैठ गया। मेरे न चाहते हुए भी उसकी नींद खुल गई। उसने कुटते ही पांच-चार गालियाँ मुझे सुना दीं। ‘आये बड़े गांधी दोपी जगा के, दूसरे के आराम-तकलीफ का कुछ खयाल नहीं करते’ यह तो वह वाक्य था जिसे मैं कागज पर लिख सकता हूँ। गांधी व गांधी दोपी पर उसने खूब ही अपने जी की जल्ल मिटाई। मैंने पूछा—‘आप बीमार हैं क्या?’

‘तो क्या बीमार को ही आराम-तकलीफ होते हैं, दूसरों को नहीं?’

‘नहीं सो नहीं, मेरा यह उस्तूर है कि बीमारों, बूँदों, बच्चों, स्त्रियों को रेल में पहले जगह या आराम मिलना चाहिए। अगर इनमें से आप कोई हो तो मैं उसी तरह अवहार करूँ।’

‘किन क्या सोये हुए को उठाने से तकलीफ नहीं होती? गांधीजी

ने क्या यही अहिंसा-धर्म आप लोगों को सिखाया है ?'

'मैं खुद नहीं चाहता था कि आपको जगाया जाय, इसलिए तो मैं इतने आहिस्ता से बैठा—आखिर बैठने-भर का तो मुझे भी अधिकार है। आप जग पढ़े इसमें मेरा तो कोई कुसूर नहीं है !'

मेरे इस जवाब पर, जो मैंने बहुत ही नरमी और शान्त भाव से दिया वह उठ बैठा; तो मेरे बैठने के लिए खासी जगह हो गई। मैं सोचता रहा कि आखिर यह गांधी टोपी व गांधीबादी पर अपनी जल्द क्यों निकाल रहा है ? कुछ दिन पहले ही कराची में विदेशी कपड़े की दुकानों पर कांग्रेस-स्वयं-सेवकों द्वारा बड़ा कड़ा पिकेटिंग हुआ था। मुझे खबाल हुआ कि कहीं यह कराची का कोई विदेशी कपड़े का व्यापारी न हो। मैंने जिज्ञासा से पूछा—

'आप सिंध जा रहे हैं ?'

'हाँ, कराची जा रहा हूँ।'

यह मुनते ही मेरे दिमाग में कुछी लग गई। मैंने हंसते हुए कहा—  
'तो शब मैं समझ गया, क्यों आप गांधी टोपी पर इतने चिढ़े हुए हैं ? आप कपड़े के व्यापारी हैं क्या ?'

'हाँ, साहब, आपके वालिटरों ने हमें खूब सताया है।'

'तो वहाँ की कसर आप मुझ पर निकाल रहे थे ?' मैंने मुसकराते हुए कहा।

अब वह शर्मिन्दा हुआ। 'सब आदमी एक-से थोड़े ही होते हैं। आपकी तरह सब शरीफ हों तो क्या बात है ?'

'इसमें तो शराफत की कोई बात नहीं है। साधारण मनुष्य-धर्म है कि जहाँ तक बने अपने स्वार्थ व सुख के लिए किसी को कष्ट न दे।'

अब वो वह और भी लज्जित हुआ। आगे बातचीत से मालूम हुआ कि वह जैनी है। तब मैंने कहा—

'आप तो अहिंसा-धर्मी हैं, मैं ज्या अहिंसा-धर्मी हूँ। आपने मुझे इतनो गालियां दो वे किस अहिंसा-धर्म के मुताबिक दों ?'

‘हाँ साहब, वह तो मेरी जहालत थी।’

‘तो मैंने आपको गालियाँ सहकर और प्रेम से आपके साथ पेश आकर अर्हिंसा-धर्म का अधिक परिचय दिया था आपने? अब सच्चा जैनी—अर्हिंसा-धर्मी—कौन उहरा?’

‘साहब जीत तो आपकी हुई—हम तो अर्हिंसा का नाम-भर केरें हैं, आपने सच्ची अर्हिंसा का नमूना दिखाया है—लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते। आप कहाँ जा रहे हैं?’

‘लेकिन सब कुरे भी तो नहीं होते। आपने छूटते ही यह कैसे मान लिया कि मैं आपको सताने वालों में से ही हूँ। या जिन्होंने पिकेटिंग किया है वे सद आपको सताने को ही भावना रखते थे। उनको आपसे व्यक्तिगत बैर तो या नहीं। वे अपना कर्त्तव्य-पालन कर रहे थे। जो लोग विदेशी कपड़ा बेचकर पाप करते हैं, देश को गुलाम बनाते हैं, उनको वे तो उल्टा पाप से बचाने का प्रयत्न करते हैं। अतः धन्यवाद के पात्र हैं, न कि लिन्दा व गाली-गलौज के।’

‘लेकिन इससे हमारी गर्दन जो कट जाती है?’

‘तो आप विदेशी कपड़े को छोड़कर और कोई व्यापार कर्यों नहीं कर लेते?’

‘यही तो मुश्किल है, लोभ नहीं छूटता।’

‘तो अपने लोभ के लिए दूसरों को कर्यों गालियाँ देते हो? यह कहाँ का धर्म व अर्हिंसा है?’

‘अब तो सेठजी पानी-पानी हो गये। ऊपर की सीट पर उनमा भतोजा-सोग हुआ था, उसे नाम लेकर जगाया। कहा—‘उठो, हुम नीचे बैठो, ऊपर हन पंडितजी को सोने दो।’

मैंने मना किया—‘उसे सोने दो व आप भी सोओ, मुझे तो इतनी चैठने-भर के लिए जगाह काफी है।’

उन्होंने किसी तरह न माना व उसे उतारकर मुझे वहाँ सोने पर अनधूर कर दिया। इस तरह अखोर में दोनों ‘अर्हिंसा-धर्मी’ हो रहे।

४५

## गरीबों का सेवकः

१९२६ से मेरी दिलचस्पी बोलशेविक साहित्य से हुई। उस समय 'कम्युनिज्म' को बनिस्वत 'बोलशेविज्म' शब्द का अधिक प्रचार था, रूस की बोलशेविक कांति द्वारा यह शब्द अधिक प्रचलित हो गया था। अमेरिकीविदों की ओर से 'शोषण' न होने का जो नारा उठाया गया था उसमें मुझे तथ्य दीख पड़ा। तब से मैं उस साहित्य का थोड़ा-बहुत अध्ययन करने लगा। इन्दौर मे श्री सरकटे साहब ने 'बोलशेविज्म' पर एक पुस्तक मराठी मे लिखी; जिसका मैंने हिंदी अनुवाद किया था और वह प्रकाशित भी हो गई थी। 'हिंदी-नवजीवन' के लिए साबरभती जाने पर तो गांधीजी का गहरा रङ्ग चढ़ गया और एक कुरता, टोपी, धोती यह भेरा पहनावा हो गया। सादगी व हाथ से काम करना मुझे बचपन से ही पसन्द है विद्यार्थी-जीवन में ही—१९१९में—काशी से 'ओडुम्बर' मासिक चलाने लगा था, फिर भी नंगे पांव रहने, बाजार से खुद सौदा-सुल्फ कंधे या सिर पर लाद लाने मे और उसी दशा में परिचित जनों से मुलाकात हो जाने में मैं न संकोच करता था, न केंपता था। बल्कि एक प्रकार का गौरव अनुभव करता था। महात्माजी के पास जाने पर इस वृत्ति में बढ़ती ही हुई। शायद १९२२ में किसी समय मुझे इन्दौर के तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री बापना से मिलने जाना पड़ा। नंगे पांव, खादी टोपी, मोटी खादी का एक कुरता, व धोती, दाढ़ी भी कुछ बढ़ी हुई, ऐसी शब्दों मे उनसे मिला। इस रूप में यह पहली ही मुलाकात उनसे थी। भेरा यह

रुपन-रुक्ष उन्हें कुछ नागदार लगा। उनकी 'मुसल्लत-रुचि' को शायद उससे कुछ धक्का लगा। शुरू में और-और बातें हो जाने के बाद उन्होंने मुसल्लते हुए पृष्ठा—'यह क्या भेस आपने बनाया है ?'

'गरीबों की सेवा का निश्चय किया है, सो गरीबों से मिलता-जुलता अहनादा रखा है। इससे ज्यादा सादा लिवास और क्या हो सकता है ?'

'लेकिन आप तो अकेले गरीबों में काम नहीं करते। अमीरों, राजा, रहस्यों व बड़े आइमियों से भी तो मिलते-जुलते हैं। अतः पोशाक में उनकी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए न ? किसान-मजदूर हमारे पास आते हैं तो नीचे खड़े रहते हैं, लेकिन आप आये तो हम आदर से पेश आते हैं, हाथ मिलाते हैं !' उन्होंने बहुत मृदुल स्वर में सरल भाव से च विलकुल अपनेपन के साथ कहा। लेकिन 'किसान-मजदूर नीचे खड़े रहते हैं' यह शब्द मुझे खटका व जरा कुंफलाकर मैंने कहा—

'मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं, जो आपने कमरे में ढुलाया, हाथ मिलाया व इज्जत के साथ बैठाया; परन्तु अगर मैं गरीबों व किसान-मजदूरों का सच्चा सेवक हूं तो उनके साथ नीचे खड़े रहने में भी अपना गौरव मानता। आपके यहां यदि उनका स्थान नीचे है तो मेरा भी नीचे ही है !'

बापना साहब सभी गये कि सरल भाव से कही उनकी यह बात मुझे चुभ गई। उन्होंने तुरन्त कहा—'मैंने किसानों के लिए निरादर-आव से यह बात नहीं कही—जो यहां का रिवाल है वह बताया। आप इसका छुरा न मानें। अपनेपन के भाव से ही मैंने यह कह दिया। मैं तो आपसे परिचित हूं, पर दूसरी जगह शायद कोई ऐसे लिवास से ढुरा मान जाय—इसलिए आपको सुमा दिया, और कोई बात नहीं।'

'लेकिन हमारी भी तो रुचि-अरुचियां होती हैं। यदि कोई हमसे अपनी अभिरुचि का खयाल रखने की उम्मीद रखता है तो हमारी अभिरुचि का खयाल उन्हे भी क्यों न रखना चाहिए ? ये चिलायती कपड़े व साज-सामान हमारे भी दिल को बड़ा धक्का पहुंचाते हैं, तो क्या

हम इस दर्शय को सहन नहीं करते हैं ?'

'आपका कहना वैसे ठीक है; पर अभी हम लोगों के लिए यह सब दर्शय नया है—इससे अजीब मालूम होता है।' उन्होंने बात को ठंडी करने के उद्देश्य से कहा।

'मैं आपके भाव को समझता हूँ; मेरे कहने का भी आशय इतना ही था कि जहाँ गरीबों व किसानों का स्थान है, वहाँ उनके सेवकों का भी स्थान है, और यदि मैं उनका सच्चा सेवक हूँ तो मुझे इसमें मौंय या शर्म न मालूम होनी चाहिए।'

जिस तरह मुझे आपने ब्राह्मणत्व पर—त्याग, तप व ज्ञान के आदर्श पर—गर्व है, उसी तरह गरीबों के सेवक होने की भावना पर भी गर्व अनुभव करता हूँ। ठाठ-बाट व सादगी में जब कभी चुनाव के अवसर आते हैं, मैं हमेशा सादगी को पसंद करता हूँ। घर मे जब कभी ज्यादह आराम मिलने लगता है तो बबराने लगता हूँ, सोचने लगता हूँ कि कुछ अस्वाभाविक बात होरही है। एक बार वर्षा में श्रोघनश्यामदासजी चिक्का के साथ स्व० जमनालालजी के यहाँ भोजन कर रहा था। दूध व छाड़ दोनों साथ-साथ परोसे जारहे थे। मुझसे पछा गया आप दूध लेंगे या छाड़ ? मैंने जरा रुककर जवाब दिया 'छाड़'। 'घनश्यामदासजी तो बड़े मार्मिक दृष्टि वाले हैं' कह पूछा—'क्यों, जवाब देने में रुके क्यों थे ?' मैंने कहा, 'मैं यही सोचने लगा था कि उत्तम वस्तु लूँ या मध्यम ? जब ऐसी दो वस्तुओं का चुनाव मेरे सामने उपस्थित होता है तो मुझे मध्यम व कलिष्ठ वस्तु लेना ज्यादा प्रिय होता है।' 'घनश्यामदासजी तो री 'मूर्खता' पर हैंसे ही; परन्तु इस चुनाव मेरे सामने दो नीतियाँ थीं—एक तो यह कि आपने लिए मध्यम या कलिष्ठ चीज लेवे हैं तो उत्तम वस्तु दूसरों के लिए बच रहती है, दूसरे, इससे मध्यम या कलिष्ठ लोगों से अपनी तन्मयता का अनुभव होता है। गरीबों मे बैठके, उनके घर रहने, उनका साखाना करने व वैसा ही रहने-सहन रखने मे मुझे हार्दिक आनंद होता है। स्वास्थ्य इस योग्य नहीं रहा, अक्सर शहरों व कस्बों में ही

ज्यादा रहना पड़ा या पड़ता है, इससे वैसे जीवन का बहुत अस्तित्व नहीं पड़ा, परन्तु मेरे हृदय को प्रिय तो वही जीवन है, इसमें कोई सन्देह नहीं। गरीबों-से जीवन का मतलब गंदा, मैला, असन-युक्त, असम्भव जीवन नहीं; सादा, भला, सरल व आहम्बरहीन जीवन है।

४६ :

## अहिंसा की जीत

१९३५ में इन्दौर में फिर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन हुआ, जिसके सभापति महात्माजी बनाये गए थे। एक लाख की थैंकी उन्हें हिन्दी-प्रचार के लिए देने का निश्चय इन्दौर की स्वागत-समिति की ओर से किया गया था। इसके साथ ही इन्दौर में आस-लद्योग-प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। महात्माजी को इन्दौर लाये जाने व प्रदर्शनी के आयोजन में मेरा कुछ हाथ होने के कारण इन्दौर के एक मित्र ने विरोध का बीड़ा उठाया। जाहिरा रूप उन्होंने इसे यह कहिया कि इन्दौर को रकम इन्दौर में लगानी चाहिए। ऐसा आश्वासन य मिले तो, मुझसे कहा गया था कि, उन्होंने सम्मेलन में विष्ण ढालने की सोची थी। इसके लिए उन्होंने हरिजनों को भिज-भिज ब्लाकों के टिकट सरीदारये और यह तजवीज की थी कि जब सम्मेलन शुरू हो जाय तब वे हरिजन अपने पास बालों से कहें कि साहब जरा दूर हो जाइए, मैं हरिजन हूँ। सम्मेलन में चूंकि सनातनी व पुराने विचार के बहुतेरे हिन्दू प्रत्येक ब्लाक में होंगे, वे इस सूचना से भड़ककर उठ खड़े होंगे व सम्मेलन भंग हो जायगा। सभापति महात्माजी हैं, अतः वे इस बात पर जरूर जोर देंगे कि हरिजन अपने स्थानों से न हटाये जायं—फलतः सनातनी सम्मेलन छोड़कर चल देंगे। इस घट्यन्त्र की खबर ज्यों-ही स्वागत-अधिकारियों को लगी वे घबड़ाये व मुझे खुलाया।

‘यह आपके अजमेर का मगड़ा इन्दौर में क्यों फैल रहा है?’

मैं—‘क्यों क्या हुआ ?’

उन्होंने पूर्वोक्त षष्ठ्यन्त्र का हाल कहा व बताया कि ‘मैं तो...’ को शिरफ्तार कराये देता हूँ ।

मैं—‘यह तो आप बड़ी सूख करेंगे । सम्मेलन न बिगड़ा होगा सो बिगड़ जायगा ।’

‘तो फिर क्या करे ? आपके यहां आने से यह सब-कुछ हुआ है ।’

‘यदि किसी को सुझसे हुशमनी है तो वह आपका काम क्यों बिगाहे ? मुझे चाहे जितना नुकसान पहुँचाले व पहुँचावे ।’

किसी ने कहा—‘पर महात्माजी के यहां आने से वे तो यह मानते हैं कि आपको शक्ति बढ़ती है ।’

मैं—‘इसका दो छब कोई उपाय नहीं है । आप लोग उनसे यह कह सकते हैं कि सम्मेलन से हरिभाऊ का कोई वास्ता नहीं । सम्मेलन में सुद महाराजा साहब भी पधारने वाले हैं । सम्मेलन बिगड़ने से तो इन्दौर की ही नाक कटेगी । बिगड़ना हो तो प्रदर्शिनी को बिगड़ो जिससे हरिभाऊ को फड़ीहत हो ।

आस्तिर उन्होंने किसी तरह कह-सुनकर विघ्नकारियों से लग्जौता कर लिया । अब मेरे कानों में यह भनक पड़ने लगी कि वे प्रदर्शिनी में कुछ उपद्रव करेंगे । बड़ा ढर यह था कि कहीं आने न लगा दे । और प्रकार के विरोध व प्रदर्शन के तो हम लोग बहुत आड़ी हो हुके थे । पर भगवान् ने विरोधियों को सुबुद्धि दी—उन्होंने स्तिर्घ परचे बांटने व काली कपिडयों का प्रदर्शन करने को तज्ज्वल की ।

जब महात्माजी प्रदर्शिनी का दद्वाटन करने प्रदर्शिनी के झहाते में पबारे तो वहां इतनी भारी भीड़ जमी कि काली कपिडयां कहीं देखने से भी नहीं दीखती थीं । स्वागत-फाटक से अन्दर आने पर महात्माजी ने एक पर्चा सुझे दिया जिसमें नेरे दारे ने कुछ सूठों बातें लियी हुई थीं । एक तो ऐसी सफेद सूठ गही कि उसे पटकर हँसी आ गई । किसी युक्त सकान का पता दिया गया था, जिसकी शक्ति भी नैने आज तक

नहीं देखी, और छपा था कि उसमें मैंने मिल-मालिकों से रुपये खाये । मैं इस भूठ से खुश ही हुआ; क्योंकि मिल-मालिक तो जानते ही हैं कि मुझे उन्होंने कोई रिश्वत दी है या नहीं । इससे मेरे प्रति मालिकों की सहानुभूति व आदर ही बढ़ सकता था, व उन पर्वताजों के प्रति धृणा ही हो सकती थी । जो हो । मुझे इस बात से दुःख जरूर हुआ कि ऐसे पर्वताज यह नहीं सोचते कि इससे वो वे खुद ही अपने पाथों पर कुल्हाड़ी मारते हैं ।

उद्घाटन-भाषण हो जाने के बाद मैंने महात्माजी से पूछा—

‘यह पर्वत आपने पढ़ लिया है न ?’

‘हाँ पढ़ लिया है ।’

‘तो इसके संबंध में आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं ?’

‘नहीं, इसमें क्या पूछना है ? यहाँ भी लोग हुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं !’

‘इसकी आप चिन्ता न करें । मुझे तो इतना ही जानना था कि आप तो मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं ?’

इस तरह दोनों समारंभ निर्विघ्न पूरे हो गये ।

X

X

X

मूर्ठी अफवाहों का एक और ग्रस्तंग मुझे याद आ रहा है । बिजोलिया-सत्याग्रह चल रहा था । मुझे खबर मिली कि वहाँ जो पुलिस अफसर तैनात हैं वे बड़ा जुल्म कर रहे हैं—यहाँ तक कि स्त्रियों के लहंगों के नाड़े कटवा देते हैं ! मुझे इस पर यकीन तो नहीं हुआ, फिर भी इस खबर से मैं बहुत देचैन हो गया । पता लगा कि उस पुलिस-अफसर से श्री नथमलजी चोरडिया की जान-पहचान या रिश्तेदारी है । मैंने सोचा कि उन्हें बिजोलिया भेजकर समझाया जाय कि जावता-कानून के अनुसार सत्याग्रहियों के साथ जो करना जरूरी हो वही किया जाय, पर यह अमानुषिक कार्य क्यों ? चोरडियाजी व मैं इस तरह बात-चीत कर ही रहे थे कि मोटर में वे पुलिस-अफसर सामने से गुजरे ।

चोरडियाजी ने पहचानकर कहा—‘लो वे तो ये सामने से जा रहे हैं। शायद स्टेशन जा रहे हों।’ मैंने सुमाया—‘तो आप जाकर उनसे बहाँ मिल लीजिए।’

‘आप भी साथ चले तो क्या हर्ज है?’

‘आपका अकेला जाना ही ठीक है, फिर जखरत होगी तो मैं नी आजाऊँगा।’

‘तो आप स्टेशन पर दहरे रहे, मैं मिल लेता हूँ, जखरत हुई तो आप भी मिल ले।’

चोरडियाजी प्रसन्न चित्त वापस आये। कहा—‘नाडे काठने वाली बात से तो इन्कार करते हैं—आप छुद जाकर जांच कर आइए। छुछ ऐसी बाते भी बराईं जिनसे यह कगड़ा निवाने में सहायित हो सकती है। आप भी नित लीजिए।’

हम मिलकर घर लौटे। थोड़ी ही देर में चोरडियाजी वाजाह निकले। लौटकर बड़े अफसोस व ताङ्गुब के साथ कहने लगे—‘ऐसों जो, लोग कैसे खराब हैं। कहते हैं, चोरडियाजी ने १५०००) लेकर विजोलिया की सुलाह करा दी।’

मैं हँसा व बिनोद में कहा—‘बापू साहब, मुझे अब मातृम हुआ। इसी तरह सप्ते खान्खाकर आप लखपति बन गये हैं व यह हवेली बनाई है।’

और हम दोनों थोड़ी देर तक हँसते रहे।

: ४७ :

## रुपया बड़ा ?

वैसे तो राजस्थान में आते ही मैंने 'गांवों की ओर' को पुकार उठाई थी। जयपुर, उदयपुर के गांवों में होने वाले खादी-कार्य में दिल-चस्पी लेता रहा था; परन्तु अजमेर-मेरवाड़ा में शुरुआत १६३०-३१ में ही हो सकी। १६३५ में जाकर 'ग्राम-सेवक मण्डल' की स्थापना हुई। कार्य तो कार्यकर्ताओं के बल पर ही हो सकता है, अतः सदैव नवीन कार्यकर्ता हुँ-हने, उन्हें सुयोग्य बनाने व पुराने कार्यकर्ताओं की कठि-नाहायां हल करने में भरसक अपनी शक्ति लगाता रहता है। अपने साधियों की मानसिक शांति व आर्थिक व्यवस्था का सबसे अधिक ध्यान रखता है। राजस्थान में कार्यकर्ताओं का संगठन व्यवस्थित रीति से हो, इस उडे श से 'राजस्थान संघ' नामक संस्था कायम की गई, जिसके संचालक-मण्डल में शुरू से तो श्री रामनारायणजी चौधरी, श्री हीरा-लालजी शास्त्री व मैं रहे; पर बाद में चौधरीजी हट गये व श्री पुस्तके रथा देशपांडेजी और शामिल हुए। मुझे बड़ा खेद है कि ३ साल छल-कर यह संगठन हट गया, इसमें लगभग ३०-३५ प्रथम व द्वितीय श्रेणी के कार्यकर्ता सम्मिलित हो गये थे, व १८-२० हजार रुपया साल का अवंध उनके अलाउन्स के लिए करना पड़ता था। मेरा यह मत है कि अपने अग्रीकृत काम के बिंगड़ने की जिम्मेदारी खुद अपने पर ही रहती है। अतः यदि मैं इस संघ के मुख्य प्रबन्धकों में से था तो इसके दूटने की मुख्य जिम्मेदारी भी मेरी ही होनी चाहिए। इसके दूटने की जो प्रतिक्रिया हुई उससे उवरने में मुझे ३-४ साल लग गये। वह क्यों

द्वाटा, इसका किसां बोधप्रद है, इसलिए सुनाये देता हूँ ।

संघ को आर्थिक जिम्मेदारी मुख्यतः मुक्त पर, व भाई हीरालालजी पर थी—उसमें भी सबसे अधिक मुक्त पर आ गई थी । ज्योन्यों भाई शासनीजी पर बनस्थली विद्यालय व जयपुर-प्रबा-मण्डल का बोम्ब बढ़ता जाने लगा—ज्योन्यों राजस्थान-संघ का बोम्ब मुक्तपर पड़ने लगा । इसमें हम दोनों दो शरीर एक आत्मा की तरह थे—जब से, शायद १९२७ से मेरा उनका प्रथम परिचय हुआ है तब से हम ऐसा ही अनुभव करते आ रहे हैं । मेरे स्वभाव में एक बड़ी त्रुटि है । दूसरों के उपयोगी हो जाने की प्रवृत्ति मुझमें खूब है; पर मैं दूसरों का उपयोग कर सेने में बड़ा भीरु हूँ । इस प्रवृत्ति से अधिकांश तो मेरे ब्राह्मणत्व को संतोष ही रहता है; परन्तु कभी-कभी दुःख के अवसर भी आ जाते हैं । किन्तु बाद में इस दुःख को भी मैंने अपनी ही कमी माना है । आदे मैंने सचमुच राजस्थान के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया है तो मैं यहां के किस व्यक्ति के कार्य को 'दूसरे का' कार्य भालूँ ? जिसे मैंने अंगीकार किया है वह तो मेरा कार्य ही है; पर दूसरे जो कार्य करते हैं, यदि वे मेरे आदर्श, सिद्धांत व रीति-नीति के अनुकूल हैं तो वे भी मेरी ही हैं । परन्तु दूसरों का उपयोग किये बिना अपना अंगीकृत कार्य भी तो नहीं बनता ? इस समस्या को मैंने इस तरह हल किया है कि सोधी अपनी जिम्मेदारी पर कोई काम नहीं उठाना, उसके लिए कोई साथी या कार्यकर्ता आगे बढ़ जाय तो उसकी पीठ पर बने रहना । अतः जब बालकृष्ण (गर्ग) ने ग्राम-सेवा में रचि दिसलाई, जिम्मेदारी ली व जीवन देने का संकल्प प्रकट किया तो मैंने उसके अध्यक्ष बन जाने को हानी भर ली । अस्तु, इस त्रुटि के कारण, राजस्थान-संघ, का अधिकांश बोम्ब मुक्त पर आने लगा । इस बोम्ब से तो मैं नहीं बढ़ राया; पर एक विचित्र भाव मन में पैदा हो गया—ऐसा अनुभव हुआ जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था । राजस्थान में आने से पहले मुझे कभी सार्वजनिक कार्यों के लिए आर्थिक सहायता या चन्दा मांगने का

अवसर नहींआया था। इधर आते ही शाह्रण की भिज्ञा-वृत्ति जाग पड़ो; स्व० जमनालालजी व श्री धनदयामदासजी के संपर्क की बढ़ौ-लत धनिकों में शासनी से प्रवेश होगया, व धन भी आने लगा। मैंने न-सदा धन पर अपने को सबार रखा है, अपने पर धन को सबार नहीं होने दिया। परन्तु न जाने क्यों, राजस्थान-संघ के लिए जब आखिरी बार धन लेने गया, भाई शासनीजी भी साथ थे, तो ऐसा अनुभव होता था भानो रूपया मुझ पर सबारी गांठ रहा है—रूपया बड़ा व मै उसके आगे बहुत छोटा होगया। ज्यों-ज्यों यह अनुभव होता था त्यों-त्यों मेरी आत्मा भीतर से बगावत करती जाती थी। अन्त को मैंने तय कर लिया कि जब तक रूपया मुझे बड़ा लगता है तब तक रूपया भाँगने कहीं नहीं जाऊँगा। फलतः संघ की आर्थिक व्यवस्था बन्द कर देनी पड़ी व संघ का भौतिक कलेचर छूट गया। उसके कारण मित्रों, साथियों व कार्य-कर्त्ताओं से जो आत्मिक संबंध बंधा वह तो टूट ही कैसे सकता था?

X

X

X

पिछ्के जेल-जीवन में मैंने राजस्थान के प्रायः प्रत्येक अपने साथी व मित्र कार्यकर्त्ता का ध्यान कर-करके यह भावना ढढ़ की है कि इस भिन्न शरीर के द्वारा मैं ही कार्य कर रहा हूँ। जो मुझसे विरोध रखते हैं, दूरी अनुभव करते हैं, उनकी आत्मा मेरी भी अपना ही दर्शन करने का प्रयत्न किया है, व अब भी करता हूँ। मैं यह नहीं कह सकता कि उनसे मेरा तादात्म्य हो गया है, पर मेरी साधना इसी दिशा में है। जब उनमें पूरा तादात्म्य हो जायगा, उनके प्रति हृदय में वही सजीव व सक्रिय और मेरी धारा बहने लगेगी, जो अपने मित्र व साथी समझे जाने वाले व्यक्तियों के लिए वहती है, तभी अपनी आहिंसा की साधना को, इस सीमित लेन्ड्र में सफल मानूँगा।

मेरा मत है कि रूपया कार्यकर्ता के पास आना चाहिए; या अल्प आयास से ग्राह्य होना चाहिए। जब तक रूपये के पास कार्यकर्ता को जाना पड़ता है तब तक या तो उसने कार्य अपनी योग्यता, शक्ति और

तप मे बड़ा उठा लिया है या अपने से रूपये को बड़ा मानने में उसे कोई संकोच नहीं है । यदि सुझे आपके पास जाना पड़ता है तो निःसंदेह आप बढ़े हैं, मैं छोटा हूँ । जब तक वह बड़े-छोटे का भाव मन में है तब तक मनुष्य को वही दल करना चाहिए कि वह बढ़े को गिनती में 'आजे ।' अर्थात् वह अपनी योग्यता, स्थान व तप को बढ़ावे । इससे एक समय ऐसा आ जाता है जब वह सबको सम-इष्टि से देखने लग जाता है और आगे चलकर तो वह सम-इष्टि भी ऐक्य-भाव में बढ़ाल जाती है । 'समता' में दो का अस्तित्व है; जब तक दो का अस्तित्व है तब शूर्ण आत्मोन्नति, आत्म-प्राप्ति नहीं हुई । सब में, जीव-मात्र में एकत्र के अनुभव को ही पूर्ण मनुष्यता या आत्म-सिद्धि कह सकते हैं । इस स्थिति का आनन्द अवर्णनीय है ।

४८

## कष्ट के समय में

आहिंसा का एक लक्षण यह है कि सुदृढ़ ज्यादा-से-ज्यादा कष्ट उठा-कर भी प्रसन्न रहे व दूसरों को अधिक-से-अधिक सुख-संलोष देने में प्रसन्नता का अनुभव करे। दूसरों की खुशी में, खुशी के अवसरों पर जरूर उनके काम आवे। मैं देखता हूँ कि वचपन से ही मेरी प्रवृत्ति इस ओर है। अब मैंने अपनी साधना का भी एक अंग इस प्रवृत्ति को बनाया है। इसके सूचक कुछ खास अवसर मुझे याद आ रहे हैं।

सरकारी अधिकारी, राजा-रहस्य, सेठ-साहूकार, इनके यहाँ मैं चिना बुलाये था विना काम से प्रायः नहीं जाता। इसलिए नहीं कि मुझमें कोई मिथ्या अहंकार इस संबंध में है, बल्कि इसलिए कि ये लोग उसका गलत अर्थ लगा सकते हैं। किसी गरीब या साधनहीन के यहाँ यों ही चले जाने से वह सहसा यह नहीं समझता कि ये अपना कोई स्वार्थ साधने आये हैं। परन्तु धनी-मानी व सत्ताधारी प्रायः इसका यही अर्थ लगते हैं। अद्येय अमनालालजी अवसर कहा करते थे कि जब मेरे पास कोई आता है तो मैं पहले यह सोचता हूँ कि यह अपना कोई काम बनाने मेरे पास आया होगा। नहीं तो मुझ धनी के पास इन्हें आने का क्या प्रयोजन? अतः जब मैंने अपना स्वार्थ अपने रोटी-कपड़े से अधिक नहीं रखा है तो फिर मैं विना काम, क्यों कहा जाऊँ? पूज्य वाश्वरी तक से मैं विना काम नहीं मिलता, व विना जरूरत के कभी खत नहीं लिखता। इसमें अपने व उनके दोनों के समय

व शक्ति के अपब्यंथ का भी स्थाल रहता है। उनका, अपनी व दुनिया की निगाह में 'देकार' 'ठलुशु' की गिनती में न आने का भाव भी शामिल है। अब तो मुझे ऐसा भी लगते जागा है कि बिना काम, बिना प्रयोजन, किसी से भी बोलना, किसी से मिलना, कहाँ जाना फजूल ही नहीं हानिकारक भी है। इसका स्थाल वही लोग नहीं रख सकते जिन्होंने जीवन को महत्वपूर्ण व मूल्यवान् नहीं समझा है।

कलकर्ते में एक सेठ-मित्र हैं। कहाँ इत्तिफ़ाक से या काम से मिलना हो जाता तो मिल लिया करता था। एक बार जब वहाँ गया तो मालूम हुआ कि उनका दिवाला निकल गया है व वे बहुत दुःखी हो गये हैं। उनके चित्त पर भी इस दुर्घटना का बहुत तुरा असर पड़ा है। वे बहुत दूर रहते थे। फौरन दौड़ा गया और उनसे कहा कि आज चलकर व सब कामों को छोड़कर आपके यहाँ आना मेरा धर्म था। जब आप सेठ थे, तो आपके पास अपने सुख-शांति के विपुल साधन थे। अब आप साधन-हीन व हुखी हैं। यदि मैं आपका किसी भी अर्थ में मित्र हूँ तो मेरी आवश्यकता अब आपके पास है। आप चाहे तो मैं दिन-भर आपके पास रहूँगा। मैं शायद एक-दो दिन उनके यहाँ रहता भी था। इससे उन्हें बड़ी तसदीकी मिली। अब वे फिर सेठ हो गये हैं और कभी-कभी मिलने पर दुआ-सलाम हो जाती है। जब कभी सार्वजनिक कामों के लिए रूपयों की जरूरत होती है तो उनकी तरफ भी स्थाल जाता है, पर कई बार मन में यह विचार आजाता है कि कहाँ वे यह न समझें कि मैं उनसे अपनी उस सेवा का प्रतिफल मांग रहा हूँ —या उन्हें देने में उस बात का भी स्थाल आ जाय।

X X X

मेरे एक साथी मित्र हैं। मुझसे नाराज होकर अलग काम करने लगे थे। मुझे अपना विरोधी, शायद अपनी उन्नति या मार्ग में बाधक भी, भानने लगे थे। एक बार वे सहसा बीमार हो गये, ऐसे जोर का दिल का दौरा उठा कि यह अन्देशा हो गया कि अब की सांस

आये न आये । मैं उनकी छाती पर लेटकर तब तक चिपटा रहा जबतक उनको ऐसा न लगा कि जीवन फिर लौट आया व जब तक उनके हळाज का मालूम इन्तजाम न हो गया, वहां से नहीं हटा । इसमें मुझे हार्दिक प्रान्तोष व खुशी का अनुभव होता है ।

अजमेर जेल में एक दोज जेल-सुपरिंटेंडेंट बहुत घबराये हुए आये । मुझे व विशंभरनाथजी<sup>१</sup> को बुलाया—‘…………’ की हालत बहुत खराब हो गई है, पैशाब में एसीटोन आने लगता है । किसी भी जगत् उनकी मृत्यु हो सकती है । आप चाहे तो मैं उनकी सेवा के लिए आपको उनके पास रख सकता हूँ ।’ ये एक राजनैतिक कैदी थे, जेल वालों से कगड़ा होने पर भूख भड़ताल कर रखी थी, एक दिन पानी तक न पीने से हालत बहुत खराब हो गई थी । प्रलाप शुरू हो गया था । जब हम वहां गये तो हमें भी उनके बचने के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिये । बाद में भाई लादूरामजी जोशी भी आ गये । यदि वे न आये होते तो उन मित्र को संभालना असंभव था । यह लादूरामजी की ही हिम्मत थी कि उनके हाथ-पांव पछाड़ने को किसी तरह काढ़ कर सकते थे । एक रात वो हम सब निराश हो गये । सब लक्षण ऐसे थे कि आज रात मुश्किल से कठेगी । मैं कभी उनके पास, कभी कुछ दूर घटटों भगवान् का नमास्मरण करता रहता था । हृदय से प्रार्थना निकलती कि भगवान् क्या इस अपवश के के ही लिए तूने इस सेवा-कार्य में हम लोगों को झुटवाया ? हम सबको बड़ा आश्चर्य व महान् आनन्द हुआ, जब सुवह होते-होते उनकी हालत सुधरने लगी व दोपहर तक वो ऐसा मालूम होने लगा, मानो इन्हें कोई बीमारी ही न रही । अन्त को वे अच्छे हो गये और अब पहले की तरह ही हट्टे-कट्टे हो गये हैं । मैंने परमात्मा को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया—न जाने किनके पुण्य से उन भाई की जान बची । मैं निश्चय पूर्वक कह

१—श्री विशंभरनाथजी भार्गव, भूतपूर्व मन्त्री प्रान्तोष कांग्रेस कमेटी अजमेर व मेरे विश्वसनीय साथी ।

सकता हूँ कि हन भाई की किसी सुख या खुशी के अवसर पर जानं का अवसर आये तो मुझे कदापि वह हृष्ट<sup>१</sup> व सन्तोष न होगा, जो उनकी हस कठिन अवस्था में उनकी यत्किञ्चित् सेवा-शुभ्रा या से हुआ। परमात्मा से मेरी सदैव यह प्रार्थना रहती है कि ऐसी सेवाओं को भूल जाने की शक्ति वह देता रहे।

कहूँ लोगों को मैं देखता हूँ कि वे ऐसे प्रसंगों को याद रखकर उन व्यक्तियों से बहुत तरह से लाभ उठा लेते हैं, व उनका उपयोग भी कर लेते हैं। जब मेरी व्यवहार-चुदिं प्रधान या प्रबल होने लगतो हैं तो मुझे कभी-कभी यह खयाल होने लगता है कि यह अपनी वेवकूफी तो नहीं है। पर ऐसे समय कोई भीतर से कहता है, ‘हरिभाऊ यह वेवकूफी अच्छी है। तुम्हारे मन में जो हृतना विकल्प उठता है, यह भी तुम्हारी कमज़ोरी ही है। सेवा तो वही है जो को व भूल गये। यदि धीरज रखोगे तो व्यवहार-दृष्टि से भी तुम घाटे में न रहोगे।’

मूँक बार मुझे भाई लादूरामजी की जरूरत हुई। वे मेरे उन साथियों में हैं जिनमें मैं देवत्व के दर्शन करता हूँ। वे जयपुर-प्रजा-मंडल में काम कर रहे थे, भाई शास्त्रीजी को मैंने लिखा। उन्हे भी उनकी आवश्यकता थी ही। उन्होंने उन्हे आने देने में असमर्थता-सो प्रकट की। मेरे मन में आया व शायद शास्त्रीजी को लिखा भी था कि आप लोगों को जरूरत होती है तो मैं सब काम-धार्म छोड़कर दौड़ आता हूँ, लेकिन जब मेरी कोई जरूरत होती है सब अन्सर लोग आल-मदूल कर देते हैं। दूसरे साथियों व मित्रों ने भी बाज-बाज दफा हसका हशारा किया है। परन्तु थोड़ी ही देर बाद मुझे ये सा लगा कि जयपुर-प्रजा-मंडल का काम मैं दूसरे का क्यों समझूँ? क्या शास्त्रीजी मेरे लिए ‘दूसरे’ हैं? क्या जयपुर-प्रजा-मंडल को स्थापना के प्रेरकों व सहायकों में मैं नहीं हूँ? क्या मैंने यह नहीं कहा है कि जब जयपुर आता हूँ, या जयपुर का खयाल आता है तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं जयपुर का नहीं हूँ। क्या जयपुर से मेरा हृतना तादात्म्य नहीं है? क्या सारे २१४ स्थान की सेवा का, राजस्थान की आत्मा में अपनी आत्मा मिलाने का

मैंने संकल्प नहीं किया है ? तो फिर क्यों यह भाव भेरें मन में आता है ?  
 इसका कारण है यह एहसास कि शास्त्रीजी का व मेरा काम अलहदा  
 है । मैंने अपनी भूल पकड़ ली व शास्त्रीजी को लिखा कि यह मेरी  
 गलती थी, जो मैंने इस भेद-भाव की भाषा का प्रयोग किया । जिसे  
 मैंने 'अपना' काम समझा है, वास्तव मे उसे 'परमात्मा का' काम सम-  
 झना चाहिए । यदि वह काम परमात्मा का है तो उसका साधन जुटाने,  
 उसे सफल बनाने की ज्यादा चिन्ता परमात्मा को होनी चाहिए, मैं सो  
 उस पर श्रद्धा रखकर जो कुछ बन सके वह ईमानदारी से करता रहूँ ।  
 इस विश्वास में कितनी मानसिक शान्ति है, कितने मानसिक अम व शक्ति  
 की बचत होती है, उखाड़-पछाड़ कितनी अनावश्यक प्रतीक होती है,  
 फिर भी सफलता कैसे प्रत्यक्ष आती हुई दीखती है, इसका अनुभव व  
 आनन्द लिखकर या कहकर नहीं बताया जा सकता । तुलसीदास के  
 इस भजन में यही सर्व बड़ी सुन्दरता से बताया गया है—

“मम हृदय-भवन प्रभु तोरा । तहँ आय बसे बहु चोरा ॥  
 कह तुलसीदास सुनु रामा । लूटहिं तस्कर तब धामा ॥  
 चिन्ता यह मोहिं अपारा । अपजस नहिं होइ तुम्हारा ॥”

## : ४६ : पूर्णाहुति

अब एक अनितम संस्मरण लिखकर इन अनुभवों को समाप्त करूँगा। यह बात तो है शायद १६२८ की, पर चूंकि वह मेरे मन में सदैव तरो-ताजा बनी रहती है, और मुझे राजस्थान की सेवा में सजीव प्रेरणा देती रहती है, अतः उन्हीं का स्मरण करके इस पुस्तक की पूर्णाहुति करना ढीक रहेगा।

राष्ट्रीय विद्यालय सावरमती के वार्षिक उत्सव के सिलसिले में महात्माजी सहित सब लोग छात्रों का एक नाटक देख रहे थे। शाम का वक्त था— महात्माजी को एकाएक गश आ गया। सब लोगों के होश फाल्ता हो गये। फौरन ही वे एक चारपाई पर लिटा दिये गये। चैहरा बिलकुल ‘पीला पड़ गया। आंखें मुँद गईं। सिर्फ़ हत्तकी-न्ती सांस चलती थी, जिससे लोग थोड़ा-बहुत धीरज बांधे हुए थे, फिर भी यह खटका नंगी तलवार की तरह सिर पर लटक रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि अगलो सांस न आवे। ताल्कालिक उपाय होने लगे, डाक्टरों के लिए भोटरों दौड़ों। सरको घबराहट न बेचैनी का अन्दराज पाठक स्वयं ही कर सकते हैं। उन दिनों महात्माजी ने दूध पीना छोड़ दिया था, बादाम का दूध बनाकर पीते थे, कच्चे केलों को भाष से पकाकर खाते थे। प्राणी के दूध से बचाने की दृष्टि से यह खुराक का प्रयोग चल रहा था। इससे महात्माजी काफी दुर्बल होनुके थे। कहते हैं कि इस दुर्बलता से सुद उन्हें भी ऐसा लगने लगा था कि अब शायद यह शरीर वार्षिक समय तक न ठिके।

इसका एक पूर्ववर्ती आधार भी बताया जाता था । १६१८ में महाल्माली काफी बीमार होगये थे—कहते हैं एक दिन ऐसी अवस्था हुई कि उन्हें लगने लगा कि अब चले । लेकिन मन में खयाल आया कि अभी तो अपना काम बहुत बाकी रह गया है । हृदय से प्रार्थना निकली कि भगवान् १० साल और मिल जायं तो सब काम पूरा होजाय । उसके बाद से वे चंगे होने लगे । इन दस साल की सियाद भी इस वर्ष<sup>१</sup> ( १६२८ में ) खल्म हो जाती थी । अतः उन्हे ऐसा लगा कि अब चलने के दिन आगये । जब यह खबर मैंने सुनी तो मेरे मन पर यह असर हुआ कि महापुरुष संकल्प-जीवी होते हैं । जब खुद बापू को ही ऐसा लगने लगा कि चले तो फिर खुदा ही खैर करे । स्व० जमनालालजी वहाँ थे । उनके मेरे बीच बातचीत हुई । ‘बापू का अब ठिकाना नहीं है । पता नहीं किस दिन दरगा दे जायं । अब उनका शरीर बहुत ही खोखला होगया है । किसी से उन्होंने कहा भी था कि मुझमें करुणाभाव इतना अधिक आगया है कि वह शरीर उसके बोझ को संभाल नहीं सकता । ऐसी दशा में हम अपने कर्तव्य का जरूर विचार कर ले । पहली बात तो यह तथ पाई कि अपनों तरफ से बापू पर शारीरिक व मानसिक बोझ कम-से-कम पड़ने दे । उनका अधिक-से-अधिक बोझ खुद उठा लेने का यत्न करें, पर यह मुस्किन न हो तो कम-से-कम अपनी उल्लंघनों व कासों का बोझ उन पर न पड़ने दे । जहाँ सैद्धांतिक कठिनाइयाँ आवे अपनी बुद्धि काम न दे, वही सिर्फ उनसे पूछ लिया जाय । अब अपने पैरों के बल खड़ा रहना ही उचित है । बापू के जीते जी यह दिखा दें कि हम जिम्मेदारियों को उठाने की ज़मता रखते हैं और उन्हे निबाहने की योग्यता भी । हमने यह निश्चय करके सोचा भी कि पूज्य बापजी को इससे बाकिक कर दें ।

किंतु जब यह खयाल हुआ कि बापू शायद न रहें तो यह भी इच्छा होनी स्वाभाविक थी कि कुछ दिन सावरमती हो ठहर जावें । जब हालत ठीक-ठाक होजाय तो फिर चलें । पर साथ ही यह भी विचार आया कि अभी तो स्वावलम्बी बनने का निश्चय किया और अभी से यह कमज़ोरी

आने लगी। महज उन्हीं के खातिर ठहरना बापू को भी अच्छा नहीं लगेगा। बल्कि ऐसो भयानक चिंता सामने खड़ी रहने देकर भी यदि हम लोग अपनी ढूयूटी पर चले गये तो उन्हें अधिक संतोष ही होगा।

‘उन्हें हम बापू के स्थान पर गये। दोनों ने अपना निश्चय उन्हें सुनाया—

‘कल की आपकी मूर्च्छा देखकर हमने एक विचित्र निश्चय किया है। हम लोग अपना कोई बोझ आप पर नहीं पढ़ने देंगे—सिवा सिद्धांत, नीति-संबंधी मार्ग-दर्शन के। सो भी बहुत गाड़ी अटक जाने पर ही। आपके सिद्धांत सत्य, अहिंसा हमारे हृदय में बैठ गये हैं। अपनी बुद्धि व शक्ति के अनुसार उनको समझने व पालने का यत्न करते रहेंगे। जब तक आप हैं तब तक तो कठिनाई के अवसर पर आपसे मार्ग-दर्शन प्राप्त करेंगे ही—पर आपको एक-न-एक दिन जाना ही है; अब तो पता नहीं आप कब चल दें, और हमें तथा देश को व संसार को एक दिन उस भयानक अन्धकार का सामना करना ही है, तो हमने सोचा कि हम अभी से उस दिन के लिए अपने मन को तैयार कर लें और जब तक आप बैठे हैं अपनी जिम्मेदारी पर काम इस तरह करें जिससे आपको कम-से-कम कष्ट व अधिक संतोष हो। पहले तो हमारा इरादा हुआ कि कुछ दिन ठहर जावें, पर अब यही निश्चय किया है कि आज हम अपने स्थानों को चले जाकर अपने कामों में जुट जावें; आपको प्रणाम करने आये हैं।’

बापू बोले—‘अह निश्चय मुझे प्रिय लगा है। मेरे शरोर को तुरन्त ही कुछ होने वाला है, ऐसा तो नहीं लगता; परन्तु मनुष्य को तैयार हर अवस्था के लिए रहना चाहिए। तुम लोग खुशी से जाओ।’

किसी को क्या पता था कि जमनालालजी तो बापू से पहले चल देंगे। उस समय जब हमने पूर्वोक्त निश्चय किया तब कम-से-कम मेरे मन में यह खयाल जरूर था कि अपने लिए भाँड़ी—जमनालालजी—ही हैं। अब तो मेरा वह सहारा भी निकल गया!

बापू का सहारा हमने जान-दूरकर छोड़ दिया। जमनाखालजी का संहारा भगवान् ने छीन लिया। अब भीरावार्हे के शब्दों में—

‘भवसागर सब सूख गया है फिर नहीं सुन्मे तरनन की।’  
और

‘मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई’

बाली हालत हो गई है। परमात्मा आपने बन्दों के लिए जो अच्छा समझता है वही करता है। माता को वह प्रसव की असहा पीड़ा देता है परन्तु उसमें उसका मांगल्य ही निहित रहता है जो शिशु के रूप में फिर प्रकट होता है।

सम्बवतः १६३३-३४ में पूज्य बापूजी ने उपवास किया था—२। दिन का। मैं उस समय चम्बई में डलाल करा रहा था। सान्ताङ्गुज में मित्रों ने उपवास के उपलक्ष्य में पुक्क सभा की आयोजना की थी। स्वभावतः ही सब लोग घबराये हुए व चिन्तित थे। पर मैं चिच्छित नहीं हुआ था—अपना भवसागर तो पहले ही, पूर्वोक्त लिङ्गच के कारण, सूख ढुका था—मैंने सभा में कहा—

‘मुझे चिश्वास तो यही है कि बापू इस अरिन-परीक्षा में से सही-सलामत निकल आवेंगे। उनका शरीर भी इतनी सात्त्विकता को प्राप्त हो गया है कि इस उपवास से उनका अधिक शार्क्त-ब्यव न होगा। परन्तु हम जो उनके अनुयायी व भक्त हैं, उन्हें उनकी मृत्यु की कल्पना से भी बचाना नहीं चाहिए। यदि आज बापूजो को यह मालूम हो कि मेरे उपदाल की चिन्ता से या मृत्यु की आशङ्का से, मेरे अनुयायी बचाये हैं, किकर्त्तव्य-विमृद्ध होगये हैं, तो उन्हें बहुत हुँख होगा व इस तरह के दोरों अनुयायियों को देखकर, उल्टा वे लहड़ी मर जाना पसंद करेंगे; परन्तु यदि हमारा तरफ से उन्हें यह संदेश पहुँचे कि हमें चिश्वास है कि आप इस बाटी को सुख से पार कर जायंगे; परन्तु यदि परमात्मा को यहो इच्छा हुइ कि आपको वह हमारे बीच रहने न दें तो आप निरिचन्तता व शांति से अपना शरीर छोड़ें, हम आपके अनुयायी कह-

जाने वाले आपके अधूरे कार्यों को दस गुना देगा व बल से चलावेंगे व आपकी आत्मा सदैव हमारा पथ-दर्शन करती रहेगी। आपके जैसे महा-पुरुष शरीर भले ही छोड़ दें, जिसने विश्व को आत्मा में अपनी आत्मा मिला दी है, वे तो अमर होते हैं और उस अमर आत्मा की प्रबल शक्ति से संसार को प्रकाश व प्रेरणा देते व पथ-दर्शन कराते रहते हैं। हम आपके बाद रोकर व किंकर्त्तव्यविमूढ़ होकर बैठे रहने वाले नहीं हैं;’ तो वे भले वाले होंगे तो नहीं मरेंगे व उन्हें अधिक जीने में रस मालूम होने लगेगा। असः अपना पूरा संकल्प-बल लगाकर वे इस ‘दिव्य’ में से साफ पार हो जायेंगे।’

जमनालालजी तो अपना हिसाब दे गये। बापूजी ने कहा—जमना-लाल दिव्य पुरुष था। अपने राम तो इसमें गौरव अनुभव करने वालों में हैं कि बापू के काल में पैदा होकर जीवित हैं, व ‘नहि साधन, बल वचन चातुरा’ मानने वालों की ओरों में हैं। पूज्य बापू को सन्तोष देने की जमता व योग्यता तो इस जन्म में अःने से रही, उनके कष्ट व व व्युत्पत्ति का कारण न बनें, तो भगवान् का अनुग्रह समझना चाहिए। हन भावनाओं के साथ अभी तो राजस्थान की सेवा का व्रत जारी है। जैसी भगवान् की मर्जी हो—“भालिक तेरी रजा रहे व तू ही तू रहे।”

गोस्वामीजी के शब्दों में उससे चाहना है—

‘नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये  
सत्यं बद्धामि च भवानखिलान्तरात्मा ।  
मर्त्ति श्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे,  
कामादि दोष-रहितं कुरु मानसं च ॥

६०

## स्वस्ति-पाठ

अपने ये अनुभव मैंने लिख तो दिये, पर एक खयाल मन में से हट नहीं रहा है। आखिर एक अल्प-प्राण जीव के इन अनुभवों का भूल्य क्या? 'अपनी चात' होने से 'अपनी शोहरत' का आन्तेप होगा सो अलग। इसका एक ही जवाब मेरे अन्तरतम से सुन्मे मिलता है—तुम्हारा भाव इसे लिखने में क्या रहा है? अपनी शोहरत, या अहिंसा-प्रचार। मैं निःसंकोच कह सकता हूँ कि अहिंसा की महिमा का जो स्वाद सुन्मे मिला है, व मिल रहा है, उसे पाठकों में बांटना व उन्हे उसका चक्का लगाना ही मेरा उद्देश्य है। 'शोहरत' की आशंका के खयाल से उल्टा बीच-बीच में हतोत्साह होता रहा हूँ। इसमें वर्णित घटनाएं चूँकि मेरे ही आस-पास थूमती हैं, अतः मेरे जीवन का कुछ वर्णन इसमें अनिवार्य था। फिर भी यह जीवन-चरित्र या 'आत्म-कथा' नहीं है।

इसका यह अर्थ नहीं कि मैं 'आत्म-कथा' लिखने में कोई बुराई मानता हूँ। यही कि मेरा जीवन ऐसा महस्त्र नहीं रखता कि उसकी कोई कथा लिखी जाय। विभूतिमान्, कर्त्तव्यशाली, साधु-महात्मा, परम-पुरुषार्थी, लोग 'आत्म-कथा' लिखें या दूसरे उनके जीवन चरित लिखें तो वह डरित है। सुझमें इनमें से कोई भी गुण या शक्ति नहीं है, इसीलिए इन अनुभवों को भी पाठकों के सामने रखते हुए बहुत संकोच हो रहा है। पाठकों से निवेदन है कि वे केवल इसकी घटनाओं पर ही निगाह रखें, उन्हीं पर विचार करें व यशोचित शिक्षा ले, इसके बाद

जीवन से इन घटनाओं का संबंध है उसे न कुछ समझकर भूल-

इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि मेरा जीवन आहिंसा से आत-ग्रोत हो गया है। मुझे क्रोध आ जाता है, फल्लाहट तो कई बार आ जाती है, अभिमान भी दीच-दीच में उभरता रहता है। सारा सत्य कहने का कभी-कभी साहस नहीं होता। निराशा का प्रभाव कभी-कभी होने लगता है। दूसरे के प्रति अनुदारता भी मन में पैदा हो जाती है। ये कमियां तो ऐसी हैं जो मुझे खुद दीख जाती हैं; पर और भी ऐसे दोष या कमजोरियां हो सकती हैं जिन्हें दूसरे देख पाते होंगे। जब तक मनुष्य पूर्ण नहीं हो जाता—फिर से वृष्टि-रूप नहीं हो जाता, तब तक उसके जीवन में दोष, त्रुटि, विकार मिलते ही रहेंगे। मनुष्य का कर्त्तव्य यह है कि वह जागरूक रहकर आत्म-निरीक्षण करता रहे, दूसरों की टोकाओं, आलोचनाओं, भर्सनाओं, निन्दाओं से लाभ उठाता रहे, जब-जब अपने विकार उभरते हों तब-तब उन्हें संयम में लाने का यत्न करता रहे। इसी से वह निर्देशिता, सात्त्विकता, या आत्मिकता के मार्ग में प्रगति कर सकेगा। पठन, चिन्नन, मनन व कुछ अनुभव से मेरा यह निरिच्छत-मत बन गया है कि मनुष्य जो कुछ आज है वह अपनी ही पूर्व-कृतियों का परिणाम है, व आगे जो कुछ होगा वह उसके वर्तमान कार्य-कलाप का परिणाम होगा जिसे लोग 'परिस्थिति' कहते हैं, वह भी भारी चीज है, इसमें कोई शक नहीं। पर वह मनुष्य के अपने प्रयत्न या पुरुषार्थ से भिन्न या बदकर नहीं हो सकती। अहंकार-युक्त पुरुषार्थ मनुष्य को उद्धृत व अत्याचारी बना देता है, अहंकार-शून्य पुरुषार्थ ही उसे परम-पद तक ले जा सकता है, और उस पर प्रतिष्ठित करके ही छोड़ेगा।

अतः पाठक इसमें इतना ही देखें कि उनके जीवन को बनाने में, इन अनुभवों से कुछ फायदा मिल सकता है या नहीं। इसमें जो मेरे अवगुण दीख पड़ें वे उनके काम की चीज नहीं हैं। जहाँ तक सुद उनसे संबंध है वे उन्हें भूल जायें, क्योंकि मेरी त्रुटि या दोष उनको उत्तिति

में सहायक नहीं हो सकते । वे तो अपने ही सद्गुणों के बल  
चढ़ सकते हैं ।

सब ही सुख को पावें, सभी निर्मल हो रहें ।  
सब ही शुभ को देखें, कोई कहीं न हो दुखी ॥

